पंचदश माला, खंड 1, अंक 6

सोमवार, 8 जून, 2009
18 ज्येष्ठ, 1931 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

पहला सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 1 में अंक 1 से 7 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

पी.एल.एस.–48/1/6/2009 ( एन० )
230

© 2009 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

## इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

## लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

## लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण, वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110 001 (दूरभाष: 23034726, 23034495, 23034496) पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

## सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक

राकेश कुमार
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

# विषय-सूची

*[पंचदश माला, खंड 1, पहला सत्र, 2009/1931 (शक)]*

**अंक 6, सोमवार, 8 जून, 2009/18 ज्येष्ठ, 1931 (शक)**


| विषय | कॉलम |
|---|---|
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | 1 |
| **वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति** | |
| 89वां से 91वां प्रतिवेदन | 1 |
| **विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति** | |
| 202वां प्रतिवेदन | 2 |
| **उपाध्यक्ष का निर्वाचन** | 2–5 |
| **उपाध्यक्ष को बधाइयां** | 5–15 |
| डॉ. मनमोहन सिंह | 5–6 |
| श्री प्रणब मुखर्जी | 6 |
| श्री लाल कृष्ण आडवाणी | 6–7 |
| श्री मुलायम सिंह यादव | 7–8 |
| श्री शरद यादव | 8 |
| श्री विजय बहादुर सिंह | 8 |
| श्री अर्जुन चरण सेठी | 8–9 |
| श्री बसुदेव आचार्य | 9 |
| श्री सुदीप बंदोपाध्याय | 9 |
| श्री अनंत गंगाराम गीते | 9–10 |
| डॉ. एम. तम्बिदुरई | 10 |
| श्री टी.आर. बालू | 10 |
| श्री गुरुदास दासगुप्त | 10–11 |
| श्री अजीत सिंह | 11 |
| श्री इन्दर सिंह नामधारी | 11–12 |
| अध्यक्ष महोदया | 12–13 |
| उपाध्यक्ष महोदय | 13–155 |
| **सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण** | 15 |

| विषय | कॉलम |
|---|---|
| **अध्यक्ष द्वारा घोषणा**. ..... | 16 |
| **सदस्य की गिरफ्तारी और उन्हें हिरासत में लिया जाना**. ..... | 16 |
| **नियम 377 के अधीन मामले**. ..... | 21–31 |
| (एक) आस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता | |
| श्री पी.टी. थॉमस ..... | 21–22 |
| (दो) महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री जय प्रकाश अग्रवाल ..... | 22 |
| (तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का ग्राम पंचायतों तथा नगर पंचायतों तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री एन.एस.वी. चित्तन ..... | 22–23 |
| (चार) देश में तेजी से घटते वन क्षेत्रों के संरक्षण की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश को 'भारतीय हरित क्रांति' केन्द्र घोषित किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री निनोंग ईरींग ..... | 23–24 |
| (पांच) महिला आरक्षण विधेयक लोक सभा में पारित किए जाने की आवश्यकता | |
| श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी ..... | 24 |
| (छह) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 का विस्तार करने तथा उसे चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता | |
| श्री अधीर चौधरी ..... | 24 |
| (सात) केरल के अलप्पुझा जिले में जल जनित रोगों से उत्पन्न खतरे का आकलन करने के लिए एक जांच दल भेजे जाने की आवश्यकता | |
| श्री के.सी. वेणुगोपाल ..... | 24–25 |
| (आठ) झारखंड में सिंचाई और पेयजल सुविधाएं प्रदान करने के लिए चन्द्रपुरा और बोकारो थर्मल पावर स्टेशनों के सामाजिक एकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का विनियोग किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय ..... | 25 |
| (नौ) देश के सशस्त्र बलों में 'एक रैंक एक पेंशन' योजना लागू किए जाने की आवश्यकता | |
| डॉ. राजन सुशान्त ..... | 26 |
| (दस) मध्य प्रदेश के सूखा प्रभावित सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ट्यूबवेल बोरिंग और जलाशय निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री गणेश सिंह ..... | 26–27 |

| विषय | | कॉलम |
|---|---|---|
| (ग्यारह) | महाराष्ट्र में जलगांव और शोलापुर के बीच रेल लाइन के सर्वेक्षण तथा निर्माण को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री दानवे रावसाहेब पाटील | 27 |
| (बारह) | उत्तर प्रदेश के चन्दौली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल फ्रेट कारीडोर का निर्माण करने के लिए कृषि भूमि का अर्जन रोके जाने की आवश्यकता | |
| | श्री राम किशुन | 27 |
| (तेरह) | झारखंड में उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए 'नाबार्ड' से निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री सुशील कुमार सिंह | 27–28 |
| (चौदह) | पश्चिम बंगाल में आइला चक्रवात से प्रभावित लोगों को राहत देने और उनका पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री कल्याण बनर्जी | 28 |
| (पन्द्रह) | तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पुष्प कृषि को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री डी. वेणुगोपाल | 28–29 |
| (सोलह) | केरल के तिरुवनंतपुरम में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री ए. सम्पत | 29 |
| (सत्रह) | उड़ीसा में कथाजोडी नदी पर दूसरे रेल पुल के निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूरा किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री भर्तृहरि महताब | 29–30 |
| (अठारह) | महाराष्ट्र में ''स्वाधार'' स्कीम के अंतर्गत महिला गृहों के निर्माण के लिए निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्रीमती सुप्रिया सुले | 30 |
| (उन्नीस) | पश्चिम बंगाल में कनसायी नदी पर दूसरे रेल पुल का निर्माण शुरू किए जाने तथा राज्य में खड़गपुर और मिदनापुर के बीच एकल रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री प्रबोध पांडा | 31 |
| (बीस) | झारखंड में उचित शासन व्यवस्था बहाल करने की दृष्टि से राज्य की निलंबित विधानसभा को भंग किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री इन्दर सिंह नामधारी | 31–236 |
| **राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव** | | 32 |
| | श्री सज्जन वर्मा | 32–35 |
| | श्री मुलायम सिंह यादव | 35–119 |

**विषय** **कॉलम**


श्री दारा सिंह चौहान ..... 49–55

श्री सुदीप बंदोपाध्याय ..... 55–61

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन ..... 61–65

श्री बसुदेव आचार्य ..... 65–72

श्रीमती सुषमा स्वराज ..... 72–85

श्री सतपाल महाराज ..... 85–90

श्री दुष्यंत सिंह ..... 90–93

श्री अनंत गंगाराम गीते ..... 93–102

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी ..... 102–103

श्री नामा नागेश्वर राव ..... 103–106

श्री गुरुदास दासगुप्त ..... 106–111

श्री गणेश सिंह ..... 111–114

श्री जयंत चौधरी ..... 114–117

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ..... 117–122

डॉ. टोकचोम मैन्या ..... 123–126

योगी आदित्यनाथ ..... 126–130

श्री मधुसूदन यादव ..... 130–

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर ..... 130–138

श्री नरहरि महतो ..... 138–139

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी ..... 139–143

श्री प्रहलाद जोशी ..... 143–151

श्री असादूद्दीन ओवेसी ..... 151–156

श्री थोल तिरूमावलावन ..... 156–158

श्री कल्याण बनर्जी ..... 158–162

श्री वीरेन्द्र कुमार ..... 162–164

श्री श्रीपाद येसो नाईक ..... 164–166

श्री मनीष तिवारी ..... 166–168

श्री एस. सेम्मलई ..... 168–170

**विषय** **कॉलम**


श्री जोस के. मणि ..... 170–171

श्री शैलेन्द्र कुमार ..... 171–174

श्री विष्णु पद राय ..... 174–178

डॉ. के.एस. राव ..... 178–181

श्री ए. गणेशमूर्ति ..... 181–183

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव ..... 183–186

श्री दानवे रावसाहेब पाटील ..... 186–187

चौधरी लाल सिंह ..... 187–191

श्री पी. करुणाकरन ..... 191–196

श्री ए.के.एस. विजयन ..... 196–198

श्री भक्त चरण दास ..... 198–201

श्री बदरुद्दीन अजमल ..... 201–204

श्री के. बापीराजू ..... 204–207

श्री हंसराज गं. अहीर ..... 207–212

श्री रामकिशनु ..... 212–215

श्री एस.एस. रामासुब्बू ..... 215–218

श्री गोरखनाथ ..... 218–220

श्री मुकेश भेरवदानजी गढ़वी ..... 220–222

श्री शरीफुद्दीन शारिक ..... 222–223

श्री आर. ध्रुवनारायण ..... 223–229

श्री नवीन जिन्दल ..... 229–232

डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा ..... 232–236

# लोक सभा के पदाधिकारी

**अध्यक्ष**

श्रीमती मीरा कुमार

**उपाध्यक्ष***

श्री कड़िया मुंडा

**सभापति तालिका**

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
डॉ. गिरिजा व्यास

**महासचिव**

श्री पी.डी.टी. आचारी

* 08.06.2009 को निर्वाचित।

# लोक सभा

**सोमवार, 8 जून, 2009/18 ज्येष्ठ, 1931 (शक)**

*लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई*

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** श्रीमती अम्बिका सोनी।

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** महोदया, मैं केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केवल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2009, जो 27 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 138(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 10/15/2009]

---

**पूर्वाह्न 11.0$^{1}/_{2}$ बजे**

## वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

### 89वां से 91वां प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**महासचिव:** मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* सभा पटल पर रखता हूं:

(1) चमड़ उद्योग का विकास संबंधी 89वां प्रतिवेदन;

(2) खुदरा क्षेत्र में विदेशी और घरेलू निवेश सबंधी 90वां प्रतिवेदन; और

(3) देश में विमानपत्तनों, पत्तनों, आईसीडी तथा एलसीएस, आदि की निर्यात अवसंरचना और निर्यात उत्कृष्टता वाले शहरों संबंधी 91वां प्रतिवेदन।

---

*ये प्रतिवेदन 13 मई, 2009 को, जब राज्य सभा सत्र में नहीं थी, माननीय सभापति, राज्य सभा को प्रस्तुत किए गए थे और उसी दिन माननीया अध्यक्ष, लोक सभा को अग्रेषित कर दिए गए थे। माननीय सभापति, राज्य सभा ने प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की अनुमति भी दे दी है।

**पूर्वाह्न 11.0$^{3}/_{4}$ बजे**

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

### 202वां प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**महासचिव:** मैं तटीय प्रबंधन कार्यक्रमों के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का 202वां प्रतिवेदन** (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

---

**पूर्वाह्न 11.01 बजे**

## उपाध्यक्ष का निर्वाचन

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** अब हम लोक सभा के उपाध्यक्ष के चुनाव संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करेंगे। मैं श्री लालकृष्ण आडवाणी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** (गांधी नगर): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री कड़िया मुंडा, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

**श्री राजनाथ सिंह** (गाजियाबाद): महोदया, उपाध्यक्ष पद हेतु श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा प्रस्तावित श्री कड़िया मुंडा जी के नाम का मैं अनुमोदन करता हूं।

*[अनुवाद]*

**वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री कड़िया मुंडा, जो इस सभा के सदस्य हैं, को सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

---

**ये प्रतिवेदन 20 मार्च, 2009 को जब राज्य सभा सत्र में नहीं थी, माननीय सभापति, राज्य सभा को प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन माननीया अध्यक्ष, लोक सभा को अग्रेषित कर दिया गया था। माननीय सभापति, राज्य सभा ने प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की अनुमति भी दे दी है।

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):** महोदया, मैं श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री शरद यादव** (मधेपुरा): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि श्री कड़िया मुंडा, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।''

**श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन''** (मुंगेर): महोदया, उपाध्यक्ष महोदय हेतु श्री शरद यादव जी द्वारा प्रस्तावित नाम का मैं अनुमोदन करता हूं।

*[अनुवाद]*

**कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार):** महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि श्री कड़िया मुंडा, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।''

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** महोदया, मैं श्री शरद पवार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** (रायगढ़): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि श्री कड़िया मुंडा, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।''

**अध्यक्ष महोदया:** श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े—उपस्थित नहीं।

*[अनुवाद]*

श्री लालू प्रसाद—उपस्थित नहीं।

**डा. रतन सिंह अजनाला** (खडूर साहिब): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि श्री कड़िया मुंडा, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।''

**श्री शेर सिंह घुबाया** (फिरोजपुर): महोदया, मैं डा. रतन सिंह अजनाला द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री सुदीप बंदोपाध्याय** (कोलकाता उत्तर): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि श्री कड़िया मुंडा, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।''

**अध्यक्ष महोदया:** श्री सुल्तान अहमद।

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय):** मैं क्या श्री सुल्तान अहमद की ओर से प्रस्ताव रख सकता हूं?

**अध्यक्ष महोदया:** आप कृपया बैठ जाएं।

*[हिन्दी]*

**श्री अजीत सिंह** (बागपत): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि श्री कड़िया मुंडा, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।''

**श्री संजय सिंह चौहान** (बिजनौर): महोदया, श्री अजीत सिंह जी द्वारा रखे गए प्रस्ताव का मैं अनुमोदन करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री टी.आर. बालू** (श्रीपेरूम्बुदूर): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि श्री कड़िया मुंडा, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।''

**श्री ए.के.एस. विजयन** (नागापट्टिनम): महोदया, मैं द्रमुक संसदीय दल के संयुक्त दल के नेता श्री टी.आर. बालू द्वारा श्री कड़िया मुंडा के लोक सभा के उपाध्यक्ष चुने जाने हेतु रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती सुषमा स्वराज** (विदिशा): मैं प्रस्ताव करती हूं:

''कि श्री कड़िया मुंडा, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।''

**श्री अनंत कुमार** (बंगलौर दक्षिण): मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री रेवती रमन सिंह** (इलाहाबाद): मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि श्री कड़िया मुंडा, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।''

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (कौशाम्बी): मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*[अनुवाद]*

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद):** मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री कड़िया मुंडा, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

**श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर** (पोन्नानी): मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**अध्यक्ष महोदया:** अब, श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा प्रस्तुत तथा श्री राजनाथ सिंह द्वारा समर्थित प्रस्ताव सभा में विचारार्थ है। मैं इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखती हूं।

प्रश्न यह है:

"कि श्री कड़िया मुंडा, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

*प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।*

**अध्यक्ष महोदया:** प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और श्री कड़िया मुंडा इस सभा के उपाध्यक्ष घोषित किए गए। मैं उनको आसन ग्रहण करने के लिए सहर्ष आमंत्रित करती हूं।

*(माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, सदन के नेता श्री प्रणब मुखर्जी और विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी श्री कड़िया मुंडा को उनके आसन तक ले गए)*

---

**पूर्वाह्न 11.09 बजे**

## उपाध्यक्ष को बधाइयां

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** अब माननीय प्रधानमंत्री बोलेंगे।

**प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह):** अध्यक्ष महोदया, अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से आपके निर्वाचन के तत्काल बाद इस सम्माननीय सभा के उपाध्यक्ष के रूप में श्री कड़िया मुंडा जी का निर्वाचन हमारे देश के लिए एक शुभ संकेत है। आप दोनों हमारे देश के दो सर्वाधिक वंचित समुदायों से हैं। आप दोनों का सम्मान करके इस सभा ने सामाजिक न्याय और वंचित समुदायों के सशक्तीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी हैं।

महोदया, श्री कड़िया मुंडा के अनुभव अत्यन्त विशद है। मेरा मानना है कि इस सभा में सदस्य के रूप में ये उनका सातवां कार्यकाल है। वे अनेक स्थायी समितियों के सदस्य रहे हैं और केन्द्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनका बहुमुखी व्यक्तित्व है और वह एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने महिला सशक्तीकरण में काफी रुचि ली है। वे एक लेखक भी हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने रवीन्द्रनाथ टैगोर पर एक पुस्तक लिखी है- वह सन्तुलित विचारों वाले व्यक्ति हैं। मैं श्री कड़िया मुंडा को उपाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित होने पर बधाई देता हूं।

हम उन्हें इस सभा को चलाने में पूर्ण सहयोग दिए जाने का आश्वासन देते हैं।

जैसाकि मैंने कहा है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का सर्वसम्मति से निर्वाचन इस सभा को अच्छी तरह चलाने में सहायक होगा और मैं आशा करता हूं कि सभा की कार्यवाही ठीक ढंग से चलाने में पंद्रहवीं लोक सभा देश के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करेगी।

**वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हूं। मुझे श्री कड़िया मुंडा के कार्य कौशल की झलक एक सांसद, एक प्रशासक और एक समाज सुधारक के रूप में भी देखने को मिली है। मुझे विश्वास है कि इस पद पर चुने जाने से वे आपके भार को कम करने के साथ-साथ सभा की कार्यवाही ठीक प्रकार से चलाने में हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे। मैं, अपने दल की ओर से और सभा के नेता के रूप में उन्हें आश्वस्त करता हूं कि सभा के उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारियों का निर्वाहन करने में मैं उन्हें पूर्ण सहयोग दूंगा।

महोदया, मैं विशेषरूप से प्रसन्न हूं कि हमने 1977 से इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में विपक्ष के सदस्य को चुने जाने की परम्परा का पालन किया है। इससे पूर्व, दोनों पद सत्ताधारी पार्टी को ही दिए जाते थे। लेकिन 1977 में जब पहली बार विपक्ष पार्टी को मान्यता दी गई तभी से यह स्वस्थ परम्परा विकसित हुई। निस्संदेह यही प्रथा हमारे कई राज्य विधानमंडलों में प्रचलित है लेकिन इससे पूर्व ऐसा नहीं होता था, और 1977 में हमने इसे जारी रखा है। यह अच्छी बात है।

मैं उन्हें इस नए पदभार को ग्रहण करने पर शुभ कामना देता हूं और एक बार फिर उन्हें अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन देता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** (गांधीनगर): महोदया, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सदन के नेता ने जो भाव प्रकट किये हैं, उनके

साथ अपने को जोड़ते हुए मैं स्मरण कराऊंगा महोदया कि जब आपका निर्वाचन पिछले सप्ताह हुआ था तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके स्वर्गीय पिता जी को स्मरण किया और उनकी स्मृति के कारण मुझे स्मरण आया कि मुझे उनके सहयोगी मंत्री के रूप में कार्य करने का सौभाग्य मिला है। आज जिनको हमने उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया है, वे भी उन सहयोगी मंत्रियों में थे जिन्होंने आपके पिताजी के साथ जनता सरकार में कार्य किया, जिसके प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई थे।

सदन के नेता ने यह बात सही कही है कि यह परम्परा सन् 1977 में ही शुरू हुई क्योंकि सन् 1977 में पहली बार रिकॉगनाइज्ड अपोजीशन पार्टी बनी थी। तब से लेकर अब तक यह परम्परा चली आई है और बहुत उत्तम परम्परा है। बाकी हिंदुस्तान की विधानसभाओं में इसी प्रकार की परम्परा हो जाए तो अच्छा ही होगा—ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन कुल मिलाकर के इस बार 2009 के जो चुनाव रहे, जैसा मैंने अपने भाषण में कहा कि जो जीतता है स्वभावत: उसे खुशी होती है और जो सफल नहीं होता, उसे कुछ खेद और निराशा होती है। लेकिन कुल मिलाकर कोई जीता, कोई हारा, लेकिन लोकतंत्र निश्चित रूप से जीता, इस पर कोई संदेह नहीं है। लोकतंत्र के जीतने का एक प्रमाण आपके और आज के चुनाव में भी होता है जिसमें स्पष्ट है कि एक प्रकार से शासन और विपक्ष दोनों के संबंध इस प्रकार के विकसित हो रहे हैं। पहले कभी-कभी लगता था कि इसका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे लेकिन सब लोगों ने, सब पार्टियों ने मिलकर आपका भी चुनाव किया है, आज का भी चुनाव किया है, यह खुशी का लक्षण है और भविष्य के लिए अच्छे संकेत देता है।

एक बार पुन: सदन की ओर से, अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से मैं कड़िया मुंडा जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि उनकी अध्यक्षता में हमारा कार्य अच्छा चलेगा और आपको भी उनसे बहुत सहयोग मिलेगा।

**श्री मुलायम सिंह यादव** (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, उपाध्यक्ष पद के लिए माननीय कड़िया मुंडा जी सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं। हम उनको बधाई देते हैं। उनका बहुत लम्बा अनुभव है। वे सीधे लोक सभा में नहीं आये हैं। जैसा अभी बताया गया कि सात बार लोक सभा के सदस्य रहे हैं और माननीय आडवाणी जी और हमारे साथ भी वर्ष 1977 में रहे हैं और उनके अनुभव का सदन को लाभ होगा।

यह एक अच्छी परम्परा है कि सत्ता पक्ष का स्पीकर होगा और विपक्ष का उपाध्यक्ष होगा। हमने भी उत्तर प्रदेश में यह परम्परा डाली और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष हमारी समाजवादी पार्टी के थे। माननीय प्रधानमंत्री जी और विपक्ष के नेता ने जो कुछ कहा है उससे मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं और मुझे विश्वास है कि उन्हें सदन का जो अनुभव है, उससे वह सदन के संचालन में बहुत अच्छे और परखे हुए उपाध्यक्ष अपने को साबित करेंगे।

हम अपने दल की ओर से उन्हें पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी और विपक्ष के नेता ने कहा, हम उनके विचारों से सहमत हैं और आपको अपने दल की तरफ से पुन: बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री शरद यादव** (मधेपुरा): महोदया, मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी, प्रणब जी, आडवाणी जी और भाई मुलायम सिंह जी की बात की निरंतरता में कड़िया मुंडा जी जो इस सदन के परिचित और चर्चित नेता रहे हैं, आम सहमति से, आपके बाद उनका भी जो आज चयन हुआ है, उसके लिए सदन को और उनको अपनी तरफ से, हृदय से, धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं।

**श्री विजय बहादुर सिंह** (हमीरपुर): माननीय अध्यक्षा जी, मैं अपनी ओर से और बहुजन समाज पार्टी की ओर से उपाध्यक्ष जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं और मुझे जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण से पता चला कि सात बार माननीय कड़िया मुंडा जी सदस्य रह चुके हैं और उनके अनुभव का हमें बहुत लाभ होगा। ये लेखक भी हैं और जिस बैक-ग्राउंड से माननीय कड़िया मुंडा जी आते हैं, हमें लगता है कि समता-मूलक समाज और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय हमारी पार्टी का उद्देश्य है और इसी पथ पर ही ये चलेंगे। हमारा और हमारी पार्टी का पूरा सहयोग उन्हें मिलेगा। हिंदुस्तान में पिछड़े, दलित और गरीब लोगों के लिए भी एक रास्ता खुल रहा है और हम आपके इस चुनाव पर आपको बहुत-बहुत बधाई देते हैं। हमारा, हमारी पार्टी का पूरा सहयोग आपके साथ हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री अर्जुन चरण सेठी** (भद्रक): अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय प्रधानमंत्री, सभा के नेता के साथ-साथ विपक्ष के नेता द्वारा इस महान सभा के उपाध्यक्ष के पद पर श्री कड़िया मुंडा के निर्वाचन पर व्यक्त किए गए विचारों से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री कड़िया मुंडा को संसद सदस्य के रूप में, केन्द्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में और इस महान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्यों के रूप में काम करने का लम्बा अनुभव है।

मैं उड़ीसा के बीजू जनता दल की ओर से श्री कड़िया मुंडा जी को उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं। अपने दल की ओर

से मैं न केवल उन्हें बधाई देता हूं बल्कि मैं उन्हें आश्वासन भी देता हूं कि इस महान सभा द्वारा बनाई गई विभिन्न समितियों में सहयोग देने के साथ-साथ मैं सभा की कार्यवाही ठीक से चलाने में सभी प्रकार का सहयोग दूंगा।

मैं एक बार पुन: उन्हें बधाई देता हूं और अपने दल की ओर से हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन देता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा): अध्यक्ष महोदया, 14वीं लोक सभा में हमने जिस तरह से लोक सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया था, इस 15वीं लोक सभा में भी हमने उसी परम्परा को जारी रखा है और सर्वसम्मत से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया है। श्री कड़िया मुंडा के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वे मल्टीफैसेटेड पर्सनैलिटी हैं। एक सांसद के नाते ही नहीं, यह उस भूमि से आते हैं, जहां से बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ हथियार अपने हाथ में उठाया था। हमारा पूरा विश्वास है कि कड़िया मुंडा जी को सदन चलाने में इनका सांसद, मंत्री और कमेटीज का अनुभव मदद करेगा। हम यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सदन को चलाने में पूरा सहयोग देगी। हम उम्मीद करते हैं कि मुंडा जी इस सदन की गरिमा को और ऊंचा ले जाने में कायमाब होंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पर और अपनी पार्टी की ओर से मुंडा जी का अभिनन्दन करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री सुदीप बंदोपाध्याय** (कोलकाता उत्तर): महोदया, अध्यक्ष के रूप में आपके निर्वाचन के पश्चात् इस महान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में श्री कड़िया मुंडा का निर्वाचन इस देश की संसदीय और प्रजातांत्रिक प्रणाली के इतिहास में नि:संदेह एक नई पहल है। हम माननीय प्रधानमंत्री, सभा के नेता यू.पी.ए. की अध्यक्षा और विपक्ष के नेता द्वारा लिए गए निर्णय और उनके द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं की सराहना करते हैं। मैं अपने दल तृणमूल कांग्रेस, जो अब यूपीए सरकार का दूसरा सबसे बड़ा दल है, की ओर से पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन देता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** (रायगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदया, सदन के द्वारा सर्वसम्मति से श्री कड़िया मुंडा जी को उपाध्यक्ष चुना गया है। मैं मेरी ओर से तथा मेरी पार्टी शिव सेना की ओर से उनको बधाई देता हूं। सदन के नेता ने इस परम्परा का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वर्ष 1977 से यह परम्परा शुरु हुई और संयोग की बात है कि जिस 1977 से यह परम्परा शुरु हुई, उस लोक सभा के कड़िया मुंडा जी सदस्य थे। पहली बार वह वर्ष 1977 में चुनकर आये थे। उन्हें काफी अनुभव है और निश्चित रूप से उपाध्यक्ष के रूप में इस सदन को चलाने में उस अनुभव का उन्हें लाभ मिलेगा और इस सदन को सुचारू रूप से चलाने में कड़िया मुंडा जी सफल होंगे। यह विश्वास मेरे मन में है। मैं कड़िया मुंडा जी को विश्वास दिलाता हूं कि वह उपाध्यक्ष के नाते सदन को सुचारू रूप से चला लेंगे। मेरी ओर से तथा मेरी पार्टी की ओर से उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा।

*[अनुवाद]*

**डॉ. एम. तम्बिदुरई** (करूर): अध्यक्ष महोदया, अपने दल ए.आई.ए.डी.एम.के. के जनरल सेक्रेटरी, अम्मा और अपनी ओर से लोक सभा के उपाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित किए जाने पर श्री कड़िया मुंडा को बधाई देता हूं। वह एक अनुभवी सांसद है। उन्हें इस सभा का काफी अनुभव है। वह पहले छ: बार इस सभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनको काफी प्रशासनिक अनुभव भी है मैं इस सभा को सुचारू रूप से चलाने में अपने दल की ओर से उन्हें पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन देता हूं।

**श्री टी.आर. बालू** (श्रीपेरूम्बुदूर): अध्यक्ष महोदया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, जो अब तक भेदभाव के शिकार थे, का भारतीय लोकतंत्र के ऊंचे पदों पर क्रमिक रूप से आसीन होना, एक ऐतिहासिक कदम है।

महोदया, श्री कड़िया मुंडा मेरे पुराने मित्र हैं। इस सभा को शांतिपूर्वक और सद्भावपूर्वक चलाने के लिए उनमें सभी योग्यताएं मौजूद हैं।

खुशी के इस अवसर पर, मेरा एकमात्र दु:ख यह है कि महान नेता, महान विचारक, क्रांतिकारी, दूरदर्शी नेता, थानथाई पेरियार, जो आत्मसम्मान आंदोलन के नेता थे, संसद के इस कार्य की गुण विवेचना करने के लिए यहां मौजूद नहीं हैं। 'डीएमके' के पूर्व नेता, डा. सी.एन. अन्नादुरई भी भारतीय संसद के इस कार्य की प्रशंसा करने के लिए यहां मौजूद नहीं हैं। हमारे नेता, दलितों के संरक्षक, भारतीय संसद के इस कार्य की गुण-विवेचना करने के लिए यहां मौजूद हैं। निश्चित रूप से भारतीय इतिहास में यह बहुत बड़ा कदम है। भारतीय इतिहास में यह स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा।

उपाध्यक्ष के पद पर उनके चयन पर मैं श्री कड़िया मुंडा जी को बधाई देता हूं। 'डीएमके' की ओर से, इस सभा को शांतिपूर्वक चलाने में हम अपना पूरा सहयोग देंगे।

*[हिन्दी]*

**श्री गुरुदास दासगुप्त** (घाटल): कड़िया मुंडा जी को बहुत-बहुत बधाई हो।

*[अनुवाद]*

अध्यक्ष के पद पर आपके चुनाव के साथ शुरू हुई नई परंपरा का बखूबी निर्वाहन हो रहा है। पिछड़े और दलित वर्गों से संबंधित महानुभावों का लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच पर प्रतिनिधित्व सामाजिक उत्थान की नई आस जगाता है।

यदि यह प्रयास दमितों, अल्पसंख्यकों और दलितों के कल्याण के लिए सचमुच प्रभावी राज्य नीति के रूप में कार्यान्वित होता है तो इसका अर्थ भारतीय इतिहासि में एक नया मोड़ है।

इस उम्मीद के साथ, मैं श्री कड़िया मुंडा को पुनः बधाई देते हुए, सरकार को इस प्रयास को प्रभावी राज्य नीति के रूप में कार्यान्वित करने की आवश्यकता का स्मरण करता हूं।

**श्री अजित सिंह** (बागपत): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं श्री कड़िया मुंडा जी को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देना चाहूंगा। सदन के सभी सदस्यों और दलों को उनका समर्थन है और उनका अनुभव देखते हुए मुझे विश्वास है कि वह अपने पद का बखूबी निर्वाह करेंगे।

**श्री इन्दर सिंह नामधारी** (चतरा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं कड़िया मुंडा जी के उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि उन्होंने उसी झारखंड राज्य से जन कल्याण और पब्लिक सर्विस में आने का निर्णय किया जिस प्रांत से मैं हूं। मेरा उनके साथ बहुत दिनों से एसोसिएशन था। आपके अध्यक्षा चुने जाने के बाद श्री कड़िया मुंडा जी का उपाध्यक्ष चुना जाना, मुझे ऐसा लगता है कि वे आपके पूरक बनकर आए हैं। संस्कृत की एक कहावत है:

मणिना वलयं वलयेनमणि मणिना वलयं विभातिकर;
कविना च विभू विभुना च कवि, कविना विभुना च विभाति सभा।

जैसे कंगन से कलाई की और कलाई से कंगन, दोनों के मिल जाने से हाथ की शोभा बढ़ जाती है वैसे ही आपके अध्यक्ष और कड़िया मुंडा जी के उपाध्यक्ष बनने पर लोक सभा की शोभा और बढ़ी है। मैं इसलिए आज उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। श्री कड़िया मुंडा जी के उपाध्यक्ष बनने से हम महात्मा गांधी जी के ऋण से उऋण होने की कोशिश कर रहे हैं। महात्मा जी कहा करते थे और उनके बारे में ही कहा गया:

झुंड हाथियों के आए, नहाने को बह गए,
दरिया की तेज धार है एक बूढ़ा आदमी,
जनक्रांति झुग्गियों से न हो जब तक शुरू,
देश पर उधार है एक बूढ़ा आदमी।

जब तक जनक्रांति झोंपड़ियों से शुरू नहीं होगी, तब तक बूढ़ा आदमी इस देश पर उधार रहेगा। कड़िया मुंडा जी को उपाध्यक्ष चुनकर इस सदन ने महात्मा गांधी जी के उस ऋण से अपने आपको उऋण करने की कोशिश की है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री कड़िया मुंडा जी को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे सदन के संचालन में आपका पूरक बनकर सदन को नई दिशा देंगे।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** माननीय प्रधानमंत्री, सभा के माननीय नेता, प्रतिपक्ष के माननीय नेता, संप्रग की माननीय नेता, दलों और समूहों के माननीय नेता और माननीय सदस्य:

यह अति प्रसन्नता का विषय है कि हमारे एक अत्यंत कुशल साथी श्री कड़िया मुंडा सर्वसम्मति से पंद्रहवीं लोक सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। मैं इस अवसर पर श्री कड़िया मुंडा को अपनी हार्दिक बधाई देती हूं। मैं इस सम्माननीय सभा के उत्कृष्ट संसद सदस्य के निर्विहन निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए लोक सभा के सभी सदस्यों को भी बधाई देती हूं।

माननीय सदस्यों, हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र की नींव मजबूत हो चुकी है। पंद्रहवीं लोक सभा के आम चुनावों का शांतिपूर्ण तरीके से होना और मतदाताओं द्वारा दिया गया स्पष्ट जनादेश, मुझे विश्वास है कि यह उनकी तथा हमारी संसदीय प्रणाली की परिपक्वता का प्रमाण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के छह दशकों के भीतर आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की अनेक समस्याओं से जूझने के बावजूद भारत ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी स्थिति को दृढ़तापूर्वक बनाए रखा है।

माननीय सदस्यों, भारत की जनता ने हममें विश्वास बनाए रखा है और हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। अब जनता की आशाओं पर खरा उतरना हमारा परम कर्त्तव्य है। सार्थक वाद-विवादों और उद्देश्यपूर्ण चर्चाओं के माध्यम से हमें देश के विकास हेतु योजना बनानी है और जनता की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना है। मुझे विश्वास है कि पंद्रहवीं लोक सभा संसदीय संस्थाओं के और सुदृढ़ीकरण तथा सार्थक संसदीय संस्कृति के विकास की साक्षी होगी।

इस सभा के निर्वाचित हुए माननीय उपाध्यक्ष, श्री कड़िया मुंडा जी, जनप्रिय नेता हैं। श्री कड़िया मुंडा जी की सार्वजनिक जीवन में सदैव विशिष्ट पहचान रही है और उनकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा के लिए उनका बहुत सम्मान किया जाता है। झारखंड से खूंटी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने छठी, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

अपने शानदार कैरियर के दौरान वह बिहार और झारखंड विधानमंडलों के सदस्य भी रहे और उन्होंने वहां पर भी अपनी अनुकरणीय संसदीय प्रतिभा दिखायी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में भी उनकी प्रशासनिक कुशलता को राष्ट्र ने स्वीकार किया था। कमजोर वर्ग से निकटता से सम्बद्ध होने के नाते उन्होंने सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने की दिशा में अनथक कार्य किया। नि:संदेह ऐसे विशिष्ट सार्वजनिक जीवन के कारण श्री कड़िया मुंडा लोक सभा के उपाध्यक्ष पद को सुशोभित करने के लिए अत्यंत उपयुक्त व्यक्ति हैं।

हमें इस बात पर अत्यधिक गर्व है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का निर्वाचन सर्वसम्मति से हुआ है इसके साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि यह सर्वसम्मति 15वीं लोक सभा के कार्यकरण की विशिष्ट पहचान बने। संसदीय लोकतंत्र में विभिन्न अवसरों पर अवश्य ही मतभेद उत्पन्न होंगे जो पीठासीन अधिकारी के कार्य को अति चुनौतीपूर्ण बना देता है। तथापि, राष्ट्र और जनता के कल्याण के हित में हमें प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनानी होगी। मुझे विश्वास है कि पीठासीन अधिकारियों के रूप में श्री मुंडा जी को और मुझे सभा के सभी दलों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। मुझे यह भी विश्वास है कि इस सम्माननीय सभा की शालीनता को बनाए रखने और संसदीय प्रणाली को समृद्ध करने में श्री कड़िया मुंडा जी का गहन विधायी अनुमत और उनकी पूर्ण सत्यनिष्ठा काफी काम आएगी।

इन शब्दों के साथ, मैं लोक सभा के नव-निर्वाचित माननीय उपाध्यक्ष श्री कड़िया मुंडा जी को पुन: बधाई देती हूं। मैं श्री कड़िया मुंडा जी को अपनी शुभकामनाएं देती हूं कि जो दायित्व उन्हें सौंपा गया है उसे वह पूरी जिम्मेदारी से निभा सकें।

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधान मंत्री जी, सदन के माननीय नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष, अन्य दलों और समूहों के माननीय नेतागण और माननीय सदस्यों:

लोक सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित होना मेरे लिए वास्तव में अत्यंत सम्मान की बात है। मैं आप सभी का अत्यधिक आभारी हूं कि आपने मुझे इस उच्च पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित किया। इस सम्मान हेतु अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है और मैं पूरी विनम्रता के साथ इस संवैधानिक पद को स्वीकार करता हूं। वस्तुत: मैं सभा के सभी वर्गों द्वारा मेरे बारे में व्यक्त की गई उदार भावनाओं से भी अभिभूत हूं। मैं आप सभी को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं इस सम्मानित सभा की मर्यादा को बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास करूंगा।

आगे बढ़ने से पहले, मैं श्रीमती मीरा कुमार जी को लोक सभा के अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित होने तथा लोक सभा की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई देता हूं। महोदया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सभा के कार्य संचालन में आपको मेरा पूर्ण समर्थन और सहयोग मिलेगा।

मैं आप सभी माननीय सदस्यों का भी गर्मजोशी से हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपको विश्व के सबसे बड़े कार्यशील लोकतंत्र के इस लोकप्रिय सदन में निर्वाचित होकर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

माननीय सदस्यों, मैं पहली बार इस सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूं। परंतु जैसाकि आपमें से अनेक सदस्य जानते हैं कि संसदीय संस्थाएं तथा संसदीय प्रक्रिया और पद्धतियां मेरे लिए नई नहीं हैं। मैं पहली बार 1977 में छठी लोक सभा के लिए निर्वाचित हुआ था। बाद में नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं लोक सभाओं के लिए मैं निर्वाचित हुआ और अब पंद्रहवीं लोक सभा के लिए निर्वाचित हुआ हूं।

इस बीच मुझे बिहार विधानसभा और झारखंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने का अवसर मिला। मुझे प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में भी केन्द्रीय मंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे विश्वास है कि मेरा संसदीय अनुभव और मेरे पूर्ववर्ती उपाध्यक्षों द्वारा कायम की गई समृद्ध परम्परायें मुझे अपने संसदीय कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में और हमारी संसद की मर्यादा को कायम रखने में सहायक सिद्ध होंगी। लोक सभा, जो हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, तथा माननीय सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करना मेरा परम कर्त्तव्य होगा। अपने कर्त्तव्यों के प्रभावी और कुशल निर्वहन के लिए मैं आपसे सतत् सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

माननीय सदस्यों, स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में हमारी संसद एक बहुकृत्यकारी संस्था के रूप में उभरकर सामने आयी है। यह हमारे देश की राजनैतिक धड़कनों का केन्द्र है जो बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालने में सक्षम है और अपनी विविध जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है तथा हमारी संसदीय राजनीति का संचालन करती है। देश के सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, हमारे राजनैतिक तंत्र को जीवंत बनाये रखने में संसद ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, वह सर्वविदित है। हमारी राजनीति का लचीलापन और जनकल्याण हेतु हमारा सरोकार, लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता, कानून का राज, राजनीतिक सम्मति तथा राष्ट्रीय एकता, आदि को संसद भलीभांति अभिव्यक्त और पोषित करती है।

विगत दशकों में हमारी संसद ने अपने कार्यकरण हेतु अच्छे पूर्वोदाहरण और परम्परायें स्थापित की हैं और हमारे संसदीय तंत्र को और प्रभावी बनाया है। जनप्रतिनिधि के रूप में सदस्य की स्थिति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की होती है। इसलिए सभा के भीतर और बाहर शालीन आचरण करना सदस्य के प्राथमिक कर्त्तव्यों में से एक है। हम सभी यह जानते हैं कि अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता के बिना कोई ज्ञानवर्धक चर्चा संभव नहीं है, पर हमें यह भी समझना और मानना होगा कि सभा में व्यवस्था के बिना तो चर्चा बिल्कुल ही संभव नहीं है। नेताओं और सदस्यों के बीच किसी विवादास्पद मुद्दे को लेकर कई बार जो मतभेद होता है उससे सभा की व्यवस्था ठप्प हो जाती है, जिसे मेरे विचार से राजनैतिक दलों और समूहों के नेताओं से बातचीत और बैठकों के जरिये ठीक तरीके से सुलझाया जा सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि आपस में चर्चा और सहयोग के माध्यम से सर्वसम्मति पर पहुंचा जाये। निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें सब से पहले स्वयं को ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए, जिससे शालीनता, शिष्टाचार, सहिष्णुता और सामंजस्य की झलक मिले।

पंद्रहवीं लोक सभा में कई नए युवा चेहरे आये हैं जो पहली बार चुनकर आये हैं और इसके साथ कई वरिष्ठ सदस्यों के अनुभवों को मिला लिया जाये तो फिर इस सभा के पास रचनात्मक ऊर्जा का ऐसा भंडार हो जाता है जिससे आम आदमी की आशाओं और आंकाक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक नवनिर्वाचित सदस्य प्रतिबद्धता की भावना से कार्य करते हुए सभा के नियमों को समझेगा, उनका पालन करेगा तथा सभा की कार्यवाही में अपना मूल्यवान योगदान करेगा ताकि हम सब मिलाकर जनता के कल्याण की दिशा में कार्य कर सकें।

मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि जिन्होंने मेरे प्रति सद्भावना व्यक्त की है और अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। अपनी ओर से मैं भी पुन: आपको आश्वस्त करता हूं कि आपने मुझमें जो विश्वास प्रकट किया है, उसे बनाये रखने का मैं भरसक प्रयास करूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पुन: आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने लोक सभा उपाध्यक्ष के इस उच्च पद के लिए मुझे चुना।

---

**पूर्वाह्न 11.44 बजे**

## सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** महासचिव अब कृपया शपथ ग्रहण करने अथवा प्रतिज्ञान करने के लिए श्री कामेश्वर बैठा का नाम पुकारें।

**महासचिव:** श्री कामेश्वर बैठा।

**झारखंड**

**श्री कामेश्वर बैठा** (पलामू): शपथ—हिन्दी।

---

**पूर्वाह्न 11.45 बजे**

## अध्यक्ष द्वारा घोषणा

### सदस्य की गिरफ्तारी और उन्हें हिरासत में लिया जाना

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** माननीय सदस्यों, मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे पुलिस अधीक्षक, विशेष अपराध शाखा, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुंबई का 6 जून, 2009 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है जिसमें लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 229 के प्रावधानों के अंतर्गत श्री पद्मसिंह बाजीराव पाटील, संसद सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना दी गई है:

"मुझे यह सूचित करना है कि आपराधिक रिट याचिका संख्यांक 2008 की 81 में माननीय बंबई उच्च न्यायालय के 23.10.2008 के आदेश में इसके निदेशों के अनुसार कलमबोली पुलिस स्टेशन की अपराध जांच संख्यांक 2006 की 220 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को हस्तांतरित कर दिया गया जिसने तद्नुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष अपराध शाखा, मुंबई में प्रथम सूचना रिपोर्ट आरसी-बीएसआई/2009/एस/0001 दिनांक 20.3.2009 दर्ज की है।

मुझे यह सूचित करना है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने अपना कर्त्तव्य समझा कि श्री पद्मसिंह बाजीराव पाटील, लोक सभा सदस्य को पवन राजेनिंबालकर, निवासी गोवर्धनवाडी, जिला लातूर, महाराष्ट्र और समद अब्दुल वाहिद काजी, निवासी ढोकी, उस्मानाबाद की 3.6.2006 को कलमबोली पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में दोहरी हत्या के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी/302 के अंतर्गत किए गये अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाए।

तद्नुसार, श्री पद्मसिंह बाजीराव पाटील, संसद सदस्य को 6.6.2009 को रात्रि 10.20 बजे गिरफ्तार कर अभिरक्षा में ले लिया गया और इस समय वे विशेष अपराध शाखा, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुंबई की अभिरक्षा में हैं।"

---

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** माननीय सदस्यों, मैं अभी तीन निवेदनों की अनुमति दे रही हूं। प्रत्येक सदस्य अधिक से अधिक तीन मिनट का समय लेंगे। बाकी सदस्य अपने मुद्दों को दिन के अंत में उठा सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**शैलेन्द्र कुमार** (कौशाम्बी): माननीय अध्यक्षा जी, मुझे यह बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रोज टी.वी. और समाचार पत्रों में आप और सम्मानित सदस्य देख रहे हैं कि आस्ट्रेलिया में नस्लवाद जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। हमारे हिन्दुस्तान से करीब 90 हजार छात्र वहां पढ़ने के लिए गये हुये हैं। वे वहां न केवल पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि आजीविका कमाने के लिए छोटे-मोटे रोजगार (व्यवसाय) भी कर रहे हैं। वहां उन छात्रों के साथ प्रतिदिन मारपीट की घटनायें हो रही हैं। कई लोगों की वहां हत्यायें भी हो चुकी हैं जिससे वहां के छात्रों में असुरक्षा का गम्भीर खतरा बना हुआ है।

महोदया, हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि वहां से लगातार ये घटनाएं देखने सुनने में आ रही हैं कि वहां जो बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं, वे बीच में ही पढ़ाई छोड़कर भारतवर्ष वापस आ रहे हैं। यहां पर उनके अभिभावक अपने बच्चों के जीवन, भविष्य के लिए चिन्तित हैं। वे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वापस लौट रहे हैं। ये छात्र अगर वहां की सरकार के विरोध में धरना-प्रदर्शन करते हैं तो वहां की पुलिस बहुत बर्बरतापूर्वक ढंग से पेश आती है। यह आपने टेलीविजन पर देखा होगा।

महोदया, हम आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि यहां से एक संसदीय दल आस्ट्रेलिया भेजा जाए ताकि वहां पर जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको सुरक्षा और संरक्षा मिल सके। साथ ही साथ हमारी भारत सरकार वहां की सरकार से वार्ता करे, वैसे जो घटनाएं घट रही हैं उन पर भारत सरकार वार्ता तो कर ही रही होगी। मैं यह चाहता हूं कि इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार, यहां के दूतावास, जो हमारी एम्बेसी में राजदूत हैं उनसे बात करे, वहां की सरकार से बात करे। सरकार को इस पर सदन में स्टेटमेंट देना चाहिए क्योंकि कई हत्यायें हो चुकी हैं, डेली वहां कोई न कोई वारदात हो रही है। महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

*[अनुवाद]*

**डॉ. रामचन्द्र डोम** (बोलपुर): महोदया, हम अपने आपको इस मुद्दे से संबद्ध करते हैं। *...(व्यवधान)*

**श्री ए.के.एस. विजयन** (नागापट्टिनम): महोदया, मैं भी अपने आपको इस मुद्दे से संबद्ध करता हूं। *...(व्यवधान)*

**डॉ. रामचन्द्र डोम:** महोदया, सरकार इन घटनाओं से जरा भी चिंतित नहीं है। यह एक गंभीर मुद्दा है। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** कृपया अपनी पर्चियां 'टेबल' पर भिजवा दीजिए और आपके नाम इससे संबद्ध कर दिए जाएंगे।

*[हिन्दी]*

**श्री उमाशंकर सिंह** (महाराजगंज): अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह द्वारा शून्य काल में उठाये गये आस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हो रहे अत्याचार से संबंधित मामले से मुझे भी सम्बद्ध किया जाए।

*[अनुवाद]*

**डॉ. रतन सिंह अजनाला** (खडूर साहिब): महोदया, मैं स्वयं को इस मुद्दे से संबद्ध करता हूं।

**श्री गुरुदास दासगुप्त** (घाटल): महोदया, मैं एक बात कह सकता हूं? यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार को उचित समय पर एक वक्तव्य देना चाहिए। अध्यक्षपीठ सरकार को निर्देश दे।

*[हिन्दी]*

**डॉ. मुरली मनोहर जोशी** (वाराणसी): महोदया, पिछले दिनों से बहुत सारे स्कैम्स इस देश में उजागर हुए हैं, लेकिन मैडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में स्थिति भयावह है। वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट सीट एक करोड़ से दो करोड़ रुपये तक नीलाम हो रही है। यह एक-दो स्थानों पर नहीं है अनेक कॉलेजों और अनेक संस्थाओं में ऐसी ही स्थिति हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सब संस्थाएं अधिकांश प्राइवेट हैं। ऐसा लगता है कि मैडिकल चिकित्सा में जो विस्तार होना चाहिए वह नहीं हुआ है। मेरे सामने ये आंकड़े हैं कि अगर हमारे देश में 100 ग्रेजुएट होते हैं तो उसमें से सिर्फ 29 छात्र ही पोस्ट ग्रेजुएट बन पाते हैं। इस तरह से बहुत कम स्थान पोस्ट ग्रेजुेट डिग्री के लिए उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए 9085 स्थान क्लिनिकल कोर्सेज में है, 662 स्थान प्री क्लिनिकल पाठ्यक्रम में हैं। 1303 स्थान पैरा क्लिनिकल पाठ्यक्रम में है। हमारे देश की जनसंख्या को देखते हुए यह बहुत कम है और ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में मैडिकल चिकित्सा में जो वृद्धि होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है। दूसरा पक्ष यह है कि अगर आज सीट एक करोड़, दो करोड़ रुपये में बिकेगी तो केवल धनी-मानी लोग, कालाबाजारी लोग ही अपने बच्चों को वहां भेज सकेंगे। गरीब आदमी के लिए पोस्ट ग्रेजुेट हो पाना मुश्किल है।

उसके लिए तो ग्रेजुेट होना भी मुश्किल है क्योंकि उसमें भी 12, 20, 25 लाख रुपये की बोली लगाकर सीट दी जाती है। इसमें आम आदमी कैसे पढ़ पाएगा, वह कैसे चिकित्सक बन पाएगा, और वह स्पेशलिस्ट तो बन ही नहीं सकेगा। देश में जिस मात्रा में चिकित्सकों की कमी है उसे हम कैसे पूरा करेंगे। महामहिम, राष्ट्रपति महोदया ने चिकित्सा सुविधा के विस्तार के बारे में बातें कही हैं। हमारे सरकारी पक्ष ने आम आदमी के लिए चिकित्सा सुलभ कराने की बात कही है। जब चिकित्सक ही नहीं होंगे तो चिकित्सा कहां से सुलभ होगी? जब आप यहां चिकित्सा की पढ़ाई की सुविधा नहीं देंगे तो लोग बाहर चले जाएंगे।

मुझे आपको यह बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आज इस देश में प्रतिवर्ष सिर्फ 80 डॉक्टर ही पोस्ट ग्रेजुेट कॉर्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अमेरिका में 800 बनते हैं और इन 800 में अधिकांश भारतीय हैं। यानी भारत के कॉर्डियोलॉजिस्ट यहां न रहकर विदेशों में जा रहे हैं और हमारे यहां दिल के मरीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर की चिकित्सा के अभाव में मरते जा रहे हैं। यह परिस्थिति क्यों है? मैडिकल काउंसिल और चिकित्सा के विस्तार के बारे में क्या सरकार कुछ विचार करेगी? क्या कोई रैगूलेटरी अथॉरिटी बनेगी? क्या ये फीसें निरन्तर बढ़ती चली जानी चाहिए? क्या गरीब आदमी के बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या आम आदमी को इलाज के लिए कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मिलना चाहिए? हमारे संविधान का निदेश है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकार करेगी। मैं नहीं जानता कि कितने सरकारी महाविद्यालय चिकित्सा के क्षेत्र में केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने खोले हैं? क्यों नहीं खोले हैं और क्या वजूहात हैं? कहीं तो नीति में गड़बड़ी है? कहीं न कहीं हमने रैगूलेटरी एथॉरिटी के मामले में कोई चिंता नहीं की है? कहीं न कहीं हमने मेडिकल चिकित्सा के बारे में कोई चिंता नहीं की है?

महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही स्थिति पहले इंजीनियरिंग में हुआ करती थी। मुझे सौभाग्य मिला उस क्षेत्र के लिए काम करने का। हमने उसमें विस्तार किया और आज इंजीनियरिंग और आईटी में कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हो रही है। लेकिन चिकित्सा में क्यों पैदा हो रही है? यह एक गंभीर विषय है, देश के स्वास्थ्य के लिए, देश के गरीब आदमी के लिए और खास तौर पर पूरी शिक्षा के व्यापारीकरण पर एक सवाल है। कामर्शियलाइजेशन आफ एजूकेशन का यह एक ज्वलंत उदाहरण है। मैं यह समझता हूं कि कोई भी सरकार, जो कि आम जनता को चिकित्सा और शिक्षा के रूप में मौलिक अधिकार देने की बात करती है, वह इस स्थिति को कैसे सहन कर सकती है?

महोदया, मेरे पास छात्र और उनके अभिभावक इस संबंध में आते हैं, लेकिन जब मैं मालूम करता हूं तो पता लगता है कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में सीटों की संख्या बहुत कम है और प्रवेश नहीं मिल सकता है। सरकारी विद्यालय भी बहुत कम हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि वह पहले ऐसी स्थिति का निर्माण करे, जिससे मेडिकल कोर्सेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की संख्या बढ़े, साथ ही साथ अंडर ग्रेजुएशन की संख्या भी बढ़े। केवल 32 हजार मेडिकल ग्रेजुएट्स एक साल में इस देश में पैदा होते हैं। एक अरब बीस करोड़ की जनसंख्या के लिए हम किस मात्रा में चिकित्सक देश को दे रहे हैं? इसके बाद भी हम आशा करते हैं कि इस देश के लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा और हम इक्कीसवीं शताब्दी में जा सकेंगे? दूसरी तरफ यही बच्चे विदेशों में जाकर नाम कमा रहे हैं।

इसलिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। सरकार को इस पर एक कम्प्रीहेंसिव पालिसी लेकर सदन के सामने आना चाहिए और यह आश्वासन देना चाहिए कि वे लोग जो एक-दो करोड़ में नीलामियां कर रहे हैं; वे लोग जो आपकी सरकार में भी शामिल हैं, उनके बारे में शंकाएं जाहिर की गई हैं और आरोप लगाए गए हैं कि उनके विद्यालयों में भी बीस-बीस लाख रुपये की कैपीटेशन फीस ली जाती है। यह कहां तक उचित है; ऐसे सभी लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। कैपीटेशन फीस बिल्कुल बंद होनी चाहिए। सरकारी महाविद्यालयों की संख्या बढ़नी चाहिए। इस स्थिति को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? इस पर एक कम्प्रेहेंसिव प्लान सदन के सामने आना चाहिए।

महोदया, इस समय मुझे न तो स्वास्थ्य मंत्री और न ही शिक्षा मंत्री दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि वे इस बारे में सदन के सामने जल्दी से जल्दी पूरी नीति की घोषणा करें। इस कैपीटेशन फीस को तत्काल रुकवाएं और मैरिट के आधार पर गरीब बच्चों के आगे आने की व्यवस्था करें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

*[अनुवाद]*

**श्री पी.टी. थामस** (इदुक्की): अध्यक्ष महोदया, मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र समेत केरल के तीन जिलों-इदुक्की, कोट्टयम और एर्नाकुलम में रहने वाले 50 लाख लोगों के संकट के बारे में कुछ कहने की अनुमति दी जाए।

मल्लापेरियार बांध अत्यंत खतरनाक स्थिति में है। वर्तमान मानसून के दौरान बांध के टूटने की आशंका है। मल्लापेरियार बांध के रूप में केरल के लोगों पर भय की तलवार लटक रही है। मैं आपके माध्यम से वहां पर आधुनिक बांध बनाने का अनुरोध करता हूं। दो दिन पूर्व मल्लापेरियार बांध का दौरा करने वाली विशेषज्ञ समिति स्थिति पहले ही खतरनाक बता चुकी है। औपनिवेशिक काल में निर्मित पुराना मल्लापेरियार बांध हमारे लिए संभावित खतरा बना हुआ है। इसका निर्माण 1895 में किया गया था।

**मध्याह्न 12.00 बजे**

इस बांध के निर्माण में मलबे और चूना 'सुरक्की' का प्रयोग किया गया था। सौ वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, चूना धुल कर बह गया है और गड्ढे निकल आए हैं। चूंकि यह बांध दो उच्च भूकम्पीय जोन वाले भ्रंश क्षेत्र में स्थित है, अत: यह अनेक भूकंप झेल चुका है। वर्तमान में, यह बांध अत्यन्त खतरनाक स्थिति में है।

महोदया, हम तमिलनाडु के साथ जल बंटवारे के पक्ष में हैं। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तमिलनाडु के लोगों को पर्याप्त जल देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें मल्लापेरियार में नया बांध बनाना होगा। इदुक्की और पूरे केरल के लोग खतरे में हैं। इसका एकमात्र हल मौजूदा खतरनाक बांध के स्थान पर एक आधुनिक बांध का निर्माण है। केरल के लोग तमिलनाडु के लोगों को बहुमूल्य जल देने के लिए आतुर हैं।

महोदया, यह स्थिति अत्यंत खतरनाक है और हमें इसका समाधान करना है। इसलिए हमें मल्लापेरियार में नए बांध का निर्माण करना है और तमिलनाडु के लोगों के साथ संबंध और मजबूत करने हैं। हम जल-बंडवारे के विरोध में नहीं हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से शीघ्र ही एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाने और त्रासदियों से बचने के लिए प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाने का नम्र अनुरोध करता हूं। मैं यह अनुरोध केरल के सभी लोगों, विशेषत: अपने जिले के लोगों की ओर से कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** कृपया बैठ जाएं।

---

**अपराह्न 12.01 बजे**

## नियम 377 के अधीन मामले*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा।

### (एक) आस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

**श्री पी.टी. थामस** (इदुक्की): आस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों पर अक्सर हमले हो रहे हैं। अत: भारत सरकार द्वारा इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। भारत में इन छात्रों के अभिभावक अत्यंत परेशान हैं।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को आस्ट्रेलियाई सरकार के साथ उठाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

### (दो) महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण करने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

*[हिन्दी]*

**श्री जय प्रकाश अग्रवाल** (उत्तर पूर्वी दिल्ली): महोदया, जब किसी लड़की की शादी होती है तो वह एक नये घर में जाती है, जहां पर उसको कोई नहीं जानता है। यदि ससुराल में उसके ऊपर कोई अत्याचार होता है और इस बारे में जब वह अपने माता-पिता को बताती है तो अधिकतर मामलों में लड़कियों के माता-पिता लड़की को यही सलाह ही देते हैं कि वह अपने ससुराल में ही रहे। ऐसी स्थिति में महिला की हालत बहुत ही दयनीय हो जाती है और हालात यहां तक बढ़ जाते हैं कि या तो वह आत्महत्या कर लेती है या फिर बाध्य होकर उसको घर छोड़ना पड़ता है। घर परित्याग करने की स्थिति में उसके सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। हालांकि महिलाओं को संरक्षण देने के लिए अनेक कानून बनाये गये हैं, लेकिन अभी भी उनके हित के लिए बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह शादी के पूर्व लड़की के नाम की चल-अचल सम्पत्ति और बैंक में जमा धनराशि को घोषित न किये जाने से संबंधित दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन किये जाने हेतु आवश्यक कानून बनाये ताकि पीड़ित महिला आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक रूप से किसी के ऊपर आश्रित न रहकर अपना जीवन निर्वाह कर सके।

### (तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का ग्राम पंचायतों तथा नगर पंचायतों तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता

*[अनुवाद]*

**श्री एन.एस.वी. चित्तन** (डिंडीगुल): महत्वपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ग्रामीण पुनर्संरचना का विश्व में वृहत्तम कार्यक्रम, फरवरी 2006 में आरंभ किया गया था। इस अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक युवा सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की कानूनी गारन्टीशुदा मजदूरी रोजगार सुरक्षा प्रदान की गई है। आर्थिक सशक्तिकरण के जरिए इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को प्रोत्साहन मिला है और उनकी सामाजिक भूमिका बढ़ी है।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

इसके क्रियान्वयन के आधारभूत सिद्धांत हैं पारदर्शिता, सतर्कता और गांव की भागीदारी जिसमें ग्राम स्तर पर उत्पादक परिसंपत्तियों यथा (पानी की) टंकियों, जलाशयों तक पानी के रास्ते और कच्ची सड़कों का निर्माण शामिल है।

यह योजना, जिसके प्रति लोगों की जबर्दस्त प्रतिक्रिया रही है, 31 राज्यों के 559 जिलों के 4,94,183 गांवों में क्रियान्वित की गई थी। 3.5 करोड़ से अधिक परिवारों के लिए 140 करोड़ मानव श्रम दिवसों का सृजन हुआ है। इसके अंतर्गत कुल 8.5 लाख से अधिक कार्य आरंभ किए गए और इसमें विशेषत: महिलाओं की भागीदारी 49% रही है।

वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक श्रमिक को 80 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं जिसे बढ़ाकर 100 रुपए किया जाना चाहिए।

चूंकि इस अधिनियम से अभूतपूर्व ग्रामीण उत्थान हुआ है, अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के मजदूरी रोजगार को बढ़ाकर 150 दिन किया जाए और इस योजना का विस्तार ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों तक किया जाए। इस अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले विकास कार्य उस निजी जमीन पर भी होने चाहिए जो कि सीमान्त किसानों की अपनी है।

**(चार) देश में तेजी से घटते वन क्षेत्रों के संरक्षण की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश को 'भारतीय हरित क्रांति केन्द्र' घोषित किए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री निनोंग ईरींग** (अरुणाचल पूर्व): महोदया, धरती पर आज के दौर में प्रकृति का सुन्दर, मोहक एवं अमूल्य उपहार अगर आज कहीं सुरक्षित है तो वह सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में है। जहां प्रकृति हमारे लिये धरोहर, वंदनीय एवं अनुकरणीय बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश के हरे भरे जंगल समूचे हिन्दुस्तान के लिए ''कामधेनु'' जैसे हैं, जहां फल, फूल, जड़ी-बूटियां, ईंधन, इमारती सामान हेतु पदार्थ एवं प्राणवायु-ऑक्सीजन का भंडार है। अत: आज के प्रदूषण के भयंकर प्रकोप से बचने के लिए जरूरत इस बात की है कि हम हरे-भरे जंगलों से जुड़े न कि विकास के नाम पर इनसे विमुख हों।

महोदया, संसद की अनुमान समिति की एक रिपोर्ट में भारत में पिछले कुछ दशकों में वनों के विनाश का जिक्र किया गया है तथा विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष लगभग 37 लाख एकड़ वन गायब होते जा रहे हैं। आधिकारिक रूप से वन भूमि घोषित किये जाने वाले क्षेत्र वन रहित हो चुके हैं। वास्तविक रूप से देखा जाये तो नुकसान हमारे अनुमानित सरकारी आंकड़ों से अधिक है।

अत: मेरा अनुरोध है कि अरुणाचल प्रदेश को 'भारतीय हरित क्रांति केन्द्र' घोषित किया जाये ताकि हिन्दुस्तान के 30 प्रतिशत क्षेत्रफल के ''वन विकास अभियान'' कार्यक्रम को भारत के कोने-कोने तक पहुंचाया जा सके तथा पेड़ पौधों की सुरक्षा एवं सम्मान को नये सिरे से बल मिल सके।

**(पांच) महिला आरक्षण विधेयक लोक सभा में पारित किए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी** (विजयनगरम): मैं आपके माध्यम से सरकार से संसद के सभी सदस्यों में सहमति बनाकर लोक सभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित कराने का अनुरोध करती हूं।

**(छह) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 का विस्तार करने तथा उसे चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री अधीर चौधरी** (बहरामपुर): कोलकाता से आरंभ होने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 को पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा माना जाता है। इसके अलावा, यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ व्यापार और परिवहन का भी माध्यम है। लेकिन सच यह है कि दशकों पूर्व निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग 34 हजार वाहनों का भार वहन करने में सक्षम नहीं है। इसके परिणामस्वरूप राजमार्ग की हालत बदतर होती जा रही है, वाहन रेंगते हुए चलते हैं और हर रोज दुर्घटनाएं होती हैं। जब सरकार अवसंरचनात्मक विकास पर जोर दे रही है तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के विस्तार और इसे चार लेन का बनाने के वर्षों से लंबित कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पश्चिम बंगाल के केन्द्रीय और उत्तरी जिलों से होकर गुजरता है जो सभी प्रकार से पिछड़े हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के विस्तार से पश्चिम बंगाल के कृषि आधारित जिलों में आर्थिक समृद्धि आएगी।

**(सात) केरल के अलप्पुझा जिले में जल जनित रोगों से उत्पन्न खतरे का आकलन करने के लिए एक जांच दल भेजे जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री के.सी. वेणुगोपाल** (अलप्पुझा): मैं सरकार को इस तटीय जिले के निवासियों के बीच जल-जनित बीमारियों के फैलने का पता चलने से उत्पन्न गंभीर खतरे तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा तत्काल जांच तथा उपचार के लिए सूचित बहुत से मामलों के बारे में अवगत कराना चाहता हूं।

अलप्पुझा को एक ऐसी जगह माना जाता है, जहां जापानी फ्लू, चिकनगुनिया जैसी महामारियों के फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है क्योंकि यहां की अधिकांश आबादी आजीविका के लिए समुद्र तथा खारे पानी के जलनिकायों से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान का एक यूनिट अलप्पुझा में स्थापित है, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से महामारियों के इस प्रकार के गंभीर खतरे से निपटने के लिए बहुत ही कम उपकरण उपलब्ध हैं। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अलप्पुझा स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए तत्काल कदम उठाए तथा भविष्य में चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्णतया क्रियाशील तथा विकसित संस्थान बनाने के लिए और अधिक धनराशि स्वीकृत करे। केन्द्र सरकार से मेरा यह भी अनुरोध है कि वह वर्तमान खतरे की भयावहता, जिससे स्थानीय लोगों के बीच दहशत है, का आकलन करने के लिए डाक्टरों का एक जांच दल अलप्पुझा भेजे।

**(आठ) झारखंड में सिंचाई और पेयजल सुविधाएं प्रदान करने के लिए चन्द्रपुरा और बोकारो थर्मल पावर स्टेशनों के सामाजिक एकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का विनियोग किए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** (गिरीडीह): महोदया, दामोदर घाटी निगम के चन्द्रपुरा एवं बोकारो थर्मल पॉवर स्टेशनों के अंतर्गत एसआईपी सामुदायिक विकास मद के अंतर्गत धन राशि एवं योजना का कार्यान्वयन उचित ढंग से न होने के कारण क्षेत्र का विकास बाधित है। कोनार डैम क्षेत्र में 3 डैम हैं, फिर भी दामोदर घाटी निगम द्वारा स्थानीय लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अपर्याप्त है और सिंचाई व्यवस्था के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये हैं। एसआईपी सामुदायिक विकास मद के अंतर्गत धन राशि लोकहित में खर्च करने के लिए चन्द्रपुरा एवं बोकारो थर्मल पॉवर स्टेशनों की विद्यमान पद्धति में पारदर्शिता नहीं है और इस कार्य को जनहित में करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों से किसी प्रकार का परामर्श नहीं लिया जाता है।

अत:, सरकार से आग्रह है कि दामोदर घाटी निगम के चन्द्रपुरा एवं बोकारो थर्मल पॉवर स्टेशनों के अंतर्गत सामुदायिक विकास की आवंटित राशि पेयजल एवं सिंचाई व्यवस्था के लिए खर्च हो ताकि संबंधित क्षेत्र के लोगों के लिए पेयजल एवं सिंचाई व्यवस्था का व्यापक एवं प्राथमिक समाधान सुनिश्चित हो।

**(नौ) देश के सशस्त्र बलों में 'एक रैंक एक पेंशन' योजना लागू किए जाने की आवश्यकता**

**डॉ. राजन सुशान्त** (कांगड़ा): महोदया, सभी भारतवासी जानते हैं कि राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति तभी संभव है जब राष्ट्र राष्ट्रविरोधी शक्तियों से पूर्णतया सुरक्षित हो। चाहे 1947-48, 1962, 1965 व 1971 के युद्ध हों या 1999 का कारगिल युद्ध या फिर चाहे जम्मू-कश्मीर हो या पूर्वोत्तर राज्य, बाढ़ जैसी आपात स्थिति हो या 26.11.2008 का मुम्बई हादसा देश को सुरक्षा कवच प्रदान करने में भारतीय सेना की सदैव महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश की सेना विश्व की सर्वोत्तम सेनाओं में से एक है। भारतीय सेना के मनोबल को मजबूत रखने हेतु सेना को पूर्ण मान-सम्मान सहित उचित वेतन, पेंशन व भत्ते देना अनिवार्य है क्योंकि वर्तमान में कार्यरत सैनिकों की अवहेलना करना, उनके भविष्य की अवहेलना करना होगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिन्ताजनक है। पूर्व सैनिकों में एक रैंक एक पेंशन की नीति लागू न होने से अन्याय, असंतोष व असहाय होने की मिश्रित भावना का एक शक्तिशाली आक्रोश है; परिणामस्वरूप वे न्याय हेतु दिसम्बर 2008 से सत्याग्रह कर रहे हैं तथा अपनी वीरता के मैडल भी महामहिम राष्ट्रपति महोदया को लौटा रहे हैं जो चिन्ताजनक है एवं खेदजनक भी। जुलाई, 1987 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीशों को वहीं पेंशन दी जाएगी जो भविष्य में किसी भी समय उनके उत्तराधिकारियों को मिलेगी। अत: सर्वोच्च न्यायालय की भावना को भारतीय सेना हेतु भी मापदण्ड बनाकर व संसदीय समिति की रिपोर्ट के मद्देनजर राष्ट्र के लगभग 23 लाख पूर्व सैनिकों को अतिरिक्त लाभ प्रदान कर राष्ट्र के सुरक्षा कवच को मजबूत बनाया जाये।

**(दस) मध्य प्रदेश के सूखा प्रभावित सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ट्यूबवेल बोरिंग और जलाशय निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता**

**श्री गणेश सिंह** (सतना): महोदया, मध्य प्रदेश में लगातार अनावृष्टि के कारण प्रदेश के 43 जिले पेयजल की समस्या से प्रभावित है। प्रदेश के 20 जिले तो पेयजल समस्या से भयंकर रूप से प्रभावित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पेयजल स्रोत तेजी से सूख रहे हैं। प्रदेश के 341 नगर निकायों में से 180 नगर निकायों में पेयजल समस्या गंभीर बनी हुई है। 92 शहरों में एक दिन छोड़कर तथा 46 शहरों में 2 दिन छोड़कर एवं 38 शहरों में तीन दिन छोड़कर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना में बाणसागर से सैकड़ों किलोमीटर लम्बी नहरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से पेयजल उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में लगातार 3-4 वर्षों से बारिश कम होने के कारण परेशानी बनी हुई है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि पेयजल की गंभीर समस्या को देखते हुए राज्य सरकार को तत्काल आर्थिक पैकेज दिया जाये तथा समस्याग्रस्त जिलों में अतिरिक्त ट्यूबवैल खनन एवं ओवरहैड टैंक आदि के निर्माण एवं सतना नगर निगम द्वारा भेजे गये नये जलशोधन केन्द्र प्रस्ताव एवं सतना नदी में नये एनीकट निर्माण हेतु अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जाये।

**(ग्यारह) महाराष्ट्र में जलगांव और शोलापुर के बीच रेल लाइन के सर्वेक्षण तथा निर्माण को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता**

**श्री दानवे रावसाहेब पाटील** (जालना): महोदया, वर्ष 2008 में जलगांव, अजंता, सिल्लोड, फुलंब्री, औरंगाबाद, पैठण, सोलापुर नये रेलमार्ग के निर्माण का सर्वेक्षण कराने का बजट में प्रावधान किया गया था। इस विषय में अभी तक इस क्षेत्र के लोगों की यही मांग रही है कि इस रेलवे मार्ग का सर्वेक्षण जल्द से जल्द हो और रेल बजट में धन आबंटित किया जाये।

**(बारह) उत्तर प्रदेश के चन्दौली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल फ्रेट कॉरीडोर का निर्माण करने के लिए कृषि भूमि का अर्जन रोके जाने की आवश्यकता**

**श्री रामकिशुन** (चन्दौली): महोदया, उत्तर प्रदेश के चन्दौली जनपद के अंतर्गत रेलवे द्वारा रेलवे फ्रेट कोरिडोर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। जनपद चन्दौली के अंतर्गत जिस जमीन को रेलवे द्वारा अधिग्रहण करने की योजना बनाई गई है वह जमीन पूर्ण रूप से कृषि योग्य भूमि है तथा छोटे-छोटे किसानों की भूमि है जिसके अधिग्रहण से अधिकतर किसान भूमिहीन हो जायेंगे और उनकी आमदनी पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि रेलवे द्वारा किये जाने वाले भूमि अधिग्रहण पर अतिशीघ्र रोक लगायी जाये तथा रेल फ्रेट कोरिडोर हेतु समानान्तर उपलब्ध रेलवे की भूमि का उपयोग किया जाये। जनपद चन्दौली एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहां के किसान काफी रोष प्रकट कर रहे हैं तथा कानून व्यवस्था खराब होने की संभावना है। अत: मैं शीघ्रातिशीघ्र भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।

**(तेरह) झारखंड में उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए 'नाबार्ड' से निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता**

**श्री सुशील कुमार सिंह** (औरंगाबाद): महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद बिहार प्रांत का एक अत्यंत पिछड़ा इलाका है। उग्रवाद से प्रभावित होने के कारण यहां औद्योगिक विकास की गति शून्य है तथा कृषि ही जीवनयापन का एकमात्र आधार है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 90 प्रतिशत भूमि की सिंचाई उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना पर निर्भर है। इस परियोजना का कार्य वर्ष 1975 में प्रारंभ हुआ, किंतु विभिन्न सरकारों की अनदेखी के कारण यह परियोजना आज तक अधूरी है। इस परियोजना का बांध और बैराज झारखंड प्रदेश में है किंतु नहर का 85 प्रतिशत अंश बिहार प्रांत में है तथा इससे 85 प्रतिशत सिंचाई बिहार में होनी है।

झारखंड राज्य के अस्तित्व में आ जाने के बाद यह समस्या अंतर्राज्यीय हो गई है। इस परियोजना के पूरी होने में सबसे अहम बात यह है कि बांध में लोहे का फाटक लगाया जाना शेष है। मुख्य नहर एवं शाखा नहरों के निर्माण का कार्य लगभग संतोषजनक स्थिति में है किंतु फाटक न होने के कारण जल भंडारण नहीं हो पाता और पानी नदी में बहकर बर्बाद हो जाता है। इस परियोजना के पूरा होने से बिहार एवं झारखंड दोनों ही राज्यों के अत्यंत पिछड़े जिलों जैसे गया, औरंगाबाद, पलामू आदि में समुचित सिंचाई हो पाएगी।

महोदया जी, आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बहुप्रतीक्षित अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना को नाबार्ड से लोन उपलब्ध कराने का अनुरोध स्वीकार कर इस परियोजना हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जाये जिससे कि इस परियोजना का शेष कार्य शीघ्र पूरा हो सके।

**(चौदह) पश्चिम बंगाल में आइला चक्रवात से प्रभावित लोगों को राहत देने और उनका पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री कल्याण बनर्जी** (श्रीरामपुर): हाल ही में पश्चिम बंगाल में ''आइला'' नामक चक्रवात आया था। प्रभावित लोगों को उनके घरों तक राहत पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक कदम, जिसमें सीधे जिला मैजिस्ट्रेट और जिला परिषद के माध्यम से उनके पुनर्वास के लिए अनुदान देना सम्मिलित हैं, तत्काल कदम उठाए जाएं।

**(पन्द्रह) तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पुष्प कृषि को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता**

**श्री डी. वेणुगोपाल** (तिरुवन्नामलाई): तमिलनाडु में सजावटी पुष्प उगाए जाने के रूप में पुष्प कृषि एक पारंपरिक पेशा है, जिसमें सूखे क्षेत्र के किसानों को लाभकारी काम तथा आजीविका

मिली हुई है। चमेली, गेंदा, वाइल्डरोज कुछ ऐसे फूल हैं जिनकी वहां पर बड़े लम्बे अरसे से बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। ये फूल तमिलनाडु के अनेक भागों और बंगलौर जैसे पड़ोसी शहरों तथा भारत के अन्य राज्यों में भी भेजे जाते हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र तिरुवन्नामलाई के चेंगम, तिरुप्पत्तूर और तिरुवन्नामलाई में पूरे साल कृषि कार्य के रूप में पुष्प कृषि बागवानी के रूप में की जाती है। हवाई सेवा तथा वहां से विमान द्वारा ढुलाई की सुविधा के कारण पुष्प उत्पादक का यह काम मदुरै, पुडुक्कोट्टाई और तिरुची में बहुत ही लाभकारी काम है। यद्यपि बेहतर किस्म वाले फूल उत्तरी तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई, तिरुपत्तूर और चेंगम में उगाए जाते हैं, तथापि प्रभावी अवसंरचना के अभाव में वहां के किसानों को इससे अच्छा लाभकारी मूल्य नहीं मिल पता। इसलिए इस उद्यम को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से कुछ कदम तत्काल उठाए जाने चाहिएं। चूंकि फूल जल्द नष्ट होने वाली वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं, अत: इन किसानों की मदद के लिए सरकार को अवश्य आगे आना चाहिए। शीतभंडारण गोदामों, प्रशीतक कंटेनर ट्रकों, विनियमित बाजार केन्द्रों, विभिन्न चरणों पर सरल ऋण सुविधा, फूलों के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए पर्याप्त बैंकिंग सुविधा, तकनीकी तथा प्रौद्योगिकीय प्रशिक्षण विस्तार सेवा सुविधा तैयार की जाने वाली समेकित पुष्प कृषि विशेष योजना का भाग होना चाहिए। मेरे चुनाव क्षेत्र तिरुवन्नामलाई में इस परियोजना की एक प्रायोगिक योजना के रूप में शुरू की जाए, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री फूलों के उत्पादन, परिवहन, विपणन तथा निर्यात हेतु एक सहयोजित प्लान स्कीम बनाएं जिसमें कृषि, ग्रामीण विकास वित्त तथा नागर विमानन जैसे केन्द्रीय मंत्रालय सम्मिलित हों।

### (सोलह) केरल के तिरुवनंतपुरम में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता

**श्री ए. सम्पत** (अटिंगल): भारतीय संघ में राज्यों के पुनर्गठन के समय केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में माननीय उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ हुआ करती थी। लेकिन बाद में न्यायालय ने ही इसे समाप्त कर दिया जिससे वादियों तथा आम आदमी की कठिनाइयां तथा वित्तीय बोझ बढ़ गया। केरल की सरकार ने उक्त खंडपीठ की पुन: स्थापना के लिए कई बार अनुरोध किया है। इसलिए, न्याय के हित में समुचित अधिसूचना द्वारा तिरुवनंतपुरम में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित की जाए।

### (सत्रह) उड़ीसा में कथाजोडी नदी पर दूसरे रेल पुल के निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूरा किए जाने की आवश्यकता

**श्री भर्तृहरि महताब** (कटक): कथाजोडी नदी के ऊपर दसूरा रेल पुल तीन वर्षों से ज्यादा समय से निर्माणाधीन है। यह बताया गया कि यह पुल दिसम्बर, 2008 तक बनकर तैयार हो जाएगा लेकिन बीच में ही पुल के डिजाइन में बदलाव तथा निर्माता कम्पनी बदल जाने के कारण इसके पूरा होने का समय दिसम्बर, 2009 तक बढ़ा दिया गया। लेकिन जिस धीमी गति से निर्माण कार्य चल रहा है उससे मुझे इस बात में संदेह है कि यह रेल पुल दिसम्बर, 2010 तक तैयार हो भी जाएगा।

यहां यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि कथाजोडी नदी के ऊपर दूसरा पुल दूसरी रेल लाइन द्वारा कटक को जोड़ने के लिए आवश्यक है। जब तक कथाजोडी नदी के ऊपर इस दूसरे रेल पुल का निर्माण नहीं हो जाता, दूसरी लाइन चालू नहीं हो सकती।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पूर्वी तटीय जोन में रेल यातायात के बेहतर आवागमन के लिए कथाजोडी नदी के ऊपर दूसरे रेल पुल के निर्माण को शीघ्र पूरा करवाने के लिए उपयुक्त कारवाई करे।

### (अठारह) महाराष्ट्र में ''स्वाधार'' स्कीम के अंतर्गत महिला गृहों के निर्माण के लिए निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता

**श्रीमती सुप्रिया सुले** (बारामती): महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ''स्वाधार'' योजना को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत वह मानव व्यापार से मुक्त करायी गई बालिकाओं और महिलाओं के लिए देवनार में एक घर बना रही है। इस योजना के अनुसार इसकी निर्माण लागत का 75% भारत सरकार द्वारा तथा शेष 25% महाराष्ट्र सरकार द्वारा वहन किया जाना है। इसकी कुल निर्माण लागत 475 लाख रुपये है। तदनुसार, भारत सरकार का अंश 356.25 लाख रुपये है जिसमें से आज की तारीख तक 100 लाख रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार भी उक्त परियोजना के लिए 31.48 लाख रुपये दे चुकी है।

इस परियोजना का चरण-1 और चरण-2 का कार्य शुरू किया गया तथा चरण-1 का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। तथापि, चरण-2 को शुरू करने के लिए धन की अतिआवश्यकता है और धन के अभाव में कार्य की प्रगति में बाधा आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 30 मई, 2007 और 16 जून, 2008 के पत्र के द्वारा केन्द्र सरकार से शेष स्वीकृत राशि शीघ्र प्रदान करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में आपराधिक रिट याचिका 1694/2003 में दिए गए माननीय उच्च न्यायालय, मुम्बई के निदेशों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसके अनुसार उक्त कार्य 4 मई, 2009 तक पूरा किया जाना था। इसलिए, मैं सरकार से शेष 256.25 लाख रुपये की स्वीकृत राशि प्रदान करने का अनुरोध करती हूं जिससे कि महाराष्ट्र सरकार परियोजना को शीघ्र पूरा कर सके।

**(उन्नीस) पश्चिम बंगाल में कनसायी नदी पर दूसरे रेल पुल का निर्माण शुरू किए जाने तथा राज्य में खड़गपुर और मिदनापुर के बीच एकल रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता**

**श्री प्रबोध पांडा** (मिदनापुर): दक्षिण-पूर्व रेल के खड़गपुर डिवीजन के अंतर्गत गोकुलपुर और मिदनापुर स्टेशनों के बीच कनसायी नदी पर दूसरे रेल पुल के निर्माण के लिए एक नई परियोजना स्वीकृत की गई है और इसे पिछले रेल बजट में विधिवत रूप से सम्मिलित किया गया था। लेकिन आज तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ है। इस संबंध में निविदा की प्रक्रिया और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं में असामान्य रूप से ज्यादा समय लग रहा है। गिरि मैदान होते हुए खड़गपुर से मिदनापुर के लिए मात्र एकल लाइन है और इसे दोहरा किए जाने की जरूरत है। इस परियोजना को भी स्वीकृत रेल पुल के निर्माण कार्य के साथ ही शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

इस मार्ग पर प्रतिदिन 56 सवारी गाड़ियां, राजधानी एक्सप्रेस सहित सुपर फास्ट गाड़ियां चलती हैं। लेकिन एकल लाइन होने के कारण यात्रियों को अधिकांश दिनों में गंभीर यातायात की समस्या का सामना करना पड़ता है।

मैं केन्द्र सरकार से और विशेषकर रेल मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले पर शीघ्र कार्रवाई करें और इस परियोजना के शीघ्र निष्पादन के लिए रेल विकास निगम को यह काम सौंपा जाए।

**(बीस) झारखंड में उचित शासन व्यवस्था बहाल करने की दृष्टि से राज्य की निलंबित विधानसभा को भंग किए जाने की आवश्यकता**

**श्री इन्दर सिंह नामधारी** (चतरा): झारखंड जिसका गठन लम्बे राजनीतिक संघर्ष के बाद और उच्च आकांक्षा के साथ हुआ था, राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो गया है। यह राज्य बिजली और पेयजल के अप्रत्याशित संकट से जूझ रहा है। आतंकवाद अपने चरम पर है जबकि कानून और व्यवस्था अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गयी है। लेकिन कोई भी जनशिकायतों के समाधान के लिए तैयार नहीं है। विधान सभा को निलम्बित कर दिया गया है और विधायक अपने विधायी कर्त्तव्य को निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए, केन्द्र का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह राज्य में उचित शासन व्यवस्था स्थापित करे जिससे कि एक नए राज्य के निर्माण का उद्देश्य असफल न हो। इसलिए, केन्द्र को तत्काल विधान सभा भंग करके नए चुनाव का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए जिससे राज्य में लोकप्रिय सरकार स्थापित हो।

---

**अपराह्न 12.02 बजे**

## राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव–*जारी*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** श्री सज्जन सिंह वर्मा अपनी बात जारी रखेंगे।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री सज्जन वर्मा** (देवास): ऑनरेबल मैडम स्पीकर, शुक्रवार को जब मैंने राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करने हेतु अपनी चर्चा आरम्भ की, तब मेरे शब्द भी समय की परिधि को नहीं तोड़ पाए थे। मैं चर्चा आरम्भ करूं, इससे पहले मैं श्री कड़िया मुंडा जी को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि वे लोकतंत्र के सबसे बड़े इस मंदिर में उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए हैं। वे सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं।

आदरणीय मैडम, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के छठे बिन्दु में उन्होंने एक वाक्य का इस्तेमाल किया था कि इस समय मेरी सरकार को भारी और शक्तिशाली जनादेश मिला है। मैंने अपनी बात इसी से आरम्भ की थी। निश्चित रूप से इस वाक्य से हम लोग अभिभूत हुए। यह वाक्य, अपने आप में वास्तव में इतना शक्तिशाली था कि हम लोगों को तो सुखद अनुभूति हुई, लेकिन कुछ राजनेताओं को इस वाक्य से कुछ मानसिक वेदना भी हुई होगी, ऐसा मैं मानता हूं।

स्पीकर मैडम, देश की महान् और विद्वान जनता ने एक ऐसा आश्चर्यजनक और सही आदेश देकर बता दिया कि अब जो यू.पी.ए. की सरकार बनी है, यह सरकार, किसी भी राजनीतिक दल या राजनेता के बिना वजह के दबाव में नहीं आएगी। यह सरकार देश हित में लिये जाने वाले वे सारे निर्णय जो जनता के हित में होंगे, देश को सर्वोपरि रखते हुए होंगे, वे सारे निर्णय यह यू.पी.ए. की सरकार ले पाएगी। इसमें अब किसी प्रकार का कोई दबाव, मैं समझता हूं कि कोई दल या राजनेता नहीं डाल पाएगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पिछले पांच सालों में हमने टी.वी. चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से इस सदन को देखा। उस समय कुछ राजनैतिक दल, यू.पी.ए. की सरकार से जब कुछ अच्छे निर्णय लिये जाते थे, तब दबाव डालते थे। वे राजनीति दल आज कहां हैं, कहीं कोई पता नहीं चल रहा है? जनता ने अपने मताधिकार का उपयोग करके यह बता दिया कि अच्छे निर्णय यदि देशहित में हों, उन पर कोई रोक लगाएगा तो वह राजनैतिक क्षेत्र में शायद सर्वाइव नहीं कर पाएगा।

मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव के समय, जब चुनाव चल रहे थे, तब तमाम टी.वी. चैनलों और समाचार-पत्रों में हम लोग पढ़ते थे। हम चुनाव भी लड़ रहे थे और मौका मिलता था तो समाचार-पत्र भी पढ़ते थे। तब कई राजनैतिक दल और नेताओं के बयान आते थे कि आप हमारे दल की सरकार बनायें, हम आपको स्वर्णिम प्रधानमंत्री देंगे, सोने का प्रधानमंत्री देंगे, कोई दल बोलता था कि आप हमारे दल की सरकार बनाइये, मैं रजत पुरुष आपको दूंगा, कोई पार्टी बोलती थी कि आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइये, हम आपको प्रधानमंत्री के रूप में एक लौहपुरुष देंगे। लेकिन इस देश की जनता ने उन सभी साथियों से वोट डालते वक्त यह कहा कि भाइयों, आपका यह सोना, आपकी यह चांदी, आपका यह लोहा आप अपने पास रखो, हमें तो एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, जो हाड और मांस का बना हो, जिसके सीने में एक दिल स्पंदन करता हो, जिसकी संवेदनाएं जीवित हों, जो व्यक्ति सर्वधर्म समभाव की भावना रखता हो, जो व्यक्ति हर धर्म, हर महजब को इस देश में आगे बढ़ने का मौका देता हो। यह कहने में मुझे गर्व है कि वह एकमात्र व्यक्ति डॉ. मनमोहन सिंह हैं, जिनको इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया।

अब तो वही लोग सेवाकार्य में रहेंगे और राजनीति में रहेंगे, जो चुनाव के समय कही हुई बातों को पूरा करने, उन्हें मूर्त रूप देने की कोशिश करेंगे। इस तरफ बैठे हुए लोग सत्ता में क्यों नहीं आ पाये, क्यों चुनाव हारे, मैं छोटी बुद्धि से जो समझ पाया, वह यह है कि पिछले पांच सालों में इस तरह से सिर्फ एक बात उठती रही कि डॉ. मनमोहन सिंह जी बड़े कमजोर प्रधानमंत्री हैं। जब हम टी.वी. पर चर्चा खोलें तो यह चर्चा कहीं न कहीं से आती थी कि डॉ. मनमोहन सिंह जी बड़े कमजोर प्रधानमंत्री हैं। इस एक अलाप के अलावा इस तरफ से कभी कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं आ पाई। यह हार का कारण इस तरफ के लोगों का मैं मानता हूं। जब यह बात उठती थी, तब देश की जनता सोचती थी कि क्या देश में इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में यही बातें रह गई हैं। जब चुनाव आये तो देश की जनता ने यह तय कर लिया कि जो पार्टी अच्छे ढंग से आर्थिक सुधारों को लागू करेगी, जो पार्टी शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों का सही रूप से समग्र विकास करेगी और जो दल एक अच्छी विदेश नीति बनाएगा, उस दल को वोट देकर उसकी सरकार बनाएंगे, यह देश की जनता ने तय किया। मुझे यह कहने में कहीं संकोच नहीं कि जब जनता ने ऐसा विचार किया, जब चुनाव के परिणाम आये तो यू.पी.ए. की सरकार आज इस सदन में बैठी है। इस सरकार ने पिछले पांच सालों में यह करके दिखा दिया कि हम उस कमजोर वर्ग के व्यक्ति के साथ भी हैं, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति है। हम उस व्यक्ति के साथ भी हैं, जो देश की आर्थिक नीतियों को बढ़ाता है, हम उस व्यक्ति के साथ भी हैं, जो कमजोर वर्ग का है, बेसहारा है। हमारी यू.पी.ए. की सरकार ने सुदृढ़ आर्थिक नीति बनाई, सुदृढ़ विदेश नीति बनाई और यह उसका सार्थक परिणाम है कि आज हमारी यू.पी.ए. की सरकार इस देश में काम कर रही हैं।

**अध्यक्ष महोदया:** अब आप समाप्त करिए।

**श्री सज्जन सिंह वर्मा:** महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 70 प्रतिशत किसान हमारे प्रदेश में रहते हैं। मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि जिस देश का किसान खुशहाल हो, जिस देश के किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, वही देश तेजी के साथ तरक्की करते हैं। मुझे खुशी है कि मेरी यूपीए सरकार ने जो इस देश का किसान है, जो अन्नदाता कहलाता है, उसके चेहरे पर मुस्कराहट लाने के लिए जब बात उठी कि देश में अनेक जगह किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कड़ा निर्णय लिया और उन किसानों के परिवारों के लिए 71 हजार करोड़ रुपए का कर्ज बहुत दमदारी के साथ माफ किया। इससे देश के तमाम किसान भाइयों को और उनके परिवारों को राहत मिली।

स्पीकर मैडम, जब पूरे देश के अंदर बिजली का भयानक संकट था, उस समय डा. मनमोहन सिंह जी ने अमेरिका के साथ एक परमाणु संधि की। उस समय हमारे एलायंस दल के तमाम साथियों ने विरोध किया था कि यदि आपने अमेरिका के साथ यह संधि की, तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। तब डाक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मेरी सरकार कल गिरती हो, तो आज गिर जाए, लेकिन मैं अपने किसान भाइयों के लिए, 65 हजार मेगावाट बिजली, जो अमेरिका के साथ संधि करने के बाद, परमाणु ईंधन से बनेगी, उस संधि को जरूर करूंगा। मुझे गर्व है कि आने वाले पांच सालों में 65 हजार मेगावाट बिजली, इस परमाणु संधि और अन्य स्रोतों के साथ हमारे देश के किसानों को सस्ती दर पर मिलने लगेगी।

**अध्यक्ष महोदया:** अब आप समाप्त करिए। आपका एक मिनट से ज्यादा हो गया।

**श्री सज्जन सिंह वर्मा:** महोदया, मेरा एक प्वाइंट रह गया है। मेरा निवेदन है कि हमारी यूपीए की सरकार ने 100 दिनों की कार्य योजना बहुत सोच-समझकर और विचारपूर्वक बनायी। इसमें तमाम वे बिंदु हैं, जो राष्ट्र को कहीं न कहीं बहुत आगे ले जाएंगे।

मैं सिर्फ एक बिंदु की यहां चर्चा करना चाहूंगा—महिला सशक्तीकरण की बात, महिला आरक्षण की बात। उस दिन मैं यहां सदन में बैठा हुआ था, जब आदरणीय शरद यादव जी ने अपना बड़ा मार्मिक भाषण यहां दिया। उस समय मुझे लगा कि वास्तव में महिला कितनी सशक्त है। अभी महिला सशक्तीकरण का बिल नहीं आया, महिला आरक्षण का बिल सदन में प्रस्तुत नहीं हुआ और पुरुष वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले शरद यादव जी ने कहा कि यदि यह बिल इस सदन में पास हुआ, तो मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूंगा। उस समय मुझे लगा कि वास्तव में यह बिल आने के पहले ही हमारे देश की महिला बहुत सशक्त हो गयी है। अध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन करता हूं कि यह बिल 100 दिनों के अंदर इस सदन में आए और हमारी महिलाओं को निश्चित रूप से संसद और हर विधान सभाओं में आरक्षण मिले, ताकि हमारे यह भाई समझ जाएं कि अब इनको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

**श्री मुलायम सिंह यादव** (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जो महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत सारे विद्वान नेता अभिभाषण पर अपने विचार रख चुके हैं और मैंने उन भाषणों को किसी माध्यम से सुना, मैं यहां उपस्थित जरूर नहीं था। वे बातें दोहरायी न जाएं, यह मैं कोशिश करूंगा। यह कहा गया है कि हम गरीबी दूर करेंगे, गरीबी हटायेंगे। यह नारा आज का नहीं है। वर्ष 1952 से लेकर अभी तक गरीबी हटाओ का नारा लगता ही रहा है। लेकिन गरीबी हटने के बजाए बढ़ी है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो कहा गया है, यदि सरकार इसका बीस फीसदी भी पालन कर दे या अभी तक पालन हो जाता, तो हिंदुस्तान दुनिया का एक शक्तिशाली देश होता। हमेशा कहा जाता है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, यहां तक नारे दिये जाते थे कि हम गरीबी हटाना चाहते हैं, इस तरह के नारे दिये गए। जनता ने समर्थन दिया, भारी बहुमत दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटी।

मैं आपके सामने दूसरी बात यह रखना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना द्वारा कहा गया है कि हम बेरोजगार लोगों को सौ दिन रोजगार देंगे। लेकिन यदि सौ दिन रोजगार देंगे तो वे बाकी के 265 दिन क्या करेंगे। योजना भले ही अच्छी है और हम उसे अच्छा भी मानते हैं, लेकिन माननीय नेता, सदन, मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम तीन सौ दिनों का रोजगार देना चाहिए। यदि तीन सौ दिनों का रोजगार देंगे तो हम मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं कि आपका नारा सही है। यही नारा सन् 1952 से अभी तक दिया जाता रहा है, लेकिन अभी तक उसका बीस फीसदी भी पालन नहीं हुआ है। मुझे यह भय है, यद्यपि हमने आपका समर्थन किया है। लेकिन हम समर्थन के साथ-साथ आपसे उम्मीद भी करेंगे कि जिस साम्प्रदायिकता के खिलाफ आपके दल की अगुवाई हुई, जनता ने जनादेश दिया, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन यह भी उम्मीद करता हूं कि आपके नारे कोरे न रहें। सबसे ज्यादा समय आपकी ही पार्टी की सरकार रही है, कुछ वर्षों को छोड़कर लगातार आप ही सत्ता में हैं। देश की सत्ता आपके हाथों में है, लेकिन गरीबी नहीं हटी, गरीबी बढ़ी है। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि आप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना चलाएं, लेकिन ध्यान रखें कि जब तक ईमानदार अधिकारियों की कमेटी गठित नहीं करेंगे, बड़े-बड़े ठेकेदारों ने फर्जी अंगूठा लगाकर पेमेंट ले ली। आप अब भी जांच करवा लीजिए कि कितने गरीब लोगों को ग्रामीण रोजगार योजना का लाभ मिला है। आपने ग्रामीण रोजगार योजना द्वारा सौ दिन के रोजगार का नारा दिया था और काम भी किया था, लेकिन किसी गरीब को काम नहीं मिला। बड़े ठेकेदारों ने फर्जी अंगूठा लगाकर पेमेंट ले लिया। आपकी योजना असफल है और गरीबों तक नहीं पहुंची है। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, अध्यक्ष महोदया, कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन हमारी पार्टी के पास समय थोड़ा है। अगर हमने दो-चार मिनट ज्यादा ले लिये तो हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि आज ऐसा अवसर है कि हम अभिभाषण पर बेरोजगारी की बात रख रहे हैं। देश की गरीबी हटाओ कहने से गरीबी नहीं हटेगी। नारा हो-बेरोजगारी हटाओ। लेकिन हमें आश्चर्य है कि गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है। बेरोजगारी से गरीबी बढ़ती है। अगर हरेक इंसान, हरेक आदमी जो बेरोजगार है, उसे काम मिलेगा, तो देश की गरीबी घटेगी। उल्टा नारा है। हम समाजवादियों ने हमेशा नारा दिया है कि बेरोजगार हटाओ और आज भी बेरोजगारी हटाओ का काम किया है। आप रोजगार दीजिए और अगर रोजगार नहीं दे सकते तो बेरोजगारी भत्ता दीजिए। हमने उत्तर प्रदेश में इसका प्रयास किया और दिया। लगभग सात लाख लोगों को रोजगार दिया और जो करीब आठ लाख लोग बचे हुए थे, उन्हें हमने पांच सौ रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता दिया था। हमने चुनाव में वायदा भी किया था कि यदि हमारी सरकार होती तो पन्द्रह सौ रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देते और पहले सबको रोजगार देते। आप रोजगार दीजिए और जिन्हें रोजगार नहीं दे सकते, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया दीजिए क्योंकि हमने बेरोजगारी भत्ता दिया है। आपके सामने एक ऐसा उदाहरण

पेश किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार है कि उसने बेरोजगारी भत्ता भी छीन लिया। अब वह अलग बात है। जहां तक किसान और खेतिहर मजदूरों की दुर्दशा का सवाल है, तो आज हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा खराब दशा किसानों की है। किसानों के बिना देश समर्थ शक्तिशाली नहीं हो सकता। दुनिया के जिन देशों ने किसानों को प्राथमिकता दी है, वही देश सम्पन्न और ताकतवर हैं। आप अमेरिका का साढ़े चार सौ साल पुराना इतिहास पढ़िये। उस समय अमेरिका की हालत क्या थीं? हिन्दुस्तान से भी ज्यादा खराब हालत थी, लेकिन अमेरिका गेहूं की पैदावार बढ़ाने पर अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश हो गया और आज वह दादा बन गया है। अब किसी भी देश की हिम्मत अमेरिका की तरफ देखने की नहीं है। यह सब केवल किसानों के बल पर हुआ है। आपके बगल में चाइना है। चाइना में खेती जरूर ज्यादा है, लेकिन खेती लायक जमीन चीन से हिन्दुस्तान के पास ज्यादा है। चाइना की पैदावार हिन्दुस्तान से ढाई गुणा ज्यादा है, यानी वह ढाई गुणा ज्यादा पैदावार कर रहा है। हिन्दुस्तान से उसकी जनसंख्या थोड़ी ज्यादा है। हिन्दुस्तान की जनसंख्या 115 करोड़ के आस पास है जबकि चाइना की जनसंख्या 132 या 135 करोड़ के आस पास है। चाइना ने जनसंख्या पर नियंत्रण किया है और पैदावार भी बढ़ाई है। यदि आप किसानों को प्राथमिकता नहीं देंगे और न दी है, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं नेता सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लगातार सरकारों में रहे हैं। आपको गहरा अनुभव है, जानकारी है और आपको गरीबी का एहसास है, लेकिन यदि गरीबी हटानी है, तो किसानों को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाना होगा। देश को महान बनाना है, तो किसानों की पैदावार का लाभकारी मूल्य देना पड़ेगा। आज जितना घाटा किसानों को है, उतना किसी को नहीं, सारे व्यापार और सारे धंधे मुनाफे के हैं, लेकिन अकेला किसान ऐसा है जिसको घाटा है।

अध्यक्ष महोदया, प्रधान मंत्री द्वारा कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया और उस आयोग ने रिपोर्ट दी है कि जब 950 रुपये खर्च होता है तब किसान का एक क्विंटल गेहूं पैदा होता है। जब एक हजार रुपये खर्च होते हैं तब एक क्विंटल धान पैदा होता है। आप उसका कितना मूल्य दे रहे हैं? हम लोगों ने इस बारे में यहां दिल्ली में आंदोलन भी किया था, तो 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर ग्यारह सौ रुपये तक जरूर बढ़ाया गया था। हमारी मांग है कि किसानों को गेहूं की कीमत कम से कम 1375 रुपये मिलनी चाहिए क्योंकि स्थायी समिति ने भी यह रिकमेंड किया है। स्वामीनाथन रिपोर्ट आपकी थी, क्योंकि कृषि मूल्य आयोग आपके द्वारा गठित आयोग था, उसने भी रिकमेंड किया है, सिफारिश की है कि लागत से 50 फीसदी ज्यादा किसान को मिलना चाहिए। अगर सौ रुपये लागत है, तो 50 रुपये ज्यादा मिलना चाहिए। इस हिसाब से गेहूं की लागत 950 रुपये प्रति क्विंटल, जो कि आपके गठित आयोग का मूल्य है, उसकी रिपोर्ट है कि गेहूं की लागत नौ सौ पचास रुपया है और धान की लागत 1000 रुपये है। इसी तरह गन्ने की लागत भी 125 से 126 रुपये प्रति क्विंटल है, 180 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत किसान को मिलनी चाहिए। गेहूं की कीमत 1375 रुपये और धान की कीमत पन्द्रह सौ रुपये किसान को मिलनी चाहिए। जब किसान समर्थ होगा तब देश सम्पन्न और समृद्ध होगा, क्योंकि किसान ही इस देश का पेट भरता है। सेना में जो जवान हैं वे भी किसान के ही बेटे हैं। सीमा की सुरक्षा करते हैं। किसान वहां अपने बेटों को भेजता है। लेकिन आज हिन्दुस्तान में किसान और मुसलमान की सबसे खराब दुर्दशा है। अगर हिन्दुस्तान में किसी की दुर्दशा है तो वह किसान और मुसलमान की है, क्योंकि दस्तकारी का काम आज भी 80 फीसदी मुसलमानों के हाथों में है। हमारे जितने भी पहनने वाले कपड़े हैं, विशेषकर जो यहां विपक्ष बैठा है, वह मुसलमानों का तो विरोध करते हैं, लेकिन कपड़ा उन्हीं का सिला हुआ पहनते हैं। अच्छे जेवर बनाने वाले वही हैं, मिसाइल से लेकर एटम बम तक बनाने वाले वही हैं। दस्तकारी का 80 फीसदी काम आज भी मुसलमानों के हाथ में है। सबसे ज्यादा दुखी हैं किसान और मुसलमान। सिंचाई का इंतजमाम नहीं है। आज जितनी जमीन है, जितनी जमीन में खेती होती है, उसका 50 फीसदी असिंचित जमीन है। असिंचित जमीन और दूसरी जो जमीन है, वह भी पड़ी हुई है, उसको खेती लायक बनाया जा सकता है। इससे पैदावार बढ़ाई जा सकती है। भारत में एक गंभीर संकट देश के सामने आने वाला है। अन्न की पैदावार प्रतिवर्ष तीन फीसदी घट रही है। इसका कारण यह है कि जमीन सिकुड़ रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं। यह सही है कि कालेज बन रहे हैं, मेडिकल कालेज बन रहे हैं, लेकिन जमीन सिकुड़ती चली जा रही है। आज भी ऊसर, बंजर बीहड़ जमीन पड़ी हुई है, उसको खेती लायक बनाने के लिए कोई अभी तक योजना नहीं है, अभिभाषण में इसके लिए कोई योजना नहीं रखी गयी है। परती, ऊसर, बंजर और बीहड़ की जमीन को खेती लायक बनाया जाए और जब तक वह खेती लायक न हो जाए तब तक सरकार अपने खर्चे पर उसे खेती लायक बनाए, पानी का इंतजाम करे और जब वह जमीन खेती लायक बन जाए तो उसे गरीबों में बांटा जाए। यदि अभी गरीबों को बांट दें तो उसमें जो मेहनत होती है, उसके लिए उसे मजदूरी दीजिए और जब वह खेती लायक हो जाए तो उसे खेती के लिए दिया जाए। इससे पूरे देश में बेरोजगारी मिटेगी।

मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि आजादी के समय देश के सकल घरेलू उत्पाद का 50 फीसदी खेती का योगदान था, जो आज घटकर केवल 21 फीसदी रह गया है। यह गंभीर खतरा है। आज अगर सबसे ज्यादा रोजगार कोई दे रहा है, तो वह

[श्री मुलायम सिंह यादव]

किसान है। आज भी 72 फीसदी लोग खेती में हैं। आज बेरोजगारों को सबसे ज्यादा रोजगार खेती से मिल रहा है, फिर भी उसकी सबसे ज्यादा उपेक्षा हो रही है और इसी के कारण हम लोग पीछे हो रहे हैं। आप कहते हैं कि हम भारत को शक्तिशाली बनाएंगे, महादेश बनाएंगे, लेकिन जब आपके किसान सम्पन्न और ताकतवार होगा, तभी ऐसा हो सकेगा। जहां तक मजदूरों की दुर्दशा की बात है, आप मजदूरी देना चाहते हैं। सिंचाई गंभीर संकट पैदा होने वाला है। यह तो लगता है कि दुनिया में पानी की कमी होगी तो क्या होगा। पानी की छीनाझपटी में कहीं ऐसा न हो कि हम किसी से पिछड़ जाएं। यह हालत आने वाली है। जलस्तर को नीचे जाने से रोकने के लिए उपाय केवल तालाब है, लेकिन तालाब कहां खुद रहे हैं, ऊपर टीले पर, तो उसमें पानी कहां पहुंचेगा। हमने योजना चलाई है। पानी का ढाल जब नीचे की ओर जा रहा है, वहां तालाब होना चाहिए। गांव-गांव तालाब खोदें और उनमें पानी भरा जाए। नेता सदन, आप एक कमेटी बनाकर इसकी जांच कराइए कि तालाबों में इस वक्त कितना पानी है। जहां-जहां तालाब खुदे हैं, उनमें कितना पानी है? तालाब ऊपर है और पानी नीचे है। तालाब नीचे बनना चाहिए, लेकिन इसकी कोई जांच-पड़ताल नहीं होती। केवल छोड़ दिया गया है, तालाब खुद रहे हैं, आंकड़े आ गए कि इतने तालाब खुदे हैं, लेकिन तालाबों में एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। आप इसकी जांच कराइए। तालाब ऊपर बने हैं और पानी का ढाल नीचे है, जबकि तालाब नीचे होने चाहिए। अभी भी आधी से ज्यादा जमीन असिंचित है, पैदावार कहां से बढ़ेगी? आधी से ज्यादा जमीन असिंचित है और आधी जमीन परती पड़ी है। उसे खेती लायक बनाया जा सकता है, लेकिन सिंचाई का इंतजाम कहीं नहीं है। सिर्फ भाषण दिए जाते हैं, वास्तव में कोई इंतजाम नहीं है। हमारे देश में भूजल का स्तर गिर रहा है, पानी नीचे जा रहा है, लेकिन उसकी चिंता नहीं की जा रही है। हम कहें तो क्या-क्या कहें। अध्यक्ष महोदय, यहां पर ऐसे सवाल उठा दिए जाते हैं कि सदन विभाजित हो जाए। उस बारे में भी मैं बाद में कहूंगा।

अब आप जलवायु में परिवर्तन विषय को लें। आज जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। उसके कारण बहुत बड़ा खतरा हमारे सम्मुख आ खड़ा है। इससे बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं। जैसे किडनी की बीमारी है, कैंसर है, जिसके बारे में अभी सदन में सवाल भी उठाया गया था। इसके अलावा दिल की बीमारी, शूगर ब्लड प्रेशर आदि कई रोग लोगों में हो रहे हैं। दिल की बीमारी के इलाज के लिए दिल्ली में 'एम्स' सबसे सस्ता अस्पताल है। लेकिन वहां पर भी एक लाख से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक का खर्चा आता है। किडनी की बीमारी का तो कोई हिसाब ही नहीं है। इसके इलाज में तीस लाख से पचास लाख रुपया खर्च होता है और अगर किडनी ट्रांसप्लांट करी हो तो पता नहीं कितना खर्चा आता है। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की हालत है। मेरा कहना है कि वही देश तरक्की कर पाता है, जहां के नागरिक शिक्षित हों और स्वस्थ हों।

आप निरक्षरता को देखें, हम साक्षरता के मामले में दुनिया में सबसे नीचे के पायदान पर आते हैं। जब भी विश्व में साक्षरता की बात होती है, हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा निरक्षर होने की बात कही जाती है। मैंने पहले भी कहा है और फिर कहना चाहता हूं कि कुछेक सालों को छोड़ दें, तो केन्द्र में अधिकतर समय तक सत्ता आपके हाथ में ही रही है, आपका ही कब्जा रहा है। इसलिए आपने निरक्षरता को दूर करने के लिए क्या उपाय किए हैं, वह हमें बताएं? इसी तरह स्वास्थ्य का हाल है। इतनी बीमारियां फैल रही हैं, शूगर की बीमारी हो रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई इलाज नहीं है। शूगर से अन्य बीमारियां भी व्यक्ति के शरीर में फैलती हैं, जैसे दिल की बीमारी है, किडनी खराब होने की बीमारी है। इसके अलावा और भी बीमारियां शूगर से हो सकती हैं। लेकिन अभी तक इसके इलाज का कोई उपाय नहीं किया गया है, देश अनप्लांड चल रहा है। हम देखते हैं कि आजादी के बाद से देश में कोई प्लान नहीं है, बिना योजना के ही सब चल रहा है। यह बहुत अफसोस की बात है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि बीमारियों को रोकने के लिए सरकार की क्या योजना है? एक खुशहाल और उन्नतिशील देश बनाने के लिए सरकार को सबसे पहले प्लान बनाना चाहिए, जबकि यहां केवल भाषण ही दिए जाते रहे हैं। सन् 1952 से लगातार हम सिर्फ भाषण ही सुनते आ रहे हैं कि सरकार यह करेगी, वह करेगी, लेकिन वास्तव में होता कुछ नहीं है और हम सिर्फ भाषण ही सुनते रहते हैं। उसी का यह दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। हम वे लोग हैं जो कथनी और करनी में फर्क नहीं करते। जो कहते हैं, वह करते हैं। अगर हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किसी बात को रखा, तो उसका पालन हम करते हैं।

हमारे विपक्ष के नेता ने कहा था कि आप दवा और पढ़ाई कैसे करोगे, तो मैंने कहा था कि सरकार आने दो हम दवा और पढ़ाई मुफ्त करके दिखाएंगे। जब हम सत्ता में थे तब हमने दवा और पढ़ाई मुफ्त की थी। हमने लड़कियों को बी.ए. तक मुफ्त शिक्षा देने का एलान किया था और गरीबों को 20,000 रुपए अनुदान के रूप में दिए थे। यह सब हमने किया था, लेकिन अब कुछ नहीं है। हमने गरीबों के लिए अलग से धनराशि का प्रावधान किया था। अब आप देखिए कि गरीबों के कितने बच्चे कक्षा पांच में पढ़ने आते हैं और उनमें से कितने बच्चे आगे कक्षा आठ तक पहुंचते हैं। यह संख्या घटती जाती है। इसके बाद आप देखें कि गरीबों के कितने बच्चे कक्षा आठ से आगे इंटर में और फिर विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं। इन सबका आप प्रतिशत देखें तो वह लगातार घटता जा रहा है। आप इसकी जांच कराएं कि कक्षा

पांच में गरीबों के कितने बच्चे थे, फिर कक्षा आठ में कितने रह गए और उसके बाद इंटर में कितने पहुंचे, फिर बी.ए., विश्वविद्यालय तक पहुंचते-पहुंचते कितने बच्चे रह गए। बहुत हुआ तो सौभाग्य से एक प्रतिशत से ज्यादा नहीं निकलेंगे। गरीबों के कुछ ही बच्चे विश्वविद्यालय तक पहुंच पाते हैं। यह हालत देश में शिक्षा की और स्वास्थ्य की है। जिस देश में बच्चे ज्यादा शिक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे, वही देश तरक्की के रास्ते पर जाएगा। आपने इन कामों के लिए बजट में कितना पैसा दिया, यह खुद ही देख लें। बहुत कम धनराशि शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च की जाती है। स्वास्थ्य पर कम पैसा खर्च करने की वजह से ही देश में लोगों को गम्भीर बीमारियां हो रही हैं। इसके अलावा आप देखें कि देश में कितनी महंगाई बढ़ रही है। वह कैसे रोकी जाए, इसका कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है इसलिए महंगाई रूक नहीं रही है। हमारा देश और देश का विकास कृषि पर ही निर्भर है। समाजवादियों ने कृषि के विकास के लिए दाम बांधने की नीति बनाई थी। हम लोगों ने कहा था कि एक फसल के बीच तय कर लो कि 20 से 25 प्रतिशत से ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ेगी। जब तक देश में दाम बांधो नीति लागू नहीं होगी, देश में महंगाई बढ़ने से नहीं रुकेगी। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। किसान देश को बनाने वाला सबसे बड़ा शिल्पकार है। लेकिन किसानों ने इन 11-12 सालों में, गरीबी के कारण लगभग डेढ़ लाख आत्म-हत्याएं की हैं। आपने कर्जा माफ कर दिया, लेकिन असली कर्जा किसान का कहां माफ हुआ है? किसान पर असली कर्जा किसका है? किसान पर असली कर्जा तो महाजन का है, वह कहां माफ हुआ है। लिखा-पढ़ी का कर्जा तो आपने माफ कर दिया, लेकिन महाजन का कर्जा कहां माफ हुआ है? आप इसकी जांच कीजिए कि महाजन का कितना कर्जा किसानों पर है और किस दर पर महाजन का कर्जा दिया जाता है। माननीय नेता सदन को मैं बताना चाहता हूं कि आपने शायद ही एक-चौथाई कर्जा माफ किया होगा क्योंकि असली कर्जा तो महाजन का है जो दो रुपया, तीन रुपया और यहां तक कि पांच रुपया सैंकड़ा ब्याज पर होता है जिसे किसान को देना पड़ता है। यह बात इस सदन में सब जानते हैं कि असली कर्जा किसान पर महाजन का है, आप उसका पता लगाइये कि किस पर कितना कर्जा है और आप उसे माफ कीजिए।

हम लोग जानते हैं कि गरीबी से ज्यादा दु:खदायी और कोई कलंक नहीं है और गरीबी में गरीब को क्या-क्या करना पड़ता है। समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए, शादी-ब्याह में क्या-क्या करना पड़ता है। गरीबी के कारण उन्हें क्या-क्या करना पड़ता है, वे बातें हम सदन में कह नहीं सकते हैं। इस तरह की गरीबी हिंदुस्तान के अदंर है।

आज हिसाब लगाया जाए तो एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 75 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन 9 रुपये से लेकर 20 रुपये के बीच में अपना गुजर-बसर करते हैं। यह रिपोर्ट कोई समाजवादी पार्टी की नहीं है या इधर के लोगों की नहीं है बल्कि यह रिपोर्ट नेता सदन आपके बैठाए हुए आयोग की है। नौ रुपये से लेकर बीस रुपये प्रतिदिन पर इस महंगाई में गरीब लोग गुजर-बसर करते हैं। यह हालत आज हिंदुस्तान की है।

67 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना गुजर-बसर करते हैं, आप चाहे 28 फीसदी कहिये या 30 फीसदी कहिये या कुछ भी आंकड़े दीजिए लेकिन असली बात यह है कि आज 67 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे तो हम सदन में आंकड़े आपके सामने लाकर रख देंगे। इस बात पर हम बहस करने के लिए तैयार हैं कि हिन्दुस्तान के अंदर 67 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है और कभी ओले पड़ जाते हैं और इसे किसान को सहना पड़ता है। आप कभी कहते हैं कि गरीबी 28 फीसदी है, कभी 38 फीसदी, कभी 39 फीसदी है लेकिन हम सदन के अंदर सरकार से कहना चाहते हैं कि वह सिद्ध करे कि गरीबी 67 फीसदी नहीं है। मैं सदन में यह बात दावे के साथ कह रहा हूं और इस बात को हम सदन में सिद्ध करेंगे और इस पर अलग से बहस होनी चाहिए। तो हम बता देंगे कि आज 67 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। आंकड़ेबाजी से देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज देश में बिजली की बहुत कमी है।

जहां तक महंगाई का सवाल है तो हमारा कहना है कि आप चीजों के दाम-बांधे कि इससे ज्यादा महंगाई चीजों की नहीं होगी। चाहे अनाज हो, कपड़ा हो या और कोई चीज हो, आप तय करें कि महंगाई 20 फीसदी होगी, 25 फीसदी होगी लेकिन आज तक तो महंगाई तिगुनी गति से बढ़ रही है और महंगाई दो-सौ गुना बढ़ गयी है। महंगाई को रोकने के लिए आपने क्या किया है? महंगाई का आधार क्या है? हम आपको चीजों के दाम-बांधों नीति पर चलने के लिए कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने दाम-बांधों नीति का नारा दिया है और जब तक चीजों के दाम नहीं बांधे जाएंगे, तब तक महंगाई नहीं रुकेगी। यही एक उपाय महंगाई को रोकने का है।

बिजली का बहुत भारी संकट है। आप यमुना-पार जाकर देखिये। कभी-कभी तो पूरे दिन ही बिजली नहीं आती है। आज चाहे हिन्दुस्तान हो या पूरी दुनिया, बिजली के बिना विकास नहीं हो सकता है। बिजली की हालत आज बहुत खराब है। हमने बिजली के लिए ही समर्थन दिया क्योंकि हम सोचते थे कि तीन सालों में बिजली आ जाएगी, लेकिन लगता है कि हमारा समर्थन ही बेकार गया। परमाणु शक्ति के लिए हिंदुस्तान के पास यूरेनियम नहीं है, इसका हमें पता था। हमारे पास भी रक्षा विभाग रहा है

[श्री मुलायम सिंह यादव]

और हमें पता था कि हमारे पास यूरेनियम नहीं है। यूरेनियम अगर रूस से आता तो पेंटागन की इंसल्ट होती। हमारे देश में बिजली नहीं होगी और सुरक्षा के लिए एटम बम नहीं बन सकेगा। हमने देश के हित को सोचकर आपका समर्थन किया था। आपकी सरकार को बचाए रखा। लेकिन अभी तक उस ओर क्या कदम बढ़ाया गया है? आप बताएं कि कितने दिन में 20 घंटे या 24 घंटे आप बिजली देंगे? आप यमुनापार चले जाइए, कई दिनों तक बिजली पूरे दिन नहीं आती है। 12 से 14 घंटे आपकी बिजली की कटौती है। बिजली पूरे दिन नहीं आती है, यह बिजली का हाल है। बिजली की कमी है और आप देश को महान बनाने चले हैं। देश कैसे महान बनेगा? हम जानते हैं कि देश की जनता निराश हो चुकी है।

शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में मैं कह चुका हूं। हृदय की बीमारी के लिए आप 30 हजार रुपया या 50 हजार रुपया देते हैं। हृदय से संबंधित इलाज सबसे सस्ता एम्स में होता है, लेकिन वहां भी डेढ़ लाख रुपये का खर्चा आता है। कौन इलाज करा सकता है, लाखों लोग हैं, जो मर रहे हैं। इन्हें समय पर इलाज की सुविधा देने से बचाया जा सकता है। इसीलिए हमने नारा दिया था - दवा, पढ़ाई मुफ्त हो, कपड़ा-रोटी सस्ती हो। हम जब सरकार में आए, तब हमने नारे का पालन किया। दवाई मुफ्त और पढ़ाई मुफ्त।

**महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री ( श्रीमती कृष्णा तीरथ ):** प्रधानमंत्री कोष से सहारा मिलता है।

**श्री मुलायम सिंह यादव:** अगर दोबारा जनता हमें मौका देती, तो सभी के लिए पढ़ाई मुफ्त करके हम दिखाते। बी.ए. तक लड़कियों की पढ़ाई मुफ्त की थी, हमने 20 हजार रुपया भी दिया था। वे उच्च शिक्षा किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, यह मैंने आपको बता दिया है। मुझे समय कम मिला है, इसमें मैंने यह बात आपकी जानकारी में ला रहा हूं।

अब मैं विदेश नीति के बारे में कहना चाहता हूं। विदेश नीति का मतलब होता है, देश का हित। मित्र देशों की तादाद ज्यादा होनी चाहिए और विरोधी देशों की तादाद कम से कम होनी चाहिए, यह विदेश नीति की सफलता है। आप विदेश मंत्री रहे हैं। आप बताएं कि कितने मित्र देश हैं? आप पड़ोसी देशों को मित्र नहीं कह सकते हैं। चीन को मित्र राष्ट्र नहीं कह सकते हैं। नेपाल और श्रीलंका को मित्र देश नहीं कह सकते हैं। बंगलादेश को मित्र राष्ट्र नहीं कह सकते हैं। इन देशों से संबंध अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपके पास मित्र राष्ट्र एक भी नहीं रहा है। एक भी पड़ोसी देश हमारा मित्र नहीं रहा है। आप बताइए कि यह कैसी विदेश नीति है? विदेश नीति का मतलब होता है कि दुनिया में हमारे मित्र देश ज्यादा हों और विरोधी देश कम से कम हों। पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अमरीका एक तराजू में तौल रहा है। हमारी विदेश नीति कहां हमारे देश के हित में है, आप हमें गिन कर बता दीजिए कि कितने हमारे मित्र देश हैं। रूस हमारा मित्र देश था, लेकिन उसका विघटन हो गया। मैं समझता हूं कि अब कोई मित्र देश नहीं है। यह अभागा देश है, जिसका कोई मित्र नहीं है। श्रीलंका का भी भारत मित्र नहीं बन पाया। बंगलादेश की मदद की और कितने लोग शहीद हुए, लेकिन वह भी मित्र नहीं बन पाया। यह विदेश नीति नहीं है, हम कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान की कोई विदेश नीति नहीं है। मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की विदेश नीति के बारे में कोई नीति ही नहीं है। विदेश नीति के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं इस बात का इशारा करता हूं कि आप देखें कि हमारे कितने मित्र राष्ट्र हैं। पड़ोस के देशों में से एक भी आपका मित्र देश नहीं है। यहां तक कि नेपाल भी मित्र देश नहीं है। मैं नेपाल गया था। नेपाल की जिस प्रकार से भारत को मदद करनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई है। नेपाल एक ऐसा देश था, जो आपका था। आप नेपाल को भी संतुष्ट नहीं कर पाए। यह हालत आज विदेश नीति की है। आप नेपाल गए होंगे। हम तो वहां पहली बार गये, कई दिन रहे और देखा तथा बातचीत की है। वहां के लोग चाहते हैं कि जो तराई के क्षेत्र के घर जो बिहार से लेकर इधर तक लगे हैं, वे लोग मित्र बनना चाहते हैं लेकिन वे मित्र नहीं बन पा रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी हटे हैं, कहना नहीं चाहते कि किसके साथ थे। आपके साथ नहीं थे। मैं उनसे बात करके आया हूं। वे आपके साथ नहीं थे।

आन्तरिक सुरक्षा और साम्प्रदायिक सद्भाव आप रखेंगे। मैं समझता हूं कि जो आतंकवाद है, उससे नक्सलवादी और माओवादी ज्यादा खतरनाक हैं। मैं मानता हूं। आखिर कैसे? क्या आप डंडा से, लाठी से, बंदूक से, सुरक्षाबलों से नक्सलवाद को रोक सकते हैं? नक्सलवाद पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ। वहां से नक्सलवाद पैदा हुआ। ये लोग यूं ही समझते हैं कि समस्या हल कर दी। आपको तो सबक लेना चाहिए, इसमें बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में गांव से ही नक्सलवाद पैदा हुआ, उनकी समस्याओं को हमने सुना, *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** माननीय मुलायम सिंह जी, आपका समय समाप्त हो गया है।

**श्री मुलायम सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदया, हम जल्दी-जल्दी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ बोलना है। नक्सलवाद की समस्या पर अभी हम थोड़ा सा और कहेंगे। अभी महिला आरक्षण बिल पर भी हमें बोलना है। अध्यक्ष महोदया, मुझे माफ करिएगा अगर मैं आपका समय अभी थोड़ा ज्यादा ले लूं तो कभी सदन में मैं दोबारा बोलूं तो उसमें से मेरा समय आप काट लीजिएगा। *...(व्यवधान)* लेकिन आज हमें बोल लेने दीजिए। *...(व्यवधान)*

मैं जो कह रहा हूं कि नक्सलवाद सीधे आपके पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ और फिर नक्सलवाद पश्चिम बंगाल में कैसे समाप्त हो गया? राबर्ट्सगंज और सोनभद्र में मैंने कैसे नक्सलवाद को समाप्त किया? आपको आश्चर्य होगा कि सात-सात पुश्तों से जमीन उनके पास है, मकान उनके पास हैं और नाम किसी दूसरे के हैं। हमने इनको ठीक किया। सात पीढ़ियों से वे लोग मकान में रह रहे हैं, सात पीढ़ियों से जमीन पर कब्जा है, जमीन जोतते हैं, उस पर बोते हैं और नाम किसी और के है। सोनभद्र में ऐसा है, यह मुझे पता चला। हमारे उत्तर प्रदेश में नक्सलवाद क्यों बढ़ा? उसके बाद से क्या उत्तर प्रदेश में एक भी नक्सलवाद है? हमने सारा का सारा नक्सलवाद खत्म किया। लेकिन केवल लाठी, डंडा और बंदूक के बल पर नक्सलवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए समस्या को समझिए, जैसे पश्चिम बंगाल जहां पर यह नक्सलवाद पैदा हुआ, वही पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद खत्म हुआ है। उनकी समस्याओं को हल किया गया है। मैंने उनकी समस्याओं को जाकर हल किया है। बीच में जब नक्सलवाद था, वहां पर ही एक लड़की थी, वह निकलकर हमारे मंच पर आई गई और उसने कहां कि जीवन में अब वह कभी भी नहीं इस राह पर चलेगी। सबसे ज्यादा वहीं हमारी एडमाइरर थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूं। उसका नाम बासमती कोल शायद था। वह हमारा मंच था और उसी दिन उसने हमारे सामने प्रतिज्ञा की कि अब कभी मैं इस रास्ते पर नहीं चलूंगी। उसके बाद हमारा भोपाल में सम्मेलन हुआ। वह वहां उपस्थित थी। इसलिए उनकी समस्याओं को हमें जाकर सुनना पड़ेगा, केवल लाठी और डंडा के बल पर इस समस्या से निजात नहीं पाया जा सकता।

जहां तक विधान मंडल और लोक सभा में महिलाओं के आरक्षण का सवाल है, उस पर कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। महिला आरक्षण पर बहुत मेजें थपथपाई गईं, लेकिन मैं सावधान करना चाहता हूं कि वर्तमान महिला आरक्षण बिल को यदि आपने पास कर दिया तो जीवन में आप इस लोक सभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। *...(व्यवधान)* यह बिल इतना खतरनाक है, यह लोकतंत्र के खिलाफ है। मैं महिला आरक्षण का पक्षधर हूं। अगर महिला को आगे बढ़ाने का किसी पार्टी ने काम किया है तो वह समाजवादी पार्टी ने काम किया है। डा. लोहिया ने किया है। महिलाओं के बारे में हम जातपात का भेद नहीं रखते हैं। महिला चाहे उच्च जाति की हो, चाहे पिछड़ी जाति की हो, चाहे दलित हो या मुसलमान हो, महिला हर जगह पिछड़ी है। चाहे राजा महाराजा हों, लेकिन महिला पिछड़ी है। पति दबाकर रखता है, कोई महिला खड़ी होकर कह दें कि मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं। लेकिन महिला स्वतंत्र नहीं है। महिलाओं की हालत खराब है, मैं मानता हूं। लेकिन इस बिल पर आपने क्या किया है कि मेजें थपथपा दी गईं और खूब तालिया पिट गईं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि नेता सदन, बीजेपी और वामपंथियों के चक्कर में मत फंसिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आप भी मत फंसिए, ये ही नाश करेंगे। ये हम लोगों को रोकना है क्योंकि नेतृत्व यहां बैठा हुआ है। वर्तमान बिल के अनुसार नेतृत्व कितना आएगा? *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** माननीय मुलायम सिंह जी, आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है। अभी बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है।

*...(व्यवधान)*

**श्री मुलायम सिंह यादव:** आज हम कह रहे हैं *...(व्यवधान)* महिला बिल के बारे में हमें बोलना था। हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, हम विरोधी नहीं हैं। विरोधी वे हैं जो महिला आरक्षण बिल पास करना चाहते हैं। हम लोगों का नेतृत्व तो आ जाएगा लेकिन हमारे डिप्टी स्पीकर साहब नहीं आ पाएंगे और हो सकता है आप भी न आ पाएं। अब तक देश हित में जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, सब सर्वसम्मति से हुए हैं। क्या आपके नेताओं को नहीं पता है? क्या राजनीति हमारी है? हमने आपको समर्थन दिया, आपकी सरकार को बचाया और आपको उसी का परिणाम मिला है, हमें घाटा हुआ है और आपको फायदा हुआ है। यह सही है, हम 39 से लोक सभा के 23 मेम्बर रह गए और आप 145 से 206 तक पहुंच गए। हमने सरकार बचाई है, अगर हमने सरकार न बचाई होती तो आप 80 और 100 रह जाते। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें दोष दिया गया है, हम जनता के बीच आज गाली खा रहे हैं। हमें सब जगह गाली मिली, इनकी भी गाली, उनकी भी गाली मिली। *...(व्यवधान)* हम देर से नहीं समझे, हम समझे थे। यह बिजली का मामला है, हमारे पास परमाणु शक्ति नहीं है, एटम बम का मामला है। पड़ोस का मामला गड़बड़ है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हो रही है, जिसका आप समर्थन करते हो। हम आपको बता दें यह दोस्ती बहुत खतरनाक है। ये उनकी दोस्ती है आपकी दोस्ती नहीं है, संबंध भले ही सुधर रहे हों, लेकिन पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के बारे में मैं सावधान करना चाहता हूं कि यह हिन्दुस्तान की सीमा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मैंने समर्थन दे दिया था, हम समर्थित हैं, हम रक्षा मंत्री थे, हम जानते थे कि इनके बिना हम परमाणु शक्ति पैदा नहीं कर सकते हैं, न ही बिजली बनेगी और न ही एटम बम बनेगा, हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि महिला बिल को आप वापिस लीजिए। आप सब नेताओं को बुलाइए और नेताओं की राय से बिल लाइए। मेजें थपथपा कर पास कर देंगे? अगर आप जबरदस्ती बहुमत के बल पर पास करेंगे तो बहुमत के बारे में याद दिलाना चाहता हूं कि आपके 1984 में 400 से ज्यादा सदस्य जीते थे और 1989 में आप अल्पमत में

[श्री मुलायम सिंह यादव]

बदल गए। आप बहुमत के बल पर जबरदस्ती बिल पास मत कर देना, बीजेपी के लोग, आप भी न करा देना। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इनके चक्कर में मत फंसिए, इसे वापिस कर देना वरना बीजेपी खत्म हो जाएगी। आप फंसे हुए हो। हम भी विरोध करेंगे, हम तरह से पास करेंगे और एक तरह से विरोध भी करेंगे। यह देश हित में है, हम नेतृत्व नहीं खत्म करेंगे, लोक सभा से नेतृत्व खत्म हो जाएगा। आप पार्टी वाइज मत कीजिए, चाहे 20 कीजिए, लेकिन 33 परसेंट कैसे कर देंगे? 33 परसेंट यह हो गया और 22 परसेंट दलितों का वह हो गया और इस तरह से 55 परसेंट हो गया। आप बताएं कि सामान्य जाति और मुसलमान, उच्च जाति और बैकवर्ड क्लास के लोग कितने परसेंट आएंगे? आपने कभी सोचा है? आप आ गए लेकिन हमें इस जीवन में दोबारा नहीं देख पाएंगे। हम राज्य सभा के द्वारा आ जाएंगे। हम राज्य सभा में पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेजें थपथपा रहे हैं। आप अपनी चारपाई थपथपाते रहना। महिला बिल खतरनाक है, लोक सभा को नेतृत्वहीन करने का षडयंत्र है। विशेषकर पिछड़े, दलित और मुसलमान के नेतृत्व को खत्म करना है, इसीलिए यह बिल है। यह साजिश है, वरना क्यों है? क्या हम महिलाओं के खिलाफ हैं? हमने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है। आप भी सौ फीसदी दो, कौन मना कर रहा है। सौ में से सौ प्रतिशत महिलाएं हो जाएं। कौन मना करता है, आचार्य साहब? कौन मना करता है, आडवाणी साहब? कौन मना करता है, जोशी जी? आज मैं कहना चाहता हूं, आडवाणी साहब, जोशी साहब, श्री शरद यादव, श्री लालू प्रसाद यादव, श्री बसुदेव आचार्य ये लोग कोई ऐसे ही एक दिन में नेता नहीं बने हैं। इन्होंने बड़े संघर्ष किये हैं, कोर्ट की तारीखें झेली हैं, बहुत काम किये हैं, तब वे नेता बने हैं और आप नेताओं को खत्म करना चाहते हो, केवल नेतृत्वविहीन लोक सभा रखना चाहते हो और इसके पीछे कुछ भी नहीं है। ...*(व्यवधान)*

**श्री शरद यादव** (मधेपुरा): जीभ काटना चाहते हैं।

**श्री मुलायम सिंह यादवः** हां, काटना चाहते हैं, आप तो बोल गये और गलत बोल गये। क्या करें, यह आत्महत्या ही है। सुकरात को जबरदस्ती जहर दिया गया था और आप भी जबरदस्ती जहर दे रहे हैं। इसमें गलत क्या है। कह रहे हैं कि ज्यादा बोल रहे हैं, क्या ज्यादा बोल रहे हैं, क्या आप हम लोगों को जहर नहीं दे रहे हैं। लोक सभा देख ही न पायें, यह बोल ही न पायें। हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोग तो किसी तरह से राज्य सभा में पहुंच जायेंगे। 40 एम.एल.एज. भी ले आयेंगे तो पहुंच जायेंगे। आप देख लीजिए क्या हालत है। हम कितने पर आ गये हैं। विधान सभा में हम कितने पर आ गये हैं और ये बहुत ज्यादा बात करने वाले, कहां ज्यादा हैं, बताइये, चार महिलाएं अध्यक्ष हैं, वे सर्वेसर्वा हैं। उनके बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। अध्यक्ष महोदया, मैं नाम लेना चाहूंगा। आदरणीय सोनिया जी के बिना कांग्रेस में पत्ता नहीं हिल सकता है, उत्तर प्रदेश में पत्ता नहीं हिल सकता है। एक महिला तमिलनाडु में अध्यक्ष हैं, वहां उनके बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। आज राष्ट्रपति जी भी महिला हैं और आप सभाध्यक्ष हैं। आपके नेतृत्व में फैसला किया है, तब आप राष्ट्रपति हैं, नेतृत्व ने खड़ा किया है, तब आप अध्यक्ष हैं। ...*(व्यवधान)* आप मुझे बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदयाः** मुलायम सिंह जी, कृपया आप इधर सम्बोधित करिये।

**श्री मुलायम सिंह यादवः** मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में कह दिया, उत्तर प्रदेश में पत्ता नहीं हिलता है। कांग्रेस के अंदर पत्ता नहीं हिलता। सोनिया जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। जयललिता के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है और क्या बतायें, बंगाल में भी यही हालत है, वहां ममता बहन के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है।

**अध्यक्ष महोदयाः** मुलायम सिंह जी, कृपया आप समाप्त करें।

**श्री मुलायम सिंह यादवः** इसलिए मैं आपको सुझाव दे रहा हूं और अपनी राय दे रहा हूं, यह ठीक नहीं होगा, देश का दुर्भाग्य होगा, आप आरक्षण पार्टियों को दे दीजिए, दलों को दे दीजिए, दल इतने परसैन्ट देगा और यदि नहीं होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन खत्म होगा। अगर आप बीस परसैन्ट कर देंगे। आज आडवाणी जी नहीं हैं, आप आडवाणी साहब और अटल जी से पूछिये, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि तुम्हारी बात से हम सहमत हैं, सुरजीत साहब ने भी हमसे कहा था ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदयाः** मुलायम सिंह जी, अब आप समाप्त कीजिए।

**श्री मुलायम सिंह यादवः** मेरे आखिरी शब्द हैं। यह पार्टी को आश्वस्त किया जाए और सभी दल के नेताओं को बुलाया जाए और सर्वसम्मति से देशहित में जितने भी संशोधन हुए, वे हुए हैं। आप उन्हें बंद कर दीजिए। इसलिए आप सभी दलों के नेताओं को बुलाइये और उन्हें रख दीजिए और सब नेताओं की राय से आप महिला बिल लाइये। यह हमारी राय है। क्या आप इस राय से सहमत हैं। माननीय अटल जी और आडवाणी जी ने हमसे फोन करके कहा था, तब श्री प्रमोद महाजन भी थे कि तुम बीस परसैन्ट पर आ जाओ, हम बीस परसैन्ट पर आ गये और कहा कि तुम्हारी राय बिल्कुल सही है कि पार्टीवार इसे कर देंगे। दस परसैन्ट, पन्द्रह परसैन्ट सीटें बढ़ी हैं। अटल जी, आडवाणी जी बैठे हैं, उन्होंने 20 फीसदी स्वीकार किया था और पार्टीवाइज देने का फैसला किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं मानी। माननीय प्रधान

मंत्री जी आज यहां हैं, वह मेरे पास आये थे और कहा कि मेरी पार्टी इससे सहमत नहीं है। एक दल को छोड़कर सब दल सहमत हो गये थे। इसलिए आप नेता सदन हैं, सूझ-बूझ वाले नेता हैं और महत्वपूर्ण नेता है। आज कोई भी कहे, देश में आप महत्वपूर्ण नेताओं में माने जा रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि सभी दल के नेताओं को बुलाकर इसे पार्टी के स्तर पर कीजिए। आरक्षण कितना करना है, क्या करना है, यह सब नेताओं की राय पर आयेगा तो खुद ही महिला आरक्षण का बिल पास हो जायेगा। लेकिन यदि आप मनमानी करेंगे तो मनमानी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप 1984 में 400 से ज्यादा सीटें जीतकर आये थे, अभी तो 206 हैं।

**अपराह्न 1.00 बजे**

अध्यक्ष महोदया, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। अगर सरकार हमारी चिन्ता को नहीं समझेंगी तो हम जनता के बीच में जाकर रैली करेंगे, देश की जनता के सामने अपनी बात रखेंगे और पूछेंगे कि क्या हम महिला आरक्षण विधेयक के विरोधी हैं या ये लोग विरोधी हैं? यह तय हो जायेगा। लालू जी, आप भी तैयार रहना। शरद यादव तैयार रहना।

अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिये आपका आभार प्रकट करता हूं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** माननीय सदस्यगण, अभी भी यहां 50 से अधिक माननीय सदस्य हैं जो इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं। इसलिए, मैं सभी सदस्यों से निवेदन करती हूं कि वे संक्षेप में बोलें और वे अपना भाषण अपनी पार्टी को आवंटित समय में ही पूरा करें और जो माननीय सदस्य अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे रख सकते हैं।

कोई भोजनावकाश नहीं होगा। अगले वक्ता श्री दारा सिंह चौहान हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री दारा सिंह चौहान** (घोसी): अध्यक्ष महोदया, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस अभिभाषण पर कई दिनों से चर्चा हो रही है और आगे भी चर्चा होनी है।

**अपराह्न 1.02 बजे**

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार आसन पर बैठने हेतु मैं अपनी पार्टी की ओर से आपका स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सदस्यों को बिना किसी टोका-टाकी के अपनी बात रखने का अवसर मिले, इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदया और उपाध्यक्ष महोदय का चुनाव किया गया है। हमें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, ऐसी आपसे आशा और विश्वास है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में वर्तमान सरकार की पिछली उपलब्धियों और आने वाले पांच वर्षों के लिये सरकार की क्या नीतियां और योजनायें होती हैं, उनका जिक्र किया जाता है।

यहां पर किसानों का जिक्र किया जाता है। उनके विकास और बेहतरी की बात हो रही है। नरेगा और उसकी उपलब्धियों की चर्चा की गई है लेकिन इस देश में किसानों की संख्या 70 प्रतिशत से अधिक हैं। हमारे मुल्क में उनकी बदहाली है, किसान जो आत्महत्यायें कर रहे हैं, उसका किसी ने इस सभा में उल्लेख नहीं किया है। आज किसान सब से ज्यादा कृषि कार्य करता है लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं है। इसलिये देश में भूमि सुधार की आवश्यकता है। देश में काफी अरसे से भूमि सुधार की बात कही जा रही है लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसलिये मैं किसानों की बात कहना चाहता हूं कि उनके कृषि यंत्र इतने महंगे हो रहे हैं, उन्हें किसानों को सस्ते दामों पर देने के लिये किसी व्यवस्था का जिक्र नहीं किया गया है। आज किसान का ट्रैक्टर कार से भी महंगा है। आज किसान इस महंगे ट्रैक्टर से अपनी खेती करता है। ट्रैक्टर महंगा है और कार पर चलने वाले बड़े लोगों की कार सस्ती है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि किसानों के लिए कृषि यंत्र सस्ते होने चाहिएं, दवाइयां सस्ती होनी चाहिएं, बिजली, पानी सस्ता होना चाहिए। जहां तक बिजली का सवाल है, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सेंसेक्स को देखकर किसी सरकार की उपलब्धि के बारे में जानना एक दिवास्वप्न है। हमें सच्चाई को समझने के लिए ईमानदारी से बुनियादी समस्याओं की तरफ देखना होगा। आप यह जानते हैं कि आज पूरे देश में तमाम ऐसे प्रदेश हैं जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़े हैं, लेकिन वे आज सारे क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं। उनको जो बिजली मिलनी चाहिए, यहां अभी चर्चा हुई है कि बिजली किसी भी देश के लिए, किसी भी वर्ग के लिए सबसे जरूरी चीज है। मैं यह ध्यान में लाना चाहता हूं कि तमाम देश में चाहे वह बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो, जहां से आप आते हैं, वहां के लिए बिजली सबसे जरूरी चीज है। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा इस देश के विकास के लिए योगदान दिया है। इस प्रदेश ने इस देश को एक नहीं आधा दर्जन प्रधानमंत्री दिए हैं। आज आजादी

[श्री दारा सिंह चौहान]

के 61-62 साल बाद इस प्रदेश की क्या हालत है? किसानों को बिजली नहीं मिल पाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सबसे ज्यादा किसान चिंतित हैं। जो गरीब प्रदेश हैं, पिछड़े प्रदेश हैं, जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गये हैं उनकी तरफ इस यूपीए की सरकार को ज्यादा ध्यान देना होगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि यह सही बात है कि सबसे ज्यादा दिनों तक हमारी बायीं तरफ बैठने वाले लोग देश की सत्ता पर बैठे हैं। हमें इसकी पीड़ा नहीं है कि आप ज्यादा दिनों तक सत्ता में हैं, लेकिन एक परेशानी हमें जरूर है कि आजादी के इतने दिन होने के बाद भी आज इस देश में गरीबों की हालत क्या है? गरीबों की बेहतरी और विकास के लिए जो बुनियादी काम होने चाहिए थे, वे नहीं हो पाए हैं। आज किसानों के ऋण माफी की बात बहुत जोर-शोर से उठायी गयी है। महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि किसान ऋण के नाम पर ढिंढोरा तो पीटा गया, लेकिन उन गरीबों का क्या होगा जो ईमानदार थे, अनुशासन में थे, जिनके अंदर डर था। जो गरीब थे, दस्तकार थे, छोटे-छोटे किसान थे, जिन्होंने 10 हजार, 20 हजार, 40 हजार, 50 हजार ऋण लिया था, जिनकी नीयत अपने ऋण और अपने देश के प्रति साफ थी, उन बेचारों को डर था कि कहीं आर.सी. मेरे खिलाफ न हो जाए, कहीं मेरे दरवाजे पर तहसीलदार वसूली करने के लिए न आ जाए, उन्होंने रिकवरी के डर के मारे ऋण समय सीमा के पहले ही चुकता कर दिया। अपना गहना बेच दिया, गिरवी रख दिया और ऋण चुकता कर दिया। उनके लिए क्या किया जाएगा? मैं नहीं कहता हूं कि सारे लोगों की नीयत में खोट हो सकता है। उनमें भी 20-25 परसेंट लोग ईमानदार थे जो अपनी बेबसी के कारण ऋण अदा नहीं कर पाये। उनका ऋण तो आपने माफ कर दिया, लेकिन जिन्होंने समय सीमा के भीतर ऋण अदा कर दिया, उनके लिए जो प्रोत्साहन होना चाहिए, उनके लिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं हुई है।

महोदय, नरेगा की चर्चा हो रही है। हमारे नेताओं ने इस पर कुछ चर्चा की है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 365 दिन का साल होता है, अगर नरेगा के माध्यम से इनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा तो बाकी दिन गरीब बेचारा क्या करेगा। वह 265 दिन क्या करेगा, क्या खाएगा, इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है। महोदय, मैं चाहता हूं कि जो 100 दिन की व्यवस्था की गयी है उसे पूरे साल के लिए किया जाए, चूंकि यही उनका आधार है।

महोदय, जहां तक कुटीर उद्योग का सवाल है, सारे बड़े-बड़े उद्योगों के बारे में तो चर्चा हुई है, लेकिन जो कुटीर उद्योग है, जहां गरीब हैं, दस्तकार हैं, चाहे कुम्हार हों, प्रजापित हों, बुनकर हों, कालीन का उद्योग हो, आज पूरे देश में बुनकर सबसे बड़ी संख्या में रहता है। वह सबसे अधिक तबाही का शिकार है। इनकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। मरकजी सरकार उनको बिजली उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, जिसके कारण बुनकर परेशान हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में, जो कि सत्तापक्ष का दस्तावेज है, उसमें सुधार की जरूरत है।

महोदय, गरीब आदमी कुपोषण के कारण गंभीर रोगों से ग्रस्त है। स्वास्थ्य पर ध्यान न देने के कारण वह गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है। उसके लिए इस अभिभाषण में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं और जानता हूं कि जो आदमी एम्स में अपना इलाज करवाने आता है, उसके पास ठहरने की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

महोदय, आधारभूत सुविधाओं पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है। ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की जा रही है। हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं, इसके बावजूद भी हमें दूसरे राज्यों से बिजली महंगें दामों पर खरीदनी पड़ रही है। इस ओर भी मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं।

महोदय, उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है और यहां हम से पहले दूसरे दलों की सरकार रही है। यहां बीपीएल के लोगों के विकास के लिए कुछ नहीं हो पाया है। इसलिए हमारी सरकार ने बीपीएल लोगों की बेहतरी के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए सूची भेजी थी। अन्य राज्यों ने भी सूची भेजी है। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में उनकी संख्या बढ़ाने पर कोई चर्चा नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बीपीएल लोगों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

महोदय, हम लोग महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं। लेकिन जब तक इस देश में आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी खत्म नहीं होगी, तब तक विवादास्पद बिल को संसद में लाना, इस देश के साथ बेइमानी होगी। सभी महिला बिल की बात करते हैं। हम इसके विरोध में नहीं हैं, हम भी समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन संविधान में पिछड़ों और दलितों को जो अधिकार मिला है, वह उन्हें मिलना चाहिए। उसके बाद हम आपके साथ हैं।

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने महिलाओं की बेहतरी के लिए कार्य किए हैं। गरीब आदमी अपनी गरीबी के कारण कन्या को पढ़ा नहीं पाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती ने गरीब की बेटी के लिए चाहे वह किसी जाति अथवा वर्ग से संबंधित हो, उनकी पढ़ाई के लिए 25 हजार रुपये दो किश्तों में देने की व्यवस्था की है। इसके अलावा उन्हें साइकिल दी जा रही है।

महोदय, हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि पैदा होने से पहले ही मां के पेट में पलने वाले बच्चे के बारे में यह पता लग जाता है कि वह बेटा है अथवा बेटी। यदि बेटी होती है तो उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है क्योंकि गरीब उसको पालने और पढ़ाने-लिखाने की व्यवस्था नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में 15 जनवरी, 2009 के बाद जो भी कन्या गरीब के घर पैदा होगी, उसकी शादी और पढ़ाई के लिए एक लाख रुपए के चैक की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उसने ऐसा पहली बार किया है।

महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए, आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस देश में इतने वर्षों की आजादी के बाद भी जो लोग आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी के शिकार हैं, जिन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, उन्हें इंसाफ देने की जरूरत है। मैं इस बात को आज बार-बार कहना चाहता हूं कि आज जो किसान हैं, मजदूर हैं, उन्हें न्याय देने की जरूरत है। इस देश और सदन में पिछले कई वर्षों से महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक उन्हें आरक्षण नहीं मिल पाया है। इस देश में रहने वाला जो गरीब, किसान और मजदूर है, जिसने बिजली का खम्भा नहीं देखा, जिसने कभी रेल के डिब्बे में बैठकर सफर नहीं किया, जिसके घर में आज भी बिजली का बल्ब नहीं जलता है, आजादी के इतने दिनों के बाद आज तक जिसे इंसानी हक नहीं मिला है, जिसे इंसान कहने का हक नहीं मिल पाया है, उनके लिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस बात का समावेश राष्ट्रपति जी को अपने अभिभाषण में करना चाहिए था कि देश में सबसे पहले इंसान और इंसानियत की बहाली हो। अगर हम इस देश की तरक्की चाहते हैं, तो सबसे पहले सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी को खत्म करना होगा।

महोदय, हम लोग पिछड़े इलाके में रहने वाले पिछड़े और गरीब लोग हैं। आज भी देश में ऐसे तमाम इलाके हैं जहां मुसहर जाति के लोग रहते हैं और गांवों में पत्तल बनाने का काम करते हैं। जो पत्तल मुसहर का बेटा बनाता है, उस पत्तल पर बड़े-बड़े समारोहों में बड़े-बड़े लोग खाना खाते हैं, लेकिन मुसहर जाति का वह व्यक्ति जो पत्तल बनाता है, वह हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता है। समाज के लोग खाना खाने के बाद जिस झूठी रोटी को फेंक देते हैं, उस रोटी को लेने के लिए कुत्ता दौड़ता है और उसी रोटी को लेने के लिए मुसहर का बेटा भी दौड़ता है। इस प्रकार देखें, तो इंसान और जानवर में फर्क क्या है? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि देश में सबसे पहले इंसानियत को बहाल करने के लिए हमें काम करना होगा।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि वक्त की कमी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपका भी हमने सर्वसम्मति से चुनाव किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि आजादी के 61 सालों में जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है और जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए काम हो। हम अध्यक्ष महोदय को बधाई दे चुके हैं। मैं आज आपको भी बधाई देना चाहता हूं। आप जिस समाज से आते हैं, वह पिछड़ा समाज है। देश के सारे लोगों ने संविधान की कसम खाई है कि संविधान के अनुसार इस देश को चलाने का काम करेंगे, लेकिन आजादी के इतने दिनों के बाद भी संविधान में जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसे हम प्राप्त नहीं कर सके हैं। उस ओर पग तो उठाए गए, लेकिन हमें अपने मौलिक अधिकारों से अभी तक वंचित रखा गया है। मुझे विश्वास है कि आप जब इस आसन पर मौजूद हैं, अब वंचितों को अपने अधिकार मिलेंगे। इस देश में इतने वर्षों से संविधान में जो हमारे अधिकार दिए गए हैं, जो एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का कोटा दिया गया है, वह आज तक पूरा नहीं हो पाया है। मैं समझता हूं कि इस कोटे को पूरा करने में आप पहल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत और अभिनन्दन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री सुदीप बंदोपाध्याय।

**श्री इन्दर सिंह नामधारी** (चतरा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**उपाध्यक्ष महोदय:** बंदोपाध्याय जी, आप एक मिनट बैठिए।

बताइए आपका, व्यवस्था का क्या प्रश्न है।

**श्री इन्दर सिंह नामधारी:** उपाध्यक्ष महोदय, ट्रैजरी बैंचेच की प्रथम बैंच पूरी तरह खाली है। कोई भी मंत्री उपस्थित नहीं हैं। विधान सभाओं में ऐसी परम्परा है कि सामने वाली बैंच पर कोई न कोई मंत्री अवश्य उपस्थित रहे।

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ( डा. फारूख अब्दुल्ला ):** क्या मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं। मैं यहां अपनी सीट पर बैठा हूं।

*[अनुवाद]*

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ( श्री ए. राजा ):** मैं भी यहीं बैठा हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री इन्दर सिंह नामधारी:** ठीक है। आप बैठे हैं। चूंकि विधानसभाओं में ऐसी परम्परा है, इसलिए मैंने व्यवस्था का प्रश्न

उठाया है। लोक सभा की परम्परा मुझे नहीं मालूम, लेकिन विधान सभाओं में ऐसी परम्परा है कि जो सामने का बैंच होता है, वह खाली न रहे।

**संसदीय कार्य मंत्री ( श्री पवन कुमार बंसल ):** यहां सभी मंत्रियों की अपनी-अपनी सीटें होती हैं जिन पर वे बैठते हैं। यह जरूरी नहीं कि वे अपनी सीट से उठकर यहां सामने की बैंच पर ही आकर बैठें। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री सुदीप बंदोपाध्याय** (कोलकाता उत्तर): महोदय, मैं डा. गिरिजा व्यास द्वारा प्रस्तुत और श्री पी.सी. चाको द्वारा समर्थित राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं।

हम माननीया राष्ट्रपति जी के प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने अपने अभिभाषण के आरंभ में पैरा 4 में ही उस चक्रवात के बारे में चिंता व्यक्त की जो मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में आया था और जिससे कई लाख लोगों के जान-माल की क्षति हुई थी। इस विनाशकारी चक्रवात जिसका नाम 'आईला' था, ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया तथा गोसाबा, बसंती, पाकर प्रतिमा के प्रखंड पूरी तरह बरबाद हो गए।

नामखाना, काकदीप और कुछ अन्य क्षेत्र इसके आंशिक रूप से प्रभावित रहे। उत्तरी 24 परगना तथा पूर्वी मिदनापुर जिले बुरी तरह प्रभावित रहे। वे जलमग्न हो गए। शुरू में राहत कार्य बहुत असंतोषजनक रहा। शमीमा बेगम के नेतृत्व में केवल दक्षिण 24 परगना जिला परिषद ने राहत कार्य शुरू किया। आज भी एक दैनिक, 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में कुमारबारी के एक निवासी शुबल मैती ने बताया:

> ''हमारा सब बर्वाद कुछ हो गया है। शुरू के कुछ दिनों तक हमारे पास खाने-पीने के लिए कुछ भी नहीं था। अब लोग राहत प्रदान कर रहे हैं और हमें कुछ मुट्ठी भर अनाज और मुरमुरा मिल रहा है। लेकिन हमें खाने कि इच्छा नहीं होती है। जीवन खो देने के भय ने हमें ऐसा बना दिया है।''

यही सच्चाई है। हमारी माननीया रेल मंत्री कुमारी ममता बनर्जी ने माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी के साथ परामर्श करके उन प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य के लिए सेना को लगाया है। रेल मंत्रालय की ओर से बहुत सारी राहत सामग्री जैसे 'बेबी फूड', धोती, साड़ी, पीने का पानी आदि लेकर वह स्वयं उन जगहों पर गईं। यह राज्य सरकार की घोर विफलता है। राज्य सरकार न तो उन जगहों तक पहुंच सकी है और न ही उन प्रभावित क्षेत्रों में अत्यंत आवश्यक पेयजल पहुंचा पाई है। महोदय, हम प्रस्ताव करते हैं कि राहत केन्द्र चलाया जाना चाहिए। सुव्यवस्थित राहत केन्द्र ही समुचित राहत प्रदान कर सकते हैं। छह केन्द्रीय मंत्री इन प्रभावित व्यक्तियों हेतु सभी प्रकार के सहयोग और मदद सहित विभिन्न प्रकार की राहत सामग्री के साथ इन जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में जा रहे हैं।

महोदय, मुझे भीषण चक्रवात 'आइला' के मद्देनजर एनसीआरएफ से पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सहायता हेतु दिनांक 25 मई के ज्ञापन के नाम पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजे गए ज्ञापन की एक प्रति प्राप्त हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह कहते हुए केन्द्र सरकार से राहत की मांग की है कि कम से कम 1000 करोड़ रुपये की राशि की तत्काल आवश्यकता है। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। 1000 करोड़ रुपये की राशि कोई मजाक नहीं है। मुझे नहीं पता कि केन्द्रीय कोटे से कितनी राशि आबंटित की जाएगी। भारत सरकार का एक राहत दल पहले ही वहां पहुंच चुका है। परंतु खर्चे की समुचित निगरानी होनी चाहिए। इस समय केन्द्र सरकार से राशि मांगने के प्रयास को पूरी प्राथमिकता और महत्व के साथ ध्यान में रखा जाना चाहिए।

महोदय, यह संसद है जहां कम-से-कम 302 नए सदस्य तथा 58 महिला सदस्य निर्वाचित हुए हैं। अत: इस बात का ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। हम यह महसूस करते हैं कि यदि वरिष्ठ सदस्यों के अनुभव और युवा सदस्यों की ऊर्जा का मेल हो जाए, तो भारत को आशा की नई किरण दिखाई दे सकती है। विधान सभा अथवा संसद के लिए सात बार निर्वाचित होने के पश्चात् मेरा यह अनुमान है कि कम-से-कम बातें होनी चाहिएं। एक तो कल्पना, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है; दूसरी दूरदृष्टि; और तीसरी प्रबंधकीय कुशलता। यदि ये तीनों बातें एक साथ जुड़ जाएं, तो सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बड़े सुचारू ढंग से चल सकती है और यह दृष्टिकोण इस देश की जनता के कल्याण में प्रतिबिंबित हो सकता है।

माननीया राष्ट्रपति द्वारा 25-सूत्री कार्यसूची (एजेंडा) की घोषणा की गई है। कार्यसूची में शामिल सभी मदें सहज रूप से जन-हितैषी हैं। कार्यसूची में सम्मिलित मदें सुव्यवस्थित हैं। सौ की गई कार्रवाई कार्यक्रम भी विकास को नई दिशा प्रदान करेंगे। हमारी भावनाओं और विचारों का सरकार की कार्यसूची में उल्लिखित मुद्दों में समर्थन किया गया है और हम माननीया राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण से पूर्णत: सहमत हैं।

महोदय, जहां तक भूमि अर्जन अधिनियम का संबंध है तो हमारे अब भी अपने विचार हैं। भूमि अर्जन अधिनियम वर्ष 1896

में ब्रिटिश शासन काल में पारित किया गया था और पश्चिम बंगाल ने इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का प्रयोग कर गरीब किसानों की भूमि जबर्दस्ती छीनना शुरू कर दिया है और इसके लिए पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और सिंगुर जैसे स्थानों पर लोगों की हत्या भी की है। हमारा यह दृढ़ विचार है कि संसद में पुन: पुर:स्थापित किए जाने वाले भूमि अर्जन विधेयक को नए सिरे से सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। किसानों की भूमि को जबर्दस्ती लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का यही विचार और मत है। हम भी लाभ अर्जित करने वाले सरकारी उपक्रमों में विनिवेश का समर्थन नहीं करते हैं। हम बैंकों और बीमा क्षेत्र में विनिवेश की नीति का समर्थन नहीं करते हैं।

महोदय, अगला मुद्दा जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, वह सच्चर समिति की रिपोर्ट के बारे में है। इस समिति की सिफारिशों से अत्यंत प्रभावित अल्पसंख्यकों संबंधी सुधार कार्य को एक नई दिशा मिली है। उनकी समस्याओं का रिपोर्ट में अच्छी तरह उल्लेख किया गया है। हम इस पर चर्चा के लिए अपने विचार रखना चाहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिमों की शैक्षिक स्थिति बदतर है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियों के लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाकर 35 लाख किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक का अर्थ केवल मुस्लिम समुदाय नहीं बल्कि इसमें सिख, बुद्ध, जैन और विभिन्न अन्य समुदायों के लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। हमारा सुझाव है कि अनुसंधान, प्रबंधन और चिकित्सा विज्ञान तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को भी दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, एनएमडीएफसी के नाम से ज्ञात राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त विभाग हेतु आबंटन में वृद्धि की जानी चाहिए। मुस्लिम ओबीसी छात्रों को सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार ओबीसी कोटे में समुचित हिस्सा दिया जाना चाहिए। हमारा यह भी मानना है कि मुस्लिम महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण में बराबर हिस्सा दिया जाना आवश्यक हो गया है।

महोदय, माननीया राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार द्वारा गंगा नदी के विकास और सौंदर्यीकरण के बारे में एक बहुत अच्छा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। हम अत्यंत गर्व के साथ कह सकते हैं कि:

*[हिन्दी]*

''हमारे देश का एक गीत भी है— ''हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है।''

*[अनुवाद]*

अत: गंगा नदी के तटों के विकास और सौंदर्यीकरण से न केवल यह उद्देश्य पूरा होगा बल्कि इसमें गंगा को प्रदूषण मुक्त करने में भी सहायता मिलेगी। हम गंगा नदी से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं और महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का दाह संस्कार गंगा तट पर नीमतला नामक घाट पर किया गया। मैं इसी शहर से हूं और इस शहर से संसद सदस्य के रूप में मेरा गंगा नदी के सौंदर्यीकरण से विशेष भावनात्मक जुड़ाव है। मुझे विश्वास है कि गंगा कार्य योजना के माध्यम से गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा आरंभ किए गए विकास और सौंदर्यीकरण की दिशा में समुचित योजना और कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाएगा। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गंगा कार्य योजना के कार्यान्वयन द्वारा गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए उनका दृष्टिकोण और योजना अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी। हमारा दल यह महसूस करता है कि सामाजिक प्रगति और विकास की प्रक्रिया में इस निर्णय को पूरी तरह से केवल तभी कार्यान्वित किया जा सकता है जब सरकार द्वारा घोषित 100 दिनों के रोजगार कार्यक्रम के बारे में कुछ उल्लेख किया जाए। मैं जो बात कहने का प्रयास कर रहा हूं वह यह है कि हर चरण पर इस कार्य संस्कृति को अपनाया जाए।

हमारे सरकारी प्रशासन के प्रत्येक भाग में कार्य संस्कृति का अभाव है। जिसके लिए प्रधानमंत्री को अपने उत्तर में एक आह्वान करना चाहिए कि हर कहीं एक कार्य संस्कृति के साथ किसानों द्वारा अधिक उत्पादन किया जाना चाहिए। यह अपील पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए और इससे हमें नई रोशनी मिलेगी। सरकार के कार्यकरण की पारदर्शिता की प्रत्येक चरण में अत्यावश्यकता है। हमारे पास पहले से ही सूचना का अधिकार अधिनियम है और यदि इसके साथ पारदर्शिता को समुचित रूप से लागू किया जाता है, तो इस देश का प्रत्येक नागरिक यह महसूस कर सकता है कि इसे पूर्ण आशा और समुचित दृष्टिकोण के साथ प्राप्त कर सकता है।

अब मुझे बेरोजगारी की समस्या का उल्लेख करना चाहिए। नि:संदेह भारत का युवा वर्ग व्याकुल है। युवाओं के लिए न तो रोजगार है और न ही रोजगार की सुविधाएं हैं और ना ही उनके पास आजीविका के साधन हैं। युवा पीढ़ी कहां जाएगी? उनके पास 20 से 25 वर्षों से रोजगार कार्यालय के कार्ड हैं, परंतु रोजगार कार्यालयों से पंजीकृत बेरोजगार युवकों के पास एक भी काल लेटर नहीं जा रहा है। अत:, इस मुद्दे पर अति उच्च स्तर और उच्च प्राथमिकता के आधार पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। हमारे देश की स्वतंत्रता के 62 वर्षों के बाद भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोग अब भी भूख से लड़ रहे

[श्री सुदीप बंदोपाध्याय]

हैं। गरीब लोग भूख से लड़ रहे हैं। इस मुद्दे पर अविलंब विचार किए जाने की आवश्यकता है और हमें भारत की माननीया राष्ट्रपति द्वारा सभा के समक्ष सभा पटल पर रखे गए एजेंडे को कार्यान्वित करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहना चाहिए।

मुझे यहां एक और महत्वपूर्ण मुद्दे का भी उल्लेख करना चाहिए। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) एक अति प्रशंसनीय प्रयास है। योजना के अंतर्गत कोलकाता शहर के लिए 3000 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई है परंतु अब तक केवल 1500 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। अत:, मैं कोलकाता शहर के जनप्रतिनिधि के रूप में यह आग्रह करता हूं कि भारत सरकार को सभी राज्य सरकारों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत परियोजनाओं को समुचित रूप से कार्यान्वित करने के निदेश देने चाहिए।

इस मुद्दे के अतिरिक्त, हम भाषण में घोषित उन कुछ निर्णयों की सराहना करते हैं जिनमें आंतरिक सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भावना शासन संबंधी सुधार, अवसंरचना विकास, महिला साक्षरता, राजीव गांधी आवास योजना, ग्रामीण आवास और ग्रामीण अवसंरचना जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं। 26 करोड़ लोगों के लिए सस्ते चावल देने का निर्णय अति प्रशंसनीय है और इससे गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। *...(व्यवधान)* पत्तनों और सड़कों, अल्पसंख्यकों के विकास, गंगा नदी के सौंदर्यीकरण और विकास, खाद्य सुरक्षा और अन्य मुद्दों के लिए और अधिक धनराशि दिए जाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आइए हम सब मिलकर विकास की दिशा में आगे बढ़ें। प्रतिपक्ष के नेता ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन किया है। अत:, आइए हम सब मिलकर विपक्षी दलों से परामर्श करके और उन्हें विश्वास में लेकर नए भारत का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ें।

चुनाव आयोग सुचारू रूप से काम कर रहा है। संशोधन में इसका उल्लेख किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने कहा है कि वे चुनाव आयोग तथा इसके लाखों अधिकारियों को बधाई देती है जिन्होंने बड़ी ही सुगमता और शांतिपूर्ण ढंग से 15वीं लोक सभा का चुनाव सम्पन्न कराया। उन्होंने कहा है: ''जब दूर दराज के एक गांव में एक वृद्ध महिला अपनी अंगुली पर लगी अमिट स्याही को गर्व के साथ दिखाती है तो वह दुनिया को इस बात का अहसास करा रही होती है कि उसमें अपने देश को बदलने की ताकत है।''

इस बार पश्चिम बंगाल में लोग भयमुक्त होकर अपना मतदान करने में सफल रहे हैं। चुनाव आयोग ने मतदान केन्द्र का प्रबंधन वास्तव में उचित रूप से किया था। इसके परिणाम के साथ सी.पी.आई.(एम) पार्टी के सदस्यों की संख्या घटकर नौ रह गई है? जबकि तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है, और इसे सीधे 19 सीटों का फायदा हुआ है, और एक सीट एस.यू.सी.आई. को गयी है जिसने तृणमूल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। ये बातें बहुत पहले हो सकती थीं। हमें चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने मतदान केन्द्रों का प्रबंधन उचित और अच्छे ढंग से किया।

सी.पी.आई.(एम) पार्टी राज्य में चुनाव हार जाने के बाद अपने राजनीतिक विरोधियों को आतंकित कर रही है क्योंकि राज्य में 2011 में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य-प्रायोजित आतंक अभी भी जारी है। इस चुनाव के सम्पन्न हो जाने के बाद से अब तक तृणमूल कांग्रेस के 30 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गयी है। इसलिए, हम केन्द्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा यह सुनिश्चित करने की मांग करते हैं कि यह हार तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए आतंक और अत्याचार का कारण न बन जाए। हमारी नेता कुमारी ममता बनर्जी इस समय कोलकाता में है क्योंकि उनको लगता है कि केवल उनकी उपस्थिति ही इन लोगों की जान बचा सकती है।

अंत में, मैं इस देश के आम लोगों से अपील करता हूं कि वे इस बात का ध्यान रखें कि ये प्रस्ताव जिनकी घोषणा की गई है, प्रस्ताव किया गया है, पूरे हों। हम धर्मनिरपेक्षता, साम्प्रदायिक सद्भाव और देश की एकता के सिद्धांत के दृढ़ समर्थक हैं। हमें विश्वास है कि यह सरकार धर्म निरपेक्षता, साम्प्रदायिक सद्भाव और देश की एकता के सिद्धांत को बनाए रखने के प्रति अपनी वचनबद्धता को निभाएगी।

हम भारत के लिए एक बेहतर भविष्य की आशा करते हैं। जनादेश निश्चित रूप से सुशासन, स्थायित्व और अच्छे निष्पादन के लिए है। प्रत्येक सरकार को अपनी जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। प्रत्येक सरकार, प्रत्येक विभाग को लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

हम प्रस्ताव करते हैं कि एक जन शिकायत प्रकोष्ठ शीघ्र शुरू किया जाए। इस विशाल देश के लोगों को यह पता ही नहीं है कि कहां, कैसे आवेदन करना है और अपनी शिकायतें विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न विभागों में कैसे भेजनी हैं। इन मुद्दों पर प्राथमिकता से विचार किया जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है।

जब सभी दल इस अभिभाषण का समर्थन करते हैं तो तृणमूल कांग्रेस को भी इस अभिभाषण का समर्थन करने पर कोई संकोच नहीं है। हम सच्चे दिल से इसका समर्थन करते हैं। लेकिन हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह पश्चिम बंगाल की स्थिति पर

सतर्क नजर रखे। केन्द्र सरकार सामग्री को सीधे जिला मैजिस्ट्रेट को क्यों नहीं भेज रही है, सीधे प्रधानमंत्री से जिला मैजिस्ट्रेट को भेजे, इसके बीच में मुख्यमंत्री को न लाए? इससे पश्चिम बंगाल के निर्धनतम तथा प्रभावित परिवारों को मदद मिलेगी।

'आइला' चक्रवात के बाद बैराज तथा 80 कि.मी. से ज्यादा सड़क बरबाद हो गई है। सी.पी.आई.(एम) 32 साल से ज्यादा समय से पश्चिम बंगाल पर शासन कर रही है। लेकिन बाढ़ जैसी घटनाएं अभी भी हो रही हैं। लोग केवल पीने का पानी मांग रहे हैं। वस्तुतः, राज्य की स्थिति में थोड़ा बदलाव आया है।

*[हिन्दी]*

हम लोग आशा करते हैं कि वर्ष 2011 में यह स्थिति बदल जायेगी। वर्ष 2011 में हम लोग जरूर यह कोशिश करेंगे कि 32 साल में बंगाल की सरकार के शासन में उस राज्य की स्थिति जहां तक पहुंची है, बंगाल में जिस तरह अव्यवस्था की स्थिति पहुंचायी गई है, इस बार हम लोगों ने चुनाव जीतकर यह संभव कर दिया है, क्योंकि यदि निर्वाचन और चुनाव ठीक तरह से होते, तो इस सरकार को हम दस साल पहले हटा सकते थे, लेकिन यह नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हम एक दिशा देखते हैं कि देश जरूर आगे बढ़ेगा। हम लोग एक समय निर्धारित क्रमसूची के ऊपर निर्भर करके आगे बढ़ेंगे, आगे जायेंगे। हम लोग यह भरोसा करते हैं कि प्रेजीडैंट की स्पीच में जो एजेंडा दिया गया है, उस एजेंडे को सक्सेसफुली इम्प्लीमैंट करने के लिए हम लोगों का पूरा समर्थन इस सरकार के साथ है। हम लोग इस सरकार के साथ हैं और यूपीए की सैकिंड लार्जेस्ट पार्टी की हैसियत से हम लोगों की जो-जो रिस्पोंसबिलिटीज हैं, हम उन्हें जरूर निभायेंगे।

*[अनुवाद]*

**श्री टी.के.एस. इलेंगोवन** (चेन्नई उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं द्रमुक दल और अपने नेता डा. कलाईगनार एम. करुणानिधि की ओर से डा. गिरिजा व्यास द्वारा प्रस्तुत और श्री पी.सी. चाको द्वारा समर्थित और महामहिम भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

मैं इस अवसर पर मेरे नेता तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. कलाईगनार एम. करुणानिधि को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने तमिलनाडु के लोगों तथा इस महान राष्ट्र की सेवा का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं अपने चुनाव क्षेत्र तथा तमिलनाडु के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे चुनकर सेवा करने का अवसर दिया।

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समावेशन के प्रति अपनी सरकार की वचनबद्धता सुनिश्चित करती हैं तथा अलगाववादी और असहिष्णु ताकतों से नकारती है।

मुझे खुशी है कि उनके अभिभाषण में सभी सीमाओं से उपर जाकर सर्वांगीण विकास का एक निश्चित लक्ष्य है। मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. कलाईगनार एम. करुणानिधि उन कार्यक्रमों के प्रवर्तक हैं जिन्हें महामहिम राष्ट्रपति की सरकार शुरू करने का प्रस्ताव करती है, विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना गांवों में बिजली और सड़क की जैसी मूलभूत अवसंरचनाएं, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण, ग्रामीण आवास और महिलाओं के लिए आर्थिक स्वावलम्बन। हमारे नेता ने तमिलनाडु में एक योजना शुरू की है। जिसमें एक लड़की अपनी स्कूली शिक्षा से स्नातकोत्तर तक शिक्षा सरकारी संस्थानों में निःशुल्क पा सकती है। यहां तक हमारे नेता कलाईगनार द्वारा 1 रुपये प्रति किलो चावल वाली योजना भी पिछले तीन सालों से तमिलनाडु में क्रियान्वित की जा रही हैं जो महामहिम द्वारा यथा घोषित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 3 रुपये प्रति किलो चावल की योजना की पूर्व सूचना है।

महोदय, महामहिम के इस अभिभाषण को भावी योजनाओं की व्यापक रूपरेखा समझा जाना चाहिए। समावेशी विकास, समान विकास एक धर्म निरपेक्ष और बहुलवादी भारत वह मंच होना चाहिए जिस पर सरकार भविष्य में काम करे।

महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने अपने भाषण के दौरान भारतीय राजनीति में दो ध्रुवों के बारे में कहा था। सामान्य रूप में इस पर चर्चा भी हुई थी कि क्या भारतीय राजनीति दो-दलीय है या बहु-दलीय है। चाहे यह दो-दलीय हो या बहु-दलीय हो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति अब संप्रग, राजग और वाम दलों की राजनीति है। कोई एक दल नहीं है बल्कि दलों का संगठन है जिसके कारण इस समय एक स्थायी सरकार बनी और विभिन्न राज्यों में चतुर्दिक विकास संभव हो सका है।

महोदय, हाल ही में सम्पन्न आम चुनाव में तीन महत्वपूर्ण गठबंधनों ने अपने-अपने उम्मीदवार खड़े किए। सामान्यतः प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन पिछले चुनाव में मीडिया चुनाव से अलग रहते हुए चौथा मोर्चा बन गया है। उसके अपने सिद्धांत और अपनी योजनाएं हैं।

जब चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव पूर्व सर्वेक्षण से मना कर दिया तो उन्होंने अपनी मर्जी से सूची निकाली जिसे मतदान सर्वेक्षण समझा गया उन्होंने अपने आंकड़े दिए, उन्होंने स्वेच्छा से

[श्री टी.के.एस. इलेंगोवन]

बनायी हुई सूची पर चर्चा शुरू की और उन्होंने चुनाव बाद संभावित गठबंधनों और संभावित मंत्रालयों पर भी चर्चा की। लेकिन अंततः लोगों ने उन दलों को चुना जिनका कार्य निष्पादन अच्छा था। लोगों ने उन दलों को चुना है जिन्होंने काम किया है।

विशेषकर, तमिलनाडु में मीडिया ने लोकतांत्रिक प्रगतिशील गठबंधन (डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव एलाएन्स) जिसमें द्रमुक और कांग्रेस है, को हारते हुए दिखाया था। मीडिया ने भविष्यवाणी की कि केन्द्र में मंत्रालयों के बंटवारे में ए.आई.ए.डी.एम.के. बड़ा दल होगा। लेकिन हमारे नेता कलाईगनार की नेतृत्व वाली सरकार के चमत्कारिक निष्पादन तथा भारत सरकार द्वारा राज्य में शुरू की गई विभिन्न अवसंरचना विकास योजनाओं का तमिलनाडु की जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित अनेक अच्छी घोषणाओं के बावजूद तमिलनाडु राज्य और तमिलनाडु के लोग उपेक्षित महसूस करते हैं। विशेष रूप से तमिलनाडु के लोग लंबे समय से संजोए गए सपने सेतु समुद्रम परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु कदम उठाने का अभिभाषण में वादा न करने के कारण अप्रसन्न हैं। यद्यपि मैं नास्तिक हूं, तथापि हमारे राज्य में करोड़ों लोगों की राम में आस्था है। आप जानते हैं, बारहवीं सूची में कवि कंवर द्वारा लिखित रामायण को हमारे राज्य में तमिल में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला साहित्य है की राम में पूर्ण आस्था है, उनका विश्वास है कि राम उनका भला करेंगे। वे इन लोगों पर समृद्धि की वर्षा करेंगे। परंतु यह योजना सेतुसमुद्रम परियोजना तमिलों पर निश्चित रूप से समृद्धि की वर्षा करेगी। यदि यह परियोजना पूरी नहीं होती है तो राम के भक्त बुरा मानेंगे। इस चालू योजना को रोकने के निहित स्वार्थ हैं।

इस वर्ष 5 जून को दैनिक 'हिन्दू' के चैन्नई संस्करण ने योजना के एक विरोधी का बयान प्रकाशित किया। इस बयान के अनुसार ऐसे कतिपय तकनीकी अध्ययन हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए था परंतु उनका पालन नहीं किया गया। परंतु ये सारे उनके निहित स्वार्थ हैं। ये एक प्रयोजन के अनुसार कार्य करते हैं। ये नहीं चाहते की योजना चले। इस योजना को रोकने से उन्हें लाभ होगा। अतः, भारत सरकार को तमिलनाडु के लोगों को आश्वासन देना चाहिए कि यह योजना निश्चित रूप से चलेगी और पूरी होगी।

हमारे विरोधी दल ए.आई.ए.डी.एम.के. ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि वह सेतु समुद्रम परियोजना को रोक देगा। परंतु जनता का निर्णय उसके विरुद्ध है। जनता ने हमारा समर्थन किया है। जनता का समर्थन, जनादेश से सेतु समुद्रम परियोजना को पूरा किया जाएगा। अतः सरकार को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि यह परियोजना चलती रहे और निर्धारित समय में पूरी हो। सरकार को परियोजना को पूरा करने हेतु तत्काल कदम उठाने चाहिए।

महोदय, अगला मुद्दा यह है। विश्व के इतिहास के पिछले सौ वर्षों में सभ्यता का विकास हुआ है। इस दौरान अनेक देशों ने लोकतंत्र अपनाया और राजशाही एक या दो देशों में सिमट कर रह गई है। परंतु इसके बावजूद, विश्व के हर भाग में आतंकवाद है। विश्व के देशों की सरकारें आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठा रही हैं। महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस मुद्दे का उल्लेख है और आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता है। परंतु हम राज्य प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध क्या करेंगे? 1940 के दशक में हिटलर की जर्मनी में हजारों, लाखों यहूदी मारे गए थे। विश्व के देशों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया था। विश्व के देशों ने हिटलर की कार्रवाई की निंदा की थी। अंततः, हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी। परंतु साठ वर्षों बाद जब श्रीलंका में नोजार जोन में श्रीलंकाई सेना दल श्रीलंका में हजारों तमिल लोग मारे गए थे— तो हमें क्या हुआ?

विश्व इसे देख रहा था। विश्व ने इसकी निंदा नहीं की है। सभ्यता का क्या हुआ? सभ्यता एक विकासशील प्रक्रिया है; 60 वर्षों पूर्व सभ्यता ने हिटलर को यहूदियों को मारने की अनुमति नहीं दी। परंतु अब श्रीलंका में 'नो फायर जोन' में तमिल लोगों को मारा गया और विश्व इसे देख रहा था और विशेषकर हम उनके निकटतम पड़ोसी जो अनेकता में एकता, विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों को समानता के अधिकार प्रदान करने की शेखी बघारते हैं, इस घटना को देख रहे थे। हमने श्रीलंका सरकार की कड़ी निंदा की है और हमने श्रीलंका में निर्दोष तमिल लोगों के मारे जाने से रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाए हैं। अब कम से कम, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उन तमिल लोगों के पुनर्वास हेतु हर संभव सहायता प्रदान करे जो श्रीलंका सेना के हमले में अपने घर-मकान और अन्य संपत्तियां खो चुके हैं और बेसहारा हो चुके हैं।

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक और मुद्दे का उल्लेख नहीं किया गया जो कि देश के विकास हेतु अति महत्वपूर्ण है और वह राष्ट्रीय नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 62 वर्षों बाद भी हमारे देश में जल प्रबंधन की स्थिति निराशाजनक है। इसलिए देश में गांवों के लाखों लोगों के लिए पेयजल उपलब्ध नहीं है और हम कृषि के क्षेत्र में इष्टतम उत्पादकता स्तर तक नहीं पहुंच सके। अतः, सरकार को नदियों को आपस में जोड़ने के लिए शीघ्र ही योजना बनानी चाहिए। डा. कलाईगनार इस मामले में सबसे आगे हैं और गत वर्ष बजट में उन्होंने तमिलनाडु की नदियों को जोड़ने के लिए 300 करोड़

रुपये आबंटित किए थे। अत: हम उनसे यह सीख ले सकते हैं और सरकार को सभी राष्ट्रीय नदियों को जोड़ने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रभावी जन सेवाओं हेतु शासन में सुधार के बारे में उल्लेख है। विकेंद्रीकरण उन अनेक उपायों में से एक उपाय है जिसकी महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इस लक्ष्य की दिशा में पहचान की गई है। मैं सरकार का ध्यान अपने नेता डा. कलाईगनार द्वारा दिनांक 3 जून 2009 को अपने 86वें जन्म दिवस पर दिए गए संदेश की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा। अपने संदेश में उन्होंने राज्य की स्वायत्तता के लिए कार्य करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अत: सरकार को संविधान में संशोधन करने और प्रभावी प्रशासन के हित में राज्य सरकारों को और अधिक शक्तियां देने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस संबंध में कई आयोगों का गठन किया गया था और भारत सरकार को पहले ही रिपोर्टें प्रस्तुत की जा चुकी हैं। परंतु सरकार द्वारा कोई रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गई। अत:, राज्यों को और अधिक शक्तियां देने पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाना चाहिए और राज्यों को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए।

मैं समाप्त करने से पूर्व डा. गिरिजा व्यास द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का अपने दल द्रमुक की ओर से पुन: समर्थन करता हूं।

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

महोदय, प्रतिपक्ष के नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते समय हमारे देश की जनता द्वारा 15वीं लोक सभा चुनाव में दिए गए जनादेश का इस प्रकार वर्णन करने का प्रयास कर रहे थे कि मानो यह जनादेश द्वि-दलीय प्रणाली के लिए है। यह जनादेश द्वि-दलीय प्रणाली के लिए नहीं है जिसके लिए भाजपा लंबे समय से शोर मचा रही है। 15वीं लोक सभा के चुनाव में जनता का निर्णय बहुदलीय प्रणाली के लिए है। कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्राप्त मतों का प्रतिशत एक साथ मिलाकर 49 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। निर्णय हमारे देश में बहुदलीय प्रणाली के पक्ष में है।

महोदय, मैं राष्ट्रपति जी का पश्चिम बंगाल राज्य में आए विनाशकारी और (अभूतपूर्व) चक्रवात आइला के बारे में उल्लेख करने पर आभारी हूं। मैं राष्ट्रपति जी द्वारा कही गई पंक्तियों को उद्धृत करता हूं:

> ''पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल राज्य में चक्रवात के कारण जान-माल का काफी नुकसान हुआ है। आइए, हम शोक संतप्त परिवारों के लिए अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करें। मेरी सरकार पश्चिम बंगाल की चक्रवात से पीड़ित जनता को हर संभव राहत मुहैया कराएगी।''

महोदय, दिनांक 4 जून को प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या 67.5 लाख पहुंच गई है; मृतकों की कुल संख्या 137; पूर्णत: और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या नौ लाख को पार कर गई है, प्रभावित फसल क्षेत्र 2.8 लाख हेक्टेयर से अधिक है; और तटबंध के दरारों की लंबाई बढ़कर 500 कि.मी. से अधिक हो गई है। यह राष्ट्रीय स्तर की प्राकृतिक आपदा है। राज्य सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों को राहत और सहायता प्रदान करते हुए राहत और पुनर्वास के लिए अब तक 134 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

महोदय, दिनांक 4 जून तक मेवे सहित 3900 मी.ट. राहत सामग्री का वितरण किया गया था। जिलों में लगभग चार लाख तिरपाल, बच्चों के लगभग 1.2 लाख वस्त्र और लगभग 80,000 साड़ियां और धोती वितरित की गई हैं। राज्य सरकार के लगभग 398 चिकित्सा दल और सेना के 10 चिकित्सा दल दिन रात कार्य कर रहे हैं। ईएसआई के लगभग 26 चिकित्सा दल कार्यरत हैं। 66 लाख से अधिक हैलोजन टैब्लेट भेजे गए हैं तथा एक-एक लीटर की पानी की 13 लाख थैलियां वितरित की गई हैं। लगभग 729 पानी के टैंकर और पांच सचल जल शुद्धिकरण इकाइयां चालू हो चुकी हैं। लगभग 199 ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं की मरम्मत की गई है। लगभग 8,900 'ट्यूबवैल' निसंक्रमित किए गए हैं।

राज्य सरकार ने कम से कम एक सप्ताह पूर्व एक ज्ञापन दिया था। अब केन्द्रीय दल दो जिलों का दौरा कर रहा है क्योंकि चार जिले प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं और राज्य सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी है। यह 'एनसीसीएफ' के मानकों के अनुसार है।

महोदय, इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि यह चक्रवात अभूतपूर्व है। इस राज्य ने ऐसी बर्बादी कभी नहीं देखी। इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। अब तक केन्द्र ने 100 करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया है। मैं नहीं जानता कि यह राशि राज्य तक पहुंची है अथवा नहीं। यदि यह नहीं पहुंची है तो यह तुरंत भेजी जानी चाहिए।

राष्ट्रपति जी ने एक विधेयक सांप्रदायिक हिंसा विधेयक का जिक्र किया था जो गत पांच वर्ष से लंबित है। प्रथम संप्रग सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में यह प्रतिबद्धता की गई थी कि यह सरकार सांप्रदायिक हिंसा रोकने के संबंध में कानून लाएगी। राष्ट्रपति जी ने आश्वासन दिया है कि यह विधेयक सभा के समक्ष लाया जाएगा और यह कानून अधिनियमित किया जाएगा।

**अपराह्न 2.00 बजे**

लेकिन बात यह है। यह विधेयक पिछले पांच वर्ष से लंबित क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण का प्रयास है। अधिनियम में विशेष प्रावधान है, यदि इस कानून को अधिनियमित और क्रियान्वित किया जाता है तो राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण होगा। इसलिए कानून को सभा के समक्ष लाने से पूर्व संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए कानून अधिनियमित हों, लेकिन राज्यों के अधिकारों के अतिक्रमण के संबंध में ध्यान रखा जाना चाहिए।

केन्द्र-राज्य संबंधों में परिवर्तन की मांग हो रही है। पहले भी ऐसे प्रयास हुए हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ। अभी 'डीएमके' के सदस्य ने कहा है कि तमिलनाडु में 'डीएमके' ज्यादा स्वायत्तता की मांग कर रहा है। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में केन्द्र-राज्य संबंधों का कोई जिक्र नहीं है। काफी समय पूर्व एक आयोग-सरकारिया आयोग- का गठन किया गया था। इसकी सिफारिशें अभी क्रियान्वित नहीं की गई हैं। हमें बताया गया है कि केन्द्र-राज्य संबंधों की जांच के लिए एक और आयोग गठित किया जाएगा। हमारे संघीय ढांचे को और मजबूत करने के लिए राज्यों को और शक्तियां दी जाएंगी। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है। यह मांग हो रही है। एकत्रित राजस्व में राज्य का हिस्सा 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चहिए। बिहार के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं- मैंने समाचार-पत्र में देखा है- कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाएं राज्य सरकार को हस्तांतरित होनी चाहिएं। प्रथम संप्रग सरकार ने यह आश्वासन दिया था; उसके न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी यह कहा गया था कि केन्द्र प्रायोजित योजनाएं निधियों समेत राज्य सरकारों को हस्तांतरित की जानी चाहिएं। इसलिए राज्य सरकारों को और शक्तियां दिए जाने की आवश्यकता है।

विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो कुछ कहा गया है वह उसकी पुनरावृत्ति है जो पांच वर्ष पूर्व कहा गया ता। आपको लगभग सभी कार्यक्रम न्यूनतम साझा कार्यक्रम में मिल जाएंगे। लेकिन इन सभी कार्यक्रमों का क्या हश्र हुआ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में निम्नलिखित कहा गया था:

> ''संप्रग ग्रामीण अवसंरचना के विकास और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान देगा, जिसमें सड़क, सिंचाई, विद्युतीकरण, शीतागार और विपणन केन्द्र शामिल हैं। सभी मौजूदा सिंचाई परियोजनाएं तीन-चार वर्ष के अंदर पूरी की जाएंगी। घरेलू विद्युतीकरण पांच वर्ष में पूरा किया जाएगा।''

इसका अर्थ यह हुआ कि मार्च 2009 तक घरेलू विद्युतीकरण पूरा हो जाएगा। इन कार्यक्रमों का क्या हश्र हुआ? उद्देश्य यह था कि प्रत्येक गांव को बिजली दी जाएगी; बाकी 1,25,000 गांव 2009 तक पूरे किए जाएंगे।

यह कहा गया था कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 2.3 करोड़ परिवारों को जोड़ा जाएगा। लेकिन, दिसंबर 2008 तक की क्या उपलब्धि है? यह मात्र 17.95 प्रतिशत है। लक्षित ग्रामीण घरेलू विद्युतीकरण के तहत लक्षित गांवों का केवल 52 प्रतिशत विद्युतीकरण हो पाया है।

अब, पुन: यह दोहराया गया है और लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार पांच वर्ष में संप्रग सरकार अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सकी। हम नहीं जानते कि कैसे कुछ लक्ष्यों को 100 दिन में पूरा करना निश्चित किया गया है। विद्युत रहित घरों की वास्तविक संख्या लगभग 4.8 करोड़ है। इसी प्रकार, ग्रामीण सड़कों के संबंध में क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था कि 1000 से अधिक की जनसंख्या वाली प्रत्येक बसावट और पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में 500 से अधिक की जनसंख्या वाली बसावट में सड़क बनाई जाएगी। शेष 66,802 को 2009 तक पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) एक शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है। लेकिन कार्य निष्पादन क्या है? लंबाई के संदर्भ में 55 प्रतिशत और बसावट के संदर्भ में केवल 34 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हुई है।

इसी तरह सिंचाई क्षमता के विस्तार के बारे में भी काफी कुछ कहा गया है। 'एनसीएमपी' में जोर दिया गया है कि सिंचाई को सर्वोच्च निवेश प्राथमिकता मिलेगी और सभी चालू परियोजनाएं निश्चित रूप से निर्धारित समयानुसार पूरी की जाएंगी। लेकिन भारत निर्माण में 2009 तक मात्र 10 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजन की प्रतिबद्धता है जो बुवाई क्षेत्र के 4.5 प्रतिशत को सिंचित करेगा, जो कि अत्यंत कम है। कितना कार्य हुआ है? इतने कम लक्ष्य को भी पूरा नहीं किया गया है। अब तक केवल 5.8 मिलियन हेक्टेयर अथवा आधे लक्ष्य की प्राप्ति हुई है।

अत:, महोदय, कार्यक्रमों का यह हश्र है जो प्रथम संप्रग सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में थे।

इसी प्रकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में काफी कुछ कहा गया है। लेकिन वास्तविकता क्या है? ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो एक अग्रणी कार्यक्रम है, को अपनाया गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि 4,711 उप-केन्द्र 'एएनएम' और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बिना कार्य कर रहे बताए गए हैं। लगभग 68.6 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एक चिकित्सक अथवा बिना चिकित्सक के कार्य कर रहे हैं। 807 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में

चिकित्सक बिलकुल नहीं है। 64.9 प्रतिशत विशेषज्ञ 'सीएसडी' की कमी है। 1,188 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 1,647 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रमशः बिना बिजली आपूर्ति अथवा अनियमित जलापूर्ति के साथ कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पांच वर्ष पूर्व शुरू होने के बावजूद यह स्थिति है। यह अग्रणी कार्यक्रम कहा गया था।

हमारे देश में स्थिति इतनी गंभीर है कि हजारों बच्चे पूर्णतः रोकी जा सकने वाली जल-जनित बीमारियों से मरते हैं और हमारे 56 प्रतिशत बच्चों को कोई टीकाकरण अथवा सुरक्षा नहीं मिलती और 40 प्रतिशत बच्चे कम वजन वाले हैं और 70 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के कारण रक्तक्षीणता के शिकार हैं। सत्तर प्रतिशत लोगों के पास स्वच्छ शौचालय नहीं है और दो-तिहाई लोगों के घरों के नजदीक पेयजल उपलब्ध नहीं है। लगभग दो-तिहाई गर्भवती महिलाएं रक्तक्षीणता से ग्रसित हैं। ये वे माताएं हैं जो भारत के भविष्य को जन्म दे रही हैं। इन सभी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यही कारण है कि 'एनसीएमपी' में यह प्रतिबद्धता की गई है कि पांच वर्ष में स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का दो से तीन प्रतिशत व्यय किया जाएगा। कितना व्यय किया गया है? यह शन्य दशमलव कुछ प्रतिशत से बढ़ाकर 1.05 अथवा 10.6 प्रतिशत कर दिया गया है। पांच वर्षों में इसे तीन प्रतिशत नहीं किया गया है। यह बात माननीया राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में भी दोहराई है।

महोदय, समावेशी वृद्ध के बारे में काफी कुछ कहा गया है। आज देश में क्या स्थिति है? यह हमारी रिपोर्ट नहीं है। यह भारत सरकार द्वारा डा. अर्जुन सेनगुप्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति की रिपोर्ट है। अपनी अंतिम रिपोर्ट में, जो नौ माह पहले प्रस्तुत की गई थी, वे कहते हैं कि हमारी 77 प्रतिशत जनसंख्या को 20 रुपए प्रतिदिन में गुजारा करना पड़ता है। 77 प्रतिशत लोग 20 रुपए प्रतिदिन में गुजारा करते हैं और दूसरी ओर 36 प्रतिशत धनी लोग हैं जो अरबपति हैं। समावेशी वृद्धि के नाम पर अमीर और गरीब के बीच यह खाईं, यह अतंराल संप्रग शासन काल के पांच वर्षों में बढ़ता ही रहा है।

महोदय, हम खाद्य सुरक्षा प्रदान करने वाले अधिनियम का स्वागत करते हैं। हम इसके लिए पुरजोर मांग करते रहे हैं। लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही थी।

पूर्व माननीय वित्त मंत्री यहां उपस्थित हैं और उन्होंने इस मुद्दे पर कुल पांच वाद-विवादों का उत्तर दिया है। खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सब जगह लागू करने की मांग की गई। अब, सौ दिन के भीतर एक कानून बनाने का प्रस्ताव है और 3 रुपये प्रति किलो की दर से 25 किलो चावल या गेहूं उपलब्ध कराना एक अच्छी बात है। कई राज्य सरकारें उपलब्ध करा रही हैं। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदयः** श्री आचार्य, कृपया समाप्त कीजिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्यः** महोदय मुझे और पांच से छः मिनट का समय चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदयः** आपने काफी समय ले लिया है।

**श्री बसुदेव आचार्यः** मैं अपने ही दल का समय लूंगा। *...(व्यवधान)* हमारी संख्या कम हो गई है। *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदयः** वह खत्म हो गया। पार्टी को दिया हुआ समय समाप्त हो गया।

**श्री बसुदेव आचार्यः** आप मुझे पांच-सात मिनट का समय दीजिए। मैं समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदयः** ठीक है, दो मिनट दिये।

**श्री बसुदेव आचार्यः** दो मिनट में नहीं होगा।

**उपाध्यक्ष महोदयः** इसके अलावा रेल बजट और सामान्य बजट भी हैं, उन पर बोलियेगा।

*[अनुवाद]*

**श्री बसुदेव आचार्यः** महोदय, 25 किलोग्राम गेहूं या चावल गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को दिया जाएगा। हम सभी विकास की बात करते हैं, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के निर्धारण से संबंधित दिशानिर्देश दोषपूर्ण है। लोगों का काफी बड़ा प्रतिशत, जो वास्तव में गरीब है, उसको गरीबी रेखा के नीचे की आबादी की सूची से बाहर रखा गया है।

कई राज्य सरकारें 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल या गेहूं उपलब्ध करा रही हैं और यह मात्रा भी 35 किलोग्राम है। आप इसे 35 किलो से घटाकर 25 किलो कर रहे हैं तथा इसकी कीमत भी बढ़ा रहे हैं। अंत्योदय योजना के मामले में निर्धनतम लोगों को 35 किलोग्राम चावल या गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। उनके मामले में भी इसकी मात्रा में कटौती की जाएगी।

[श्री बसुदेव आचार्य]

महोदय, आवश्यक वस्तु अधिनियम जिसे राजग सरकार के समय कमजोर बना दिया गया था उसको संशोधित करने की जरूरत है। इस अधिनियम को और अधिक सख्त बनाने के लिए तथा संशोधित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने तथा उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इस देश के गरीब लोगों की क्रयशक्ति में 14 प्रतिशत की कमी आई है। ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** बसुदेव जी, आपका समय समाप्त हो गया, अभी और लोग भी बोलेंगे। आपके दो मिनट समाप्त हो गये।

**श्री बसुदेव आचार्य:** दो मिनट नहीं, हम तीन मिनट और बोलेंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप बहुत पुराने आदमी हैं, आप तो बहुत समझदार आदमी हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री बसुदेव आचार्य:** महोदय, अब मैं आर्थिक मंदी की चर्चा करूंगा। आर्थिक मंदी के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने कहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण विकास दर में इस साल कमी आने की आशंका है जैसे कि इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई असर ही नहीं है। इस बात की कहीं चर्चा नहीं है कि कितने मजदूरों की छंटनी की गई है। कपड़ा क्षेत्र में पांच लाख से ज्यादा मजदूरों की छंटनी हुई है। रत्नों और आभूषणों के क्षेत्र में दो लाख मजदूरों की छंटनी हुई है। छंटनी जारी है और निर्यातों में कमी आ रही है। इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस स्थिति से निपटने के लिए, इस छंटनी को रोकने के लिए सरकार कौन से कदम उठाने पर विचार कर रही है?

वित्तीय संस्थाओं के संबंध में यह प्रभाव इतना नहीं है। यह वामपंथी दलों द्वारा निभाई गई भूमिका के कारण है। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया समाप्त करें।

**श्री बसुदेव आचार्य:** महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। ...*(व्यवधान)* हमने संप्रग सरकार को पेंशन के निजीकरण के लिए बनाए जाने वाले कानून को लाने से रोका है। हमने इस सरकार को रोका था। उन्होंने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लाना चाहा था जिसे वे कर नहीं पाए। जब हम इस सरकार को समर्थन दे रहे थे, हमने इस सरकार को ऐसा करने से रोका।

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आपका लिया हुआ समय भी समाप्त हो गया। अब आप कंक्लूड कीजिए, नहीं तो हमें घंटी बजानी पड़ेगी। कृपया बैठ जाइये।

*[अनुवाद]*

**श्री बसुदेव आचार्य:** उन्होंने विदेशी बैंकों को लाना चाहा था। उन्होंने विदेशी बैंकों को अनुमति देनी चाही थी। ...*(व्यवधान)* उन्होंने हमारे बैंकों में, हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों में विदेशी इक्विटी की अनुमदि देनी चाही थी। हमारे प्रयासों के कारण ही हमारे वित्तीय संस्थानों पर आर्थिक मंदी का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

नीति को बदलने की जरूरत है। हमारा समावेशी विकास नहीं हो सकता—जिसके बारे में हम कई वर्षों से चर्चा कर रहे हैं—जब तक नीति बदली नहीं जाती है। हमें नीति को बदलने की जरूरत है।

लोगों ने जनादेश सरकार की स्थिरिता के लिए दिया है। उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए भारत के लोगों ने इस नीति का समर्थन किया है, और हम लोग अपनी भूमिका निभाएंगे और जब कभी भी देखेंगे कि यह सरकार कोई जन-विरोधी कदम उठा रही है तो हम संसद तथा संसद के बाहर इसका विरोध करेंगे। हम संसद के भीतर और बाहर कोई भी ऐसा कदम उठाने का पूरजोर विरोध करेंगे।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती सुषमा स्वराज** (विदिशा): उपाध्यक्ष जी, सुश्री गिरिजा व्यास द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा निरंतर जारी है। हमारी पार्टी की ओर से आदरणीय आडवाणी जी ने चर्चा की शुरूआत करते हुये इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया और सरकार से कुछ अपेक्षाएं भी कीं और सरकार के सामने अपनी मांगे भी रखीं।

मैं अभिभाषण के कुछ बिन्दुओं पर चर्चा शुरू करने से पहले डा. गिरिजा व्यास द्वारा चर्चा के प्रारंभिक वक्तव्य में कही गई कुछ बातों का उत्तर देना चाहूंगी। डा. गिरिजा व्यास जी से मेरे स्नेहिल संबंध हैं और मैं उनकी योग्यता का बहुत सम्मान करती हूं। पर पता नहीं, उस दिन वह कुछ नाराज दिखीं। नाराज थीं या मजबूरी थी, यह वह स्वयं जानती हैं। मैं गिरिजा जी से इतना ही कहना चाहती हूं कि शपथ समारोह के दिन मेरी आंखें टी.वी. पर राष्ट्रपति भवन में उन्हें खोज रही थीं परन्तु वह दिखाई नहीं दीं। इससे मुझे दुख भी हुआ मगर वहां का गुस्सा हम पर क्यों निकाला? इन्होंने तो हमारी इतिश्री का ऐलान कर दिया और वह

भी अब के लिये नहीं बल्कि सदा के लिये। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यह इलैक्शन बी.जे.पी. के ''सो काल्ड उसूलों'' का जवाब है, ''इंडिया साइनिंग'' का नारा लगाने वाली पार्टी की इतिश्री हो गई और आगे एक वाक्य जोड़ दिया कि यह इतिश्री सदा के लिये हो गई।

उपाध्यक्ष जी, मैं डा. गिरिजा जी को बताना चाहती हूं कि लोकतंत्र में चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, यह लोकतंत्र की बुनियाद का नियम है लेकिन यहां किसी की 'इति श्री' नहीं होती। न पार्टी स्तर पर और न व्यक्तिगत स्तर पर। वह खुद इस बात की साक्षी हैं कि वह 12वीं लोक सभा में हारीं, 13वीं लोक सभा में जीतकर आयीं लेकिन 14वीं लोक सभा में एक नितांत नई प्रत्याशी श्रीमती किरण माहेश्वरी से चुनाव हार गईं। अब 15वीं लोक सभा में वह फिर चुनाव जीतकर आयी हैं। मैं पार्टी स्तर पर भी एक बात याद दिलाना चाहूंगी कि जब 1977 में श्रीमती इन्दिरा गांधी हारी थी, तब अमृतसर से लेकर कोलकाता तक कांग्रेस का सफाया हो गया था जिस पर बहुत से समीक्षकों ने कहा था कि कांग्रेस की इतिश्री हो गई है लेकिन मात्र ढाई साल में इंदिरा जी उसी धमक के साथ वापस लौटी थीं। सन् 1984 में स्व. राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 404 सीटें जीती थीं और हमारी पार्टी दो सीटें ले पायी थी। पांच वर्ष बाद जब चुनाव आये तो हमारी पार्टी 40 गुना होकर उभरी थी और कांग्रेस चुनाव हार गई थी। आज तो हम 116 पर हैं। मैं 1999 के चुनाव की याद दिला दूं कि उस समय कांग्रेस सिर्फ 114 सीटें जीतकर आयी थी और बीजेपी की आज की संख्या 116 और 116, 114 तो ज्यादा होते हैं गिरिजा जी। अगर 1999 में कांग्रेस 114 सीटें जीतकर 2004 के चुनाव में केन्द्र में सरकार बना सकती है तो 116 सीटें जीतने वाली पार्टी की इतिश्री कैसे हो गई?

उपाध्यक्ष जी, वास्तव में डा. गिरिजा व्यास साहित्यकार हैं और साहित्य में हर कहानी की इतिश्री होती है, और हर उपन्यास की इतिश्री होती है। लेकिन मैं राजनेत्री डा. गिरिजा व्यास को बताना चाहूंगी कि राजनीति साहित्य नहीं होती है। राजनीति में चुनाव लड़े जाते हैं। किसी लड़ाई की इतिश्री तब होती है जब सामने लड़ने वाला मैदान छोड़ दे लेकिन हम मैदान छोड़कर नहीं भाग रहे हैं, हम मैदान में डटे हुये हैं और इसी पराजय में से हम विजय की राह निकालेंगे, आज मैं इसका ऐलान करती हूं।

महोदय, अब मैं अभिभाषण के प्रथम बिंदु पर आती हूं। महामहिम, राष्ट्रपति महोदया ने प्रारम्भ में ही पहले पैराग्राफ में सबको बधाई दी, पांच पैराग्राफ तक वो अलग-अलग बधाई देती रहीं और छटे पैराग्राफ से उन्होंने सरकार का काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 में मेरी सरकार ने राष्ट्र के समक्ष एक समावेशी समाज और समावेशी अर्थव्यवस्था की संकल्पना रखी थी। सरकार ने उस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में पूर्ण निष्ठा से कार्य किया। मेरी सरकार का मानना है कि इस चुनाव में उसे जो भारी जनादेश प्राप्त हुआ है वह इसी समावेशी नीति का परिणाम है। सरकार यह मानती है कि वह अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के कारण जीती है, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि जब राजनीतिक विश्लेषक इस चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो वे इस विश्लेषण को सही नहीं पाएंगे। नीतियों का जनादेश तब होता जब सारे नीति-निर्धारक चुनावी समर में जनादेश प्राप्त करने के लिए उतरे होते।

महोदय, नीति-निर्धारण के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पांच मंत्री तो चुनावी समर में उतरे ही नहीं और जो उतरे उनमें से बहुत हार गये। प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़े, रक्षा मंत्री चुनाव नहीं लड़े, शिक्षा मंत्री यानी एचआरडी मिनिस्टर चुनाव नहीं लड़े। साढ़े चार साल तक गृह विभाग संभालने वाले गृह मंत्री चुनाव नहीं लड़े और साढ़े चार साल तक वित्त विभाग संभालने वाले वर्तमान गृह मंत्री चुनाव हारते-हारते री-काउंट में चुनाव जीते। इनके कई प्रमुख मंत्री चुनाव हार गये। श्री मणिशंकर अय्यर चुनाव हारे, श्री संतोष मोहन देव चुनाव हारे, श्री रामविलास पासवान चुनाव हारे, श्री रामदौस चुनाव हारे, श्री ए.आर. अंतुले चुनाव हारे, श्री शंकर सिंह वाघेला चुनाव हारे, श्री नारायण सिंह राठवा चुनाव हारे, श्रीमती रेणुका चौधरी चुनाव हारीं। मेरे पास सूची है, आपके 21 मंत्री चुनाव नहीं लड़े और 16 मंत्री चुनाव हार गये। क्या आप इसे नीतियों का जनादेश कहेंगे?

महोदय, एक दूसरी बात कही गयी है कि यह सेक्लुरिज्म पर जनादेश है, पंथनिरपेक्षता पर जनादेश है, लेकिन यह भी सही नहीं है। सेक्लुरिज्म के सारे पुरोधा तो ढह गये हैं। सेक्लुरिज्म के सबसे बड़े पैरोकार वामपंथी, सीपीएम वाले 43 सीटों से सिमटकर 16 सीटों पर खड़े हो गए हैं। सीपीआई 10 सीट से घटकर 4 सीट पर आ गयी है। सेक्लुरिज्म के दूसरे आलम्बरदार, मेरे अत्यंत स्नेही भाई श्री लालू प्रसाद यादव 23 सीट से घटकर 4 सीट पर आ गये हैं। श्री मुलायम सिंह यादव 38 सीट से घटकर 22 सीट पर आ गये हैं। श्री बसुदेव जी अभी कार्यक्रमों की बात कर रहे थे, नीतियों की बात मैंने कर दी है। कार्यक्रमों का पूरा पर्दाफाश कर रहे थे, पूरी पोल खोल रहे थे कि क्या लक्ष्य था, क्या उपलब्ध किया, क्या प्राप्त किया? मैं यह कहना चाहती हूं कि यह नीतियों की विजय नहीं हैं, यह परिस्थितियों की विजय है, परिस्थितियां आपके अनुकूल हो गयीं और आप चुनाव जीत गये हैं। यह भी सच है कि जनादेश आपको ही मिला है, जीत आपकी ही हुई है, सरकार चलाने का जनादेश आपको मिला है। आप शौक से सरकार चलाइये, अच्छी तरह सरकार चलाइये। संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, वे मेरे बहुत स्नेही मित्र हैं। मैं एक बहुचर्चित

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

गीत की एक छोटी सी पंक्ति आपके जेहन में डालना चाहती हूं और अगर सरकार चलाते वक्त वह बात आप याद रखेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी, पंक्ति है: ''पेश आएगी हमारी जरूरत कभी-कभी''। अगर आप इस बात को याद रखेंगे तो आप निश्चित तौर पर सरकार अच्छी तरह से चला सकेंगे।

महोदय, गिरिजा जी ने उसके बाद यह कहा कि मैंने एक बयान में यह कहा है कि सरकार ने हमारा एजेंडा ले लिया है और उसे अभिभाषण में शामिल कर लिया है। यह सच है, मैंने यह बात कही है, लेकिन मैंने यह बात शिकायती स्वर में नहीं कही है, यह बात मैंने खुशी से कही है। उस दिन श्री आडवाणी जी ने कहा था कि विकास और कल्याण के कार्यों में श्रेय की होड़ नहीं होनी चाहिए, क्रेडिट की होड़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुझे खुशी हुई कि जो काम हम करना चाहते थे, उन्हें आपने करने का वादा किया है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि वह एजेंडा हमारा नहीं था। मैं पूछना चाहती हूं कि स्विस बैंक से काला धन देश में वापस लाने का एजेंडा किसने रखा। नि:संदेह आडवाणी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, एक रैंक एक पेंशन की बात किसके घोषणा-पत्र में थी। निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी के। स्थानीय निकायों में 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत आरक्षण करने का काम एक एनडीए शासित और चार भाजपा शासित राज्य सरकारों ने किया।

मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखण्ड और एनडीए शासित बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने आपके विधेयक का इंतजार नहीं किया, जो कि आप आज अपनाने वाले हैं। उन्होंने अपने तौर पर 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। कई जगह तो चुनाव 50 प्रतिशत पर हुए हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। यह एजेण्डा किसने सैट लिया, भारतीय जनता पार्टी ने।

आपने तीन रुपये किलो चावल खिलाने की बात कही। लेकिन वर्ष 2007 से भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 35 किलो चावल तीन रुपये प्रति किलो पर खिला रहे हैं। मुझे दुख के साथ एक बात कहनी पड़ती है कि वर्ष 2007 में जब डा. रमन सिंह ने अपने यहां के गरीब परिवारों को तीन रुपये किलो के हिसाब से चावल खिलाने की बात कही, उस समय छत्तीसगढ़ के चावल का कोटा 61 हजार मीट्रिक टन था। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा यह निर्णय लेने के बाद केन्द्र सरकार ने कहा कि यदि तीन रुपये खिलाना है तो बाजार से खरीदकर खिलाओ। उन्होंने कोटा काटकर 953 मीट्रिक टन कर दिया। कोई सोच सकता है 97 प्रतिशत की कटौती? 60 हजार मीट्रिक टन चावल आपने उनका काट लिया, मात्र 953 मीट्रिक टन दिया। लेकिन मैं डा. रमन सिंह को शाबासी देना चाहती हूं कि उन्होंने आपके दबाव के बाद भी अपना पैर पीछे नहीं हटाया और एक हजार करोड़ रुपया अपने बजट से निकालकर अपने संकल्प को पूरा किया। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वे छत्तीसगढ़ के 37 लाख लोगों को तीन रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रतिमाह 35 किलो चावल खिला रहे हैं और जब आप तीन रुपये करने जा रहे हैं तो उन्होंने तय किया है कि अन्त्योदय के तीस लाख परिवारों को वह एक रुपये किलो के हिसाब से खिलाएंगे बाकी के 29 लाख परिवारों को दो रुपये किलो खिलाएंगे। आप अपने भाषण में कह रही थीं कि कांग्रेस कैसे किसी को भूखा देख सकती है? *...(व्यवधान)*

**डा. गिरिजा व्यास** (चित्तौड़गढ़): आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही हैं। आप थोड़ी देर बाद यह भी कहेंगी कि आजादी भी हमने दिलवाई और आजादी के लिए कुर्बानी भी हमने दी, कांग्रेस तो केवल श्रेय ले रही है। *...(व्यवधान)*

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** सच को सुनिए विषयांतर मत कीजिए। मैं बात चावल की कर रही हूं और आप आजादी पर पहुंच गई। मैं जो बात कह रही हूं उसमें यदि मैं कुछ गलत कह रही हूं तो आप मुझे बताइए। यदि मेरा आंकड़ा अथवा तथ्य गलत है तो मुझे बताइए। चावल का जवाब आप आजादी से दे रही हैं, यह तो विषयांतर है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री वी. नारायणसामी ):** क्या आप एक मिनट के लिए रुकेंगे?

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** लेकिन क्यों?

**श्री वी. नारायणसामी:** आप 3 रुपये प्रति किलो चावल के बारे में कह रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना को शुरू किया उसके बहुत पहले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की राज्य सरकारें गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को 2 रुपये प्रति किलो के दर से चावल दे रही हैं। इसका श्रेय आपको नहीं जाता। प्रत्येक राज्य सरकार ऐसा कर रही है। आप इसका श्रेय नहीं ले सकती।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** मैं तो इस बात का जवाब दे रही हूं कि कांग्रेस लोगों को भूखा नहीं रख सकती है। इसलिए छत्तीसगढ़ ने जो किया, यह बता रही हूं, इसके साथ ही साथ आपने क्या किया, वह भी बता रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी योजनाओं को चलाने के समय शासक दल का नामपट्ट देखकर उनके साथ भेदभाव न किया जाए। यह

बात मैं इसलिए कह रही हूं कि मैं मध्य प्रदेश से चुनकर आयी हूं और वह मध्य प्रदेश भेदभाव भुगत रहा है। 21 लाख बीपीएल परिवारों की सूची हमने आपको भेजी है, लेकिन केन्द्र हमें उनका खाद्यान्न नहीं दे रहा है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इन योजनाओं को शुरू करने से पहले आप बीपीएल के मानदण्ड बदलिए। जब एक सा जीवनयापन करने वाले दो पड़ोसी एक साथ रहते हैं, एक को सरकारी सहायता मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती है, तो उसके मन में जो पीड़ा होती है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए बीपीएल के मानदण्ड नये तरीके से तय कीजिए। नये तरीके से सूचियां बनवाइए, उसके बाद आप इस तरह की योजनाएं चालू करिए, यह मेरा आपको सुझाव है।

मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही थी। केवल खाद्यान्न की बात नहीं है। आपने हमारी कोयले की आपूर्ति काट ली। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश बिजली संकट से जूझ रहा है। पानी नहीं बरसा है। हमारी पनबिजली परियोजनाएं लगभग ठप्प पड़ी हैं। 22 सौ मेगावाट बिजली हम पानी से बनाते थे, हम आज केवल तीन सौ मेगावाट बना रहे हैं। आपने हमारी अनावंटित कोटे की बिजली भी काट दी और थर्मल पावर प्लांट जिन्हें 17 लाख मीट्रिक टन कोयले की आवश्यकता है, उन्हें आप 11 लाख मीट्रिक टन दे रहे हैं।

यहां बार-बार आकर मुख्य मंत्री मिलते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं। अभी आपने लेटेस्ट 4 मई को पत्र लिख कर कहा कि कोयला आयात कर लीजिए। यह हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय है। हमारे यहां कोयला उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में कोयले की खदानें हैं। वहां से व्यापारियों को बेचने के लिए आप कोयला देते हैं, लेकिन मुख्य मंत्री को कहते हैं कि कोयला आयात कर लीजिए। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि जब विकास और कल्याण की ये योजनाएं चलें, तो तमाम राज्य, चाहे वहां किसी का भी शासन हो, क्योंकि पहले नीतीश कुमार जी ने कहा कि आपने बिहार को दी गई जो फ्लड राहत राशि थी, वह आपस ले ली। कल, उड़ीसा की तरफ से श्री भर्तृहरि महताब जी कह रहे थे कि उड़ीसा को दी गई राहत राशि आपने वापस मांग ली। जब सारे गैर-कांग्रेसी राज्य आकर रोना रोते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं, तो लगता है कि केंद्र की दृष्टि निष्पक्ष नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि योजनाएं तो आप जरूर चलाइए, लेकिन दृष्टि निष्पक्ष रखकर चलाइए।

महोदय, यहीं मुझे एक और शिकायत दर्ज करनी है। राष्ट्रपति अभिभाषण के पैराग्राफ 19 में स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं का जिक्र किया है। मैंने आंखें गढ़ा-गढ़ा कर देखा, उस दिन काम लगा-लगा कर सुना कि कम से कम इसमें उन छः एम्स के निर्माण कार्य की बात जरूरी होगी, जिन्हें मैं सन् 2003 में स्वीकृत कर के गई थी, लेकिन मुझे दुख हुआ। वे न तो आपके पैराग्राफ 19 में है और न वे आपके 100 दिनों के एक्शन-प्लान में है। यहां प्रणब दा बैठे हैं। मैं कहना चाहती हूं कि सन् 2003 में, वह योजना मैं लेकर आई थी। मैं अपने लिए नहीं लाई थी। मैंने एक निष्पक्ष दृष्टि रखी थी। मैंने डायरैक्टर से डेटा मंगवाया था कि कहां-कहां से लोग एम्स में आते हैं। इस देश में 56 साल पहले एक एम्स बना था। उसके बाद से कितनी जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन एम्स में बढ़ोत्तरी नहीं हुई। जब डेटा आया, तो डेटा के आधार पर मैंने राज्य चुने। यह नहीं देखा था कि वहां किस का राज्य है। छः में से चार राज्य कांग्रेस शासित थे, एक राज्य आर.जे.डी. शासित था और केवल एक राज्य एन.डी.ए. शासित था। बी.जे.पी. शासित एक भी राज्य उसमें नहीं था। तब, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन था, राजस्थान में कांग्रेस का शासन था, उत्तराखंड में कांग्रेस का शासन था और बिहार में लालू जी का शासन था। केवल उड़ीसा में बीजू जनता दल का शासन था। एक भी बी.जे.पी. शासित राज्य नहीं था। चूंकि चिकित्सा दृष्टि से वे पिछड़े राज्य थे, इसीलिए उन्हें चुना। अपने समय में तब केवल 10 महीने का कार्यकाल था। अपने कार्यालय में रोजाना एक घंटा इन एम्स को बनाने में मैंने समर्पित कर दिया था। इन 10 महीनों में छः मुख्यमंत्रियों से जमीनें ले लीं, छः के शिलान्यास करा दिए, केवल वोट आन एकाउंट था, उसमें भी बजट हैड बनवा दिया और छः करोड़ रुपए उनकी चार-दीवारी बनाने के लिए रख दिये। यह सारा काम 10 महीने में पूरा करके दे दिया। आपने पांच साल निकाल दिए। उन चार-दीवारी में से कोई एक ईंट तो निकाल कर ले गया होगा, लेकिन उन छः एम्स पर आपने एक ईंट भी नई लगाने का काम नहीं किया।

महोदय, मैंने छः एम्स को अपग्रेड करने की घोषणा भी की थी। दोनों सदनों में, हर सत्र में, इस विषय को एक न एक सांसद जरूर उठाता रहा था। श्री लाल सिंह, जम्मू कश्मीर के यहां बैठे हैं। आप हर बार इस विषय को उठाते थे, क्योंकि इनके यहां भी एम्स को मैंने अपग्रेड करने की घोषणा की थी। दोनों सदनों में, कभी ध्यानाकर्षण आता था, कभी प्रश्न आता था। हर बार स्वास्थ्य मंत्री कहते थे कि बस, अब हम निर्माण कार्य शुरू करने वाले हैं, लेकिन पांच वर्ष बीत गए और निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। एक पुण्य का कार्य, श्री वी. नारायणसामी ने जरूर कर दिया कि स्वास्थ्य मंत्री को हराकर, आज वे पुदुचेरी से सांसद बनकर यहां आ गए हैं। इसलिए मैं श्री नारायणसामी को बधाई देना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष जी, इससे आगे, मैं एक और चूक की बात आपके माध्यम से सदन में कहना चाहती हूं। सरकार ने अभिभाषण के पैराग्राफ 25 में महिलाओं के लिए समान अवसर सृजित करने की

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

बात कही है। इन्होंने तीन प्राथमिकताएं रखी हैं—महिलाओं की शिक्षा, जिसे ये साक्षरता कह रहे हैं, महिलाओं की नौकरी और महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण। ये तीनों बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रणब दा, आप एक बहुत जरूरी बात भूल गए। आपने शिक्षा की समस्या याद रखी, आपने नौकरी की समस्या भी याद रखी और आपने राजनीतिक सशक्तीकरण की समस्या भी याद रखी, लेकिन आप उसके जन्म की समस्या भूल गए।

अगर जन्मेगी नहीं तो शिक्षित कैसे होगी, अगर जन्मेगी नहीं तो नौकरी कैसे प्राप्त करेगी, अगर जन्मेगी नहीं तो चुनकर कैसे आएगी। आज तो उसके जन्म के सामने ही प्रश्नचिह्न लगा हुआ है। भ्रूण हत्या देश में इतना बड़ा अपराध बन गया है कि कई बार तो मैं हैरान होती हूं कि जो देश वर्ष में दो-दो बार कन्या पूजन करता है, वह अपनी बेटियों को गर्भ में मारने का पाप कर रहा है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपसे यह चूक हुई है। ऐसा नहीं है कि नीयतन आपने ऐसा किया है, लेकिन जब हम आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे की भूल सुधारने का भी काम करते हैं। तीन चीजें जो आपने रखी हैं, उसमें भ्रूण हत्या आप जरूर डालने का काम करिये।

एक बात जो उस दिन आडवाणी जी ने लाडली लक्ष्मी योजना की कही थी। मध्य प्रदेश में जो लाडली लक्ष्मी योजना चली है, वह भ्रूण हत्या को सबसे पहले रोकती है, क्योंकि वह पैसा जन्म के समय दिया जाता है। वह एक ऐसी योजना है, जो लड़की के जन्म से लेकर, उसकी शिक्षा से लेकर उसके विवाह तक जाती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप प्रधानमंत्री से कहिये, उस योजना का मसौदा मंगवाकर देखें। अगर उसमें कोई संशोधन करना है तो करें, कोई सुधार करना है तो करें, लेकिन जब तक आप बच्ची के जन्म की समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तब तक आपकी ये बाकी तीनों चीजें भी पूरी नहीं हो सकेंगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि लाडली लक्ष्मी योजना को मंगवाकर उसको पूरे देश में लागू करने का काम करिये। वह भ्रूण हत्या को रोकेगी और महिला साक्षरता को बढ़ाएगी।

आपने महिला आरक्षण की बात की है, एक तरफ महिलाओं में उससे बहुत ज्यादा उत्साह आया है। दूसरी तरफ बवाल भी मचा है, क्यों शरद भाई? लेकिन शरद भाई, बवाल मचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, लोग यह सोच रहे हैं कि आपने तीन महीने में यह बिल पारित कराने की बात कही है। ऐसा नहीं है। इसमें एक पेच है और वह पेच लिखा गया है, वह कोई नहीं पढ़ रहा है। पहला वाक्य पढ़कर सुनाती हूं। मेरी सरकार अगले सौ दिनों के भीतर इन उपायों पर कदम उठाएगी। राज्य विधान मंडलों में और संसद में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने के लिए संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए कदम उठाएगी, यानी प्रधानमंत्री अगर सभी दलों की सर्वानुमति बनाने के लिए एक मीटिंग बुला लेंगे तो कदम उठ गया। यह वायदा पूरा हो गया। कदम उठाएगी, बिल पारित नहीं कराएगी तो आप क्यों जहर खाने की बात कर रहे हैं।

**डा. गिरिजा व्यास:** हम जो कहते हैं, वह करते हैं, इसलिए केवल मीटिंग बुलाकर वायदे का निर्वाह नहीं होगा। लेकिन हां, एक बात से मैं सहमत हूं कि इस मीटिंग के बाद यादव साहब पूरी तौर से सहमत होंगे कि बिल्कुल, महिला आरक्षण बिल आना ही चाहिए। यह मेरा वायदा है।

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** गिरिजा जी, इससे तो कहीं बड़ा कदम हम उठा चुके। जहां तक प्रधानमंत्री के स्तर की मीटिंग की बात है, अटल जी के स्तर पर तीन मीटिंग हुईं। उसके बाद पीठासीन अध्यक्ष उस समय मनोहर जोशी जी थे, उन्होंने यह काम अपने सिर पर लिया। उनके स्तर पर मीटिंग हुई, उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी आये तो उनके स्तर पर मीटिंग हुई। जहां तक कदम उठाने की बात है, संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर मैंने तो वह कदम उठा लिया था कि बिल को चर्चा के लिए कार्य-सूची में लगा दिया था। आप इससे बड़ा क्या कदम उठाएंगे, कार्य-सूची में लगा दिया था, लेकिन उस दिन भी बिल के विरोधियों ने यह कहा कि जब तक यह कार्य-सूची से निकलेगा नहीं, हम कार्रवाई चलने ही नहीं देंगे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं। शायद मीडिया ने भी इसको नहीं पढ़ा। इसीलिए लिखा जा रहा है कि तीन महीने में महिला बिल पारित हो जाएगा, लेकिन तीन महीने में महिला बिल पारित होने का वायदा ही नहीं है, कदम उठाने का वायदा है। मैंने अंग्रेजी का अभिभाषण भी मंगाकर पढ़ा, उसमें भी यही है, सरकार कदम उठाएगी। जैसा मैंने कहा, एक मीटिंग होगी। वह कदम उठ जायेगा, इनका वायदा पूरा हो जायेगा। लेकिन महिला आरक्षण कब होगा? इसलिए प्रणव दा, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप समयावधि तय करिये। बिल पारित कब करेंगे, जब वह समयावधि तय होगी, तब मैं कहूंगी कि महिलाएं उत्साहित हों और कहें कि महिला आरक्षण बिल पारित होगा, अभी तो केवल कदम उठाने की बात कही गई है।

अब मैं अभिभाषण के पैरा 42 की बात करना चाहती हूं, जहां उन्होंने भारत पाकिस्तान संबंधों की बात कही है। यह पैराग्राफ भारत पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद को लेकर समाप्त हो गया। जो विषय आज प्रासंगिक है, उससे यह अभिभाषण अनछुआ रहा। रोज समाचार आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता में वृद्धि कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी संभावना को देखते हुए अटल जी ने अपने कार्यकाल में भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने का कार्य किया था और पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो

कुछ हमने अटल जी के राज में हासिल किया था, भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के रास्ते, उसे हमने खो दिया। हमने अपने ऊपर यह पाबंदी लगा ली कि हम आगे परीक्षण नहीं करेंगे, अगर यह करेंगे, तो समझौता टूट जाएगा। इसलिए मैं आज एक प्रश्न करना चाहती हूं। प्रधानमंत्री उत्तर दें कि यह जो परमाणु क्षमता में वृद्धि पाकिस्तान कर रहा है, इससे निपटने के लिए हम क्या कार्य योजना बना रहा हैं?

*[अनुवाद]*

**वित्त मंत्री ( श्री प्रणब मुखर्जी ):** कृपया आप बताएं कि किसने यह वचन दिया था कि आगे कोई परीक्षण नहीं होगा।

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** हमने स्वैच्छिक स्थगन के बारे में कहा था। दोनों बातें समांतर नहीं है। *...(व्यवधान)*

**श्री प्रणब मुखर्जी:** क्या 'परमाणु सिद्धांत' और 'स्वैच्छिक स्थगन' में कोई परविर्तन होगा? एक अक्षर भी परिवर्तन नहीं हुआ है।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** मैं वही कह रही हूं। हमने अमेरिका से उसके बदले में कुछ लिया नहीं था कि अगर हम उस वालंटरी मोरेटोरियम को छोड़ते तो कुछ वापस करना पड़ता। आप उसके साथ समझौता बांधकर वायदा देकर आए हैं। आपने कहा है कि अगर यह परमाणु परीक्षण हम करेंगे, तो यह समझौता टूट जाएगा, ताकि उसमें जो कुछ तब तक आया हुआ होगा, वह वापस हो जाएगा। दोनों चीजें समानान्तर नहीं हैं। हमने वालंटरी मोरेटोरियम की बात की थी, आपने समझौते के साथ उसको जोड़ने की बात की है। इसलिए आज देश जानना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता में वृद्धि करता है, तो भारत उसका मुकाबला कैसे करेगा?

*[अनुवाद]*

**श्री अनंत कुमार** (बंगलौर दक्षिण): आपने न्यूक्लियर संप्रभुता को गिरवी रख दिया है। *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही पाकिस्तान के बाद इसी पैराग्राफ में श्रीलंका के तमिलों की बात आयी है। जहां तक श्रीलंका का सवाल है, मैं बहुत साफ कह देना चाहती हूं कि हम श्रीलंका की सार्वभौमिकता के पक्षधर हैं। वहां किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि के विरोधी हैं। लेकिन हमारे तमिल भाइयों पर हो रहे मानवीय अत्याचारों के विरुद्ध क्या हम आंखें मूंदकर बैठ सकते हैं? अभी डीएमके के इलेंगोवन जी बोल रहे थे कि जब ज्यूस की हत्या हुयी, तो पूरा का पूरा विश्व उठ खड़ा हुआ, लेकिन नो-वार जोन में हमारे तमिल भाइयों पर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, तब कोई बोल नहीं रहा है। जब हम अपनी तमिल महिलाओं को रोते-बिलखते देखते हैं, तमिल बच्चों को दूध के लिए कराहते और तड़पते देखते हैं, तो हमारा खून खौलता है। सिर्फ इसलिए कि वे सरहद पार रहते हैं। क्या हम उनके दुख और दर्द को भूल जाएंगे? खून एक है। खून उबाल खाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, तमिल कविताओं का एक संग्रह है—नन्नेरी। उसमें बहुत प्रसिद्ध कवियों की कविताएं लिखी हुईं हैं। उसमें से चार पंक्तियां पढ़कर मैं आपको बताना चाहती हूं। चिदंबरम जी तो इसे समझ ही जाएंगे, बाद में मैं उसका अर्थ बता दूंगी। नन्नेरी में लिखा है,

'पेरीयवर तमनोई पोल पिरर नोई कंडु उल्लम,
एरीइन इझुडू आवर एन्धा थेरी ईझाई,
मंडू विणियाल परूंधुम पीर उरूप्पइ
कंडु कझलुमे कण।''

इसका अर्थ है कि शरीर के किसी भी भाग में अगर घाव होता है, पीड़ा होती है, तो आंसू आंख बहाती है। इसीलिए अगर मानवता के ऊपर, हमारी फालो ह्यूमन बींग्स के ऊपर दुनिया में कहीं भी, भले ही सरहद पार अगर कोई आपदा आती है, कोई संकट आता है, तो अच्छे लोग उसकी चिंता करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपने इसमें लिखा है, लेकिन वह नाकाफी है। हमारी तरफ से वहां लोगों को जाना चाहिए। उनकी पीड़ा देखनी चाहिए। भारत उनका पड़ोसी देश है, हम अपने उन लोगों के प्रति उदासीन नहीं रह सकते हैं। उनके संकट में जितनी कमी करा सकते हैं, उनके कष्ट में जितनी कमी करा सकते हैं, वह करने का काम करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, पैरा 45 में इंडियन डायसपोरा की बात है, प्रभावी भारतीयों की बात है, लेकिन मुझे बहुत बार हैरानी होती है कि हम एक तरफ तो प्रवासी भारतीयों को अपना अघोषित राजूदत कहते हैं, इतना माथा ऊंचा किया है उन्होंने हमारा, अमेरिका जैसे बड़े देश में भारतीय हमें गौरवान्वित कर रहे हैं।

लेकिन आए दिन प्रवासी भारतीयों के कष्ट की खबरें आती रहती हैं। कभी मलेशिया में भारतीयों के साथ मार-पीट की जाती है, कभी फ्रांस में सिख बच्चों को स्कूल में जाने पर पगड़ी पहनने पर पाबंदी लगाई जाती है, कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिखों पर जजिया जाता है और अब तो यह कहा जा रहा है कि

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

अन्य धर्मावलंबियों से भी जजिया लिया जाएगा। आस्ट्रेलिया में तो आजकल हद हो रखी है। सिर में स्क्रियू ड्राइवर डालकर घायल किए हुए उस बच्चे की तस्वीर जब टेलीविजन पर दिखाई जाती है तो रूह कांप उठती है। आज भी अखबार भरे पड़े हैं कि कल एक भारतीय छात्र की कार जला दी गई। मुझे दुख तब होता है जब इस सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री टेलीविजन पर आकर कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे मिशन में स्टाफ की बहुत कम है, केवल आठ लोग हैं। ...*(व्यवधान)* उसके ऊपर फिर वे दो-दो मंत्रियों को दोष देते हैं। वे दोनों मंत्री यहां बैठे हैं जिन पर वे दोष देते हैं। वे कहते हैं कि वित्त मंत्री जी के दबाव में विदेश मंत्री जी ने स्टाफ कम कर दिया और अब चूंकि विदेश मंत्री ही वित्त मंत्री बन गए हैं, मैं चाहूंगा कि वे अपना फैसला बदलें। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि स्टाफ कम है या ज्यादा, इससे किसी को क्या मतलब। फैसला किसने बदला, क्या बदला, क्यों बदला, कैसे बदला, इससे हमें क्या सरोकार है। हमें अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए। देश यह चाहता है कि आप कर क्या रहे हैं। आप आठ के स्टाफ से करें या दस के स्टाफ से करें, आप बारह के स्टाफ से करें या चौबीस के स्टाफ से करें, स्टाफ बढ़ाएं या घटाएं, लेकिन आप उन बच्चों को सुरक्षा मुहैया करवाइए। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इतने बड़े-बड़े संकल्प का अभिभाषण और दूसरी तरफ मंत्रियों के इस तरह के असहाय जवाब, यह दोनों मेल नहीं खाते।

कल मैं मोइली जी का एक बयान पढ़ रही थी – न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के संबंध में हम कुछ नहीं कर सकते। यह दोनों चीजें कैसे मेल खाएंगी। इस अभिभाषण को पूरा करने के लिए बहुत इच्छा शक्ति की जरूरत होगी, बहुत दृढ़ता की जरूरत होगी। अगर मंत्रीगण इस तरह के असहायपूर्ण बयान देंगे, तो देशवासी क्या समझेंगे। इसीलिए उस दिन भी आडवाणी जी ने कहा था कि आस्ट्रेलिया में जाना चाहिए। मैं चाहती हूं कि बहुत युवा सांसदों का एक डेलीगेशन अगर आप यहां से भेजें, वे स्वयं वहां जाकर देखकर आएंगे, उन्हें लगेगा कि हमारे देश से कोई हमें पूछने आया, कोई हमारी सुध लेने आया और उन्हें लगेगा कि सरकार हमारे प्रति संवेदनशील है। मुझे लगता है कि इसे करने में कोई ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, कोई कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए। हमें यह करना चाहिए।

अंतिम पैराग्राफ में राष्ट्रपति जी ने देश के युवजन की आशा और आकांक्षा की बात की है। बहुत अच्छा है। देश में बहुत युवा बयार बही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं कि यह पहली बार नहीं हुआ जब देश का युवजन खड़ा हुआ है। इस देश ने जब-जब नाजुक मौका देखा है, युवजन ने अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाई है। इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम में भी 23 वर्ष के भगत सिंह और 19 वर्ष के अशफाक उल्लाह खां फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। स्वतंत्र भारत में भी जब कांग्रेस का विघटन हुआ था, बड़ी उम्र के लोग कांग्रेस (ओ) में चले गए थे, तो कमान यंग तुर्क्स (young turks) ने संभाली थी और बहुत वर्षों तक वे भारत के राजनीतिक पटल पर छाए रहे थे। उसके बाद जब इस देश में इमरजैंसी लगी थी तो लोकतंत्र की रक्षा का युद्ध भी इस देश में युवजन ने ही लड़ा था और एक बूढ़े के नेतृत्व में लड़ा था। तब भी यही युवा ऊर्जा सड़कों पर उभरी थी। उस आंदोलन की उपज आज भी इस संसद में दिखाई देती है। प्रथम पंक्तियों पर बैठे हैं। भाई शरद यादव यहां बैठे हुए हैं। पहले जनता सांसद के रूप में चुनकर आए थे। शरद भाई की उम्र पच्चीस साल एक माह थी। पच्चीस साल एक माह की उम्र में ये जनता सांसद के रूप में इस सदन में जीतकर आए थे। ये उसी आंदोलन की उपज हैं। विभिन्न दलों में उस आंदोलन के लोग बैठे हैं, और भरपूर मात्रा में यहां विद्यमान हैं। शरद भाई पच्चीस साल की उम्र में यहां सांसद बने थे और मैं पच्चीस वर्ष की उम्र में हरियाणा में केबिनेट की मंत्री बनी थी। असम का पूरा आंदोलन युवजनों का आंदोलन था। 25 से 30 वर्ष के लोग चुनकर आए थे और यह पहली बार नहीं है कि यहां युवा चुनकर आए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, यहां योगी आदित्य नाथ बैठे हैं। 37 वर्ष की उम्र है, चौथी बार चुनकर आए हैं। श्री अनंत हेगड़े पीछे बैठे हैं। 40 वर्ष की उम्र है, चौथी बार चुनकर आए हैं। श्री अशोक अर्गल मेरे पीछे बैठे हैं। 40 वर्ष की उम्र है, पांचवीं बार चुनकर आए हैं। यहां श्री अनंत कुमार बैठे हैं। 36 साल की उम्र में सबसे पहले चुनकर आए थे। श्री शाहनवाज हुसैन 36 साल की उम्र में केबिनेट के मंत्री बन गए थे। उपाध्यक्ष जी, अटल जी की केबिनेट में 11 मंत्री 50 वर्ष से कम की उम्र के थे।

मैं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के बारे में कह रही हूं, कोई एमओएस नहीं कह रही हूं। अब एमओएस तो बहुत है। अटल जी की कैबिनेट में 11 कैबिनेट मंत्री 50 से कम उम्र के थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आठ मुख्य मंत्री 50 से कम उम्र के बनाये गये। यहां अर्जुन मुंडा बैठे हुए हैं, वे 35 बरस की उम्र में मुख्य मंत्री बन गये थे, तो ये युवा बयार पहली बार नहीं बही। लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि इतनी बड़ी संख्या में इस संसद में युवा सांसद जीतकर आये हैं।

मैं उन सबका हृदय से अभिनंद करती हूं, क्योंकि जब वे भोले-भाले चेहरे मुझे दिखते हैं, तो जिंदगी में, मैं स्वयं पीछे पहुंच जाती हूं और मुझे अपना समय याद आ जाता है, जब में 25 बरस की उम्र में चुनकर गयी थी और कैबिनेट मंत्रालय का भार संभाला था। लेकिन मैं केवल उनका अभिनंदन नहीं करती, मैं उनको ढेरों-ढेरों शुभकामनाएं भी देती हूं कि जिन अपेक्षाओं से उनके क्षेत्र के लोगों ने उन्हें जिताकर भेजा है, वे उन अपेक्षाओं को पूरा करें। लेकिन उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार को कुछ करना होगा।

हां, पवन भाई को देखकर मुझे याद आया, पवन भाई और मैं एक ही डिपार्टमैंट से पढ़े हैं, लेकिन वे एक साल मेरे सीनियर थे। वे उम्र में शायद मुझसे तीन साल बड़े हैं। तेरह साल पहले मेरी पार्टी ने मुझे कैबिनेट का मंत्री बना दिया था और तेरह साल बाद इनकी पार्टी को इनकी याद आयी है और वह भी सीजनल मिनिस्ट्री देकर रुक गये हैं। चार महीने काम करेंगे और आठ महीने खाली बैठेंगे। प्रणब दा, कम से कम एक और महकमा तो साथ में दिलवा दीजिए कि बारह महीने मेरा भाई काम कर सके। वह बहुत योग्य है, वह डिपार्टमैंट ही बहुत योग्य लोगों को निकालता है। कम से कम बारह महीने का मंत्रिमंडल तो इनको मिलता। आप इन्हें ऐसा मंत्रालय दीजिए जिससे ये बारह महीने काम कर सके।

उपाध्यक्ष जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि यौवन बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करता। अगर विलंब होता है, तो यौवन अधीर हो उठता है और उस अधीरता में खतरे का संकेत छिपा होता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब पर आयी है। सौ दिन में देश की तस्वीर तो नहीं बदल सकती लेकिन तस्वीर बदलने की रूपरेखा तो तैयार हो सकती है। आप लोग रूपरेखा तैयार करिये, मैं अपनी ओर से आश्वासन देना चाहती हूं, आडवाणी जी ने आपको उस दिन आश्वासन दिया था, उस भावना से स्वयं को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहती हूं कि जनता ने आपको शासक की भूमिका दी है और हमें प्रहरी की। आप अच्छा काम करेंगे, हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे। आप देरी करेंगे, हम आपको याद दिलायेंगे। आप नहीं करेंगे, हम आपको चेतायेंगे। आप गलत करेंगे, तो हम आपका विरोध करेंगे, लेकिन सौ दिन के बाद आपके अभिभाषण के उन बिन्दुओं को जरूर दर सत्य ही कसौटी पर तोलने का करेंगे।

**श्री सतपाल महाराज** (गढ़वाल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर डा. गिरिजा व्यास जी के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तथा अपनी ओर से और उत्तराखंड की जनता की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ आपके निर्वाचन पर आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मैं आपको थोड़ा अतीत में ले जाना चाहता हूं। जिस समय प्रभु राम शबरी की कुटिया में पधारे, वह एक ऐतिहासिक क्षण था। प्रभु राम ने शबरी की दुनिया में पधार कर बेरों को ग्रहण किया।

**अपराह्न 2.58 बजे**

[**श्री अर्जुन चरण सेठी** *पीठासीन हुए*]

बड़े-बड़े ऋषि मुनि जिस पम्पा सरोवर को पवित्र नहीं कर पाये, शबरी ने अपने चरणों के स्पर्श से पम्पा सरोवर को पवित्र कर दिया। प्रभु राम ने शबरी को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। आज आपका निर्वाचन भी एक ऐतिहासिक घटना है। शबरी का उद्धार होगा, तो लोकतंत्र का उद्धार होगा। शबरी का उद्धार होगा, तो भारत का उद्धार होगा। इसी राम के अनुगामी बनते हुए, अनुसरण करते हुए आज राहुल गांधी शबरी की कुटिया में जा रहे हैं, दलितों की कुटिया में जा रहे हैं, भोजन प्राप्त कर रहे हैं और आम आदमी के साथ जुड़ रहे हैं।

**अपराह्न 3.00 बजे**

यह दलितों और शोषितों का उद्धार करने की सरकार की जो भावना है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यूपीए सरकार को अन्य सभी मुद्दों के साथ एक रैंक-एक पेंशन के मुद्दे को प्राथमिकता देने के लिए मैं बधाई देता हूं। मुझे पूरी आशा है कि इससे सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण की योजनाओं को बल मिलता रहेगा। मेरा यह भी निवेदन है कि जहां-जहां रेल का विस्तार होता है, वहां-वहां विकास होता है। आजादी के 61 साल के बाद भी उत्तराखण्ड में रेल का कोई विस्तार नहीं हुआ है। उत्तराखण्ड आज यह प्रतीक्षा कर रहा है कि वहां रेल का विस्तार होगा। जब मैं रेल राज्यमंत्री था तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन के लिए सर्वे कराया था। यह सर्वे दो बार हुआ, परन्तु उसके बाद भी उस क्षेत्र में रेल का विस्तारीकरण नहीं हो पाया। मैं आपके माध्यम से सम्मानिता रेल मंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि वह अपने इस नए वर्ष में रेल बजट के अन्दर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य सम्मिलित करें और इसके लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान करें। इसके साथ ही उत्तराखण्ड में टनकपुर से बागेश्वर रेल लाईन का सर्वेक्षण होना चाहिए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान पोस्टल बैलेट की एक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखण्ड में सैनिक वोटर पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट देता है। जब पोस्टल बैलेट भेजा जाता है, तो वहां पर चुनाव आयोग की ओर से निगरानी नहीं होती है, वहां पर किसी राजनीतिक पार्टी का कोई पर्यवेक्षक नहीं होता है, न ही कोई पोस्टल एजेंट होता है। जहां पर पोस्टल बैलेट डाले जाते हैं, वहां पर चुनाव आयोग की ओर से कोई वीडियोग्राफी नहीं होती है। यहां तक कि यूनिट का सीओ जो सैनिक वोटर के हस्ताक्षर का सत्यापन करता है, उसका नमूना हस्ताक्षर रिटर्निंस आफिसर के पास भी नहीं होता है। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस समस्या का एक ही समाधान है

[श्री सतपाल महाराज]

कि जो सैनिक जहां पर तैनात हो, वहीं पर उसके लिए वोट डालने का प्रावधान हो और पोस्टल बैलेट प्रणाली को पूर्णत: समाप्त किया जाए, जिससे कि आम जनता और सैनिकों के मताधिकार का प्रयोग करने की समानता हो।

महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो हमारी वोटर लिस्ट थी, उसमें 80,000 मतदाताओं के वोट दो महीने पहले ही काट दिए गए। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि लोगों को समय नहीं मिल पाता है यह जानने का कि उनका नाम क्यों काट दिया गया, इसलिए इस तरफ भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तराखण्ड में पेयजल की बड़ी समस्या है। पहाड़ की चोटियों पर पानी का अभाव है और ग्लोबल वार्मिंग के जरिए वातावरण में जो गर्मी पैदा हो रही है, वाटर परकुलेशन कम हो गया, उससे पहाड़ों पर पानी की भयंकर समस्या पैदा हो गयी है। पहाड़ों के कई परिवारों में एक व्यक्ति पानी लाने और पानी भरने के लिए दिन भर लगा रहता है। इस गंभीर संकट से हमें निजात पाना है। इसके लिए जो प्रस्तावित योजनाएं हैं, उन पर शीघ्र कार्य होना चाहिए ताकि उत्तराखण्ड में पानी की जो भयंकर समस्या है, लोग उससे निजात पा सकें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पौड़ी जिले के अन्दर चौबट्टाखाल पम्पिंग पेयजल योजना, पूर्वी नयार में महादेवी से बरसुण्डा महादेव तक पम्पिंग पेयजल योजना देव कुण्डई तल्ली पेयजल योजना, बवासा गुडियाना सिन्दुरी पेयजल योजना, बड़ेरो ढैय्या नागणी पेयजल योजना, केदारगली पेयजल योजना को बीरोंखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना से जोड़ना, बड़ेथ पेयजल योजना को कार्यान्वित करना और गुराड मल्ला के लिए नई पेयजल योजना बनाना, चमोली जिले में गोपेश्वर नगर से अमृत गंगा पेयजल योजना, विकास खण्ड गैरसैण में बड़ागांव पेयजल को लागू करना।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि रूद्रप्रयाग जिले में लम्बित पेयजल योजनाओं जैसे तल्लानागपुर पेयजल योजना, तिलवाड़ा सुमाड़ी पेयजल योजना, रौठिया-जवाड़ी पश्चिमी भरदार पेयजल योजना, तौला पेयजल योजना, पिल्लू-जंगही पेयजल योजना, अमस्त्यमुनि पेयजल योजना, बसुकेदार-डांगी-सोगना पेयजल योजना को पूरा किया जाए।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पहाड़ों में आग का बहुत प्रकोप हो रहा है। वहां के जंगल धू-धू करके जल उठे, जिसकी वजह से पूरा पहाड़ जलने लगा। इसके साथ ही वहां पर जो जड़ी-बूटियां थीं, वे भी जलने लगी। इसलिए भविष्य में उन जड़ी-बूटियों के संरक्षण के लिए हमें एक जीन बैंक बनाना चाहिए, जहां हम इन जड़ी-बुटियों का संरक्षण कर सकें। आग से जंगल के साथ-साथ गांव जल गए। गगवाड़ा के अंदर, जो मुख्यमंत्री का जनपद है, वहां पर आठ आदमी आग से जलकर मर गए। इसलिए यह बड़ी गम्भीर समस्या है, क्योंकि गांवों के अंदर फायर फाइटिंग इक्वीपमेंट्स नहीं होते हैं। जब मैं 'राष्ट्रीय सहारा' टीवी चैनल पर साक्षात्कार दे रहा था, तो वहां भाजपा के कार्यकर्ता ने बताया कि हम आस्ट्रेलिया से फायर ब्रिगेड ला रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वह हमारे पहाड़ों की आग को किस तरह से बचाएंगे। इसके लिए हमें साइंटीफिक तरीके से काम करने की जरूरत है। वहां पर सड़कें बनाई जाएं, लोगों के पास पहुंचने का माध्यम विकसित किया जाएं और गांव वालों को आग बुझाने वाले यंत्र दिए जाएं, ताकि वे आग से लड़ सकें। हमारे राज्य में फायर ब्रिगेड नाममात्र की है।

जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने देखा कि उस क्षेत्र की काफी महिलाएं टोकरी लेकर नरेगा के अंदर काम कर रही थीं और लाभ प्राप्त कर रही थीं। परंतु उन्हें एक शिकायत थी कि यह योजना तो अच्छी है, लेकिन वेतन नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार की तरफ से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नरेगा के अंतर्गत जो लोग काम करते हैं, उन्हें जो पैसा मिलता है, वह समय पर और पूरा मिले।

हमारे राज्य में कई धार्मिक स्थल हैं। वहां पर केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में धार्मिक यात्री आते हैं। वहां पर इक्वीन इंफ्लुएंजा नाम की बीमारी घोड़ों को हो गई है, जिसकी वजह से कई घोड़े मर गए। यह एक गम्भीर समस्या है। इसलिए वहां के लोगों को इसका उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे वे नए घोड़े ले सकें। इसके अलावा इस समस्या की तरफ तुरंत कदम उठाया जाए, जिससे इस बीमारी से भी निजात पाया जा सके।

दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। आने वाले समय में दिल्ली में कामनवैल्थ गेम्स होने हैं। इसलिए सरकार को इस तरफ ध्यान देकर इस राजमार्ग को तेज गति से बनाने का काम करना चाहिए। देहरादून के अंदर जाली ग्रांट एयरपोर्ट है। उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाना चाहिए, ताकि वहां से नेपाल और अन्य क्षेत्रों के लिए हवाई सेवा उपलब्ध हो सके। हमारे इस इलाके तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं है। इस वजह से हरिद्वार, ऋषिकेश आदि जगहों पर जो विदेशी पर्यटक आते हैं, उन्हें खासी असुविधा होती है। अगर जाली ग्रांट एयरपोर्ट को विश्व स्तरीय कर दिया जाए तो उन्हें काफी लाभ होगा।

मैं कुछ बातें अंशकालिक शिक्षकों के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां विश्वविद्यालयों में 140 अंशकालिक शिक्षक हैं, लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया गया है। इसकी मांग वे लम्बे समय से कर रहे हैं, लेकिन उनकी उक्त मांग अभी तक लम्बित है। अगर उन्हें नियमित कर दिया जाएगा तो उन्हें और बेहतर

तरीके से काम करने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड में ग्रामीण डाक सेवा का विस्तार है। वहां पर कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों को पर्याप्त हक नहीं मिल पा रहा है और न ही उन्हें केन्द्रीय कर्मचारियों की श्रेणी में रखा गया है। मेरी सरकार से विनती है कि एक समयबद्ध तरीके से उन्हें नियमित करके केन्द्रीय कर्मचारियों की श्रेणियों में लिया जाए और उनकी सेवा, भत्तों आदि का स्तर भी सरकारी कर्मचारियों जैसा किया जाए।

जब चीन ने देश पर आक्रमण किया था तो हमारे उत्तराखंड में एसएसबी ने लोगों को गुरिल्ला ट्रेनिंग दी थी। वहां पर ऐसी ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन उन्हें कोई पेंशन या अन्य सुविधा नहीं मिल रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन्हें आर्थिक सहायता देकर समुचित कदम उठाना चाहिए।

आजकल योग का काफी प्रचार हो रहा है। कई योग प्रशिक्षक हमारे उत्तराखंड में कोर्स कर रहे हैं। इसलिए पाठ्यक्रम में भी योग विषय को शामिल किया जाना चाहिए।

*[अनुवाद]*

**श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर** (परभणी): महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**सभापति महोदय:** आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है? किस नियम के अंतर्गत आप इसे पूछ रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं सका हूं।

**श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:** वह केवल विकास की बात कर रहे हैं। वे माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में नहीं बोल रहे हैं।

**सभापति महोदय:** कृपया बैठ जाइए। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

*[हिन्दी]*

**श्री सतपाल महाराज:** हमारा उत्तराखंड राज्य एक धार्मिक स्थल है। वहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। उसके लिए हमें यह देखना है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ के क्षेत्रों के साथ-साथ देवाल में जैसे लाटू-देवता है, देवप्रयाग के लस्तुपट्टी में घंटाकरण देवता है, चन्द्रबदनी है, डांडा नागराजा है। अगर ये क्षेत्र धामों की तरह विकसित होंगे तो इससे पर्यटन बढ़ेगा।

हमें यह भी देखना है कि उत्तराखंड के अंदर एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ाया जाए। वहां पैरालाइडिंग हो, बंजी-जम्पिंग हो, माउंटिंग-क्लाइबिंग हो या ट्रेकिंग हो, तो उससे पर्यटन का विकास होगा और हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा।

हमारे शहीदों का जो स्वप्न था कि चन्द्रनगर में उत्तराखंड की राजधानी स्थापित की जाए, तो वह एक ऐसी भावना है लोगों की, जिसको लोग साकार करना चाहते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि इस समय उत्तराखंड के सांस्कृतिक-सामाजिक-शैक्षिक-आर्थिक विकास के लिए, वैज्ञानिक और तर्कसंगत व जन-आकांक्षाओं के अनुरूप विकास नीतियां बनें।

''रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा,
गर शौक में तेरे जोश रहा, तस्वीर का जामा बदलेगा।
बेजार न हो, बेजार न हो, ये सारा फसाना बदलेगा,
कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, तब तो ये जमाना बदलेगा।''

मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उसने भारत में परिवर्तन लाने के लिए कदम उठाया है और हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के अंदर जो विकास के कदम उठाए हैं, उनसे हमारा भारत आगे बढ़ेगा, ऊर्जावान बनेगा। आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

*[अनुवाद]*

***श्री दुष्यंत सिंह** (झालावाड़): महोदय, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को दिए गए अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करने हेतु दिए गए अवसर पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

महोदय, भारत की अधिकांश जनता ग्रामीण भारत में बसती है। इसलिए हमें ग्रामीण भारत पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। महोदय, सरकार का कृषि क्षेत्र के लिए कुछ नया करने का प्रस्ताव है। परंतु मेरी जानकारी के मुताबिक इसका असर गांव (ग्रामीण भारत) में दिखाई नहीं देगा। फसल की लागत में वृद्धि हुई है। अत: किसानों को ''न्यूनतम समर्थन मूल्य'' देना होगा। मैं राजस्थान के हौदाती क्षेत्र से हूं जहां किसान सोयाबीन, सरसों, धनिया और लहसुन उगाते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को अपनी उपज के अच्छे मूल्य मिलें। महोदय, यद्यपि केन्द्र सरकार का मानना है कि उसने ऋण माफ किए हैं परंतु उन किसानों का क्या जिन्होंने अपने ऋण चुका दिए हैं। क्या उन्हें अपने ऋण चुका देने के लिए कोई लाभ मिलेगा।

महोदय, जल और सिंचाई सुविधाओं के बिना कृषि विकास नहीं हो सकता है। महोदय, मैं राजस्थान के झालावाड़-बरार निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं। यह क्षेत्र राजस्थान का चेरापूंजी है। वर्षा ऋतु में पानी बह जाता है। हमें खरीफ और रबी फसल के लिए पानी का संचयन करने की आवश्यकता है। हमें अपने कृषि विभाग

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री दुष्यंत सिंह]

के कार्मिकों को अपने क्षेत्र की फसल पद्धति की पानी की आवश्यकता के अनुरूप रोडमैप तैयार करने का दायित्व सौंपने की भी आवश्यकता है। इसलिए, इन जल परियोजनाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। सामान्यत: सरकारी विलंब और लाल-फीताशाही के कारण इन जल परियोजनाओं में विलंब होता है। ग्रामीण भारत को समुचित सिंचाई सुविधाएं मिलना सुनिश्चित करने हेतु इन विलंबकारी स्थितियों का समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए।

किसानों की उपज को पुन: प्रसंस्कृत करने पर भी विचार किया जाना चाहिए और हमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जिससे खाद्य उत्पाद के मूल्य में वृद्धि हो सके। उदाहरण के लिए पुन: प्रसंस्करण के बाद सोयाबीन से तेल का उत्पादन किया जा सकता है।

महोदय, केन्द्र सरकार बैंकों के पुनरुद्धार पर विचार कर रही है जो कि एक अच्छा विचार है। परंतु इस विचार पर हमें कुछ नया करने की आवश्यकता है। ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण बैंकों से ऋणों पर निर्भर है। परंतु इन बैंकों के कार्मिक ऋणों को मंजूरी देने के लिए आम आदमी को बैंकों के अनगिनत बार चक्कर लगवाते हैं। कभी-कभी तो बैंक के कार्मिक किसानों से रिश्वत भी मांगते हैं।

महोदय, मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार नरेगा (एनआरईजीए) योजना के अंतर्गत कार्य के दायरे को बढ़ाएगी। परंतु श्रमिकों को भुगतान किए जाने के तरीके में गतिरोध है। सरकार डाकघरों का पुनरुद्धार करने पर विचार कर रही है। ये डाकघर और बैंक सुनिश्चित करेंगे कि नरेगा परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को समय पर भुगतान किया जाए और कार्य की गुणवत्ता कायम रहे और आने वाले समय में आम-आदमी द्वारा इसे इस्तेमाल किया जा सके।

महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 60 वर्षों के पश्चात् ग्रामीण भारत में पेयजल की कमी है। हम कहते हैं कि जहां पानी की कमी है वहां टैंकर पानी दे रहे हैं। हमें पेयजल योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और उन पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। पेयजल योजनाओं के संचालन हेतु ग्राम पंचायत को प्रशिक्षित करना होगा। कुछ पंचायतों के व्यक्ति सुप्रशिक्षित और शिक्षित नहीं हैं। इसलिए उन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा इस कारण दे पाये हैं क्योंकि छात्रों को मध्याह्न भोजन मिलता था (स्थानीय शासन से परामर्श करके गैर-सरकारी संगठन द्वारा किया जाता है) इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह था कि छात्र विद्यालय जाएं। परंतु इस मामले में और कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा के लिए अधिक धनराशि निर्धारित की जानी चाहिए।

महोदय, मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हौदाती क्षेत्र में स्थित है जो अपने शैक्षिक कस्बे कोटा के लिए प्रसिद्ध है। हमें इस पर ध्यान केन्द्रित करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ज्ञान केन्द्रों की स्थापना हो। राजस्थान राज्य में एक आईआईटी और आईआईएम स्थापित किए जाने की अपेक्षा है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कोटा में एक आईआईएम और आईआईटी स्थापित करे।

महोदय, हमें अपनी वनस्पति और जीव-जंतुओं की सुरक्षा पर भी ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। बाघ विलुप्त होते जा रहे हैं और हमें अपने राष्ट्रीय गौरव को बचाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने रणथंभौर का दौरा किया था, वह बाघों के संरक्षण के लिए सहायता देंगे, परंतु हमें उन पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

हमें यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक राजनीतिक दल ने भारत पर 50 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया है। परंतु आम आदमी को अब भी खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सरकार खाद्य सुरक्षा कानून बनाना चाहती है। महोदय, हम लोग मुख्यत: कृषि उपज पर निर्भर हैं और भूमि जोतने के बाद भी हम अपने देश के गरीब परिवारों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं करा सके हैं।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार जरूरतमंद लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना चलाएगी और वह इसका विस्तार भूमिहीन श्रमिकों, बुनकरों आदि तक करेगी। मुझे आशा है कि इससे राजस्थान के आम आदमी को भी लाभ होगा।

महोदय, यह देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि सरकार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष का पुनर्गठन कर रही है। किंतु जहां इस कोष का उपयोग किया जाए, उन पंचायतों के व्यक्तियों को लोक संवीक्षा के लिए जवाबदेह होना चाहिए। विशेषत: यदि उनकी पंचायत में किया गया कार्य निम्न स्तरीय है। हमें उन्हें जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि स्वयं सहायता समूह को सहायता दी जाएगी। परंतु हमें वेब-आधारित सोल्यूशन पर कार्य करने के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जो परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा निगरानी में सरकार की सहायता करेंगे।

सरकार 'ब्रेन गेन' के नए तरीके अपनाने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजनाएं विकसित करना चाहती है। मेरा कहना है कि भारतीय

राष्ट्रीय कांग्रेस के शासनकाल में सभी प्रतिभावान व्यक्तियों ने पश्चिमी देशों में बेहतर जीवन के लिए देश छोड़ दिया है। परंतु अब हमारे देश में प्रतिभाएं हैं और अब देश जनशक्ति और मानव संसाधन को आकर्षित करने के लिए नए तरीके अपनाने पर ध्यान दे रहा है।

अवसंरचना क्रांति श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में आई थी जब सड़कों को गांवों से जोड़ा गया था। आम आदमी शेष विश्व से संपर्क करने के लिए ग्रामीण टेलीफोन का प्रयोग कर पाया था। विमानपत्तन विकास की प्रक्रिया वाजपेयी जी की सरकार ने आरंभ की थी पर इसे आगे प्रफुल जी ने बढ़ाया था। हमें आशा है कि यह अवसंरचना विकास की गति को बनाए रख पाएगी और भारत के विकास में प्रेरक के रूप में कार्य करेगी।

सरकार सरकारी उपक्रमों की 51% इक्विटी रखना चाहती है। परंतु कौन से निवेशक सरकारी उपक्रमों का अधिग्रहण करेंगे पर तभी सहमत होंगे जब तक कि उन्हें इनका स्वामित्व न दिया जाये। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सरकारी उपक्रम लाभ अर्जित करें और अपनी श्रमशक्ति बनाएं रखें।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चीनी और तेल जैसी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्य घटाए जाएं। कृषि क्षेत्र को सहायता की जानी चाहिए। बाल विकास हमारी सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है और स्वास्थ्य के संबंध में गांवों के आम आदमी को समुचित सहायता देने से जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है। हमें अपने उन अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को नमन करना होगा जिन्होंने हमारे देश का नाम विश्व में ऊंचा किया। मेरी एक मात्र चिंता है कि क्या 'नरेगा' परिवारों और गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को सरकार द्वारा किए गए वादे के अनुरूप समय पर लाभ और सहायता मिल पाएगी। देश में विद्युत की स्थिति में सुधार होगा तथा सरकार सुनिश्चित करेगी कि राजस्थान राज्य और झालावाड़ तथा बाड़ा जिले को पर्याप्त बिजली आपूर्ति की जाए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मुझे समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** (रायगढ़): सभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है, उस प्रस्ताव के समर्थन में मैं बोल रहा हूं। मैं प्रस्ताव के समर्थन में हूं लेकिन अभिभाषण में सरकार की सफलता को लेकर जो राय महामहिम राष्ट्रपति जी ने रखी है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। चुनाव के परिणाम आये और कहते हैं कि ''जो जीता वही सिकंदर''।

आज यूपीए के 206 सांसद जीतकर आये हैं और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में फिर एक बार कांग्रेस सामने है। पूरे देश की राजनैतिक स्थिति जो आज है उसमें पिछले कई वर्षों से, हमारे देश में मिलीजुली सरकारें आती रही हैं। किसी एक दल की सरकार नहीं, किसी एक पार्टी या विचारधारा की सरकार नहीं। मुझे लगता है कि यह सिलसिला अगले कई वर्षों तक इसी प्रकार चलता रहेगा और मिलीजुली सरकारों में जो प्रादेशिक पक्ष है, उसने एक अहम भूमिका निभाई है। जब से मिलीजुली सरकारों का सिलसिला शुरू हुआ है और इस चुनाव में प्रादेशिक पार्टियों की स्थिति अच्छी नहीं रही। यदि हम परिणामों के बारे में गंभीरता से सोचें और परिणामों का अध्ययन करें तो पहली बार यह दिखाई दे रहा है कि प्रादेशिक पार्टियों की स्थिति में गिरावट आई है और उनमें विभाजन हुआ है। एक उड़ीसा की बात अलग है और आप मुझसे सहमत नहीं होंगे। मैं आपको और आपकी पार्टी को बधाई दूंगा, लेकिन देश के अन्य राज्यों में यह एक वास्तविकता है कि प्रादेशिक पक्ष आपस में लड़ते रहे, चाहे तमिलनाडु हो, आंध्र हो या हमारा महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो। कुछ राजनैतिक दल राष्ट्रीय हैं लेकिन उनका अस्तित्व राज्य तक ही सीमित है।

महोदय, कोई ऐसी पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन केवल यूपी तक सीमित है, बिहार तक सीमित है। भले ही वे राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेकिन उनका अस्तित्व केवल एक राज्य तक ही सीमित है। इस प्रकार की प्रादेशिक पार्टियां हैं या जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनकी आपस की लड़ाई का फायदा कांग्रेस को हुआ है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की नीतियों को देश की जनता ने स्वीकार किया है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या यूपीए सरकार पांच साल सफल रही और उनकी सफलता के कारण आम आदमी के जीवन में बदलाव आ गया और सुखी हुआ। इस कारण कांग्रेस को जनता ने वोट दिया, ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार से प्रादेशिक पार्टियों के मतों का विभाजन हुआ, उसका लाभ इस देश में कांग्रेस को मिला और यूपीए की सरकार इस बदौलत बनी है। महामहिम राष्ट्रपति ने सरकार की जो सराहना की है, उससे मैं सहमत नहीं हूं।

सभी विषयों पर मैं आज नहीं बोलूंगा और शायद आप मुझे ज्यादा समय भी नहीं देंगे, क्योंकि मेरी पार्टी छोटी है। मेरी पार्टी में 11 सदस्य हैं, पिछली बार से एक सदस्य कम है। मुझे मालूम है कि मेरे बोलने के लिए कम समय है, लेकिन कुछ बातों की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिनके संदर्भ मेरे पूर्व सभी सदस्यों ने जिक्र किया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हमने नरेगा के माध्यम से रोजगार निर्माण किए हैं और बीपीएल बेरोजगार नौजवानों को काफी लाभ मिला है। यह बात कुछ हद तक सही है। इस बात को नकारने का कोई कारण नहीं है, लेकिन एक बात गंभीरतापूर्वक

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

सोचने की है कि यह जो स्कीम है, वह देश के सभी राज्यों में सफल नहीं है। कई राज्यों में सफलता से योजना लागू हुई है, लेकिन कई राज्यों में उतनी सफलता नहीं मिली है। मेरे राज्य महाराष्ट्र में यह योजना लगभग असफल रही है। इसी कारण मैं आज इस विषय पर बोलते हुए सुझाव देना चाहूंगा कि नरेगा के बारे में पुनर्विचार करके सुधार करने की आवश्यकता है। मैं जानकर इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि इस योजना में 60 परसेंट लेबर कम्पोनेंट है और 40 परसेंट मैटीरियल कम्पोनेंट है। इस योजना के साथ जब हम रोजगार देते हैं, तो रोजगार डेवलपमेंट के माध्यम से दे रहे हैं। जैसे मेरे से पूर्व पहले श्री मुलायम जी बोल रहे थे कि टीले पर जो तालाब इस योजना के माध्यम से बनाए जाते हैं, वे तालाब जरूर बनाए जाते हैं, लेकिन तालाब में एक बूंद पानी नहीं होता है। राज्यों में इस योजना के तहत पानी को प्राथमिकता जरूर दी गई है, इस बात से मैं सहमत हूं लेकिन हमारे देश की जो भौगोलिक रचना है, इस योजना को बनाते समय इस भौगोलिक रचना का ध्यान नहीं रखा गया है। इस कारण करोड़ों रुपयों का सही उपयोग नहीं हो पाया है। मुझे नहीं मालूम कि कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला है। मेरे पूर्ववक्ता जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मजदूरों को समय पर वेतन नहीं मिलता है, उन्हें वेतन मिलना चाहिए। नरेगा के तहत उन्हें पूरा वेतन भी नहीं मिलता है।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर इस योजना को पूरे देश में सफल बनाना है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं। मैं महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं। हमारे राज्य के पूरे पहाड़ी क्षेत्र में से सबसे ज्यादा वर्षा मेरे क्षेत्र कोंकण में होती है। हमारे कोंकण क्षेत्र की 40 किलोमीटर की चौड़ाई है। एक तरफ सहयाद्री पहाड़ के टीले हैं और दूसरी तरफ अरब सागर है। वर्षा के एक घंटे बाद पानी समुद्र में जा कर मिलता है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पानी जमीन पर भी नहीं रुकता है। अगर आप वहां बांध भी बनाते हैं, तो भी वहां पानी रुकने की सम्भावना कम है। ऐसी जगह पर यदि हम यह कहें कि 80 प्रतिशत काम केवल जल संसाधन के करें, तो मेरे क्षेत्र में एक भी काम पिछले साल नहीं हो पाया है। एक भी काम नरेगा का पिछले वर्ष में नहीं हो पाया। यह हालत केवल मेरे जिले की नहीं है। यह हालत महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में है। शायद देश के कई राज्यों में यह हालत हो सकती है और इसीलिए यदि इस योजना को सफल बनाना है, यदि वास्तव में हमने बीपीएल को रोजगार देना है तो इस योजना के बारे में हमें फिर से विचार करने की आवश्यकता है तथा कुछ संशोधन भी हमें इस योजना में करने की आवश्यकता है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। जो रोजगार हम नरेगा के माध्यम से दे रहे हैं, वह हम खेतिहर मजदूर को दे रहे हैं। हमारे देश में केवल खेतिहर मजदूर बेरोजगार नहीं हैं। जितने खेतिहर मजदूर बेरोजगार हैं, उससे दुगुना हमारे इंडस्ट्रियल मजदूर बेरोजगार हैं। उससे तीन गुना हमारे यहां शिक्षित बेरोजगार हैं। आज मेरे पास पूरे देश के आंकड़े नहीं हैं। लेकिन जिस महाराष्ट्र से मैं आता हूं। वहां 42 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। जब एक राज्य में 42 लाख बेरोजगार हैं तो बाकी राज्यों की स्थिति भी कैसी होगी, यह आप सोच सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इस नरेगा के माध्यम से हमने पूरे देश की बेरोजगारी खत्म कर दी है, इसी खुशी में यदि सरकार रहती है तो वह जनता के साथ धोखा और नाइंसाफी होगी। जो हमारे शिक्षित बेरोजगार तथा इंडस्ट्रियल वर्कर्स बेरोजगार हैं, उनके लिए सरकार के पास क्या योजना है? नरेगा भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही है। इसीलिए सरकार को यदि बेरोजगारी हटानी है तो सरकार को चाहिए कि जो राज्य के मुद्दे हैं, उनको भी लेकर सरकार को योजना बनाने की आवश्यकता है लेकिन महामहिम राष्ट्रपति महोदया के पूरे अभिभाषण में इस प्रकार के बेरोजगारों के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है। नरेगा के अलावा कोई और उल्लेख इसमें नहीं है।

आज यह स्थिति है कि विदेश से हमारे यहां जो गया आई.टी. सैक्टर में आज बड़ी संख्या में अमरीका से लोग वापस आ रहे हैं और अमरीका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा का यह स्टेटमेंट आया था कि अब हमारा आई.टी. का बैंगलोर हब नहीं होगा, अब यहां की इंवेस्टमेंट बैंगलोर नहीं जाएगी। वह अपने देश के हित में कह रहे हैं। अमरीका एक पूरा विकसित देश है, दुनिया की महासत्ता वह अपने आप को मानते हैं, उनके राष्ट्रपति भी अपने बेरोजगारों की चिन्ता करते हुए कह रहे हैं कि अगली बार इसके आगे बैंगलोर में इंवेस्टमेंट नहीं होगी और यदि होगी तो अपने देश में होगी, बफेलो में होगी। जिस तरह से वहां के राष्ट्रपति सोचते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार इस ढंग से यहां सोचती है जबकि बीपीएल परिवार यहां 38 प्रतिशत हैं। ये आंकड़े एक दिखावा है। जो हमारे यहां छोटे और मध्यम किसान हैं, उनकी हालत तो बीपीएल से भी बदतर है। जो छोटे किसान हैं, जो सिंगल क्राप लेकर रखते हैं, जो केवल वर्षा के पानी पर निर्भर करते हैं, उनकी साल में एक फसल होती है चाहे चावल की हो या और कोई हो लेकिन साल में एक फसल उगाते हैं और उनके पास हेक्टर में भी लैंड नहीं है। किसी के पास आधा एकड़ है, किसी के पास क्वार्टर एकड़ है, किसी के पास एकड़ है और ऐसे किसान हमारे देश में लगभग 20 करोड़ हैं जिनकी हालत बीपीएल से भी बदतर है। चूंकि रेवेन्यू रिकार्ड में उनके पास जमीन है, इसलिए उनको बीपीएल की कोई सुविधा नहीं मिलती। इसीलिए बीपीएल के बारे में आज हमने जो बीपीएल का मानदंड बनाया है, उसके ऊपर भी हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आज भी बीपीएल के सही लाभार्थी चुने नहीं जाते। कई जगह आपको यह दिखाई देगा कि केवल लैंड या

मकान उसके पास नहीं है, झुग्गी-झोंपड़ी उसके पास है, वह एक किसान है जिसके पास आधा एकड़ लैंड है, सिंगल क्राप है। वह किसान आधा एकड़ जमीन और सिंगल क्राप में अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता है। उसके पास आधा एकड़ जमीन, झुग्गी झोंपड़ी है क्योंकि उसके पास मकान है। इसलिए वह बीपीएल क्राइटेरिया में नहीं आता। उसके पास आधा एकड़ जमीन है वह बीपीएल क्राइटेरिया में नहीं आता इसलिए बीपीएल की डेफिनेशन का गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हमें नए सिरे से बीपीएल का चयन नया क्राइटेरिया बनाकर करना चाहिए क्योंकि जो लाभार्थी हैं, जिन्हें बीपीएल की आवश्यकता है, उनका चयन नहीं हो रहा है और जिन्हें आवश्यकता नहीं है उनका चयन हो रहा है। मैं आपको उदाहरण दूंगा कि एक परिवार, जिसकी खेतीबाड़ी है, इनकम है लेकिन उसकी सारी खेती घर के प्रमुख यानी पिता के नाम पर है। बेटे के नाम कुछ नहीं है। सालाना आय दो लाख रुपए है इसलिए वह बीपीएल नहीं बन सकता लेकिन उसका बेटा बीपीएल कार्ड होल्डर है क्योंकि बेटे के नाम जमीन नहीं है, खेती नहीं है। एक तरफ एक पिता, जिसकी दो लाख रुपए सालाना इनकम है, उसका बेटा बीपीएल होता है और दूसरी तरफ जिसके पास आधा एकड़ जमीन है, सिंगल क्राप है, झुग्गी-झोंपड़ी है, वह क्यों नहीं हो सकता? इस तरह से 20 करोड़ किसान हैं, गरीबी कैसे हटेगी? बेरोजगारी कैसे कम होगी? इसलिए हमें वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के क्राइटेरिया में सुधार की आवश्यकता है, नई गाईडलाइन बनाने की आवश्यकता है। यदि सचमुच बेरोजगारी हटानी है तो आज हमारे यहां जितनी इंडस्ट्रियल बेरोजगारी बढ़ी है उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। मुझे इस अभिभाषण में कहीं जिक्र दिखाई नहीं दिया इसलिए मैंने उल्लेख किया।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों की आत्महत्या का कोई जिक्र नहीं है। पिछले साल के अभिभाषण में जिक्र था, अब यह इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार ने पैकेज डिक्लेयर किया है, ऋण माफ किया है। लगभग 25,000 करोड़ रुपये का डिस्बर्समेंट हो चुका है, आपने 70,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है और 20,000 या 25,000 करोड़ रुपये का डिस्बर्समेंट हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी किसानों की आत्महत्या रुकी नहीं हैं। आज भी विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज भी देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जिस कर्जे की माफी हो गई है, उसका कोई सीधा लाभ किसान को नहीं मिला है। यदि कोई कर्ज माफी से सबसे ज्यादा लाभान्वित हैं तो वे नेशनलाइज बैंक हैं, डिस्ट्रिक्ट बैंक हैं, या जिन बैंकों ने कर्ज दिया है, वे सब लाभान्वित हो चुके हैं, ये आत्महत्या से बचे हैं। बैंकों के बारे में यह आया था कि बैंक आत्महत्या करेंगी, बैंकों की आत्महत्या रुकी क्योंकि सारा एमपीए क्लियर हो गया, सारा डिफाल्ट क्लियर हो गया। सरकार की ओर से धन बैंकों के पास गया जबकि किसानों के हाथ में एक रुपया भी नहीं आया। किसान के पास सर्टिफिकेट के अलावा कुछ भी नहीं गया। चौदहवीं लोक सभा के आखिरी सत्र में मैंने इस बात को सदन के सामने रखा था कि सरकार ने किसानों के लिए जो कर्जा माफी घोषित की है उसे लागू करने में चार महीने बीत गए। उन चार महीनों में एक फसल खत्म हो गई, वह इसलिए हो गई कि चार महीने में किसी भी बैंक ने किसान को ऋण नहीं दिया। सदन में उस समय के वित्त राज्य मंत्री, श्री बंसल जी बैठे हैं, तब उनका इस सदन में जवाब था और उन्होंने स्वीकार किया था कि जो कर्जा माफ किया गया है उसकी गाईडलाइन्स फाइनल करने में समय लगा, दिशानिर्देश को बैंकों तक जाने में समय लगा। लेकिन समय इतना गया कि पूरी एक फसल खत्म हो गई। किसानों को एक फसल के लिए भी ऋण नहीं मिल पाया। आज भी किसानों को एक रुपया भी सीधा नहीं मिला। आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यदि किसानों को आत्महत्या करने से बचाना है तो आवश्यक है कि जो किसान की उपज है, वह जिस चीज की पैदावार करता है, उसे उस पैदावार का सही दाम मिले। यदि उसके माल का सही दाम मिलेगा तो वह आत्महत्या नहीं करेगा। यदि उसके माल को आप मार्केट उपलब्ध कराओगे तो वह आत्महत्या नहीं करेगा। यदि आपके पास इर्रिगेशन है, पानी है, लेकिन पम्प चलाने के लिए बिजली नहीं है, महाराष्ट्र में 14-14 घंटे लोडशैडिंग है। पानी है, पम्प है, लेकिन उन्हें चलाने के लिए बिजली नहीं है, जिसके कारण फसल सूख जाती है तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। इसलिए यदि सचमुच किसानों को बचाना है। हमारे पूरे देश की अनाज की जरूरत को किसान पूरी कर रहे हैं। यदि किसानों को बचाना है, यदि सरकार किसानों के प्रति रहमदिल है, हमदर्दी रखती है तो किसानों की जरूरतों को समझने की आवश्यकता है। उनकी खेती के लिए पानी की बहुत जरूरत है। लेकिन आज खाद की भी कमी है। आज देश में समय पर मानसून आया है। लेकिन देश के सब राज्यों में खाद की कमी है। किसान आज परेशान है, चूंकि उसे खाद नहीं मिल रही है।

सभापति महोदय, मैं अपने जिले का उदाहरण दूंगा। आप जानकारी मंगवा लीजिए, आज हमारे जिले में कहीं भी खाद उपलब्ध नहीं है। आप महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से जानकारी मंगवा लीजिए। आज खाद की कमी सब जगहों पर है। यदि समय पर खाद नहीं मिलेगी तो हम किसानों की मदद किस प्रकार से करेंगे। खाद समय पर मिलनी जरूरी है, लेकिन समय पर खाद नहीं मिल रही है। यदि सरकार को किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को रोकना है, किसानों के लिए सरकार को कुछ करना है तो किसानों की जो अपनी उपज है, किसान जो पैदावार करते हैं, उसे अपनी पैदावार का सही मूल्य मिलना चाहिए और वह किसानों को सरकार को देना चाहिए।

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

सभापति महोदय, एक और प्वाइंट पर बोलकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। उसका सबसे ज्यादा भुक्तभोगी महाराष्ट्र है। खास तौर पर 26/11 को मुम्बई पर जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद आज भी हमारे देश से यह खतरा टला नहीं है। आज भी देश पर इस खतरे का साया मंडरा रहा है। आज भी कभी भी हमारे देश पर आतंकवादी हमला हो सकता है। यह आज की स्थिति है। आंतरिक सुरक्षा के बारे में मुझे आश्चर्य हुआ, महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो दस प्वाइंट्स लिये हैं कि सरकार इन दस प्वाइंट्स की तरफ विशेष ध्यान देगी, उसमें पहले प्वाइंट में लिखा है कि आंतरिक सुरक्षा और साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखना। मेरे मन में एक सवाल उठता है कि आंतरिक सुरक्षा और साम्प्रदायिक सद्भावना ये दो अलग विषय हैं। आज देश में कहीं भी साम्प्रदायिक तनाव नहीं है। आज देश के किसी भी राज्य में, देश के किसी भी हिस्से में साम्प्रदायिक तनाव नहीं है। हमारे देश पर जो आतंकी हमले हो रहे हैं, जो पाकिस्तान द्वारा हमले हो रहे हैं, उनकी वजह से हमारी आंतरिक सुरक्षा खतरे में है। जबकि साम्प्रदायिक तनाव देश में कहीं भी नहीं है। इसलिए आंतरिक सुरक्षा को साम्प्रदायिक तनाव से जोड़ने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। लेकिन आज देश में जो आतंकी हमले हो रहे हैं या आज तक देश में जो आतंकी हमले हुए हैं, चाहे वह संसद पर आतंकी हमला हो, चाहे वह लाल किले पर हमला हो, चाहे मुंबई के रेलवे स्टेशन कांदिवली का हमला हो, चाहे गेटवे आफ इंडिया का हमला हो, चाहे श्रीनगर की विधानसभा पर हमला हो, चाहे गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमला हो, जब भी ऐसे हमले हुए हैं, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, सरकार की ओर से होम मिनिस्टर ने सदन में यही बयान दिये हैं कि इन सारे हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ऐसे हर हमले के बाद इस सदन में ये बयान दिये गये हैं कि पिछले बीस सालों में देश में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, उन सारे हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान साम्प्रदायिक सद्भाव को तोड़ना चाहता है।

आजकल अखबारों में समाचार पढ़िये, ऐसी खबरें रोज आ रही हैं कि अमरीका की ओर से पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिये आर्थिक सहायता दी जा रही है लेकिन पाकिस्तान वह पैसा आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल करने के बजाये भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिये उपयोग में ला रहा है। इन्हीं आतंकी हमलों के कारण हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, मुसीबत में है। हमारे देश में आंतरिक विवाद के कारण हमारी आंतरिक सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। इसलिये, आप सांप्रदायिक सद्भाव को आंतरिक सुरक्षा से जोड़ने का प्रयास न करें। सरकार के मन में क्या है, हमें मालूम नहीं। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदयः** कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीतेः** सभापति जी, आखिरी बात कह रहा हूं। जिन लोगों ने संसद पर हमला किया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, अफजल को फांसी देनी चाहिये लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं दी है। इसके अलावा 26 नवम्बर, 2008 को दस आतंकवादियों ने मुम्बई में हमला किया। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम):** आपने यह सब चुनाव के दौरान कहा है, और लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीतेः** माननीय गृह मंत्री जो जवाब दे रहे हैं, वह पहले सुन चुके हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने अफजल को दोषी करार दे दिया है, लेकिन उसे फांसी नहीं दी जा रही है। आज सरकार में हिम्मत नहीं है कि उसे फांसी दे। सरकार उसे बचा रही है। सरकार इस देश में साम्प्रदायिक सद्भाव को तोड़ने का काम कर रही है, यू.पी.ए. की सरकार अफजल को फांसी न देकर उसे बचा रही है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदयः** धन्यवाद। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदयः** आप पहले ही अपना समय ले चुके हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है, परंतु मुझे अगले माननीय सदस्य को बोलने के लिए बुलाना होगा। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीतेः** मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** आप मुझे कई बार कह चुके हैं कि आप अपना भाषण समाप्त करने जा रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** सभापति जी, आखिरी बात कह रहा हूं। अजमल कसाब पर कानूनी कार्यवाही चल रही है, जल्द से जल्द उसके खिलाफ फैसला होने वाला है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री पी. चिदम्बरम:** चुनाव समाप्त हो चुके हैं। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

*...(व्यवधान)*

**श्री पी. चिदम्बरम:** कृपया अब चुनावी भाषण न दें। चुनाव पिछले माह ही समाप्त हो गए थे। *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** सभापति जी, सरकार की मानसिकता के कारण कांग्रेस की यू.पी.ए. सरकार के कारण देश में आतंकवाद बढ़ रहा है। यू.पी.ए. की सरकार देश में आतंकवाद को खत्म नहीं कर पा रही है। मैं इस प्रस्ताव का तो समर्थन करता हूं लेकिन सरकार का समर्थन नहीं करूंगा। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**सभापति महोदय:** कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अनन्त गंगाराम गीते:** इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीब लोग महंगाई से परेशान हैं, इस सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। फिर भी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं लेकिन इस सरकार का समर्थन नहीं कर सकता।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

***डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी** (भुवनेश्वर): मैं आम आदमी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर नीतियां बनाने के लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा कि यह सरकार इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर पाएगी जब स्वतंत्रता के साठ साल के पश्चात् भी हम अपने पड़ोसी देशों यथा पाकिस्तान, बंगलादेश और म्यांमार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं रख पाए यद्यपि पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित है तथापि वह सिवाए भारत के अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाए हुए है। इनको अमरीका और चीन का भी समर्थन प्राप्त है और ये अमरीका से कई बिलियन डालर प्राप्त कर रहे हैं। अमरीका दिखावा करता है कि वह अच्छा मित्र है परन्तु वस्तुत: वह आंतरिक रूप से पाकिस्तान की सहायता कर रहा है और यह पूर्णत: साबित हो चुका है कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दी गई सहायता का प्रयोग वह भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियां चलाने के लिए करता है।

महोदय, मैं सरकार का ध्यान विगत में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में, विशेषत: मेरे राज्य उड़ीसा में, उनके खराब प्रदर्शन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे मजबूरन यह कहना पड़ रहा है कि मेरे राज्य में शिक्षा विशेषत: महिला साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए न्यूनतम सुविधाएं दी गई हैं। जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में शायद उड़ीसा सबसे नीचे है। पिछली लोक सभा के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनेक विश्वविद्यालयों को मान्यता दी, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि हाल में मान्यता मिले 55 चिकित्सा महाविद्यालयों में से उड़ीसा में केवल 2-3 ही हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी स्थिति अच्छी नहीं है। 'एम्स' की तर्ज पर एक 'रेफरल' संस्थान के लिए तीन वर्ष पूर्व मंजूरी दी गई थी लेकिन इसने अभी कार्य करना आरंभ नहीं किया है। जबकि राज्य सरकार पूर्ण अवसंरचना उपलब्ध करा चुकी है। विलंब मुख्यत: केन्द्र सरकार के कारण है जो इस परियोजना के लिए मंजूर की गई निधियां नहीं दे पाई है। सिर्फ यही नहीं, राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में एक ऐसा अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता है।

मुझे यह जानकर खुशी है कि सरकार ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम को 2011 तक पूरा करना चाहती है लेकिन मैं निश्चित ही सरकार को बताना चाहता हूं कि मेरे राज्य उड़ीसा में लोग लू लगने/भूख

**...*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी]

और विभिन्न जल-जनित बीमारियों से मरते हैं। राज्य की राजधानी अर्थात् भुवनेश्वर में भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। मेरा नम्र निवेदन है कि राज्य में जल समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और पर्याप्त निधियां आबंटित की जाएं। मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता के साठ वर्ष के बाद भारत सरकार उड़ीसा के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएगी।

सड़कों के मामले में भी स्थिति बेहतर नहीं है। भुवनेश्वर से बरहामपुर, भद्रक से बालासोर तक सड़क की स्थिति अत्यंत खराब है। मैं समझ नहीं पाता कि, आंकड़ों के अनुसार सरकार बुनियादी सुविधाओं पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, फिर भी राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति अत्यंत खराब है। सरकार को राज्य में यातायात की समस्या से निजात पाने के लिए कुछ और उपरि पुलों के निर्माण की योजना तैयार करनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह समस्या केवल केन्द्र सरकार की सहायता से ही सुलझ सकती है। उदाहरणार्थ भारत के सबसे पवित्र स्थल भुवनेश्वर को लें। यद्यपि मेरे अथक प्रयास के बाद निधियां मंजूर की गई थीं लेकिन अभी तक कार्य आरंभ नहीं हुआ है।

सरकार ने कहा है कि एक नया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिनियमित किया जाएगा और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम गेहूं अथवा चावल की आपूर्ति की जाएगी। लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत उड़ीसा के लोगों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम चावल/गेहूं मिल रहा है और इस योजना को जारी रहने दिया जाए। सरकार हर जगह शहरी गरीबों के लिए आवास निर्माण की बात कर रही है लेकिन मेरे राज्य के लिए किसी भी योजना का कोई जिक्र नहीं है। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि झुग्गी-वासियों जिनकी संख्या केवल भुवनेश्वर में ही 5 लाख है के लिए पुनर्स्थापन योजना तैयार की जानी चाहिए।

मुझे विश्वास है कि सरकार को ज्ञात होगा कि उड़ीसा देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, जहां महिला साक्षरता निम्नतम स्तर पर है। केन्द्र सरकार से निधियां न मिल पाने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अभाव है। मैं निजी रूप से महसूस करता हूं और संभवत: केन्द्र सरकार भी इस बात से सहमत होगी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्ष के पश्चात् तो इस राज्य के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिएं।

**श्री नामा नागेश्वर राव** (खम्माम): सभापति महोदय, तेलुगू देशम पार्टी की ओर से मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी राय व्यक्त करता हूं तथा कुछ उन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना चाहता हूं जिससे समाज का निम्न वर्ग चिंतित हैं।

*[हिन्दी]*

चेयरमैन साहब, इस देश में पिछले पांच सालों में 80 हजार किसान आत्महत्यायें कर चुके हैं। देश में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र पहले और दूसरे नम्बर पर हैं जहां किसान आत्महत्यायें कर रहे हैं। सरकार ने उनके बारे में कुछ भी नहीं किया है। आज देश का बहुत बड़ा इश्यू किसान हैं जो आत्महत्यायें कर रहे हैं। सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी मानकर इसके बारे में सोचना चाहिए।

महोदय, हम लोगों के लिए स्वामीनाथन जी का कमीशन है, उसकी रिपोर्ट को अभी तक हाउस के फ्लोर पर नहीं रखा गया है। स्वामीनाथन कमीशन ने किसानों की लागत के ऊपर 50 प्रतिशत ज्यादा देकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइज देने के लिए रिकमंड किया था, उसको आज तक इस सरकार ने इप्लीमेंट नहीं किया है। इसके साथ ही किसानों को जो 4 परसेंट ट्रेड देने का था, वह भी अभी तक नहीं हुआ है। इसी तरीके से स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में किसानों के लिए जो सिफारिशें थीं वह अभी तक पूरी नहीं हो पायी हैं। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह बोलना चाहता हूं कि यह बहुत ही सीरियस इश्यू है। देश का किसान मर रहा है, देश का किसान सुसाइड कर रहा है, इस इश्यू पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप देखें तो पिछले 10 साल से फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कम हुआ है। अगर आप दशक 2001 को देखें तो उसमें 213 मिलियन टन का प्रोडक्शन था वह अब 209 मिलियन टन तक पहुंच गया है। इसी तरह से जो हमारा बफर स्टाक पहले 65 मिलियन टन था वह बफर स्टाक अब 25 मिलियन टन हो गया है। ये सब इश्यू आने वाले समय में देश को बहुत दिक्कत करेंगे। इन सबके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एक तरफ हम लोगों की जनसंख्या 1.9 परसेंट से लेकर 2 परसेंट की दर से बढ़ रही है और दूसरी तरफ से फूड ग्रेन की कमी हो रही है, तीसरी ओर से किसानों द्वारा आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए।

महोदय, इसी तरह से मैं आपके माध्यम से यह बोलना चाहता हूं कि वीवर्स भी एक इश्यू है। किसानों की आत्महत्या के साथ-साथ स्टार्विंग डेथ भी हो रही हैं। इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए क्योंकि यह बहुत सीरियस इश्यू है। देश में स्टार्विंग डेथ हो रही है और हम गरीब आदमी के लिए, उसके बारे में बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भारत का निर्माण हो रहा है, लेकिन हम स्टार्विंग डेथ को नहीं रोक पा रहे हैं। इसके लिए सबको जिम्मेदार बनकर सोचना चाहिए।

महोदय, इसी तरह से गरीब व्यक्ति को 25 किलो चावल और गेहूं तीन रुपए प्रति किलो के हिसाब से देने के लिए कहा

गया है। यह प्रोग्राम हमारे फाउंडर स्वर्गीय श्री एन.टी. रामाराव जी ने वर्ष 1983 में 2 रुपये किलो चावल देकर शुरू किया था। जिन लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं था, उन लोगों के लिए हमारे श्री एन.टी. रामाराव जी ने गरीब व्यक्ति के लिए कपड़ा, मकान का प्रोग्राम शुरू किया, पक्के मकान का प्रोग्राम शुरू किया, पक्के हाउस का प्रोग्राम शुरू किया है, पहनने के लिए जनता हैंडलूम क्लॉथ भी दिया है। 27 वर्ष बाद कम से कम हमारे जो स्वर्गीय एन.टी. रामाराव जी का सपना था, आज के दिन देश में वह सब जगह मिल रहा है, यह अच्छी बात है और इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो जाना चाहिए। इसके साथ-साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कही है, यह बहुत खुशी की बात है। यह सेक्टर इंडिया में बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। इंडिया की प्रगति के लिए यह सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए एनडीए गवर्नमेंट ने उस समय गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के साथ नार्थ-ईस्ट एंड साउथ एंड नार्थ-ईस्ट का और ईस्ट एंड वेस्ट का साउथ एंड-नार्थ का भी कारीडोर बनाया। इस प्रोग्राम की वजह से पिछले 10 वर्ष में रोड्स का नेटवर्किंग काफी सुधर गया है, लेकिन इसमें और भी काफी कुछ करने की जरूरत है।

महोदय, इसके साथ-साथ आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के साथ नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोग्राम भी होना चाहिए। गोल्डन क्वाड्रीलेटरल योजना के साथ-साथ नेशनल रीवर लिंकिंग भी होनी चाहिए। नेशनल रीवर लिंकिंग की देश को बहुत जरुरत है। देश में पीने का पानी नहीं है। इरीगेशन की भी समस्या है। देश के विकास के लिए इन चीजों की बहुत आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं कि नेशनल पावर ग्रिड की भी देश को आवश्यकता है। कश्मीर से नार्थ-ईस्ट में हाइडेल प्रोजेक्ट के स्कोप को टैप करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की आश्यकता है।

महोदय, इसके साथ ही साथ ई-गवर्नेन्स के बारे में और सीटिजन कार्ड के बारे में भी कहा गया है। राजीव गांधी जी ने ई-गवर्नेन्स की बात कही थी, लेकिन देश में पहली बार चन्द्रबाबू नायडू जी ने आंध्र प्रदेश में ई-गवर्नेन्स को लागू किया। भारत सरकार को ई-गवर्नेन्स के लिए कार्य करना चाहिए, इससे देश में करप्शन खत्म हो जाएगा।

महोदय, राहुल गांधी ने एक बात कही है—

*[अनुवाद]*

"मेरे पिता राजीव गांधी कहा करते थे कि एक रुपये में से केवल 10 पैसा जरुरतमंद लोगों तक पहुंच पाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि लोगों को अभी भी केन्द्रीय विकास या कल्याण योजनाओं के अंतर्गत जारी 100 रुपये में से 10 पैसा अभी भी मिल जाते हैं।"

*[हिन्दी]*

यह बात इस सदन से संबंधित है। यदि सौ रुपये में से दस पैसे कॉमन पीपल के पास जा रहा है तो इसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। यह सिस्टम कहां से कहां जा रहा है? यह फैल्योर आफ दी सिस्टम है। इसके ऊपर सरकार को सोचने की आवश्यकता है।

महोदय, विदेशों में भारतीय मजदूर काफी संख्या में काम करने जाते हैं और भारतीय छात्र भी काफी संख्या में विदेशों में पढ़ने जाते हैं। उन पर अमरीका और आस्ट्रेलिया में हमले किए जा रहे हैं। जिस छात्र पर आस्ट्रेलिया में स्क्रूड्राइवर से हमला किया गया, वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र से है। वह अभी भी अस्पताल में है। यह पूरे देश की समस्या है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि:—

*[अनुवाद]*

"भारत की युवा आबादी स्वाभाविक रूप से अधीर है और तेजी से बदलाव देखना चाहती है। मेरी सरकार पर उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी है। हम सभी अपने आप को अगले पांच वर्षों के लिए समर्पित करें ताकि प्रत्येक दिन उस सपने को साकार करने की दिशा में हम मंजिल के करीब पहुंच सकें।"

*[हिन्दी]*

महोदय, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि जीत और हार तो चलती रहती है। यहां जितने भी लोग आए हैं, वे सब जीत कर ही आए हैं। अब कौन सी पार्टी जीती है और कौन सी हारी, यह अलग बात है। आपने अपनी गवर्नमेंट फार्म कर ली, लेकिन आपको 36.5 परसेंट वोट ही मिले हैं। इस देश के 63.5 लोगों ने आपके अगेंस्ट वोट दिया है। इस चीज को याद रखते हुए, आप काम करें। मैं इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि आप अगले पांच साल में सब का कोआपरेशन लेकर, सब की बात सुनते हुए, देश के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। देश के विकास में हम सबका सहयोग आपके साथ रहेगा।

*[अनुवाद]*

**श्री गुरुदास दासगुप्त** (घाटल): महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की प्रशंसा में विशेषरूप से इसलिए खड़ा हूं क्योंकि यह अभिभाषण जनादेश प्राप्ति के बाद संप्रग की सत्ता में वापसी के पश्चात् दिया गया है।

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं जिनका उल्लेख करना चाहूंगा। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को 3 रुपये प्रति किलो की दर से 25 किलो चावल या गेहूं देने का कदम स्वागत योग्य है। साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए कानून बनाने का लक्ष्य वास्तव में प्रशंसनीय है। मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को मजबूत बनाना भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है।

अनेक मुद्दों में से ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसका उल्लेख राष्ट्रपति महोदया ने किया है जिसकी हम निश्चित रूप से प्रशंसा करते हैं। लेकिन मुझे विवश होकर यह कहना पड़ रहा है कि इस अभिभाषण में बड़े-बड़े वायदे किए गए हैं। गंभीर आर्थिक संकट और सामाजिक समस्याओं को कम करके आंका गया है जिसके गिरफ्त में पूरा राष्ट्र है। देश में किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं का उल्लेख नहीं है। इस आर्थिक-सुनामी, जिसने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया है, उसके चलते देश में बड़े पैमाने पर श्रमिकों की होने वाली छंटनी का कोई उल्लेख नहीं है।

नकारात्मक पहलुओं की चर्चा करें तो मैं इस बात से शुरुआत कर सकता हूं कि पेंशन निधि के लिए एक नियामक की बात करना और कुछ नहीं बल्कि सामाजिक बचत को निजी क्षेत्र को देने की बात है। विशेषकर स्टाक मार्केट में जान डालने के लिए। राष्ट्रीयकृत बैंकों के पुन: पूंजीकरण से राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार की इक्विटी निश्चित रूप से कम होगी और इससे अंतत: हमारे देश में सामाजिक बैंकिंग का जो स्वरूप है वह कमजोर हो जाएगा। यह आशंका सही है, हम लम्बे समय से इस पर चिंता व्यक्त करते रहे हैं। लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की इक्विटी का विनिवेश जैसा छोटी आवश्यकताओं हेतु जमापूंजी से व्यय करने जैसा है।

श्रम सुधार की बात भी चल रही है जिसके बारे में मेरी चिंता है कि यह 300 से कम संख्या वाले श्रमिकों को नियुक्त करने वाले उद्यमों में काम करने वाले श्रमिकों के ट्रेड यूनियन अधिकार को कम करने या खत्म करने के लिए है और मुझे खुशी होगी यदि मेरी ये आशंका दूर की जाए।

महोदय, गंभीर आर्थिक स्थिति की अनदेखी की गयी है, यदि मुझे कहने की अनुमति हो तो मैं कह सकता हूं कि सी.एम.आई.ई. जिससे हम भली-भांति परिचित हैं, के अनुसार देश में वास्तव में सकल घरेलू उत्पाद घटकर 6.5 प्रतिशत हो गया है। सी.एम.आई.ई. के अतिरिक्त एक दूसरे अध्ययन के अनुसार सकल घरेलू लघु उत्पाद पूर्व वर्ष की 9 प्रतिशत की तुलना में घटकर 5.6 प्रतिशत होने की आशंका है। यह गंभीर परिदृश्य है जिसका हम सामना कर रहे हैं।

वर्ष 2008-09 में गैर खाद्य फसलों के उत्पादन में 1 प्रतिशत की कमी आई है। निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। खाद्य उत्पादन 2.2 प्रतिशत बढ़ रहा है या बढ़ सकता है या बढ़ने की संभावना है। कुल मिलाकर, यदि हम कृषि की बात करें, तो कृषि उत्पादन घटा है। इसलिए, कृषि गंभीर संकट में है। इसमें सुधार नहीं हुआ है, इसमें सुधार किया जाना है। माननीया राष्ट्रपति जी ने इस गंभीर समस्या के साथ न्याय नहीं किया है जिसके गिरफ्त में पूरा राष्ट्र है।

उद्योग की स्थिति क्या है? औद्योगिक विकास की स्थिति क्या है? औद्योगिक विकास अपने निम्नतम स्तर पर है यह और घटकर 2.7 प्रतिशत रह गया है। सी.एम.आई.ई. ने सेवा क्षेत्र के विकास दर के आकलन को भी कम कर दिया है। देश में सेवा क्षेत्र के विकास के बारे में हम बड़ी-बड़ी बाते करते रहे थे। सेवा क्षेत्र की विकास दर भी गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। अर्थव्यवस्था इतने संकट में है, कि इस बात की आशंका है कि बैंकों की अनुप्रयोज्य आस्तियां दो वर्षों में तीन गुणी होकर, 1,80,000 करोड़ रुपये हो जाएगी। अर्थव्यवस्था की यह स्थिति है। लोग ऋण लेते हैं लेकिन वापस नहीं करते। सरकार इस बात से बहुत खुश है कि सामान्य मुद्रा स्फीति 1 प्रतिशत से घटकर 0.7 प्रतिशत रह गई है। लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दो अंकों—9.6 प्रतिशत है।

हम सब विश्व बैंक की बात करते हैं। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। लोगों को विश्व बैंक की बात करनी चाहिए। विश्व बैंक क्या कहता है? विश्व बैंक कहता है कि गरीबी के मामले में भारत केवल 'सब सहारा' अफ्रीका से ही बेहतर है। गरीबी की समस्या इतनी गंभीर है। हम मात्र 'सब-सहारा' से ही आगे हैं। कितने लोग गरीब हैं? गरीबी की परिभाषा के संबंध में बहुत से विवाद हो सकते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 41 प्रतिशत आबादी मात्र 1.25 डालर प्रतिदिन पर जीवन-बसर करती है यही हमारी आर्थिक स्थिति है। क्या यह उचित है कि उस अभिभाषण में इसे वास्तव में दर किनार कर दिया गया है। जिसे मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति के लिए तैयार किया गया है?

लघु उद्योगों की समस्याओं की जांच के लिए सरकार द्वारा अन्य राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की गई है। आयोग ने हाल ही में नवीनतम रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है? हम रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार कहां है? उस आयोग के अनुसार, रोजगार की विकास दर घटकर 1.88 प्रतिशत रह गई है। सबसे भयावह क्या है? गरीबी क्रयशक्ति पर निर्भर करती है और क्रयशक्ति पारिक्रमिक, मजदूरी और वेतन पर निर्भर करती है।

**अपराह्न 4.00 बजे**

इसलिए गरीबी सीधे तौर पर परिश्रम और मजदूरी के स्तर से जुड़ी हुई है। देश की स्थिति क्या है। हम सच्चाई को जानें। सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का कहना है कि सामान्य रूप से देश में मजदूरी स्तर में गिरावट आई है। क्या सरकार इस बात से अनभिज्ञ है? फिर भारत की माननीया राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख क्यों नहीं है? मजदूरी में यह कमी कब से हो रही है। कैसा विरोधाभास है। मजदूरी में गिरावट ऐसे समय में हो रही है जब अर्थव्यवस्था ने उच्चस्तर आय विकास दर दर्ज की है। इसका मतलब है कि *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदयः** श्री दासगुप्त, अब आपके पास बहुत कम समय बचा है।

**श्री गुरुदास दासगुप्तः** महोदय, मुझे इसका पता है, परन्तु मैं समस्त देश के समक्ष गंभीर संकट का उल्लेख कर रहा हूं।

**सभापति महोदयः** परन्तु मुझे समय की बहुत चिंता है। समस्या यही है।

**श्री गुरुदास दासगुप्तः** महोदय, इसके साथ ही आपको राष्ट्र के बारे में भी चिंता करनी चाहिए।

महोदय, अब हमें इस प्रकार समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। प्रश्न यह है कि सरकारी विभागों में नौकरियों में काफी कमी आई है। रेलवे सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लाखों पद रिक्त पड़े हैं। मेरी इच्छा है कि नवनियुक्त श्रम मंत्री इस समय को ध्यान में रखेंगे और उन पदों को भरने के लिए उपाय करेंगे जो वर्षों से रिक्त पड़े हैं।

महोदय, संप्रग ने चुनाव जीता है। मेरी उनके लिए शुभकामना है। मेरा अभिवादन लेने के लिए कोई भी वरिष्ठ मंत्री यहां नहीं है।

*[हिन्दी]*

फारूख साहब, आपको और सरकार को चुनाव जीतने की बधाई दे रहा हूं। लेकिन इसके साथ यह भी हम बोलना चाहते हैं, ख्याल रखिएगा हिन्दुस्तान की मुसीबत क्या है।

*[अनुवाद]*

इस संकट पर ध्यान दें जो भारत के सामने है, कृपया उस आर्थिक संकट को याद रखिए जिसने देश को गिरफ्त में ले रखा है, कृपया याद कीजिए।

*[हिन्दी]*

मेहरबानी करके सोच-विचार कीजिए, कि नीति में परिवर्तन करने की जरूरत है या नहीं। मेहरबानी करके आप इस पर विचार कीजिए।

*[अनुवाद]*

कृपया सोचिए कि क्या आर्थिक नीतियों में मौलिक परिवर्तन की जरूरत है या नहीं, जिसे इस सरकार ने जारी रखा है जिससे यह गंभीर स्थिति पैदा हुई है, जिसका हम आज सामना कर रहे हैं।

महोदय, मैं आडवाणी जी की बात से सहमत नहीं हूं। उनकी बात हम नहीं मानते हैं कि यह जनादेश द्वि-ध्रुवीय है जिसका मतलब है कि कांग्रेस और भाजपा इस देश की राजनीतिक नीतियां तय करेंगी। मैं नहीं मानता की चुनाव का परिणाम दो-दल प्रणाली के पक्ष में है। भारत में भिन्न-भिन्न राजनीतिक विचारधाराओं को देखते हुए यहां बहु-दलीय व्यवस्था की आवश्यकता है।

**अपराह्न 4.03 बजे**

[**डा. गिरिजा व्यास** *पीठासीन हुई*]

**सभापति महोदयाः** कृपया समाप्त कीजिए।

**श्री गुरुदास दासगुप्तः** महोदया, मैं उस धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहा हूं जिसे आपने शुरू किया था और इसलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ी उदारता दिखाएंगी। महिलाएं हमेशा उदार होती हैं और मैंने अपने जीवन में पाया है कि आपके सहित सभी महिलाएं बहुत उदार होती हैं।

**सभापति महोदयाः** इसलिए, आपने जो कहा है उसको सही साबित करने के लिए आपको मैं और दो मिनट देती हूं।

**श्री गुरुदास दासगुप्तः** मैं इस बात को नहीं मानता की जनमत दो-दल व्यवस्था के पक्ष में है। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की व्यापक विश्वविद्यालय को देखते हुए बहु-दलीय प्रणाली पूर्ण रूप से स्थापित हो गई है। ऐतिहासिक काल से वामपंथ का राजनीतिक प्रणाली में स्थान रहा है। मुझे पता है कि वामपंथ को एक गंभीर झटका लगा है और हम इसके कारणों की समीक्षा करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इससे उबर पायेंगे। हम सभी एक साथ हैं और देश को बेहतर बनाने के लिए और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास से सहयोग के लिए हम सभी तैयार हैं। सरकार को मेरी बधाई और मैं विश्वास करता हूं उन वायदो और उनके निष्पादन में कोई अंतर नहीं होगा जिसे राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में बोला है।

**सभापति महोदयाः** जो सदस्य अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे अब भी रख सकते हैं।

**श्री गुरुदास दासगुप्तः** पहले ही सत्र में आप सदस्यों को भाषण सभा पटल पर रखने के लिए कह रही हैं।

*[हिन्दी]*

***श्री गणेश सिंह** (सतना): महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने सबसे पहले लोक सभा की पहली महिला अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी है। मेरी भी हार्दिक बधाई परन्तु एक आपत्ति है। अभिभाषण में एक महिला जो दलित है का उल्लेख किया गया है। यह सही है कि मा. अध्यक्ष महोदया एक दलित वर्ग से आती हैं, लेकिन स्वयं उन्हें दलित कहना गलत है। कृपया उसमें संशोधन करते हुए दलित की जगह दलित वर्ग लिखना उचित होगा,

- अभिभाषण में भारी जनादेश प्राप्त हुआ है यह उल्लेख किया गया है। जनादेश अवश्य उन्हें मिला है लेकिन भारी जनादेश मिला है यह उल्लेख करना गलत है, क्योंकि भारी जनादेश तब होता जब स्पष्ट बहुमत होता,
- 20 पन्ने के अभिभाषण में यदि निचोड़ निकाला जाये तो सरकार ने किसी ठोस या बड़े लक्ष्य के लिए अपने को वचनबद्ध नहीं किया है,
- जैसे पहले के 5 साल बीत गये उसी तरह से आने वाला समय भी बीत जायेगा। 15वीं लोक सभा के चुनाव में भले ही बहुमत यू.पी.ए. को मिला हो लेकिन इस चुनाव में जो मुद्दे थे वह अभी भी मुंह बाये खड़े हैं,
- जैसे नागरिकों एवं देश की सुरक्षा,
- बढ़ती हुई महंगाई
- किसानों की आत्महत्या
- आर्थिक मंदी का व्यापक असर जिसके चलते करोड़ों लोग काम से बाहर हो गए,
- विदेशों में जमा काले धन को वापस लाना
- लेकिन इन बिन्दुओं पर सरकार क्या ठोस उपाय करने जा रही है, उसका उल्लेख नहीं है,
- आम आदमी सोचता था कि यह सरकार भ्रष्टाचार से सख्ती से निपटेगी लेकिन उसे पूरे भाषण से विलोपित कर दिया गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

15वीं लोक सभा के गठन के बाद सबसे पहले महिला आरक्षण ने राजनीति में धूम मचा दिया है, विधेयक का जो स्वरूप है उसका समर्थन भी हो रहा है और विरोध भी हो रहा है। मुझे लगता है कि महिलाओं में जो पिछड़ी हुई महिलाएं हैं, उनको विशेष अवसर देने का भी प्रावधान किया जाना आवश्यक है ताकि संसद एवं विधानमंडलों में सर्व समाज का बराबर प्रतिनिधित्व हो सके। मैं मानता था कि सरकार अनेक प्रमुख कार्यों में चुनाव प्रक्रिया में सुधार को भी प्रमुखता देगी लेकिन ऐसा नहीं हो सका जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री यह मांग कर रहे हैं कि लोक सभा एवं विधान सभाओं के चुनाव एक साथ हो तथा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाये ऐसी व्यवस्था की जाये।

मुझे खुशी है कि सरकार ने गरीबी रेखा के परिवारों को 3 रु. किलो गेहूं या चावल देने का निर्णय लेने जा रही है। मैं इसके लिए सबसे पहले म.प्र. तथा छत्तीसगढ़ की सरकारों को धन्यवाद देता हूं जो पहले से सस्ता खाद्यान्न अपने-अपने राज्यों में दे रही है। मुझे प्रसन्नता है कि केन्द्र सरकार उन राज्यों के निर्णय को सही मानकर देशभर में योजना का क्रियान्वयन करने जा रही है। मुझे दुख है कि लगातार देश के मध्य प्रदेश जैसे कइ राज्य हर वर्ष प्राकृतिक की विपदा का शिकार होते आ रहे हैं, लेकिन राज्यों को ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने का उल्लेख नहीं किया गया।

विगत वर्ष मध्य प्रदेश में केन्द्रीय अध्ययन दल द्वारा रिपोर्ट देने के बाद भी एक रुपया प्रदेश को नहीं दिया गया, मुझे भी लोक सभा में सरकार ने आश्वासन दिया था। इससे भेदभाव प्रदर्शित होता है जबकि केन्द्र सरकार सभी राज्यों की है और उसका सबसे साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना प्राथमिक कर्त्तव्य है। इसी तरह म.प्र. की सरकार ने जो बड़ी संख्या में गरीब जिनका नाम गरीबी रेखा में शामिल नहीं था उनकी पहचान करके 3 रु. किलो गेहूं देकर भुखमरी से बचाने का काम किया था जिनकी संख्या पहले 42 लाख परिवार थी अब जिनकी संख्या 62 लाख परिवार हो गई है उन्हें एक दाना अनाज केन्द्र सरकार ने नहीं दिया जबकि मैंने लोक सभा में मामले को उठाया था।

आज देश के कई राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह राज्यों की मदद करें लेकिन पिछले 5 वर्षों का जो अनुभव था वह अच्छा नहीं था। मध्य प्रदेश को तो जो बिजली मिलती थी वह भी काट दी गई थी। कोयला में भी कटौती कर दिया, जिससे बिजली उत्पादन में व्यापक कमी का सामना करना पड़ रहा है। आजादी के बाद पहली सरकार जब बनी तभी से नारा लगा था, रोटी, कपड़ा और मकान का, इतने वर्षों के बाद भी हम कह सकते हैं कि सभी को रोटी, कपड़ा और मकान मिल गया है? नहीं मिला।

श्री राहुल जी एक वनवासी के घर गये थे जहां उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे टूटी खाट में सूखी रोटी खाते हुए एक गरीब को देखकर द्रवित हुए थे। मैं पूछना चाहता हूं कि सन् 1952 से लेकर लगातार कांग्रेस की सरकार रही है यदि समयबद्ध कार्यक्रम चलाया गया होता तो देश के सभी जरूरतमंद गरीबों का पक्का मकान बन गया होता, लेकिन सिर्फ नारा लगाया जाता रहा उसे कार्य रूप में परिणित कराने का कार्य नहीं किया गया। इसी तरह गरीबी बढ़ रही है जिसके लिए समयबद्ध कार्यक्रमों का यदि उल्लेख होता तो बेहतर होता। आज देश के किसानों की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है, छोटे कृषक मजदूर होते जा रहे हैं। उनकी कृषि योग्य भूमि नहीं बच पा रही है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार छोटे कृषक जमीन बेच रहे हैं। यदि समय रहते रोका नहीं गया तो भयावह स्थिति बनेगी।

महोदया, विगत पांच वर्षों में देश की प्रतिष्ठा दुनिया में कम हुई है। पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध नहीं बन पाये। आज दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि पड़ोसी देशों से हमारे मित्रता के रिश्ते हैं। देश का युवा वर्ग अत्यन्त चिन्तित है। राजनीति में नेतृत्व भले ही युवाओं का बढ़ रहा है लेकिन करोड़ों युवाओं को रोजी रोटी की तलाश है। आज मैरिट बढ़ रही है लेकिन शिक्षा में समानता नहीं दिख रही है। इसीलिए बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो प्रतियोगिता से बाहर हो रहे हैं। आज तकनीकी शिक्षा बिना पैसे वालों को नहीं मिल पा रही है। इस पर तत्काल केन्द्र सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए।

देश के कई राज्यों में सूखा तथा बाढ़ से हर वर्ष तबाही होती है। मा. अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने नदियां जोड़ने की पहल की थी, मा. प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ काली सिन्धु नदी के कार्य को प्रारंभ करने हेतु एक समझौता हुआ भी था लेकिन आज तक उसका काम नहीं प्रारंभ हुआ। अगर देश को सूखा एवं बाढ़ से बचाना है तो नदियों को आपस में जोड़ना आवश्यक है। इस दिशा पर सरकार को काम करना चाहिए। देश में बीमारी एवं कुपोषण भी एक बड़ी समस्या है। लोग दवा के बगैर मर रहे हैं। पौष्टिक आहार न मिल पाने के कारण बच्चे बड़ी मात्रा में कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। जिस पर रोक लगाने के लिए कोई कारगर उपायों का उल्लेख नहीं किया गया।

अभिभाषण में रोजगार गारन्टी योजना के अनियमितताओं की सुनवाई के लिए जिला स्तर पर लोकायुक्तों का गठन किये जाने का उल्लेख किया गया है लेकिन इसके पहले रोजगार गारन्टी योजना में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना जरूरी है। आज कोई भी एजेंसियां काम नहीं करना चाहती हैं। जो काम कर रही हैं, उनके सामने अनेक गंभीर समस्यायें हैं, जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है, तभी आगे बढ़ना चाहिए। ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, रोजगार के कार्यक्रमों की पुनः समीक्षा देशभर में करना आवश्यक है।

मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं तथा केन्द्र सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह मेरे द्वारा दिये गये सुझावों पर अमल करेगी।

**श्री जयंत चौधरी** (मथुरा): सभापति महोदया, मैं अपने दल की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में काफी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की। उन्होंने मुख्य रूप से जो पांच वार्षिक रिपोर्ट जनता के समक्ष देने की बात की - पर्यावरण पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर और आधारित संरचना पर, मेरे विचार से जनता में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा स्थापित करने के लिए जनता को जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी कि इन विषयों पर सरकार की क्या नीति, योजनाएं और कार्य हैं। साथ ही जो ज्यूडीशियल रिफार्म की बात कही गई हैं, आज जनता की अपेक्षाएं हैं, खास तौर से वे जो न्याय की मांग को लेकर न्यायालयों में अफने मामले दर्ज करवाते हैं। उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले और राजनीतिक व्यवस्था के सामने जो मुश्किले हैं - राजनीतिक अपराधीकरण और राजनीतिक भ्रष्टाचार-अगर जल्द ज्यूडीशियल रिफार्म किया जाए, तो समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कही गई उस बात का भी स्वागत करता हूं जो उन्होंने सरकार में रखी हैं कि सस्टेनेबल ऐग्रीकल्चर के लिए एक नेशनल मिशन बनाया जाए। यह एक पहल होगी। परम्परागत खेती, जैविक खेती और दूसरे विकल्पों को तलाशने के लिए और किसानों को उनके बारे में जानकारी दिलाने के लिए यह एक अच्छा अवसर है। चूंकि हमारी पार्टी के नेता चौधरी अजित सिंह जी ने इस विषय पर इस सदन में एक प्राइवेट बिल भी पेश किया था, मैं साम्प्रदायिक सद्भावना के लिए सरकार की ओर से जो बात रखी गई हैं, मैं उसका अपने दल की ओर से स्वागत करता हूं। सरकार जो भूमि अधिगृहित करती है, उसे नियमित करने के लिए जो बिल पेशी की बात कही गई है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। इन बातों के साथ-साथ अनेक ऐसी चर्चाए हैं, जिन पर मैं समय की पाबंदी के कारण नहीं जा सकता। बहुत से ऐसे बिन्दु हैं जिन पर आज मुझसे अनुभवी और विद्वान नेताओं ने अपनी बातें रखीं। लेकिन बार-बार दोहराने से भी कुछ लाभ हो सकता है। शायद हारकर, थककर सरकार हमारी सुन ले। विशेष रूप से किसानों और कृषि के सामने जो समस्या है, प्रमुख रूप से मार्किट एक्सैस, मंडी तक किसान अपना माल पहुंचाए और उसे अपनी खून-पसीने की मेहनत का वाजिब मूल्य मिले। देश का किसान और मजदूर इस कठोर धरती को कैसे अपने प्रेस से सींचने का

[श्री जयंत चौधरी]

काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसे दाम नहीं मिल रहा है। मुझसे पूर्व यह बात उठ चुकी है। नेशनल पालिसी आफ फार्मर्स, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पर आधरित सन् 2007 में पारित हो चुकी है, उसमें यह बात स्वीकार नहीं की गई है कि स्वामीनाथन कमीशन ने जो बात रखी कि किसान के लिए मूल्य लागत पर आधारित होना चाहिए। अब दुनिया में किसी भी उत्पादक को ले लीजिए, उसे अधिकार है। जो बेचना चाहता है, वह लागत के आधार पर अपना मूल्य तय करता है। स्वामीनाथन कमीशन का प्रस्ताव है कि 50 प्रतिशत लाभकारी मूल्य किसान को दिया जाये, मेरी राय है, मैं अपनी पार्टी की ओर से इस मांग को रखना चाहूंगा कि इसे सरकार गंभीरता से ले। किसान के लिए सही वक्त पर, सही दाम पर इनपुट मिले। अब क्रेडिट की समस्या है। किसान को ऋण कैसे मिलता है, कैसे नहीं मिलता, हमें मालूम है। शरद पवार जी का इस विषय में एक बयान आया था। उन्होंने कहा कि 40 प्रतिशत भारत के किसान को आर्गनाइज्ड सैक्टर से लोन नहीं मिल रहा है। ऋण प्राप्त करने की इस पूरी प्रणाली में सुधार लाने और सरल बनाने की आवश्यकता है ताकि महाजन के चुंगल से किसान को छुटकारा मिल सके। साथ ही चार प्रतिशत सस्ती दरों पर देश के किसान और बुनकरों को कर्ज मिलना चाहिए। ये सब समस्याएं हैं।

सभापति महोदया, एक बिन्दु और है जिस पर राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हुई। दुनिया में विकसित देश भी कृषि के घरेलू उत्पाद का दो से तीन प्रतिशत कृषि क्षेत्र के अनुसंधान पर खर्च करते हैं। हमने कौन से नये आविष्कार निकाले हैं, कौन से नये प्रयोग निकाले हैं और किसान को उनकी जानकारी है या नहीं? 45 से ज्यादा एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का हमारे देश में क्या हाल है? पूरा का पूरा काम आउटसोर्स कर देते हैं, तो इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। कृषि के घरेलू उत्पाद का मात्र 0.5 प्रतिशत हमारे देश की सरकार खर्च कर रही है जबकि 0.7 प्रतिशत भारत जैसे अन्य कृषि प्रधान देशों में है, तो उसे बढ़ाना होगा। यहां पर पानी, सिंचाई की समस्या भी उठायी गयी है। हमारी राय में राष्ट्रीय स्तर पर उसके लिए एक काम्प्रीहैन्सिव पालिसी बनानी होगी। राज्यों में आपस में संघर्ष चल रहे हैं। पड़ोसी देशों के साथ हमें गंभीरता से बातें उठानी चाहिएं क्योंकि उनके देश में जो नदियां हैं, उनसे बार-बार हमारे देश में बाढ़ आ रही है। लोग उससे पीड़ित हैं। उस सवाल को कोई लेना वाला नहीं है। कितना पानी उद्योग के लिए, कितना पानी शहर के लिए, कितना पानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए और कितना पानी किसान के लिए है, यह कौन तय करेगा? आने वाले 20 वर्षों में यह स्थिति पैदा हो सकती है कि जैसे हम आज कच्चे तेल की खोज करते हैं और चिंतित है, उसी तरह पानी एक ऐसा रिसोर्स है, उसके लिए ठोस कदम हमें आज ही उठाने होंगे, निर्धारित करने होंगे। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदया:** आप दो मिनट में वाइंड अप कीजिए।

**श्री जयंत चौधरी:** मैडम, मुझे पहली बार बैटिंग का मौका मिला है। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदया:** इसलिए मैंने आपको पांच मिनट की जगह दस मिनट दिये हैं। अभी 30-35 मैम्बर्स और बोलने वाले हैं।

**श्री जयंत चौधरी:** ठीक है, मैं अपनी बात जल्द से जल्द समाप्त करता हूं।

**सभापति महोदया:** मैं आपकी बात समझ सकती हूं।

*...(व्यवधान)*

**श्री जयंत चौधरी:** मैं साथ ही यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश में नीतियों की कमी नहीं है। मेरा अनुभव अभी कम है, लेकिन जितनी चर्चाओं में मैं यहां शामिल हुआ, जितनी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ीं, जितनी देश की योजनाओं की मुझे जानकारी है, वे सब मुझे अच्छी लगती हैं। लेकिन उनकी वास्तविकता क्या है? उसका लाभ क्या किसान तक पहुंच रहा है, गरीब आदमी तक पहुंच रहा है? उस विषय में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। माननीय चिदम्बरम जी ने वर्ष 2007 की बजट स्पीच में यह बात कही थी कि हम किसान को फर्टिलाइज सब्सिडी दे रहे हैं, उसके लिए हम पायलट प्रोजेक्ट बनायेंगे और सीधा किसान के खाते में देने के विकल्पों को सोचेंगे। आज पढ़ा-लिखा व्यक्ति देखता है कि एक लाख 20 हजार करोड़ फर्टिलाइजर सबिस्डी मिलती है, तो यह सोचता है कि बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन क्या किसान को उसका कुछ लाभ मिल रहा है? सब्सिडी, अनुदान सरकार की ओर से मात्र सहायता नहीं है, भीख नहीं है, चैरिटी नहीं है, उसके पीछे मूल रूप से उद्देश्य होना चाहिए कि किसान को बेहतर खेती की तरफ ले जाना। उनको जागरूक करना, पर्यावरण को संभाल कर रखना, खाद्य सुरक्षा की समस्या का समाधान ढूंढना। इसलिए हमारी मांग है कि प्रोडक्ट-बेस्ड, न्युट्रिएंट-बेस्ड हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से चर्चा की आवश्यकता है। सरकार को बहुत जल्द इस पर स्पष्टीकरण करना होगा।

मैं इसके साथ ही एक अन्य पहलू आपके सामने रखना चाहूंगा कि बहुत-सी नीतियां होती हैं, यह भारत निर्माण है या सपनों का निर्माण है। एक घोषणा की गयी है कि पांच वर्ष में मलिन बस्तियों को हम मिटा देंगे, उसके बारे में मुझे थोड़ी आशंका होती है कि आप गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं या गरीबों को हटाने की बात कर रहे हैं। अपनी नजरों से गरीबों को हटाकर हम यह समझ लें कि देश प्रगति की राह पर चल दिया,

तो यह गलत होगा। हम यह चाहें कि हम ऊंची-ऊंची दीवारें खड़ी कर लें, हमारे बड़े-बड़े शहर सुरक्षित हों, स्वच्छ हों, द्वीप की तरह तो यह संभव नहीं है। हमारे शहर में रह रहे गरीबों का जो रिश्ता ग्रामीण गरीबों से है, उस रिश्ते को हमें समझना होगा। गांव की गरीबी अगर समाप्त नहीं होगी, तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। स्वर्गीय चौधरी साहब ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। वह बहुत सरल बात है और आज भी उस बात का महत्व है।

चूंकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह चर्चा की गयी है कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, यह बात रखी गयी है। आज भी उस पर चर्चा की गयी है। एक मांग काफी वक्त से उठाई जा रही है, मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूं। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र की 80 प्रतिशत महिला मजदूर जमीन पर आधारित हैं, कृषि पर आधारित हैं। किसान के लिए जो योजनाएं और नीतियां सरकार बनाती है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड आदि, उनका लाभ महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। जमीन अधिग्रहीत की जाती है, जिसके खाते में जमीन है, उसको पैसा दिया जाता है। उनको जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के 25-30 प्रतिशत परिवारों में मुखिया महिलाएं हैं, वह विडो हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। ऐसी महिलाओं को किसान का दर्जा देना चाहिए। इसी से समाज में आर्थिक रूप में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सकती है।

मैं एक नौजवान हूं। नौजवान मतदाताओं की इस चुनाव में जो रुचि थी, उनकी जो भागीदारी रही है, उसकी हमें सराहना करनी होगी। व्यवस्था के बाहर रहकर आलोचना करना बहुत आसान होता है, लेकिन व्यवस्था में शामिल होने के लिए उन्होंने वोट किया। व्यवस्था में शामिल होने के लिए हम जैसे नौजवान संसद में खड़े हो रहे हैं। हम उनकी अपेक्षाओं को कैसे पूरा करें, उस दिशा में हम सभी को मिलकर काम करना है। दूसरे देशों की तर्ज पर यूथ बजटिंग और चाइल्ड बजटिंग होनी चाहिए जैसे जेंडर बजटिंग हमारे देश में पहले से लागू है, उसी तरह सरकारी योजनाओं और निधियों के अंतर्गत कितना पैसा हम देश के भविष्य के लिए वास्तविक रूप से खर्च करने के लिए तैयार हैं, वे आंकड़े संसद में पेश होने चाहिए।

सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

*[अनुवाद]*

**श्रीमती हरसिमरत कौर बादल** (भटिंडा): सभापति महोदया, मुझे पहली बार भाषण देने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

नवगठित लोक सभा के प्रथम अभिभाषण में देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति को देखा जिनके साथ लोक सभा के इतिहास में प्रथम महिला लोक सभा अध्यक्ष थीं, राष्ट्र ने उन्हें संसद को संबोधित करते हुए देखा। इस भारतीय संसद में पहली बार 58 महिला संसद सदस्य चुनकर आई हैं। मैं नहीं समझती कि तथाकथित दुर्बल महिलाओं को सुदृढ़ करने, उनका उत्थान करने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अनिवार्य कदम उठाने का इससे बेहतर अवसर अथवा वातावरण हो सकता है।

महोदया, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और विशेष रूप से महिला आरक्षण विधेयक वाले 100-दिन के उनके कार्यक्रम के प्रथम तीन बिंदुओं की प्रशंसा करती हूं। इस विधेयक में पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में केवल केन्द्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

तथापि, यद्यपि मैं इन कदमों का हार्दिक समर्थन करती हूं, मैं समझती हूं कि हमें अपने भीतर झांकने की और यह देखने की आवश्यकता है कि स्वतंत्र भारत को देश की करोड़ों महिलाओं की आवाज पहुंचाने के लिए संसद में 58 महिलाओं को भेजने में 62 वर्ष का लंबा समय क्यों लगा।

महोदया, जब मैं अपने गांवों में, पंचायतों में जाती हूं और सरपंच के बारे में पूछती हूं तो सभी गांव वाले एक पुरुष की ओर संकेत करते हैं। जब मैं यह बताती हूं कि सरपंच तो एक महिला है, तो मुझे बताया जाता है कि ग्राम पंचायत महिला के लिए आरक्षित है और इसीलिए पति अपनी पत्नी का उपयोग सरपंच बनने के लिए करता है और वस्तुत: वही ग्रामीण मामलों को देखता है और वह महिला कुछ नहीं जानती। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया की पंचायतों में महिलाओं की 50 प्रतिशत आरक्षण की वचनबद्धता का पूरा-पूरा स्वागत करती हूं, मैं यह आशा करती हूं कि महामहिम महोदया का आशय इस प्रकार के आरक्षण से तो नहीं ही है।

इसके अलावा, महिलाओं के लिए उचित वातावरण प्रदान करना उतना ही आवश्यक है जितना कि महिलाओं को वास्तव में सशक्त बनाना आवश्यक है। सर्वप्रथम, ऐसा वातावरण प्रदान करने का अर्थ है— महिलाओं को जन्म लेने और जीने का समान अधिकार प्रदान करना। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पचास लाख से अधिक शिशु कन्याओं को उनके लिंग के कारण जन्म लेने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, हमारे देश में प्रतिदिन 2000 से अधिक अजन्मी कन्याओं को उनके जन्म के अधिकार से वंचित रखा जाता है और देश में होने वाले कुल गर्भपातों में से 90 प्रतिशत गर्भपात कन्या शिशु को नष्ट करने के लिए होते हैं।

[श्रीमती हरसिमरत कौर बादल]

जब हम महिलाओं के आरक्षण विधेयक और इसी तरह की अन्य चीजों के बारे में बात करते हैं तो हम यह पाते हैं कि हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या इतनी धड़ल्ले से जारी है कि यह मजाक की तरह लगता है। जिस बात का मुझे दु:ख होता है वह यह कि माननीय राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और प्रतिबंधित करना तो दूर रहा, इसका उल्लेख तक नहीं है। इसलिए मैं सरकार से लोगों का कन्या शिशु के प्रति सोचने के तरीके को बदलने के लिए सर्वप्रथम कई गुना बड़ी कार्य योजना बनाने और दहेज जैसी कुप्रथा को रोकने का आग्रह करती हूं क्योंकि मैं समझती हूं कि यही मुख्य कारण है जिनकी वजह से शिशु कन्या को भार समझा जाता है और कन्या भ्रूण हत्या की बात लोगों के दिमाग में आती है। लोगों के सोचने के तरीकों को बदलने के साथ-साथ हमें कन्या शिशु को जीवन में आगे बढ़ने का अवसर देना प्रारंभ करना चाहिए जो हम उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए उचित वातावरण, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि देकर कर सकते हैं। यहां तक कि मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि पेयजल और शौचालय उपलब्ध कराए जाने चाहिएं। मुझे यह कहते हुए दु:ख होता है कि मैं ऐसे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हूं जो इतना पिछड़ा हुआ है कि इसके 80 प्रतिशत क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध नहीं है। जिस क्षण कन्या पांच वर्ष की होती है, वह अपनी मां के साथ दिन में छह बार अपने सिर पर पानी का घड़ा ढोकर लाती है। पेयजल उपलब्ध नहीं होता, उसे अंधेरे में शौचालय जाना पड़ता है। यदि गांव में कोई विद्यालय है, तो वहां शिक्षक नहीं होते; वहां औषधालय नहीं होता और वहां कोई स्वास्थ्य परिचर्या भी उपलब्ध नहीं होती। ऐसे में छोटी सी कन्या कैसे शिक्षित हो सकती है और वह कैसे सरपंच बन सकती है अथवा इस संसद में पहुंच सकती है? इसलिए, मैं इस सरकार से इन सभी बातों की तह में जाने की अपील करती हूं।

अब मैं शहरी क्षेत्रों की शिशु कन्याओं की बात करती हूं। हमारी साक्षरता दर 73 प्रतिशत है। लेकिन ग्रामीण भारत में, यह मात्र 46 प्रतिशत है। अत: मैं कहूंगी कि उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि संसद में उनके आने के लिए आरक्षण प्रदान करने का अवसर प्रदान करना।

माननीय राष्ट्रपति ने यह भी उल्लेख किया कि हमारे देश की 50 प्रतिशत की जनसंख्या 25 वर्ष से कम उम्र की है और सरकार उनके सपनों का भार ढोती है। इन सपनों को केवल तभी पूरा किया जा सकता है जब हम इस सच्चाई का सामना करें कि आज का युवावर्ग नशीली दवाओं के सेवन के खतरे से जूझ रहा है। यह नशीली दवाओं का खतरा युवाओं में बहुत फैला हुआ है। यदि हम इन नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले गिरोहों को नहीं रोकते, अनेक नशा-मुक्ति केन्द्र नहीं खोलते तो न तो इस समस्या का समाधान होगा और न ही हमारे देश के युवा, जो मैं समझती हूं, हमारे देश के मेरुदंड हैं, इससे बच पाएंगे। एक उदाहरण के रूप में, मैं अपने राज्य पंजाब के परिदृश्य को प्रस्तुत करना चाहती हूं। पंजाब, सीमावर्ती राज्य होने के कारण, गोल्डन क्रिसेंट के निकट है जो अफीम के मुख्य उत्पादक देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान को मिलकर बना है। पंजाब नशीली दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र के रूप में उभरा है। हमारे देश में भेजी जा रही नशीली दवाओं की मात्रा में वृद्धि हो रही है, खासकर मेरे राज्य में 45 प्रतिशत युवा किसी न किसी नशीली दवा का शिकार हैं। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हमारे देश में जब्त की जाने वाली कुल हेरोइन का पांचवां भाग पंजाब से पकड़ा जाता है और अकेले 2008 में 502 कि.ग्रा. हेरोइन मेरे राज्य से जब्त की गयी थी। अत:, पंजाब, जम्मू और राजस्थान से सटी विशेषकर 12 कि.मी. नदी सीमा पर जहां बाड़ न होने के कारण नावों द्वारा गश्त लगाई जाती है, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सतर्कता सुदृढ़ करने के समन्वित प्रयास किए जाने चाहिएं। मुझे यह बताते हुए दु:ख होता है कि जब माननीया राष्ट्रपति युवा वर्ग को आगे ले जाने के मुद्दे पर बोल रहीं थीं, उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वह किस प्रकार हमारे देश की रीढ़ को कमजोर बनाने वाले इस खतरे से निपटेंगी।

आज, विदेशों में रह रहे हमारे युवावर्ग को हमारे देश की सहायता की जरूरत है। विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने और कार्य करने के लिए, गए युवाओं को उनकी जाति, धर्म, रंग और वेशभूषा के कारण निशाना बनाया जा रहा है। सिक्ख समुदाय अमेरिका में अथवा फ्रांस के विद्यालयों में पगड़ी धारण करने के कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं कर पाया है, अब उन्हें पगड़ी पहनने का अधिकार नहीं है, आस्ट्रेलिया में हाल ही में हुए जातीय हमलों की बात तो अलग है। केन्द्र सरकार द्वारा इन मुद्दों पर हस्तक्षेप करने के बजाए मैं आग्रह करती हूं कि हम आवश्यक कार्रवाई करें और इन पूर्वाग्रहों और गंदी मानसिकता के विरुद्ध एक संघ बनाकर युद्ध छेड़ें ताकि हम अपने विदेशों में पढ़ रहे भारतीय युवा विद्यार्थियों के विरुद्ध हो रहे जातीय हमलों को रोक सकें।

सभापति महोदया, मैं महामहिम द्वारा उनके अभिभाषण में विशेषकर किसानों के लिए 65,000 करोड़ रुपए के ऋण राहत पैकेज के बारे में उल्लेख किए गए अग्रणी कार्यक्रम के संबंध में कुछ कहना चाहती हूं। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहती हूं कि पंजाब दशकों से भारत के अन्नदाता के रूप में जाना जाता रहा है। पंजाब के गौरवान्वित किसान देश के केन्द्रीय खाद्य पूल में 50 प्रतिशत से अधिक गेहूं और चावल का योगदान देते हैं। एक ऐसे पेशे में जहां महत्वपूर्ण आद्यानों, जैसे डीजल, उर्वरक और आदानों जैसे किसानों के उत्पादों के अधिकतम बिक्री मूल्य का निर्णय केन्द्र द्वारा किया जाता है, कृषि न सिर्फ गैर-लाभकारी होती जा रही है बल्कि यह अधिकांश किसानों के लिए ऋण जाल भी

बनती जा रही है। चूंकि पंजाब की 65 प्रतिशत आबादी खेती से जुड़ी हुई है और बैंकों का पंजाब के किसानों पर कुल बकाया ऋण धनराशि, जो वर्ष 2001 में 6200 करोड़ रुपया थी, वर्ष 2008 में अब बढ़कर 14,500 करोड़ रुपये हो गयी है और पंजाब के किसानों पर आज कुल बकाया राशि लगभग 26,000 करोड़ रुपये है। हमारे देश के किसानों के लिए 65,000 करोड़ रुपए के कुल ऋण माफी पैकेज में से पंजाब के किसानों को क्या मिला? यह मुश्किल से 750 करोड़ रुपए है जो कुल पैकेज के एक प्रतिशत से थोड़ा ही अधिक है। एक राज्य जो देश के खाद्य पुल के कुल 291 खाद्यान्न में 50 प्रतिशत योगदान करता है, उसे अपने प्रयास के बदले मुश्किल से केवल एक प्रतिशत प्राप्त होता है।

*[हिन्दी]*

क्या यह पंजाब के साथ भेदभाव नहीं है, क्या यह पंजाब के किसानों के साथ भेदभाव नहीं है?

*[अनुवाद]*

मैं इस महान सभा को यह बताना चाहती हूं कि पंजाब के किसान ऋण माफी के इस असमान वितरण से पूरी तरह ठगे हुए महसूस करते हैं।

**सभापति महोदया:** महोदया, मुझे दुख है। अब आपको अपनी बात समाप्त करनी होगी।

**श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:** महोदया, कृपया मुझे दो मिनट और दीजिए। यह मेरा पहला भाषण है।

**सभापति महोदया:** इसलिए मैं आपको अपनी बात समाप्त करने के लिए कह रही हूं। इसका अर्थ है कि आप दो मिनट और लेंगी और अपनी बात समाप्त करेंगी।

**श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:** मैं शिष्टता बरतूंगी और जैसा आप कहेंगी आपकी बात का पालन करूंगी।

*[हिन्दी]*

अगर मैं बीपीएल की बात करूं तो पंजाब में बेहद गरीबी है।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदया:** महोदया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री आपके भाषण की प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको दो मिनट और दे रही हूं।

**श्रमती हरसिमरत कौर बादल:** मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देती हूं।

*[हिन्दी]*

अगर मैं बीपीएल स्कीम्स की बात करूं तो मैं यह बताना चाहती हूं कि पंजाब में बेहद गरीबी है। वहां लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। हमारे स्टेट की सरकार इन लोगों को गेहूं नहीं, चार रुपये किलो आटा और 20 रुपये किलो दाल देती है क्योंकि वहां इतनी गरीबी है। लेकिन जो सेंटर की सरकार है, आपकी सरकार है, वह इनको गरीब ही नहीं मानती। जो 45 लाख गरीब परिवार हैं उनमें से पांच लाख भी आपकी बीपीएल स्कीम्स का फायदा नहीं उठा सके। क्या देश की सरकार इस बात को नहीं जानती कि पंजाब में शैड्यूल्ड कास्ट की सबसे ज्यादा पापुलेशन है?

महोदया, पंजाब में सिर्फ 11 परसेंट बीपीएल लोग हैं, 30 परसेंट अनुसूचित जाति के लोग पंजाब में रहते हैं। अनुसूचित जाति में दलित, मजहबी, आदधर्मी, वाल्मिकी जाति के लोग पंजाब पापुलेशन का हिस्सा हैं। इनके पास न घर है, न पीने का पानी है, न नौकरी है और न ही इनके पास दो समय की रोटी जुटाने के पैसे हैं। मैडम, आपकी सरकार इन्हें बीपीएल नहीं समझती है और कोई सहायता नहीं देती है।

मैडम, जब दूसरे राज्यों को सैंट्रल टैक्सिस में से 26 परसेंट का हिस्सा मिलता है, तो क्या आप जानती हैं कि पंजाब सरकार को केवल 1.30 परसेंट हिस्सा मिलता है। मैं पूछना चाहती हूं कि पंजाब सरकार के साथ ऐसा भेद-भाव क्यों किया जाता है? चाहे सैंट्रल टैक्सेस हों, चाहे बीपीएल की स्कीम्स हों या अन्य योजनाएं हों, महोदया, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, सारे राज्यों में एक-सी मुश्किलें नहीं होती हैं, इन योजनाओं में चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो - शिक्षा के क्षेत्र में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो - कृषि के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो - इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना हो, मैं कई योजनाओं को उल्लेख कर सकती हूं, इन सारी योजनाओं के नियम ऐसे हैं कि पंजाब को एक परसेंट भी इन योजनाओं का फायदा नहीं हुआ है। जब हमने कहा कि इनमें थोड़ा बदलाव कर दिया जाए, जिससे कि पंजाब को भी फायदा मिले, लेकिन वह इंसाफ भी हमें नहीं मिला।

अंत में, मैं विनती करूंगी कि हमारे पंजाब को भी इंसाफ दिया जाए। हम इंसाफ के साथ-साथ अपना हक भी मांगते हैं। जब हम सैंटर को कुछ देते हैं, तो हमारा कुछ लेने का भी हक बनता है। आप अगर हक नहीं देना चाहते हैं, तो मैं कबीर जी के एक दोहा के द्वारा आपके द्वारा सरकार से विनती करूंगी-

"चिड़ियां चोंच भर ले गई, नदी न घटया नीर,
दान दिए धन न घटे, सो कह गए दास कबीर।"

*[अनुवाद]*

**डॉ. थोकचोम मैन्या** (आंतरिक मणिपुर): सभापति महोदया, मैं महामहिम द्वारा 4 जून 2009 को एकत्रित संसद की दोनों सभाओं के समक्ष दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। महोदया, मैं दिल से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जो महोदया आपके द्वारा लाया गया है और जिसका श्री पी.सी. चाको द्वारा अभिसमर्थन किया गया है।

महोदया, मुख्य चर्चा शुरू करने के पहले मैं संप्रग सरकार को पुन: निर्वाचित करने के लिए और हमारी नेता अध्यक्षा माननीया सोनिया गांधी और माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए इस महान देश की जनता के प्रति इमानदारी और आदर के साथ आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं संप्रग सरकार की निर्बाध रूप से सरकार बनाने तथा हर एक बात के लिए दोनों को बधाई देना हूं। यह सचमुच अति उत्तम है।

**सभापति महोदया:** मैं आपको फिर से याद पुन: कराना चाहती हूं कि आपके पास केवल पांच मिनट हैं। हम इस चर्चा के लिए पहले ही समय-सीमा बढ़ा चुके हैं।

**डॉ. थोकचोम मैन्या:** आपका धन्यवाद महोदया।

महोदया, इस महान सभा के अपने सहयोगियों और सदस्यों को उनकी सफलता तथा विशेषकर पहली बार चुनकर आए सदस्यों को धन्यवाद और बधाई देने में मुझे गर्व हो रहा है और उनकी सफलता के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।

महोदया, महामहिम ने अगले पांच वर्षों के लिए मौजूदा सरकार की संकल्पनाओं और कार्यकलापों की स्पष्ट रूप से रूपरेखा तैयार की है। यह एक सतत प्रक्रिया है। समग्र समाज और व्यापक अर्थव्यवस्था की दृष्टि भावी नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में प्रेरक तत्व का कार्य करती है। उनके भाषण में प्राथमिकताओं वाले दस व्यापक क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। जिन पर कार्य किया जाना है। आतंकवाद के प्रति सहन सीमा की नीति संबंधी सरकार की प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। आप जानते हैं कि आतंकवाद मानवता के विरुद्ध एक युद्ध है।

महोदया, मैं अब आपके माध्यम से महामहिम के अभिभाषण के पैरा सं. 10 के अंतिम वाक्य के बारे में सभा और माननीय सदस्यों की कृपा दृष्टि चाहता हूं:

> ''साथ ही सरकार पूर्वोत्तर जम्मू-कश्मीर और देश के अन्य भागों में हिंसा को छोड़ देने वाले सभी समुदायों के साथ रचनात्मक रूप से शामिल होगी।''

सभापति महोदया, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के मणिपुर राज्य का रहने वाला हूं। मैं इस कार्यवाही का सचमुच स्वागत करता हूं। मेरा राज्य अलगाववादी गतिविधियों से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। हम अलगाववाद की इस समस्या का हल ढूंढ रहे हैं। मेरी सदैव से यह राय रही है कि कोई समस्या शाश्वत नहीं होती है। प्रत्येक समस्या का हल होता है। इस मामले में शायद एक दीर्घकालिक समाधान करने की कोशिश करनी होगी और इसे करना होगा। इस प्रयोजनार्थ हमें इस विशेष गतिविधि के मूल कारण और साथ ही देश के इतिहास विशेषकर मणिपुर के बारे में जानने की आवश्यकता होती है।

महामहिम ने पांच वर्ष पहले शुरू किए गए भारत निर्माण की सफल कहानी के बारे में एक सही टिप्पण दिया है। इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, ग्रामीण दूरसंचार, ग्रामीण विद्युतीकरण, सिंचाई और सड़क संपर्क के दूसरे चरण में भारत निर्माण के बढ़ाए गए लक्ष्यों का मैं स्वागत करता हूं। देश के समान और निम्नतर विकास के लिए हमें ग्रामीण भारत का विकास करना है। ग्रामीण भारत का पूर्ण विकास किए बिना हमारी विकास प्रक्रिया कभी पूरी नहीं होगी। विकासशील देश की हर समस्या का हल उसका विकास है।

मैं सीमावर्ती राज्य से संबंध रखता हूं और हमें ज्यादा सुविधाएं और सहुलियतें नहीं मिली हैं। जैसाकि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि मैं मणिपुर राज्य का रहने वाला हूं। इस सभा के मेरे अनेक सहयोगियों ने मेरे राज्य को नहीं देखा होगा। मैं ईमानदारी से आप सभी को अपने राज्य में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप मणिपुर राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य, वनस्पति, पर्यटन स्थल, खेल कार्यकलाप, खेल संबंधी बुनियादी ढांचे, सरल, पारंपरिक जीवन शैली में रह रहे भावुक लोगों, कला और संस्कृति की उनकी समृद्ध विरासत, विश्व प्रसिद्ध 'रास लीला, प्राचीन हथकरघा और हस्तशिल्प से अवगत होंगे और उनके विकसित रख-रखाव के लिए उनकी मांग जायज है। ये सभी चीजें आपको आकर्षित भी करेंगी।

तथापि, महोदया यह कटु सत्य है कि आधुनिक विज्ञान की तरक्की के बावजूद, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जो भी प्रगति इस देश में हो रही है सीमावर्ती क्षेत्रों में वैसी प्रगति होने के लिए बहुत समय लग जाता है। हम हमेशा समझते हैं कि हमारे राज्य पर कम ध्यान दिया जाता है। लेकिन इसके लिए हमें कोई ऐतराज नहीं क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत का ही महत्व होता है। व फिर भी हम आशा करते हैं कि सुपुर्दगी प्रणाली और क्रियान्वयन के लिए कोई प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए ताकि इच्छित विकास और धनराशि उन तक पहुंचे जहां उसे पहुंचना चाहिए और सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग महसूस कर सकें कि वे भी देश के बाकी लोगों के बराबर है।

महोदया, इस बात से हम पूरी तरह अवगत हैं कि कुछ सीमावर्ती राज्यों में एकत्रित किया जाने वाला राजस्व अधिक नहीं होता है। हम केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि और ऋणों पर निर्भर हैं। हम सच्चे दिल से महसूस करते हैं इस स्थिति को जारी नहीं रहने दिया जाना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाए ताकि गई गुणा राजस्व अर्जित किया जा सके। यह असम्भव नहीं है। इन सीमावर्ती राज्यों में ऐसी बहुत सी सम्भावनाएं हैं जिनका अभी दोहन किया जाना है। मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार को इस क्षेत्र में पहल करनी चाहिए और संबंधित राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि सरकारें आत्मनिर्भर हो सकें और पूरी क्षमता से प्रगति कर सकें।

महोदया, अगले सौ दिनों के दौरान जो कदम यह सरकार उठाएगी उनमें से 25 तो वास्तव में चुनौतीपूर्ण हैं। हम इस नई सरकार के साहस की सराहना करते हैं। संप्रग शासन के पिछले पांच वर्षों को देखते हुए, उसकी सफलता निश्चित है। यह सबके भले के लिए है। इस सफलता के लिए बुनियादी विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकारी-गैर सरकारी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पीपीपी को निवेश अनुकूल बनाया जाना चाहिए।

महोदया, देश अब मिशन चला रहा है। इन मिशनों के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाना नेता पर निर्भर करता है। माननीय सदस्यगण, आज हमारे पास उत्कृष्ट नेतृत्व है। आपको याद होगा कि किस तरह नेतृत्व के बल पर लोक सभा में भारत-अमेरिका परमाणु करार को पारित कराया गया।

हमारी विदेश नीति सही दिशा में जा रही है। पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे और सौहार्दपूर्ण हैं। विश्व के जलवायु-बदलाव, जो पूरे ब्रह्माण्ड के लिए खतरा बना हुआ है उसकी समस्या का समाधान आठ राष्ट्रीय मिशनों द्वारा किया जा रहा है।

महोदया, मैं इस महान देश के नौजवानों और पिछले संसदीय चुनावों में मेरे नौजवान मित्र माननीय श्री राहुल गांधी द्वारा प्रदान किये गये सक्रिय नेतृत्व का अभिवादन करता हूं। हमें अत्यधिक सफलता मिली है और हमें उन पर गर्व है। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

**सभापति महोदया:** भाषण का शेष भाग आप सभा पटल पर रख सकते हैं।

**डॉ. थोकचोम मैन्या:** मैं अंतिम वाक्य पर आ रहा हूं।

एक बार फिर मैं आपके धन्यवाद देता हूं कि आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान किया है। मैं इस प्रस्ताव का तहेदिल से समर्थन करता हूं और इस समाननीय सभा के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे सर्वसम्मति से इसे पारित करें।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*[हिन्दी]*

**योगी आदित्यनाथ** (गोरखपुर): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोलने का अवसर दिया। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माननीय आडवाणी जी ने कहा भी है कि सदन की परंपरा रही है कि पूरा सदन समवेत स्वर में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करता है। इसलिए हम इस अभिभाषण का समर्थन करते हुए, जिन बिंदुओं पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में उल्लेख किया है, उनके बारे में बोलना चाहूंगा। मैं मुख्य रूप से कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि इस सरकार को भारी जनादेश प्राप्त हुआ है, यूपीए सरकार पुन: सत्ता में आई है। लेकिन इसे जन समर्थन या जनादेश प्राप्त हुआ है, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है, यह कहकर हम संभवत अंकगणित को झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं। यह सच्चाई नहीं है। लोक सभा के 543 सदस्यों का चुनाव हुआ और कांग्रेस को 206, यूपीए को 264 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ और उनके सदस्य जीते जबकि पूर्ण बहुमत सरकार के लिए 271 या 272 सदस्य आवश्यक थे। सत्ता और सीबीआई का दुरुपयोग किस रूप में होता है, यह हमने सरकार बनाते समय समर्थन की जो झड़ी लगी थी, उसमें देखा है। इसलिए इसे भारी जनादेश नहीं कहा जा सकता। यह जनता को झुठलाने का पुलिंदा है, इसके सिवाय कुछ नहीं है।

इसके अलावा बहुत सी बातें हैं जिन्हें इस अभिभाषण में समाविष्ट किया जाना चाहिए था लेकिन फिर भी हम यह मानकर चलते हैं कि कुछ बातों को कांग्रेस के नेतृत्व में बनी सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि उसे मौका नहीं मिला। वर्ष 1952 से लेकर अब तक या आजादी के बाद से अब तक जो सरकारें बनी हैं, इसमें बहुत कम कार्यकाल अन्य दलों को मिला है या विपक्ष को प्राप्त हुआ है अन्यथा इस देश में कांग्रेस के नेतृत्व की सरकारें रही हैं। अगर देश इन 62 वर्षों में विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाया है, एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने नहीं आया है, इसका पूरा दारोमदार और दोष अगर किसी को दिया जा सकता है तो वह कांग्रेस को दिया जा सकता है, किसी और को नहीं। यह पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। पिछले पचास

[योगी आदित्यनाथ]

वर्षों से इस देश को सिर्फ नारों और वायदों से ही चलाया जाता रहा है। ये वायदे और नारे इस भाषण में भी स्पष्ट झलकते दिखाई देते हैं। वे नारे इस रूप में हैं। बहुत सारी बातें यहां पर कही गई हैं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बेबाकी से उन पर टिप्पणी भी की हैं और बहुत कुछ बातें कही हैं। इसमें मुख्य रूप से दो बातों का समावेश करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रथम एक रैंक, एक पेंशन की जो बात कही गई है और उसके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम भी तय किया है कि जून, 2009 के अंत तक उसे पूरा कर लिया जाएगा। मुझे लगता है कि सैनिकों के प्रति इस सरकार और राष्ट्र के सम्मान को प्रदर्शित करने वाला एक स्वागतयोग्य कदम इसे कहा जायेगा और दूसरा इस देश के प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट पहचान पत्र बनाने के संबंध में है। इस देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिये हैं। वे न केवल इस देश के रोजगार पर ही, बल्कि आर्थिक रूप से भारत के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए भी बहुत सारी जगहों पर समस्या खड़ी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विशिष्ट पहचान-पत्र बनाने और इस कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से यदि सरकार पूरा कर सकेगी, जिसमें मुझे संदेह है, क्योंकि जब वोट बैंक की बात आयेगी तो सरकार उसे पूरा कर पायेगी, हमें इस पर संदेह है, लेकिन सौ दिनों का इन्होंने जो कार्यक्रम तय किया है, उन सौ दिनों के बाद पांच वर्षों तक इस सदन में हमें भी रहना है और यह सरकार पांच वर्षों तक चले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन इन पांच वर्षों में बहुत बार ऐसे अवसर आयेंगे, जब यह अभिभाषण इस सरकार के सम्मुख रखा जायेगा और उनके वायदे और उन नारों के बारे में इस सदन में आवाज अवश्य उठेगी।

सभापति महोदया, अन्य बहुत सारी चीजें हैं, जिन पर बोलना आवश्यक है।

**सभापति महोदया:** आपका समय हो गया है, मैं बता दूं। चूंकि पार्टी का जो एलाटेड टाइम है, वह पूरा हो गया है।

**योगी आदित्यनाथ:** आप धन्यवाद ही नहीं देने दे रही हैं, मैं सरकार को और महामहिम राष्ट्रपति जी धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

**सभापति महोदया:** बहुत लोग बोलना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी है, क्या करें।

**श्री लालू प्रसाद** (सारण): अभी तो शुरू ही किया है।

**योगी आदित्यनाथ:** महोदया, मैंने अभी शुरू ही किया है।

**सभापति महोदया:** आपको दो मिनट का समय और देती हूं। आप वाइंड अप कर लें। अभी 30-35 और मैम्बर्स बोलने वाले हैं। आप समझते हैं कि दो बजे तक कौन बैठेगा। जब लास्ट वाले लोग आयेंगे तो एक मैम्बर ही रहेगा।

**योगी आदित्यनाथ:** मैडम, अभी कल का पूरा दिन बाकी है।

**सभापति महोदया:** नहीं, कल 12 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच है। इसलिए 11 बजे से 12 बजे तक एक घंटे का समय और है, जिसमें कुछ और लोग बोलेंगे। प्लीज, कोआपरेट कीजिए। आपने भूमिका बहुत बड़ी बांध दी।

**योगी आदित्यनाथ:** मैं भूमिका नहीं बांध रहा हूं, जो सच्चाई है, मैं उसे ही रख रहा हूं।

महोदया, बहुत सारी चीजें हैं, जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी। इस देश में आर्थिक विपन्नता की बात होती है, लेकिन कभी भी आर्थिक विपन्नता के कारकों पर विचार नहीं किया जाता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक समान नीति पूरे देश में बने, इसके बारे में सदन विचार क्यों नहीं करता है। मुझे लगता है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके लिए स्वाभाविक रूप से उतने संसाधन जुटाने ही पड़ेंगे। लेकिन हमारे जितने भी आर्थिक संसाधन हैं, अगर आज वे पूरी तरीके से फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उसमें एक समान जनसंख्या नीति का न होना भी एक मुख्य कारण के रूप में हमारे सामने आया है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जनसंख्या नियंत्रण और इस राष्ट्र को स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करने की दिशा में सरकार कोई कदम उठायेगी, उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस देश में आज भूख के कारण मौतें हो रही हैं। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो इसके लिए दोषी कौन है? आजादी के बाद इस देश में सर्वाधिक शासन कांग्रेस ने किया और उस सबके बावजूद आज तक केवल वायदों से हम लोगों को केवल यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम यह कार्य करेंगे, हम वह कार्य करेंगे, लेकिन वायदों और घोषणाओं से न राष्ट्र का कल्याण होना वाला है और न भूख से होने वाली मौतों को ही हम रोक पायेंगे और इस देश के अंदर लाखों किसानों ने सरकार की गलत नीतियों के कारण जो आत्महत्याएं की हैं, उन्हें भी हम रोक नहीं पायेंगे।

पड़ौसी राष्ट्रों से संबंध के बारे में भी यहां पर बातें आई थीं। महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। यहां श्रीलंका और पाकिस्तान की बात आई, लेकिन भारत का सबसे नजदीकी और मित्र राष्ट्र, जिसके साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध थे, मजबूत संबंध थे, उस नेपाल के संबंध में आज तक गंभीरता से कोई चर्चा नहीं हो पाई।

सभापति महोदया, आज भारत के अंदर जितनी आतंकवाद की वारदातें हो रही हैं, कहीं न कहीं नेपाल उसका केन्द्र बनता जा रहा है। नेपाल से लगी 1751 किलोमीटर की सीमा पूरी तरह से खुली हुई है। नेपाल के साथ हमारे प्राचीन सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। नेपाल और भारत की खुली सीमा के कारण वह हम सबके लिए एक प्रकार से सुरक्षित था लेकिन आज नेपाल के अंदर माओवादियों को हम लोगों ने हावी होने दिया। भारत सरकार को नेपाल सरकार को जो मदद करनी चाहिये थी, वह नहीं करने के कारण वहां माओवाद हावी हुआ। पिछले एक सप्ताह से नेपाल के अंदर जो स्थितियां हैं, लगातार भारतीय वाहन फूंके जा रहे हैं, भारतीय सिनेमा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कोई भारतीय वहां जाये तो उन पर हमला हो रहा है, यहां आस्ट्रेलिया की बात ही नहीं है। नेपाल के साथ हमारे प्राचीन संबंध है, फिर भी ऐसी घटनायें घटित हो रही हैं। यही नहीं, नेपाल से आने वाली नदियां बाढ़ के समय भारत के अंदर आकर विभीषिका पैदा कर रही हैं। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदया:** आपकी खुद की पार्टी के 3-4 सदस्य बाकी हैं और आपकी पार्टी का केवल 30 मिनट समय बचा है।

**योगी आदित्यनाथ:** नेपाल में माओवादी गतिविधियों के कारण हमारी आंतरिक सुरक्षा को खतरा बना हुआ है और साथ ही प्राकृतिक आपदा बाढ़ से बचाने के उपाय किये जाने चाहिये। पिछले साल पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सप्तकोशी नदी की बाढ़ की विभीषिका से लाखों लोगों के घर उजड़ गये लेकिन आज तक ईमानदारी से इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किये गये। नेपाल सरकार से बातचीत करके जल परियोजनाओं - पंचेश्वर, सप्तकोशी और करनाली, भालू आदि के कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने चाहिये। इस संबंध में पूर्व में कोई उपाय नहीं किये जाने से प्रतिवर्ष लाखों लोग इस त्रासदी के शिकार होते रहे हैं। बाढ़ की चपेट में आने से बीमारियों के शिकार होते रहे हैं *...(व्यवधान)* इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब भी भारत सरकार नेपाल सरकार से बातचीत करे, आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ, नेपाल की धरती पर आतंकवादियों की गतिविधियों को प्रोत्साहन न दे, उन पर कड़ाई से नियंत्रण करे। नेपाल की नदियों से जो बाढ़ आती है, उसे कैसे नियंत्रित किया जाये और उस पानी को राष्ट्र हित में ऊर्जा के रूप में कैसे उपयोग में ला सकते हैं, इन सब बातों पर विचार किया जाना चाहिये। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में न सही लेकिन सरकार इन बातों पर अवश्य कार्यवाही करे।

सभापति महोदया, यहां आंतरिक सुरक्षा के बारे में चर्चा हुई। पिछले आंकड़े बताते हैं कि 2004 से लेकर आज तक पिछले पांच वर्षों में, जब से यह सरकार आयी है, नक्सलवाद पहले 56 जिलों में था, जो बढ़कर 200 जिलों तक पहुंच गया है। नक्सलवाद हावी होकर इस देश की सम्प्रभुता को चुनौती दे रहा है। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदया:** आपके इस एक सैनटैंस में सारी बात आ गई है। अब आपकी बात रिकार्ड पर नहीं आयेगी। *...(व्यवधान)**

**सभापति महोदया:** श्री बशीर साहब, आप बोलिये। आपका टाईम शुरू हो चुका है।

*[अनुवाद]*

**श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर** (पोन्नानी): अगर वे ऐसे ही बोलते रहे तो मुझे कोई भी सुन नहीं पाएगा। दोनों एक साथ बात नहीं कर सकते।

*[हिन्दी]*

****श्री मधुसूदन यादव** (राजनंदगांव): महोदया, माननीया राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आतंरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की बात तो कही गई है, परन्तु देश के छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों के वनवासी, आदिवासी, शासकीय कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारियों को प्रतिदिन कत्लेआम करने वाले नक्सलवाद की समस्या को निपटने के लिए कोई विशेष कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

नक्सलवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति सरकार बनाये ताकि आदिवासी व वनवासियों की रक्षा की जा सके और प्रदेशों में सुरक्षा के मामलों में यहां के रहवासी अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें।

*[अनुवाद]*

**श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर** (पोन्नानी): महोदया, मैं इस सम्माननीय सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हुआ हूं।

इस सम्माननीय सभा में मुझे मेरे प्रथम भाषण का अवसर देने के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जहां तक हमारे संगठन अर्थात् मुस्लिम लीग का संबंध है, तो हम देश की धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। मैं केरल के पोन्नानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हूं, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अत: मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारे संगठन का संबंध है, हमें संप्रग से संबंध कायम रखने पर गर्व है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर]

राष्ट्रपति अभिभाषण पर अपनी अन्य टिप्पणियों का उल्लेख करने से पहले, मैं यहां एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहता हूं। मतदान से बहुत पहले केरल सीपीएम के प्रतिष्ठित नेता–जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान है ने कहा था कि 15वीं लोक सभा में मुस्लिम लीग का एक भी सदस्य नहीं होगा। महोदया, अल्लाह की दुआ से हम यहां हैं। यह कहते हुए हमें गर्व हो रहा है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में संप्रग से हमारा गठबंधन एक सही राजनीतिक गठबंधन साबित हुआ है।

हम राजनीतिक स्थिति के साथ-साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण की विषय वस्तुओं की विस्तार से जांच करेंगे। उन संगठनों की स्थिति वास्तव में क्या है जो अपने आप को भारतीय राजनीति में दबे कुचले लोगों के हितेषी बताते हैं? सीपीएम का उदाहरण लेते हैं। केरल का कल और आज का विकास दर्शाता है कि मार्क्सवादी दल ने अपनी राजनीतिक साख खो दी है। उनकी गलतियों की वजह से उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता संकट में पड़ गई है। पूरी विनम्रता के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके पराजित होने के यही मूल कारण हैं।

**अपराह्न 4.57 बजे**

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

अब राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 28 पर आता हूं जो अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित है। अल्पसंख्यकों के संबंध में बहुत सी सिफारिशें, आयोग, आश्वासन गारंटी और वायदे किए गए हैं और इनकी संख्या बहुत है। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के अल्पसंख्यक वास्तव में इस तरह की परिस्थितियों से हताश हो चुके हैं। इसका क्या परिणाम निकला? मंडल आयोग की रिपोर्ट 1978 में आई थी; डा. गोपाल सिंह की अध्यक्षता में उच्च शक्ति प्राप्त पैनल था, जिसे श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन काल में नियुक्त किया गया था; 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। जिसमें अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर जोर दिया गया था। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1999 में पुरजोर सिफारिशों के साथ आया था; 2006 में प्रधानमंत्री का संशोधित 15-सूत्री कार्यक्रम आया और अंत में नवम्बर, 2006 में न्यायमूर्ति सच्चर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। इन सब के अलावा संवैधानिक प्रावधान भी विद्यमान है। अत: अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए दर्जनों टिप्पणियां, सिफारिशें, दिशानिर्देश तथा उदारवादी स्कीमें हैं। लेकिन इन सबके क्या परिणाम हैं? अंतिम परिणाम क्या रहे? हमें इसकी जांच करनी है।

जहां तक सच्चर समिति का संबंध है, हम सब सच्चर समिति पर चर्चा करते रहते हैं। जिसे अल्पसंख्यकों का महाधिकारपत्र कहा जाता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इसमें 19 मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप, दक्षता विकास, कारीगरी कार्यकलाप, नए विद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाना तथा ऐसी ही कुछ बहुत अच्छी सिफारिशें हैं।

**अपराह्न 5.00 बजे**

अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों को विभिन्न साक्षात्कार बोर्डों में शामिल करना, आसान ऋण सुविधाओं वाली राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोला जाना, हॉस्टल, छात्रवृत्ति, सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, मौलाना आजाद फाऊंडेशन को सुदृढ़ करना, वक्फ अधिनियम का प्रभावी और संशोधित क्रियान्वयन, समान अवसर आयोग का गठन, राष्ट्रीय डाटा बैंक, स्वायत्तशासी निगरानी तंत्र आदि सिफारिशें हैं; ये सिफारिशें बहुत अच्छी हैं। तथापि, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सभी सिफारिशें बेकार पड़ी रह जाती हैं।

इस तथ्य को मैं भुला नहीं सकता कि संप्रग सरकार ने इस संबंध में कुछ प्रशंसनीय कार्य किये हैं। इसका उदाहरण है उच्च शिक्षा संस्थाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करना; इसी तरह छात्रवृत्ति स्कीम, उसके बाद अल्पसंख्यक शिक्षा विकास के लिए एसएसए निधियां निर्धारित करना, तथा अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम पारित किया जाना।

माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में समान अवसर आयोग की स्थापना में शीघ्रता लाए जाने की घोषणा की है। इसी प्रकार उनके भाषण के अनुसार वक्फ अधिनियम को भी संशोधित किया जाना है।

इस संदर्भ में, मैं कहना चाहता हूं कि इस संबंध में गहन विचार की आवश्यकता है: ''प्रचालन नीति के बारे में क्या कहना है?'' सिफारिशें तो बहुत हैं, लेकिन कार्ययोजना के बारे में क्या कहना है, उनके क्रियान्वयन का क्या हुआ? हमें मानना होगा कि हमारी क्रियान्वयन रणनीति बहुत ही निम्न स्तर की है।

अल्पसंख्यकों के मन में यह आशंका है कि कहीं इस आयोग की स्थिति भी पिछले आयोगों की तरह न हो जाए।

**सभापति महोदय:** कृपया अब समाप्त करें।

**श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर:** महोदय, मैंने अपना भाषण अभी-अभी शुरू किया है।

**सभापति महोदय:** आपके पास केवल पांच मिनट का समय है।

**श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर:** इस बात का ध्यान रखें कि अल्पसंख्यकों के दुखों का समाधान केवल सांख्यिकी की सूचना और आंकड़ों से नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए तथा उसकी कड़ी निगरानी भी की जानी

चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सच्चर समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए ठोस कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त क्रियान्वयन की प्रगति की जांच और सत्यापन के लिए एक संसदीय समिति भी गठित की जाए।

अब, महोदय, एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है। ठीक है और यह अच्छा काम कर रहा है। लेकिन यह शक्तिहीन है क्योंकि उसके पास कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यह महसूस करता है कि अन्याय किया गया है, तथापि किसी अधिकारी को सम्मन करने की कोई शक्ति उनके पास नहीं है यह शक्तिहीन शेर के समान है जो सिर्फ गरजेगा लेकिन यह काट नहीं सकता।

मेरा सुझाव यह है कि अल्पसंख्यक आयोग को अविलंब सांविधिक शक्ति दी जानी चाहिए। मैं यह भी सुझाव दे रहा हूं कि इसे इस सरकार के 100 दिन के कार्यक्रम में शामिल किया जाए। मुझे आशा है कि सरकार ऐसा करेगी।

महोदय, अब मैं रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशों पर आता हूं और हम सभी जानते हैं कि इस आयोग ने दो वर्ष पहले अपना प्रतिवेदन सौंप दिया है। यह एक बहुत अच्छा प्रतिवेदन है जिसे आयोग ने सौंपा है क्योंकि उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई का सुझाव दिया है कि अल्पसंख्यकों की शिकायतों के निपटान हेतु क्या किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से विशाखा मामले में कहा गया है लेकिन दुर्भाग्यवश इस पर इस सभा पटल पर अभी तक चर्चा नहीं की गई है।

**सभापति महोदयः** आप अपना शेष लिखित भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

**श्री मोहम्मद ई.टी. बशीरः** कृपया मुझे दो मिनट का समय और दीजिए।

**सभापति महोदयः** कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री मोहम्मद ई.टी. बशीरः** मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। कृपया मुझे दो मिनट का और समय दीजिए।

**सभापति महोदयः** कई और सदस्य हैं जिन्हें बोलना अभी बाकी है।

**श्री मोहम्मद ई.टी. बशीरः** मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट के बारे में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि इस प्रतिवेदन को इस प्रतिष्ठित निकाय के समक्ष रखा जाए।

मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं।

**सभापति महोदयः** यह आपकी अंतिम बात होनी चाहिए जो हर व्यक्ति से संबंधित हो।

**श्री मोहम्मद ई.टी. बशीरः** हमारे कानून मंत्री जो यहां बैठे हैं वह कर्नाटक में पूर्व शिक्षा मंत्री थे। उच्चतर शिक्षा के बारे में अभिभाषण में उल्लेख किया गया है। मैं बधाई देता हूं क्योंकि हम 'प्रतिभा पलायन' के बजाए 'प्रतिभा आगम' के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह अत्यन्त सराहनीय कदम है। तथा मैं अपने देश में स्व-वित्तपोषित पेशेवर कालेजों की दयनीय स्थिति के बारे में इस प्रतिष्ठित सभा का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। दाखिले के समय प्रोफेशनल कालेज गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने अनेक विनिर्णय दिए हैं कानून मंत्री जानते होंगे उदाहरणार्थ सीएमआई न्यास, इस्लामिक एकेडेमिया, इनामदार आदि के मामले में।

महोदय, शिक्षा का व्यवसायीकरण तेजी से हो रहा है। प्रतिभाशील छात्रों की अनदेखी की जाती है और शिक्षा गरीब छात्रों की पहुंच से बाहर हो गई है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह देश में स्व-वित्तपोषित महाविद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर नियमित करने के लिए अधिनियमन आए। मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन जैसाकि आपने सुझाव दिया है, मैं अपने भाषण का शेष पाठ सभा पटल पर रखना चाहूंगा।

मैं आशावादी हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सरकार बेहतर कार्य कर सकती है। मुझे आशा है कि यह सरकार ऐसी सरकार है जो कार्य करेगी। मैं सरकार को शुभकामनाएं देता हूं और एक बार फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*मैं डा. गिरिजा व्यास द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं केरल के पोन्नानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हूं जिसका राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

मेरा संगठन मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। संप्रग की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी और प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को सहयोग देने पर हमें बहुत गर्व है। महोदय, चुनाव के बाद केरल की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो साबित हो जाएगा कि हमारा राज्य यू.डी.एफ. के लिए अच्छी सम्भावना है साथ ही वामपंथी ताकतों के लिए यह कब्र है। महोदय, मतदान से बहुत पहले सीपीएम के राष्ट्रीय स्तर के

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[मोहम्मद ई.टी. बशीर]

प्रतिष्ठित नेता ने घोषित किया था कि 15वीं लोक सभा में मुस्लिम लीग का एक भी सदस्य प्रवेश नहीं कर पायेगा। लेकिन भगवान की कृपा से हम विजयी हुए और यहां पहुंच गए हैं। सीपीएम के सभी दावे बेबुनियाद साबित हुए। अगर हम कल और आज के केरल राज्य के विकास का विश्लेषण करें तो यह कहा जा सकता है कि सीपीएम अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और वह आज ऐसे संकट का सामना कर रही है जो उसने अपने राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं किया। मैं पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि नि:संदेह यह साबित हो गया है कि भगवान महान है। अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 28, पृष्ठ 9 जो अल्पसंख्यकों से संबंधित है, पर आता हूं. अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए बहुत से आयोग, आश्वासन, गारंटी, वायदे आदि हुए थे। इनकी संख्या काफी अधिक है और देश के अल्पसंख्यक इन सिफारिशों से निराश हो चुके हैं। हम विभिन्न रिपोर्टों का विवेचन करते हैं- 1978 में मंडल आयोग आया, 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान डा. गोपाल सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय पैनल नियुक्त किया गया। उसके बाद 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई जिसमें अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया, 1999 में पुरजोर सिफारिशों के साथ अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग आया, 2006 में प्रधानमंत्री का संशोधित 15-सूत्री कार्यक्रम आया और अंत में, 2006 में ही न्यायाधीश सच्चर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। इन सबके बावजूद संवैधानिक प्रावधान भी हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बड़ी तादाद में, दर्जनों टिप्पणियां, अच्छे दिशानिर्देश और उदारवादी स्कीमें भी हैं। अब हम सच्चर समिति रिपोर्ट, जो अल्पसंख्यकों का अधिकारपत्र (मैग्ना कार्टा) माना जाता है, के बारे में बात करते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी सिफारिशें हैं:

* चिन्हित 90 अल्पसंख्यक जिलों में लक्षित हस्तक्षेप कर जन-सुविधाएं और आर्थिक अवसरों को सुनिश्चित किया जाना।
* कौशल और उद्यम विकास।
* कारीगर संबंधी गतिविधियां।
* नए विद्यालय खोला जाना।
* बालिका विद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय आदि।
* विभिन्न साक्षात्कार बोर्डों में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाना।
* अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोला जाना।
* बालिकाओं के लिए हास्टल।
* छात्रवृत्ति स्कीमें।
* सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व।
* मौलाना आजाद फाऊंडेशन को सुदृढ़ करना।
* वक्फ अधिनियम का प्रभावी और संशोधित क्रियान्वयन।
* समान अवसर आयोग का गठन किया जाना।
* अल्पसंख्यकों के संबंध में सांख्यिकी सूचना का नेशनल डाटा बैंक।
* स्वायत्त निगरानी प्राधिकरण।

महोदय, मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि अधिकांश सिफारिशें बेकार पड़ी हैं। मैं यह तथ्य भूला नहीं हूं कि संप्रग सरकार ने कुछ मुद्दों, जैसे उच्च शिक्षा संस्थाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करना, छात्रवृत्ति स्कीम के लिए एसएसए निधियां निर्धारित करना, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम पारित करने जैसे ठोस कदम उठाए हैं।

माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में यह घोषणा की थी कि समान अवसर अधिनियम को शीघ्र लाया जाएगा। यह भी उल्लेख किया गया है कि वक्फ अधिनियम में अनिवार्य परिवर्तन किया जाएगा निश्चित रूप से निराशा के धुंध में ये सभी चीजें आशा की किरण हैं। महोदय, मैं महसूस करता हूं कि सच्चर समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर कुछ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं इस बात को इंगित करना चाहता हूं कि कोई सुस्पष्ट परिचालन रणनीति, कार्य-योजना, निगरानी प्रणाली नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ राज्य इस तरह कार्य कर रहे हैं, जैसे वे इन सभी चीजों से अनभिज्ञ हों। महोदय, मैं इस बात की ओर इंगित करना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों के दिमाग में यह आशंका जोर पकड़ने लगी हैं कि क्या इस आयोग का भविष्य भी विगत में अन्य आयोगों के भविष्य की तरह ही होगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यकों के दुखों की सांख्यिकीय आंकड़े और उनकी स्थिति के आंकड़े से नहीं सुलझाया जा सकता है। ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। समयबद्ध कार्य योजना और निगरानी की आवश्यकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन सिफारिशों को लागू करने पर बल दे और इन सिफारिशों को अमलीजामा पहनाए। मैं यह भी सुझाव देता हूं कि इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी करने के लिए एक संसदीय समिति भी गठित की जाए। मुझे विश्वास है कि यह सरकार युद्ध-स्तर पर यह कार्य कर सकती है।

अब मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी करना चाहता हूं। वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन यह शक्तिहीन है। यद्यपि आयोग महसूस करता है कि अन्याय किया गया है फिर भी वे किसी अधिकारी अथवा संबंधित व्यक्ति को सम्मन नहीं कर सकते हैं। वास्तव में यह आयोग एक शक्तिहीन आयोग है। यह सिर्फ भौंक सकता है काट नहीं सकता। उनकी प्रकृति सिर्फ सिफारिशी और परामर्शी हैं और ऐसी परिस्थिति में उनकी बात कौन सुनने जा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस आयोग को सांविधिक शक्ति प्रदान करे। मैं सरकार से यह विनम्र अनुरोध करता हूं कि अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक शक्ति प्रदान किए जाने संबंधी मामले को संप्रग सरकार के 100 दिनों के कार्यक्रम में शामिल किया जाए। महोदय, अब मैं रंगनाथ मिश्र आयोग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस आयोग ने 2 वर्ष पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मैं समझता हूं कि इस आयोग ने अल्पसंख्यकों की शिकायतों को सुलझाने के लिए की जाने वाली सकारात्मक कार्यवाही के संबंध में विशेष सुझाव दिया है। इस रिपोर्ट को इस प्रतिष्ठित सभा के समक्ष अभी तक नहीं रखा गया है। मैं महसूस करता हूं इस रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा करने की सख्त आवश्यकता है। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस प्रतिवेदन को संसद के सभा पटल पर रखे। महोदय मैं हमारे देश में व्याप्त उच्चतर शिक्षा संबंधी ज्वलंत मुद्दे की ओर इस सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ज्ञान आयोग और योजना आयोग के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद गठित किया जाएगा। यह बहुत ही स्वागतयोग्य है।

मैं इस बात की हार्दिक बधाई देता हूं कि हमने प्रतिभा पलायन के बजाए प्रतिभा आगम पर चर्चा करनी शुरू कर दी है जिसके बारे में हम पिछले कई दशकों से बहुत चिंतित थे। मैं इस प्रतिष्ठित सभा का ध्यान उच्च शिक्षा से संबंधित एक मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो स्व-वित्तपोषित क्षेत्रों में प्रोफेशनल कालेजों में दाखिले के बारे में है। महोदय, इन महाविद्यालयों में दाखिला संबंधी मानदंड और कार्यविधि के बारे में भारी भ्रम की स्थिति है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि विभिन्न विनिर्णय दिए गए हैं। उन्नीकृष्णन, टीएमएफआई फाऊंडेशन, इनामदारी, इस्लामिक एकेडमी आदि जैसे मामले हैं। मैं इन मामलों की खूबियों और खामियों के बारे में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि व्यवसायीकरण बढ़ रहा है। सामाजिक न्याय नहीं किया गया है। गरीब और मेधावी छात्रों को तथाकथित अभिजात्य निजी संस्थानों से दूर रखा जाता है। प्रबंधन अपने स्वार्थों के अनुरूप इस संस्थान को संचालित करने के लिए स्वतंत्र है। माननीय कानून मंत्री श्री वीरप्पा मोइली जो कर्नाटक में शिक्षा मंत्री थे, सभा में बैठे हैं। उन्हें हमसे अधिक जानकारी होगी। महोदय इस समय मेरा कहना है कि स्व-वित्तपोषित क्षेत्रों में सभी प्रोफेशनल कालेजों के लिए एक कानून अधिनियमित करने की अनिवार्यता है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पैरा सं. 19 में महिलाओं, सामाजिक सुरक्षा संबंधी पहलुओं, गरीबों और निचले तबकों के कल्याण के प्रयोजनार्थ राहत उपायों के बारे में उल्लेख किया गया है। ये सभी अच्छी बाते हैं। मैं सरकार को बधाई देता हूं। महोदय मैं इस प्रतिष्ठित सभा के ध्यान में एक महत्वपूर्ण मामला लाना चाहता हूं जो कैंसर, गुर्दा संबंधी व्याधियों, विभिन्न उपचारों और प्रत्यारोपणों से पीड़ित पुराने रोगियों की दयनीय स्थिति के संबंध में है। इन बीमारियों से पीड़ित गरीब रोगियों को दी गई वित्तीय सहायता बहुत ही अपर्याप्त है और गरीब रोगी निजी अस्पतालों द्वारा किए जाने वाले उपचार संबंधी खर्चों का वहन नहीं कर सकते और सरकारी सुविधाएं अपर्याप्त हैं। इसलिए मैं इस बात का सुझाव दे रहा हूं कि सरकार को इन बदनसीब रोगियों की सहायता करने हेतु एक समग्र केन्द्र प्रायोजित योजना के बारे में सोचना चाहिए। महोदय, मैं अपनी बात यह कहते हुए समाप्त करना चाहता हूं कि मैं सरकार की कार्य-प्रणाली के प्रति आशावादी हूं। मैं महसूस करता हूं कि यह सरकार काम करने वाली है। मैं सरकार को बधाई देता हूं और राष्ट्रपति जी के नीति घोषणा संबंधी अभिभाषण के लिए पुनः धन्यवाद देता हूं।*

**श्री नरहरि महतो** (पुरुलिया): सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने के लिए यह अवसर प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय सदस्यों ने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उल्लेख किए गए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। मेरी पार्टी आल इंडिया फारवर्ड की ओर से मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करने के लिए बोलने के लिए खड़ा हूं। मुझे इस संबंध में मुख्य रूप से तीन बातों का जिक्र करना है और वे मुद्दे कृषि, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से संबंधित हैं।

गत पांच वर्षों में कृषि और सिंचाई में किए गए सार्वजनिक निवेश की गति में तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों अर्थात् राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माध्यम से और वृद्धि होगी। देश को आजाद हुए बासठ वर्ष हो चुके हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों ने 49 वर्ष से अधिक शासन किया है। लेकिन किसानों की स्थिति नहीं सुधरी है। अपनी पार्टी की ओर से मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र में और सार्वजनिक निवेश किया जाना चाहिए क्योंकि यह देश के गरीब और सीमांत किसानों तथा अन्य सभी निराश लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा। कृषि कार्यकलापों से जुड़े लोग दिन-ब-दिन

[श्री नरहरि महतो]

आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार द्वारा जारी सहायता समाज के निचले स्तर के लोगों तक नहीं पहुंच रही है। इसलिए इस संबंध में कृषि कामगारों हेतु एक केन्द्रीय विधान को अधिनियमित किया जाना चाहिए।

मैं पश्चिम बंगाल के एक पिछड़े जिले पुरूलिया से चुनकर आया हूं। हमारी आजादी के 62 वर्ष के बाद एक उचित सिंचाई प्रणाली का निर्माण अभी तक इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत अनेक अधूरी योजनाएं धनराशि जारी किए जाने के अभाव में दम तोड़ रही हैं। इसलिए सिंचाई सुविधाओं को गरीब किसानों की सहायता हेतु बढ़ाया जाना चाहिए। यह गरीब किसानों को वित्तीय लाभ प्रदान करने में उपयोगी साबित होगा।

किसानों को कृषि संबंधी राजसहायता सीधे दी जानी चाहिए। उर्वरक और अन्य सभी सहायक कृषि आदान और सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। सरकार को कृषि, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग क्षेत्र के एककों से जुड़े लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए। सभी फसलों को शामिल करते हुए एक व्यापक वैज्ञानिक फसल बीमा योजना को कृषि उत्पादों हेतु पर्याप्त न्यूनतम सहायता देने हेतु शुरू किया जाना चाहिए।

यदि कुछ और लघु क्षेत्र के उत्पादों हेतु उचित विपणन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो यह गरीब किसानों के लिए सहायक होगा।

ग्रामीण विकास के संबंध में कुछ नहीं किया गया है और यह बड़े खेद की बात है। परिवहन के संबंध में विशेषकर रेलवे में आजादी के 62 वर्ष बाद भी झारग्राम-पुरूलिया रेलवे लाइन की अनदेखी की गई है।

**सभापति महोदय:** आप एक महीने के बाद रेल बजट पर चर्चा के दौरान रेलवे के बारे में बोल सकते हैं।

**श्री नरहरि महतो:** ऐसा किया जाना चाहिए जो पिछड़े जिले के लिए सहायक होगा। अन्य सभी चालू कार्य के संबंध में इसे ईमानदारी से किया जाना चाहिए।

मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने के लिए यह अवसर प्रदान करने हेतु आपको पुन: धन्यवाद देता हूं।

**श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी** (विजयनगरम): महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदया श्रीमती मीरा कुमार और उपाध्यक्ष महोदय श्री कड़िया मुंडा द्वारा स्वतंत्र भारत में क्रमश: पहली महिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करने पर उन्हें बधाई देने के लिए कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

मैं 4 जून को धन्यवाद प्रस्ताव, जो माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा संसद के दोनों सदनों में दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। चुनाव में मिली विजय पर हमें बधाई दिए जाने पर मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देती हूं। निश्चित रूप से हम लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे जिन्होंने हमें निचले सदन में भेजकर हममें विश्वास व्यक्त किया।

मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि डा. मनमोहन सिंह जी, माननीय प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली सरकार द्वारा सफलतापूर्वक क्रियान्वित नीतियां और अग्रणी कार्यक्रम लोगों तक पहुंचे हैं; और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की अध्यक्षता वाली सरकार द्वारा लागू किए गए कल्याणकारी उपायों की वजह से हम एक बार फिर सरकार बनाने में सफल हुए हैं। लोक सभा की 42 सीटों में से कांग्रेस दल ने 33 सीटों पर विजय प्राप्त की है। मुझे विश्वास है कि राज्य के समग्र विकास के लिए नीतियां और स्कीमें बनाते समय सरकार आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दिए गए इस योगदान को याद रखेगी।

उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की अध्यक्षता वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने गरीबों के लिए 2 रुपए किलो चावल, 60,000 इन्दिराम्मा आवास, 2 लाख तक की आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा स्कीम और स्व-सहायता समूहों आदि के लिए 25 पैसे ब्याज दर जैसी कई कल्याणकारी स्कीमें क्रियान्वित की हैं। इससे महिलाओं के हितों को बल मिला तथा सिंचाई परियोजनाएं गरीबों के लिए मददगार रहीं; अत: वे आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार को वोट देकर फिर से लाए।

मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बार-बार पढ़ा है, और मुझे संप्रग सरकार को उसकी कार्य योजना के लिए बधाई देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात् के युग में यह एक विशिष्ट कार्य योजना है। इसका उद्देश्य निर्धारित 100 दिन, छह महीने, एक वर्ष, तीन वर्ष और पांच वर्षों की निर्धारित समय-सीमा में स्कीमें पूरी करना है। इससे अगले पांच वर्षों में भारत की तस्वीर ही बदल जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन योजनाओं में देश के सभी वर्गों तथा सभी क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया गया है।

इस संदर्भ में, चूंकि महिलाएं देश की आबादी का आधा हिस्सा हैं महिलाओं को केन्द्रित कर उठाया गया कदम सही दिशा में होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं ''जहां चाह है, वहां राह है'' यह प्रचलित लोकोक्ति है। गांधी जी ने भी महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में इसे देखा और कहा कि अगर महिलाएं चाहें तो वे अहिंसात्मक गतिविधियों में मदद कर सकती हैं।

गांधी जी के लिए अहिंसा जीवन यापन का साधन था। इसका अर्थ है कि यह सत्य की प्राप्ति का साधन भी है। गांधी जी ने महसूस किया कि अहिंसा धर्म के पालन के लिए महिलाओं में इच्छा शक्ति का होना अनिवार्य है यहां गांधी जी महिलाओं को मानसिक रूप से सशक्त बनाने की बात कर रहे थे। आर्थिक सशक्तिकरण चरखे के उपयोग से सम्भव है और महिलाएं पर्दा तथा छुआछूत जैसी कुरीतियों को मिटाने में भी सक्षम हैं। समाज के पुन: निर्माण में महिलाओं की स्पष्ट रूप से सकारात्मक भूमिका के बारे में महात्मा गांधी को पूरा विश्वास था। महिलाओं के अधिकारों के संबंध में उनकी स्पष्ट राय थी कि सामाजिक न्याय लाने के लिए महिलाओं को समानता का अधिकार होना अति आवश्यक था।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संसद तथा राज्य विधानमंडलों में एक-तिहाई प्रतिनिधित्व, पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन और पांच वर्षों में महिला निरक्षरता को दूर करने का वादा जैसे प्रस्तावित कई कारक हैं। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में अथवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को एक इकाई मानकर अनन्य रूप से बालिकाओं के लिए नए विद्यालय एवं कालेज शुरू किए जाने चाहिएं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि नि:शक्त व्यक्तियों, विशेषकर नेत्रहीनों के लिए अद्यतन शिक्षण तकनीकों वाले विशेष डिग्री कालेज शुरू किए जाने चाहिए। अगर इन विद्यालयों की स्थापना की जाती है तो आंध्र प्रदेश राज्य को अत्यधिक लाभ होगा। इससे भारत की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक सूरत बदल जाएगी। मैं संप्रग की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी तथा हमारे प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी को साहसिक और नवीन प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि विपक्ष के मेरे मित्र इन विधेयकों का सर्वसम्मति से समर्थन करेंगे।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ग्रामीण पुनर्निमाण की दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम है। जनता की उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया के कारण इसने अपनी जगह बनायी है। मैं एनआरईजीएस का सामूहिक लेखा-जोखा करने और शिकायत निवारण सुनिश्चित किए जाने के लिए जिला स्तर पर लोकपाल (औम्बडसमैन) नियुक्त किए जाने का स्वागत करता हूं। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और एनआरईजीए (नरेगा) का क्रियान्वयन सुदृढ़ होगा। मैं सरकार का ध्यान, वर्तमान में नगर पंचायतों के ग्रेड-2 और ग्रेड-3 के नगरपालिका क्षेत्रों के कृषि श्रमिकों, जिन्हें एनआरईजीपी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया, की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि एनआरईजीपी के दायरे का विस्तार किया जाए ताकि कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके।

आगामी पांच वर्षों में स्लम रहित भारत बनाने के लिए प्रस्तावित राजीव आवास योजना एक स्वागत योग्य कदम है। हमारी सरकार आगामी पांच वर्षों में और 120 लाख ग्रामीण आवासों का निर्माण करेगी, जो कि 2004 और 2009 के बीच बनाए गए आवासों का दोगुना है। मुझे विश्वास है कि 2011 तक ग्रामीण जलापूर्ति स्कीम भी पूरी हो जाएगी। निश्चित रूप से आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक पंचायत में ब्राडबैंड नेटवर्क उपलब्ध होगा। तत्पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुन: पूंजीकृत किया जाएगा और पेंशन क्षेत्र के लिए एक नया विनियामक होगा। इससे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। जैसाकि हम सभी जानते हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाओं में पेशेवरों की अत्यधिक कमी है, स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन के लिए एक नई राष्ट्रीय परिषद निश्चित रूप से कुशल स्वास्थ्य कर्मियों की आपूर्ति कर सकेगा।

एक अन्य बात, शिक्षा क्षेत्र में एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से स्वायत्तता प्रदान किए जाने और शिक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए आमूल-चूल परिवर्तन किए जाने के बारे में है।

विश्वव्यापी संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर सरकारी-निजी भागीदारी परियोजनाओं पर और अधिक खर्च करने की पहल का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही संप्रग सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखेगी।

सशस्त्र बलों तथा पुलिस बलों के लिए बताए गए कल्याण, उन्नयन तथा सुधार उपायों से निश्चित रूप से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आंतरिक सुरक्षा और हमारे बलों की तैयारी और अधिक सुदृढ़ होगी।

भारत सदैव सभी देशों से अच्छे संबंधों की आकांक्षा रखता है। इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन हाल में आस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हमलों की निंदा किए जाने की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश के दो छात्रों की भी वहां मृत्यु हुई है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह आस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले छात्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाए।

आगामी पांच वर्षों में कार्यक्रमों के समेकन, कम मूल्य के साथ-साथ सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 8.5 प्रतिशत का विकास दर बनाए रखकर तथा समाज के जरूरतमंद एवं गरीब तबकों तक राजसहायता पहुंचाकर, युवाओं के बढ़े हुए नवोन्मेषी रोजगार कौशल के साथ प्रस्तावित नए दशक में हमारा महान देश दुनिया का नेतृत्व करेगा।

माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अपने भाषण में कहा है कि हम चुने हुए प्रतिनिधियों को मतदाताओं के सपनों और आकांक्षाओं के

[श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी]

उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी संप्रग सरकार माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इन सपनों को हकीकत में बदलेंगे।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

**श्री प्रहलाद जोशी** (धारवाड़): महोदय, मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में बोलने के लिए यह अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं डॉ. गिरिजा व्यास द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूं।

महोदय, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह और उनके मंत्रिपरिषद को उनकी महान विजय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, महामहिम माननीय राष्ट्रपति ने संसद की दोनों सभाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि आम चुनाव लोकतंत्र का सबसे महान पर्व होता है। मैं इस बात से सहमत हूं और पूरा देश इस बारे में सहमत होगा। मैं इस बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन एक चिंताजनक तथ्य यह है कि वर्ष 1952 से अब तक यदि आप आंकड़ों को देखें तो आप पाएंगे कि बहुत बड़ी संख्या में मतदाता अपना मत नहीं डाल रहे हैं। वे इसमें इच्छुक दिखाई नहीं देते हैं; विशेषकर शहरी लोग और तथाकथित निरक्षर लोग निर्वाचन की इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिस पर विचार करने की आवश्यकता है कि हमने 1952 में चुनाव कराने में 1.68 लाख रुपए खर्च किए लेकिन अब हम एक आम चुनाव कराने में 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन अब 71 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 35 करोड़ से अधिक मतदाता अपना मत नहीं डाल रहे हैं। यह बहुत चिंता की बात है। मैं इसके लिए किसी सरकार या किसी राजनीतिक दल पर ऊंगली उठाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मुद्दा यह है कि यह बहुत ही चिंता की बात है। राजनीतिक दल और निर्वाचन आयोग को एक साथ बैठना होगा और इस परिस्थिति के बारे में सोचना होगा और यह उपाय करना होगा कि इस मतदान प्रक्रिया में लोगों को भाग लेने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। सरकार को इस पहलू पर विचार करना है। मेरी राय में यह गंभीर चिंता का विषय है। यह त्यौहार यदि और अर्थपूर्ण होगा तो सरकार राजनीतिक दल और निर्वाचन आयोग को संयुक्त रूप से इसके बारे में सोचना होगा।

महोदय, मुझे यह नोट करके बहुत खुशी है कि माननीय राष्ट्रपति ने आतंकवाद के बारे में 'असहिष्णुता (जीरो टोलरेंस)' का उल्लेख किया है। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इस संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। संप्रग यह चुनाव जीत सकती थी लेकिन साथ ही संसद पर हमला करने वाले व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड दिए जाने के बाद भी उसे फांसी क्यों नहीं दी गई है? उस व्यक्ति को फांसी की सजा दिए जाने के बाद भी उसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को अनिवार्यत: इस मुद्दे के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। उसकी याचिका पिछले पांच वर्षों से लंबित है। जब श्री अनंत गीते जी इस मुद्दे के बारे में उल्लेख कर रहे थे तो इस मुद्दे पर बहस हो रही थी, यह मुद्दा कभी खत्म नहीं होने वाला है। संप्रग चुनाव जीत सकती है। लेकिन यह मुद्दा अभी भी जारी है। सरकार का 'असहिष्णुता (जीरो टोलरेंस)' से क्या मतलब है। जिस व्यक्ति ने भारतीय संसद, लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया उसे शीर्ष न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड का आदेश दिए जाने के बाद भी न्यायालय के निर्णय को लागू क्यों नहीं किया गया है। इसका क्या कारण है?

महोदय, मेरा अगला प्रश्न बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाए जाने के बारे में है। हमारी 62 वर्ष की आजादी में कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर लगभग 52 से 53 वर्ष तक शासन किया है। लेकिन बांग्लादेश की सीमा पर अभी भी सही ढंग से बाड़ नहीं लगायी गई है। इसकी अभी सही ढंग से चौकसी नहीं की जाती है। ऐसी रिपोर्ट है कि तीन करोड़ से अधिक अवैध बांग्लादेशी प्रवासी भारत मे हैं और वे आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं। वे अधिकांशत: असम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रह रहे हैं और वे उल्फा जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़े हैं और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं।

आपका 'असहिष्णुता (जीरो टोलरेंस)' से क्या मतलब है? केवल वक्तव्य देकर आप आतंकवाद का खात्मा नहीं कर सकते। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार का केवल एक हादसा हुआ। इसके बाद एक भी मामला वहां नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सरकार की इच्छा शक्ति के कारण हुआ है। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी अन्य देश की पूर्व सरकार के दौरान कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई। ऐसी आतंकवादी घटनाएं हुई थीं लेकिन एक घटना के बाद हमें इससे सबक सीखना चाहिए।

**श्री जे.एम. आरुन रशीद** (थेनी): संसद पर हमला आपके कार्यकाल में हुआ न कि कांग्रेस के शासन में *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। वह चुप नहीं हो रहे हैं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री प्रहलाद जोशी:** संसद पर हमला हमारी सरकार के दौरान हुआ था लेकिन तीन वर्ष के अंदर ही उसे मृत्यु दंड दे दिया गया था। कांग्रेस शासनकाल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। यह केवल इसलिए हो सका क्योंकि उस समय रा.ज.ग. सरकार और पोटा थे।

आपने 52 वर्षों तक देश पर शासन किया है और अब आप उन बातों के बारे में बात कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** वह चुप नहीं हो रहे हैं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

**श्री प्रहलाद जोशी:** आपके शासनकाल में मुंबई पर हमले हुए और आपने दिल्ली से मुंबई तक एनएसजी कमांडो को भेजने में 12 घंटे का समय लिया *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** श्री जोशी जी, आप कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

**श्री प्रहलाद जोशी:** महोदय, जब वह मेरे बोलने में बाधा डालेंगे तो मैं अध्यक्षपीठ को कैसे संबोधित कर सकता हूं। जब मुंबई हमला हुआ था, इस सरकार ने एनएसजी कमांडो को दिल्ली से मुंबई भेजने में 12 घंटे का समय लिया था। इस तरह की कोई घटना रा.ज.ग. सरकार के समय नहीं घटी थी *...(व्यवधान)*

**श्री जे.एम. आरुन रशीद:** महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** मैं कार्यवाही का अध्ययन करूंगा।

**श्री प्रहलाद जोशी:** एक अन्य महत्वपूर्ण विषय का संबंध मेरे राज्य कर्नाटक से है। मैं केन्द्र सरकार से कर्नाटक की दहलीज तक आ पहुंची आतंकवादी गतिविधियों और नक्सली गतिविधियों को रोकने का आग्रह करता हूं। मुख्यमंत्री और राज्य सरकार बंगलौर में एनएसजी यूनिट की पुरजोर मांग कर रहे हैं। वे बार-बार इसके लिए अनुरोध कर रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन भी सौंपा है।

**सभापति महोदय:** आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री प्रहलाद जोशी:** महोदय, मैंने अभी-अभी अपनी बात शुरू की है और आप मुझे अपनी बात समाप्त करने के लिए कह रहे हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**सभापति महोदय:** कई सदस्यों को इस चर्चा में भाग लेना है।

**श्री प्रहलाद जोशी:** महोदय, मैं दो या तीन मिनट और बोलूंगा फिर अपना शेष भाषण सभा पटल पर रख दूंगा।

बंगलौर भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी है और यह एशिया का तेजी से विकसित हो रहा शहर है। हम बंगलौर में एनएसजी यूनिट की मांग कर रहे हैं। इसके लिए देश में अन्य नगरों का उल्लेख किया जाता है लेकिन बंगलौर का नहीं जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है। यह सूचना प्रौद्योगिकी वाली राजधानी है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार न करें कि वहां किस पार्टी का शासन है। कृपया सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बंगलौर के विकास को देखिए और वहां एनएसजी यूनिट उपलब्ध कराइए। यही मेरा विनम्र निवेदन है।

माननीय राष्ट्रपति महोदया ने कृषि और इसके गौरव के पुनरुद्धार के बारे में भी बात की है। गत पांच वर्षों से, मैंने कई बार मांग की है कि फसल बीमा योजना को और अधिक किसान अनुकूल बनाया जाना चाहिए और ग्राम पंचायत को एक यूनिट के रूप में बनाया जाना चाहिए। गत पांच वर्षों से इसे कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। इनमें से एक रिपोर्ट में पहले भी इसका उल्लेख किया गया था कि यदि अवसर दिया जाए तो 70 प्रतिशत से अधिक किसान अपने कृषि कार्य को जारी नहीं रखना चाहते क्योंकि यह अर्थक्षम नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, हम सरकार से फसल बीमा को अधिक किसान अनुकूल बनाने और ग्राम पंचायत को एक यूनिट के रूप में बनाने का अनुरोध कर रहे हैं। हमारी बार-बार मांग के बावजूद, सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है।

मैं सरकार से उचित जल प्रबंधन करने का भी अनुरोध करता हूं।

योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जल संकट की गंभीरता की ओर संकेत किया कि अगर सरकार पर्याप्त उपाय नहीं करती तो देश को इसका सामना करना होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार, सिंचाई के लिए, पीने के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए पानी की मांग वर्ष 2025 तक 1000 बिलियन घन मीटर (क्यूबिक मीटर) तक बढ़ जाएगी, अगले 15 वर्षों में केवल सिंचाई के लिए पानी की मांग कई बिलियन घन मीटर (क्यूबिक मीटर) तक बढ़ने की संभावना है। किसानों को वर्ष 2025 में 900 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी जबकि अगले 25 वर्षों में पेयजल की यह आवश्यकता बढ़कर 73 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जायेगी। उद्योगों के लिए वर्ष 2025 तक 23 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी। पानी की इस भारी आवश्यकता

[श्री प्रहलाद जोशी]

को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक कि देश में स्थित जल संसाधनों में वृद्धि नहीं की जाती।

यह बहुत गंभीर मामला है। उन्होंने देश में नदियों को जोड़ने और उचित जल प्रबंधन की बात की है। उन्हें इस बारे में अवश्य सोचना चाहिए। अन्यथा, कृषि के लिए पानी और पेयजल की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी।

अंत में मेरे निर्वाचन क्षेत्र हुबली-धारवाड़ में जो कि बंगलूरू के बाद कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान सरकार वहां मालपुरा परियोजना के तीसरे चरण को क्रियान्वित करने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार सारे हुबली-धारवाड़ शहर को 24 घंटे पानी की आपूर्ति करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार पहले ही 202 करोड़ रुपए निवेश कर चुकी है। यह लगभग 560 करोड़ रुपए की परियोजना है। राज्य सरकार ने पीपीपी माडल पर शेष राशि के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं वह इसे तत्काल मंजूरी दे और यह सुनिश्चित करे कि हुबली-धारवाड़ में जल संकट की समस्या को प्रभावी तरीके से निपटाया जाए।

मुझे कुछ और भी बातें कहनी हैं। कृपया मुझे अपने शेष भाषण को सभा-पटल पर रखने की अनुमति प्रदान करें।

**सभापति महोदय:** हां, आप अपना शेष भाषण सभा-पटल पर रख सकते हैं।

**श्री प्रहलाद जोशी:** जी, धन्यवाद महोदय।

*मैं इस महीने की 4 तारीख के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। पहले तो मैं पन्द्रहवीं लोक सभा में अपने प्रथम भाषण के इस अवसर का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी को अपने गठबंधन को सफलता तक पहुंचाने और एक बेहतर जनादेश प्राप्त करने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण में लगभग 14 संशोधनों का प्रस्ताव किया है लेकिन समयाभाव के कारण मैं इनमें से कुछ का उल्लेख करके उन्हें रेखांकित करना चाहूंगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने सर्वप्रथम अर्थात् अपने भाषण के पैरा 5 में हाल ही में हुए 15वीं लोक सभा के लिए हुए चुनावों को लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व बताया है। बिल्कुल ऐसा ही है, अध्यक्ष महोदया, वाकई यह एक बड़ा पर्व है क्योंकि हमारा लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा है तथा इतने बड़े स्तर पर होने वाली चुनावी गतिविधियां एवं प्रक्रिया और इतनी बड़ी जनसंख्या का इन गतिविधियों में भाग लेना ही इसे एक बड़ा पर्व बनाते हैं।

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

लेकिन मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि मैं इस टिप्पणी से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। क्योंकि इतने विशाल मतदाता समूह के निर्वाचन से दूर रहने से, जिससे वर्ष 1952 से अब तक मतदान के प्रतिशत में लगातार भारी गिरावट आ रही है, यह एक पर्व कैसे हो सकता है। लेकिन सरकार की ओर से इस बारे में कोई चिंता जताने तक का प्रयास नहीं किया गया है, जो निश्चित रूप से हमारे जीवंत लोकतंत्र के वृहत हित में नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस चिंताजनक तथ्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। हम मतदान का एक सम्मानजनक प्रतिशत नहीं बना पाए हैं, प्रत्येक चुनाव में लगभग 40 से 50 प्रतिशत मतदाता मतदान केन्द्र में आकर अपने संवैधानिक कर्त्तव्यों का निर्वाह क्यों नहीं करते हैं। उन्हें कौन सी चीज अपना लोकतांत्रिक कर्त्तव्य निभाने से रोकती है?

कृपया आंकड़े देखिए। सरकार का लोक सभा चुनावों पर व्यय मात्र 1.68 करोड़ रुपए से अभी हाल के चुनावों में 1300 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी धनराशि तक पहुंच गया है। यह वर्ष 1952 से लगभग 60 गुना अधिक है जबकि वर्ष 1952 में हुए प्रथम लोक सभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या में 2.7 गुना वृद्धि हुई है। अब हमारे पास 71 करोड़ मतदाता हैं जो हर दृष्टि से एक बड़ी संख्या है। इस 71 करोड़ में से लगभग आधे अर्थात् 35 करोड़ मतदाता मतदान नहीं करते हैं। इसलिए मैं सरकार से 15वीं लोक सभा के प्रथम सत्र से ही इस बारे में गंभीरता से सोचने तथा सरकार और चुनाव आयोग से इस पहलू पर गौर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संयुक्त प्रयास करने एवं इस प्रक्रिया को हमारे लोकतंत्र का एक वास्तविक व्यवहार बनाने का अनुरोध करता हूं।

## आतंकवाद को बर्दाश्त न किया जाए

मुझे खुशी है कि इस मामले के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास यह कारण होना चाहिए कि आतंकवादी और आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करने के सरकार के संकल्प के बारे में पैरा 9 में उल्लेख है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में अलगाववाद और वामपंथी अतिवाद से निपटने के लिए कठोर उपाय करने के बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन यह बहुत ही हास्यास्पद है कि एक ओर सरकार आतंकवादियों को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करने के बारे में कहती है लेकिन दूसरी ओर संसद भवन पर हमले के द्वारा भारत के संपूर्ण लोगों पर अति जघन्य अपराध करने वाले लोगों के लिए चोरी-छिपे और छद्म रूप से सहिष्णुता का प्रदर्शन कर रही है। यह किस प्रकार की सहन-सीमा है? इस सरकार को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है अन्यथा भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करने के राग पर विश्वास नहीं करेंगे। अब तत्काल प्रभाव से संशोधन किया जाए कि ''लेकिन खेद की बात है कि संसद पर हमला

करने के लिए दोषसिद्ध आतंकवादी को शीघ्र सजा देने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।'' अन्य स्थानों पर एनएसजी एककों के नए केन्द्र खोलने के बारे में अभिभाषण में भी उल्लेख किया गया है लेकिन कर्नाटक राज्य द्वारा जोरदार मांग के बावजूद बंगलौर के बारे में उल्लेख नहीं है। बंगलौर एशिया में तेजी से विस्तार होने वाला शहर है और यह सर्वविदित तथ्य है कि बंगलौर और राज्य के दूरस्थ भागों में हुई कुछ घटनाओं के साथ आतंकवाद कर्नाटक में दस्तक दे चुका है। आपको याद होगा कि विस्फोट के दौरान सुरक्षाकर्मियों को किस तरह मुंबई पहुंचने में अनावश्यक विलंब हो रहा था और इसके परिणामस्वरूप अनेक जानें गईं। यदि मुंबई के पास एनएसजी एकक स्थित होता तो आतंकवादियों की कार्रवाई पर प्रभावी ढंग से काबू पाया जा सकता था। इसलिए इस पृष्ठभूमि में बंगलौर में शीघ्र एनएसजी एकक स्थापित किया जाना चाहिए।

बंगलौर भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है। यह अच्छी बात है कि हमारे पास बहुउद्देश्यीय पहचान पत्र होना चाहिए।

1. आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त न किया जाए।
2. संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु को फांसी दी जानी चाहिए।
3. पड़ोसी देशों से आने वाले आगन्तुकों या वीसा की अवधि समाप्त होने पर यहां रहने वाले आगन्तुकों को वापस भेजा जाना चाहिए। मेरे कर्नाटक राज्य के हम्पी में गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की वीसा अवधि बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी।

**कृषि क्षेत्र पर पुनः अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता**

एक ठोस योजना के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिसके द्वारा भारतीय कृषि के क्षेत्र में किसानों की अर्थपूर्ण लाभ प्राप्त करने के संदर्भ में एक नया जीवन मिलता है। कृषि बीमा की मौजूदा योजना को अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए अधिकाधिक फसल को शामिल करने हेतु तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत को एकक के रूप में स्थापित करने की लगातार मांग हो रही है। कृषि उत्पाद हेतु ठोस समर्थन मूल्य नीति की लगातार मांग रही है। लेकिन मेरे लिए यह घोर चिंता का विषय है कि इन दोनों महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

यह अनुरोध किया जाता है कि सरकार सभी फसलों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल करें। सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करें। फसल ऋण लेने वाले किसानों को 4% ब्याज दर मिले। कर्नाटक सरकार सभी किसानों चाहे वे छोटे हो, बड़े हो या मंझोले हो, यह सुविधा प्रदान कर रही है।

पेय जल संकट सुलझाने के बारे में सरकार की क्या योजना है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र हुबली-धारवाड़ भी जल समस्या जैसे गंभीर संकट का सामना कर रहा है। राज्य सरकार परियोजना के तीसरे चरण की शुरुआत पहले ही कर चुकी है और उसने केन्द्र सरकार से 24 घंटे सहायता का अनुरोध किया है। मेरा राज्य कर्नाटक बिजली संकट का सामना कर रहा है। केन्द्रीय कुल आपूर्ति को घटा दिया गया है जो हमें वास्तविक रूप से मिलना चाहिए था; कर्नाटक राज्य के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है।

**भारतीय आर्थिक विकास का पुनरुद्धार**

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने अपने एक चुनावी भाषण में यह स्पष्ट रूप से वादा किया है कि यदि सत्ता में दुबारा आए तो वे 100 दिनों के अंदर मंदी से जूझ रहे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। लेकिन चिंता की बात यह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण में 100 दिनों की योजना का जिक्र इस वादे में कहीं भी नहीं है। अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर वापस लाने के बारे में जिक्र कहीं और किया गया है। अर्जुन सेन गुप्ता समिति ने एक अत्यंत निराशाजनक तथ्य प्रकाशित किया है कि हमारी 78% आबादी अभी भी 20 रुपए प्रति दिन से कम पाती है, और इस स्थिति से निपटने के लिए इस सरकार द्वारा कोई ठोस उपाय करने या संकल्प लेने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसी चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में तालिबानों द्वारा बनाए गए सड़क के बारे में चिंता जाहिर की है लेकिन राष्ट्रपति अभिभाषण इस संवेदनशील मुद्दे पर चुप है।

अन्य राज्यों में नए आई.आई.टी. स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है। सरकार ने विभिन्न शहरों में नए आई.आई.टी. स्थापित किए जाने की घोषणा गत वर्ष की थी और मेरा निर्वाचन क्षेत्र धारवाड़ उन प्रस्तावित स्थानों में से एक है। लेकिन इसमें इसका उल्लेख न देखकर बहुत दुख हुआ। श्री सी.एन. राव और श्री यू.आर. राव समिति ने सिफारिश की थी कि धारवाड़ को आई.आई.टी. केन्द्र बनाया जाए।

करोड़ों युवा बेरोजगार हो रहे हैं। युवकों के बीच हताशा बढ़ रही है। तत्काल कुछ उपाय किए जाने चाहिए। वे उपाय कौन-कौन से हैं जिन्हें चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री ने अगले 100 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल करने का वायदा किया था।

हालांकि कुछ राज्यों में इस समस्या के समाधान के लिए नरेगा एक अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन इसका क्रियान्वयन उचित प्रकार से नहीं हो रहा है और निधियों का दुरुपयोग हो रहा है। इस स्कीम की मानिटरिंग के लिए केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के साथ मिलकर एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

[श्री प्रहलाद जोशी]

**भारतीय रेल का सर्वतोमुखी विकास**

सभा इस तथ्य से अवगत है कि हमारे देश में रेल एक ऐसा संगठन है जो जीवन के सभी पहलुओं को छूता है। इसमें तेजी से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने की क्षमता है। पिछली सरकार के रेल मंत्री ने हमेशा गर्व से कहा है कि उन्होंने पांच रेल बजट प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने किसी के भी भाड़े में वृद्धि नहीं की सभी रेल बजट लाभ के बजट रहे तथा रेल राजस्व में वृद्धि होती रही। लेकिन केवल राजस्व अर्जन से गुणवत्ता और अवसंरचना तथा रेलवे द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता प्रदर्शित नहीं होती है। हमारे देश में जहां अधिक आबादी तो है ही और इस आबादी में निरंतर वृद्धि हो रही है। यहां यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होनी लाजमी है और इससे राजस्व में वृद्धि भी हो रही है तथा जिसके परिणामस्वरूप लाभ हो रहा है। परन्तु हमारे अधिकांश राज्य अभी भी ऐसे हैं जिनमें रेल सेवा प्रदान करने के संबध में असमान विकास हो रहा है। अभी भी भारतीय रेल ने देश में रेलवे के असमान विकास की ओर ध्यान नहीं दिया है। रेल मार्ग घनत्व और जनसंख्या घनत्व के संबंध में अन्य राज्यों की तुलना में मेरा राज्य काफी पिछड़ रहा है जिसका आर.आर.एल.डी. केवल 15.72 प्रतिशत है। इसका कारण प्रस्तावित नई लाइनों के दोहरीकरण कार्यों को पूरा करने में अनावश्यक विलम्ब है। इस पृष्ठभूमि में इस अभिभाषण में इस पहलू और स्थिति में परिवर्तन लाने हेतु सरकार के संकल्प के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।*

**श्री असादूद्दीन ओवेसी** (हैदराबाद): महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आम चुनाव 2009 का जनादेश भारत के लोगों द्वारा विघटनकारी ताकतों और हमारे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को चुनौती देने वाले लोगों के विरुद्ध जनादेश था।

राष्ट्रपति के अभिभाषण और 2009 के आम चुनाव के जनादेश के संबंध में जिस चीज पर सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है वह है इस महान सदन में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व। यह बहुत तेजी से घट रहा है। चौदहवीं लोक सभा में 36 मुस्लिम सदस्य थे, अब केवल 31 सदस्य हैं। यह तथ्य जिसे मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। वह यह है कि 1952 से 2009 के मध्य धर्मनिरपेक्ष दलों से 472 मुसलमानों को चुना गया। जनसंख्या के आधार पर 1952 से 2009 के बीच 871 मुसलमान सदस्यों को चुना जाना चाहिए था। अत: इसमें लगभग 400 सदस्यों की कमी रही। यह सही समय है कि जब सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को विचार करना होगा कि मुसलमान सदस्यों की संख्या कम क्यों होती जा रही है। भाजपा सदस्यों की संख्या में कमी आई है। ठीक है। जब भाजपा सदस्यों की संख्या कम हो रही है, तो ऐसा क्यों है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी कम होता जा रहा है? जब भाजपा सदस्यों की संख्या कम हो रही है, तो मुसलमान सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए थी।

मेरे विचार से देश को इस पर चर्चा करनी चाहिए कि हम किस प्रणाली ''फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट'' सिस्टम का पालन करें अथवा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर जर्मन मिश्रित प्रणाली को अपनायें। यदि आप इन्हें मिलाते हैं अर्थात् महिला आरक्षण सहित कम संख्या में निर्वाचित मुसलमान उम्मीदवार, जिसका राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है, तो मैं बहस के लिए तैयार हूं। मेरी बहस का आधार सामाजिक न्याय का प्रश्न है। सामाजिक न्याय हमारे संविधान की एक व्यापक विचारधारा है।

जहां तक मुसलमानों के पिछड़ेपन का संबंध है तो आपके पास आनुभविक आंकड़े हैं। आपके पास सच्चर समिति रिपोर्ट, प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय रिपोर्ट तथा रंगनाथ मिश्रा आयोग रिपोर्ट है जिसे पूरा विश्व जानता है। लेकिन वर्तमान सरकार इसे संसद के सभा पटल पर नहीं रखना चाहती।

लेकिन समाचार माध्यम अब भी लिख रहे हैं कि रंगनाथ मिश्रा आयोग ने कहा ता कि इसमें पन्द्रह प्रतिशत आरक्षण अल्पसंख्यकों को और दस प्रतिशत मुसलमानों को दिया जाए।

तीसरी बात, मेरा तर्क कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। चूंकि इस सरकार का कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं है, इसलिए कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र ही ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर मैं तर्क दे सकता हूं।

अब, उपर्युक्त तीन बातों के आधार पर मेरा कहना है कि ठीक यही होगा कि सर्वप्रथम मुसलमानों को आरक्षण मिले क्योंकि जांच आयोग यह बात कह रहा है और माननीय प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति भी यही कह रही है। हमारी संख्या में अत्यधिक कमी हो रही है और मुसलमान 'माजलिस पार्टी' जैसे दलों को मत नहीं दे रहे हैं। वर्ष 1952 से वे आपको अर्थात् कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, वामपंथी दलों, आर.जे.डी., डी.एम.के., ए.आई.ए.डी.एम.के. आदि को मत दे रहे हैं। सत्ता में आप लोग ही आ रहे हैं।

*[हिन्दी]*

वोट हमारा, राज तुम्हारा, यह कब तक चलेगा?

*[अनुवाद]*

यही कारण है कि मैं महसूस करता हूं कि हमारी संख्या में कमी हो रही है, यही सही समय है कि आप महिला आरक्षण विधेयक

लाने से पूर्व मुसलमानों को आरक्षण दें क्योंकि आपकी अपनी समितियों ने, आपके अपने आयोगों ने यह कहा है और आपको चुनाव घोषणा पत्र में इसका जिक्र है। भगवान के लिए, यदि आप मुझे मेरे न्यायसम्मत अधिकार से वंचित करते हैं तो मैं यह बात रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि आप इस तरह वंचित वर्गों में इस संबंध में विरोधाभास पैदा करेंगे और अपनी पहचानों को सिद्ध करने हेतु उनमें प्रतिद्वन्द्विता के जरिये इसे युद्धभूमि बना देंगे।

अब, जब हम मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात करते हैं तो यह तर्क सामने आता है कि धर्म के लिए आरक्षण नहीं हो सकता है। तो मेरा कहना यह है कि वे लोग जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल सकता- आपने संविधान में अनुच्छेद 340 क्यों रखा हुआ है, 1950 का राष्ट्रपति का आदेश जिसमें कहा गया है कि केवल हिन्दू, सिख और बौद्ध ही दलित हो सकते हैं। एक ईसाई अथवा मुसलमान क्यों नहीं? अनुच्छेद 340 हमारे संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 25 में इसका उल्लेख है। रंगनाथ मिश्रा आयोग ने इसे समाप्त करने के लिए कहा है। यह गलत है। मुसलमानों और ईसाइयों में भी दलित हो सकते हैं। इस अनुच्छेद का छलावा यह है कि यदि कोई दलित ईसाई बन जाता है और ईसाइयत प्राप्त कर लेता है और वह वापस हिन्दू बनता है तो वह दलित है। मुझे उम्मीद है कि माननीय विधि और न्याय मंत्री इस गलती को ठीक करेंगे। यह हमारे संविधान पर एक धब्बा है कि हमारे संविधान में ऐसा अनुच्छेद मौजूद है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमान केवल धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक नहीं है बल्कि वे राजनैतिक रूप से भी अल्पसंख्यक है। यह अत्यंत गंभीर स्थिति है। यदि इस सम्माननीय सभा में हमारी संख्या कम हो रही है तो इसका सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। यह एक सम्माननीय सभा है जिसमें हम आते हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। यदि आप दरवाजा बन्द कर लेते हैं और मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते हैं तो मेरे पास क्या विकल्प बचेगा? यही कारण है कि मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए।

महोदय, मुझे इस बात से बहुत निराशा हुई है कि आज के 'इंडियन एक्सप्रेस' में एक लेख में अल्पसंख्यक मंत्रालय के राज्य मंत्री ने कहा है और आपकी अनुमति से मैं इसके शीर्षक को भी उद्धृत करता हूं। ''मुस्लिम आरक्षण एक दुधारी तलवार है। इससे वैमनस्थ, शत्रुता और विरोध ही उत्पन्न होगा।'' यदि यह बात है तो क्या अल्पसंख्यक मंत्रालय के राज्य मंत्री यह कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात करके गलती की है? क्या इस दुधारी तलवार का निर्माण करके डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने कोई गलती की है? क्या आरक्षण ने आंध्र प्रदेश में वैमनस्थ और शत्रुता को जन्म दिया है।

महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपने मंत्री से कहे कि वे बात करते समय ध्यान रखें। यदि आप रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित नहीं करना चाहते है तो साफ-साफ कहिए। लेकिन ''ऐसा नहीं करना, इससे शत्रुता और वैमनस्थता उत्पन्न होगी'' और इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि आपका तर्क यही है तो क्या महिला आरक्षण से शत्रुता और ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होगी? ऐसा क्यों है कि जब एक मुसलमान के रूप में मेरी बात आती है तो आप ईर्ष्या और शत्रुता की बात करते हैं? यह ईर्ष्या और शत्रुता की बात कैसे हो सकती है? मैं यही कह रहा हूं कि मैं दोयम दर्जे का नागरिक बनकर नहीं रहना चाहता हूं। मैं प्रथम श्रेणी का नागरिक बनकर रहना चाहता हूं। मुझे इस देश में प्रतिभा मिली है। इस देश में मेरा भी बराबरी का हक है। 1947 से सलाहकार समिति की रिपोर्ट के समय से ही हमारे साथ धोखा हो रहा है। यदि यह सरकार महिला आरक्षण लाती है तो मैं इसे बहुत बड़ा धोखा कहूंगा। मुसलमान आपके पास आए हैं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने वामपंथी दलों को छोड़ दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी, आर.जे.डी. को छोड़ दिया है और वे आपके पास संप्रग में आ गए हैं। यदि आप इसे घर-वापसी कहते हैं और हमें नीचा दिखाते हैं तो केवल भगवान ही आपकी मदद कर सकता है। आपको ध्यान रखना होगा। मैं कुल मिलाकर यही कह रहा हूं कि आरक्षण सबसे पहले इन लोगों को मिलना चाहिए। आप समझते हैं, मुसलमानों के लिए चुनाव जीतना आसान है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। जब हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं तो हमारे विरुद्ध कितने धर्मनिरपेक्ष उम्मीदवार होते हैं। हम नहीं जानते। रिकार्ड देख लीजिए। ये उम्मीदवार कितने बहुमत से जीते थे?

तीसरा बात, मैं सच्चर समिति रिपोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* महोदय, मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

सच्चर समिति की रिपोर्ट के बारे में मैं कह रहा हूं कि 90 'एमसीडी' में, जिनका पूरे भारत में इतना महत्व है, बिना एक भी नाली बनाए, बिना एक भी सीमेन्ट रास्ता बनाए, उन 90 एमसीडी में सभी मुसलमान ने कांग्रेस और संप्रग साझेदारों को मत दिया है। अब समय आ गया है कि आप राज्य सरकारों पर दबाव डालें और उन 90 एमसीडी के लिए बनाई गई नागरिक सुविधा योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए मजबूर करें और इनमें सबसे ज्यादा आपके पश्चिम बंगाल राज्य में हैं।

एक अन्य मुद्दा लिब्राहम आयोग के बारे में है। मैंने सुना है कि नेता विपक्ष 26/11 की घटना के लिए जांच आयोग की आवश्यकता के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन उन्होंने बड़ी आसानी से लिब्राहन आयोग को भुला दिया है। मुझे उम्मीद है कि

[श्री असादूद्दीन ओवेसी]

सरकार इस बारे में नहीं भूलेगी। याद रखिए, बाबरी मस्जिद को कोई नहीं भूलेगा। समाजवादी लोगों से पूछिए, इसने उन पर क्या असर डाला था। समाजवादी पार्टी से एक भी मुसलमान नहीं चुना गया। क्यों? क्योंकि मुसलमान अब भी मानते हैं कि जब बाबरी मस्जिद की बात आती है तो उनके साथ न्याय नहीं किया गया है। लिब्राहन आयोग गिनीज बुक में विश्व रिकार्ड बनाना चाहता है। मैं नहीं जानता। यदि न्यायमूर्ति लिब्राहन कार्य नहीं कर रहे तो उनको जानें दें और उनके स्थान पर किसी अन्य को नियुक्त कर दें। लेकिन सरकार ने उनका कार्यकाल क्यों बढ़ाया है? मुझे यह जानने का अधिकार है कि मेरा साथ न्याय कैसे हो सकता है। 6 दिसंबर, 1992 की घटना के जिम्मेदार कौन लोग हैं?

जब सीडब्ल्यूसी की बात आती है तो मैं कहूंगा कि 172 वक्फ संपत्तियों के मामले में एएसआई अवैध स्थिति में है। डीडीए का 112 संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। सरकार इन संपत्तियों को हमें देने के लिए एएसआई और डीडीए पर दबाव क्यों नहीं डालती? मैं मांग करता हूं कि इन संपत्तियों के विकास हेतु सीडब्ल्यूसी की 1000 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाए।

उसके बाद मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में मेरा कहना है कि एमएईएफ निधि को बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये किया जाए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की अंश पूंजी को बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये करना चाहिए।

अंत में, मैं समान अवसर आयोग विधेयक पर आता है। यह तैयार है। कृपया इसे लाइए। आप इसे 100 दिनों में क्यों नहीं लाते हैं? 100 दिनों के कार्यक्रम में मुस्लिम अधिकारिता के बारे में एक बार भी उल्लेख नहीं किया गया है। याद रखिए कि यदि आप किसी समुदाय के राजनीतिक रूप से अधिकार प्रदान करते हैं, तो इस परिश्रम के लाभ राजनीतिक अधिकारिता से आर्थिक अधिकारिता, सामाजिक अधिकारिता तक प्राप्त होंगे क्योंकि हमने किसी समुदाय के बारे में यही देखा है। कल मैंने हिन्दुस्तान टाइम्स समाचार पत्र में यह पढ़ा है कि क्षेत्रीय समुदाय के 66 संसद सदस्य बने हैं। वे उनका सम्मान कर रहे हैं। मेरे मन में उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं है। यह अच्छी बात है। यहां हमारे केवल 31 सदस्य हैं। मेरे समुदाय के सदस्यों की संख्या 31 है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? धर्मनिरपेक्ष दल इस विषय पर विचार मंथन करें कि इस बारे में क्या किया जाना चाहिए। यदि यही मामला था तो वे मुझे वोट नहीं देते। वे आपको वोट देते। हम आपको सत्ता में लाए हैं। हमने आपको मंत्री बनाया है। बदले में हमें क्या मिल रहा है? महाराष्ट्र से संसद में कोई मुस्लिम सदस्य नहीं है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और दिल्ली जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? यह सभी राज्यों में 9 प्रतिशत से कम नहीं है। हम किस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता चला रहे हैं? इसीलिए मेरा कहना है कि आपके द्वारा महिला आरक्षण को लाए जाने से पूर्व मुझे मेरे हिस्से का हक मिलना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा के मामले में काफी विचार-विमर्श करना होगा। ...*(व्यवधान)* मानव संसाधन विकास मंत्रालय को विशेष रूप से अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में काफी कार्य करना है, जिनकी संख्या कम हो गई है। प्राथमिक विद्यालय खोलने के संबंध में सच्चर समिति ने सिफारिश की थी कि 4000 विद्यालय खोले जाएं। केवल 3000 विद्यालय खोले गए हैं। साम्प्रदायिक विषय वस्तु को हटाते हुए पाठ्यपुस्तकों की संवीक्षा की जानी चाहिए।

अंत में, विदेश नीति के बारे में मुझे आशा है और मैं अनुरोध करता हूं कि फिलीस्तीन का मुद्दा गत साठ वर्षों से हमारा प्रिय मुद्दा है। भारत को गरीब फिलीस्तीन वासियों का समर्थन करना चाहिए और उन पर इजराइलियों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की निंदा करनी चाहिए। अरब देशों के साथ हमारे संबंधों को और मजबूत किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देगी। मैं चाहता हूं कि सरकार आरक्षण का उल्लेख करते समय अपने घोषणा पत्र पर अमल करे।

कृपया यह मत भूलिए कि आपके अपने आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हमें आरक्षण का अधिकार दिया जाना चाहिए।

**श्री थोल तिरूमावलावन** (चिदम्बरम): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से सभी मंत्रियों और सांसदों को हार्दिक बधाई देता हूं।

महोदय, मैं जानता हूं कि आप एक प्रसिद्ध वामपंथी सांसद हैं। अत:, मुझे विश्वास है कि आप मुझे कम-से-कम दस मिनट बोलने का अवसर अवश्य देंगे।

**सभापति महोदय:** आप पांच मिनट लीजिए। आप पांच से सात मिनट तक बोल सकते हैं।

**श्री थोल तिरूमावलावन:** वरिष्ठ सदस्य अपना 30 मिनट से अधिक का समय ले चुके हैं। हम नए सदस्यों को कम-से-कम दस मिनट का समय चाहिए।

पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। चूंकि मैं इस सभा में नया चेहरा हूं, मैं अपना परिचय देता हूं कि मैं थोल तिरुमावलावन वीसीके का संस्थापक अध्यक्ष हूं, वीसीके विधुथलाई सिरुथगल करची का संक्षिप्त नाम है जिसका अर्थ लिबरेशन पैंथर्स पार्टी है।

महोदय, मैं दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के प्रति निष्ठापूर्वक आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिसने मुझे इस

सम्माननीय सभा में भेजा है तथा मैं संबद्ध दलों डीएमके, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और पिछड़े वर्गों के अन्य संघों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे इस सम्माननीय सभा का सदस्य होने पर गर्व है जिसमें सामाजिक न्याय के महान योद्धा डा. बी.आर. अंबेडकर ने पददलित व्यक्तियों की सेवा की।

मैं दलित और जनजातीय समुदायों से हमारी अध्यक्ष महोदया और उपाध्यक्ष को चुने जाने पर संप्रग अध्यक्ष को बधाई देता हूं तथा उनकी सराहना करता हूं। मैं उनका समर्थन करने के लिए इस सभा के सभी माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कमजोर सामाजिक वर्गों का युग है। मैं कहना चाहूंगा कि समाज के कमजोर वर्गों की अधिकारिता राष्ट्र की वास्तविक अधिकारिता है ताकि हम दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की अधिकारिता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अत:, मैं संप्रग अध्यक्ष का उनके प्रयास के लिए पुन: सराहना करता हूं तथा उन्हें बधाई देता हूं।

हमारे देश में राष्ट्रपति एक महिला हैं, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, हमारी अध्यक्ष दलित समुदाय की महिला हैं और हमारे उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति से हैं। अत: मुझे यह कहते हुए गर्व है कि यह कमजोर सामाजिक वर्गों का युग है।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन, विशिष्ट पहचान पत्र योजना, स्लम-मुक्त भारत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अल्पसंख्यकों हेतु प्रधानमंत्री का 15-सूत्रीय कार्यक्रम, महिला आरक्षण विधेयक इत्यादि जैसे अनेक कार्यक्रम और योजनाएं हैं जिनकी सराहना की जानी चाहिए। संप्रग के अनेक माननीय सदस्यों ने इन कार्यक्रमों की सराहना की है और उनका वर्णन किया है अत: अब मैं इनके बारे में विस्तार से नहीं बोलूंगा। परंतु मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बताऊंगा जिनकी उपेक्षा की गई है।

हमें इनके उल्लेख की आशा थी परंतु राष्ट्रपति के अभिभाषण में इनके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इसमें श्रीलंका तमिलों की हत्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं, सेतु समुद्रम परियोजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, निजी क्षेत्र में मुस्लिमों, ईसाइयों विशेषकर दलित ईसाइयों के लिए रोजगार आरक्षण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है; सरकारी नौकरियों में पदों के आरक्षण हेतु विधेयक के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिसे राज्य सभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है परंतु लोक सभा द्वारा अब तक पारित नहीं किया गया है, और अस्पृश्यता को समाप्त करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि प्रत्येक क्षेत्र में दो तरह के गांव होना देश के लिए शर्म की बात है। एक जाति आधारित गांव है और दूसरा दलित गांव है। प्रत्येक गांव में दो बस्तियां हैं। अस्पृश्यता को समाप्त किए बिना हम लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं दे सकते। हम सबको अपने लोकतंत्र की चिंता है परंतु लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का अर्थ अन्य व्यक्तियों की भावनाओं और आकांक्षाओं का सम्मान करना तथा अन्यों की राय और धारणाओं को स्वीकार करना है।

परंतु ऐसा रवैया नहीं अपनाया गया है। हमारे दल में एक लोकप्रिय नारा है। लोकतंत्र का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जनता को अधिकार मिलें, लोकतंत्र के लिए मूलरूप से मानवता आवश्यक है, मानवता लोकतंत्र की मूलभूत आवश्यकता है, मानवता से भाईचारा बढ़ता है, भाईचारे से स्वतंत्रता मिलती है, स्वतंत्रता समानता के समान है, सब के लिए समानता ही वास्तविक लोकतंत्र है।

हम सब भली भांति जानते हैं कि सिर्फ मताधिकार देना ही लोकतंत्र नहीं है। यहां, मैं कुछ मांगें रखना चाहता हूं। श्रीलंकाई तमिलों की हत्या पर श्वेत पत्र लाए जाने की आवश्यकता है। श्रीलंकाई मुद्दे पर केंद्र सरकार की क्या भूमिका है? श्रीलंका सरकार को किस प्रकार की सहायता दी गई है। मेरा एक और अनुरोध है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से मंत्रालय बनाया जाए। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वह श्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाली दलित मामलों की मंत्री समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करे। सभी के लिए उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।

**सभापति महोदय:** कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। आप पहले ही नियत समय से अधिक समय ले चुके हैं।

**श्री थोल तिरूमावलावन:** महोदय, यह मेरा पहला भाषण है। कृपया मुझे एक और मिनट की अनुमति दीजिए।

हमारा दल और हमारे संबद्ध दल श्रीलंकाई मुद्दे के बारे में बहुत चिंतित हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि भारत सरकार ने श्रीलंका में तमिल समुदाय को धोखा दिया है। अत:, भारत सरकार को तमिलों के प्रति अपने रवैये में बदलाव लाना चाहिए।

**श्री कल्याण बनर्जी** (श्रीरामपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं डा. गिरिजा व्यास द्वारा प्रस्तुत और श्री पी.सी. चाको द्वारा समर्थित प्रस्ताव के समर्थन में इस सम्माननीय सभा के समक्ष अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

महोदय, जब मैं माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 14 को पढ़ता हूं तो मुझे वास्तव में यह बहुत अच्छा लगता है। परंतु

[श्री कल्याण बनर्जी]

जब मैं अपने राज्य के बारे में देखता हूं तो पाता हूं कि इसमें कोई ठोस बात नहीं है। बड़े सम्मान के साथ जब मैं देखता हूं कि हमारे राज्य में वास्तव में प्राथमिक शिक्षा, पेयजल की कमी है तो मेरी केवल यही टिप्पणियां होती हैं कि यह आकर्षक है। जब मैं किसानों के बारे में अत्यधिक चिंता संबंधी पंक्तियों को पढ़ता हूं और जब मैं किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के बारे में श्री गुरुदास दासगुप्त का भाषण सुनता हूं तो मुझे सिंगुर आंदोलन के दिनों की याद आ जाती है। हमारे राज्य में राज्य सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण सिर्फ सिंगुर में ही पांच से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं जिसे हम भुला नहीं सकते हैं।

महोदय, जब मैं पैरा 14 को पढ़ता हूं तो एक प्रश्न बार-बार मेरे दिमाग में आता है जिसे मैं सभा के विचारार्थ आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि वर्ष 2008 या 2009 में किन लोगों के अधिकार का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह किसानों का अधिकार है, किसानों के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी अथवा उद्योगपति के अधिकार को प्राथमिकता देनी होगी?

अपने राज्य में, हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल के किसानों और जनता ने हमारी नेता कुमारी ममता बनर्जी के नेतृत्व में दो वर्षों तक राज्य की कृषि विरोधी, किसान विरोधी नीतियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी।

सिंगुर के पीछे यही कारण है; नंदीग्राम के पीछे हमने यही कारण देखा है। जहां तक भारत का संबंध है तो लोगों को वह जानकर आश्चर्य होगा जो कुछ सिंगुर में घटित हुआ। यह सिंगुर में किसानों के आंदोलन के कारण ही संभव हुआ कि हमारी राज्य सरकार द्वारा 70 दिनों तक आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगा दी गई ताकि वे कहीं भी न जा सकें। हमें उच्च न्यायालय जाना पड़ा। माननीय उच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि यह असंवैधानिक और गैर-कानूनी है। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से ही सिंगुर के किसानों को पश्चिम बंगाल राज्य में राज्य की कृषि नीति का विरोध करने का अवसर मिला।

हमने नंदीग्राम देखा है। यह राज्य की कृषि विरोधी, किसान विरोधी नीति ही थी जिसके कारण एक दिन में नंदीग्राम में पुलिस गोलीबारी में 14 लोगों की जान गई, जिसे कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था। इसलिए जब मैंने खण्ड 14 पढ़ा तो मैं इस संबंध में हमारे माननीय प्रधानमंत्री से केवल यही अपील करूंगा कि कम-से-कम इसे हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में लागू किया जाए। जब मैंने पैरा 10 पढ़ा तो मैं अपने राज्य के भा.पु.से. (आईपीएस) अधिकारियों को देखते हुए यहां की पुलिस प्रणाली को देखकर अचंभित हुआ। मैं यह बताना चाहूंगा कि एक माननीय न्यायाधीश किसी अन्य राज्य से स्थानांतरित होकर हमारे राज्य में कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनकर आए। एक दिन मैं एक रात्रिभोज के लिए साल्ट लेक गया था। रात्रिभोज के उपरांत अपने रिश्तेदार के घर से बाहर आते हुए, उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी का निवास देखा; उसने एक इमारत का निर्माण करवा रखा था। न्यायाधीश ने यह जानना चाहा कि क्या पश्चिम बंगाल राज्य में आईपीएस अधिकारियों को अन्य राज्यों के आईपीएस अधिकारियों से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त होता है। हमने अपने राज्य में आईपीएस अधिकारी देखे हैं; वे केवल सत्ताधारी कामरेडों और कार्मिकों को संतुष्ट करने हेतु हैं आज जब राष्ट्रपति अभिभाषण में यह बताया गया कि सरकार सक्रिय रूप से पुलिस सुधार के कार्य में लगी है। सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि 1861 में लागू पुलिस अधिनियम को समाप्त कर दिया जाए। एक नया पुलिस अधिनियम लाया जाए। नए पुलिस अधिनियम में वास्तविक और स्वतंत्र पुलिस प्रशासन हेतु अनिवार्य प्रावधान किया जाए। पुलिस प्रशासन को विभिन्न राज्यों में सत्तारूढ़ दलों के दबाव में कार्य नहीं करना चाहिए। नागरिक पुलिस से क्यों डरें? जब किसी पुलिस अधिकारी का नाम किसी निर्दोष नागरिक को बताया जाता है, वह पुलिस अधिकारी से डरता है? वहां ऐसी संस्कृति क्यों है? इस संस्कृति को बदलने की आवश्यकता है। पुलिस अधिनियम को बदला जाना चाहिए।

जब मैंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से संबंधित पैरा 18 पढ़ा तो मुझे कहना पड़ता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने एक हद तक इस देश के लोगों के काम करने के अधिकार को पहचाना है। कुछ हद तक संप्रग सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान थोड़ा-बहुत कार्य आरंभ किया गया है। दुर्भाग्य से हमारे राज्य में कोई कार्य नहीं हुआ है। ग्रामीण पश्चिम बंगाल में दूरस्थ गांवों में 100 दिन वाले इस रोजगार कार्यक्रम का 50 प्रतिशत भी क्रियान्वयन नहीं हुआ है। हमारे राज्य में यह क्रियान्वित ही नहीं हुआ है।

**सभापति महोदय:** कृपया अपनी बात समाप्त करें। हमारे पास केवल पांच मिनट का समय बचा है।

**श्री कल्याण बनर्जी:** महोदय, कृपया मुझे पांच मिनट दीजिए। एक प्रस्ताव यह है कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र मानीटरन और शिकायत निवारण तंत्र बनाया जाए। मेरा सुझाव है कि यह सभा एक पूर्ण कानून बनाए जिसमें इस अधिनियम को कार्यान्वित करने वाले लोगों को जिम्मेदारी दी जाए। इसलिए कड़ी निगरानी रखी जाए और अधिनियम में कड़े प्रावधान किए जाने चाहिएं। यदि कोई खामी है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है तो उस स्थिति में उचित कदम उठाए जाएं।

**सभापति महोदय:** ठीक है।

**श्री कल्याण बनर्जी:** महोदय, मुझे दो-तीन मिनट का समय दीजिए। आखिर, मैं ऐसी जगह से हूं जहां से आप मेरे संसद सदस्य हैं। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** श्री बनर्जी, मुझे एक घोषणा करनी है। कृपया बैठ जाएं।

**श्री कल्याण बनर्जी:** महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। *...(व्यवधान)*

**सायं 6.00 बजे**

**सभापति महोदय:** श्री बनर्जी, इस घोषणा के पश्चात् आप दो मिनट के लिए अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

माननीय सदस्यगण, छह बज चुके हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मेरे पास 30 और वक्ताओं की सूची है। यदि सभा सहमत हो तो सभा का समय दो घंटे बढ़ा दिया जाए।

**कुछ माननीय सदस्य:** ठीक है, महोदय।

**सभापति महोदय:** ठीक है। सभा का समय 8 बजे तक बढ़ाया जाता है।

हां, श्री बनर्जी, आप अपना भाषण दो मिनट में समाप्त कीजिए।

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री वी. नारायणसामी ):** महोदय, यदि आवश्यकता हुई तो हम आठ बजे के बाद भी सूचीबद्ध सभी सदस्यों का भाषण समाप्त होने तक बैठ सकते हैं।

**श्री कल्याण बनर्जी:** महोदय, मेरे एक मित्र जो संभवत: जम्मू कश्मीर से हैं, सच्चर समिति का जिक्र कर रहे थे। मैं भी उसका समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि सच्चर समिति की सिफारिशें कार्यान्वित की जाएं।

हमारे देश में आरक्षण के माध्यम से केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को रोजगार मिलता है। यदि हम सच्चर समिति के प्रतिवेदन को पढ़ें तो हम पाते हैं कि 22 प्रतिशत हिन्दू अनुसूचित जाति में हैं, 69 प्रतिशत बौद्ध अनुसूचित जाति में हैं, नौ प्रतिशत ईसाई अनुसूचित जाति में हैं जबकि केवल 0.08 प्रतिशत मुस्लिम अनुसूचित जाति में हैं। जहां तक मुस्लिम समुदाय की बात है, उनकी पहचान कम क्यों की गई है? मैं अनुरोध करता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में मुस्लिम समुदाय की इस प्रतिशत में वृद्धि की जाए। स्वतंत्रता के इतने समय के पश्चात् भी केवल 0.08 प्रतिशत मुसलमानों को ही अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। यह हमारे देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। अन्य शब्दों में इसका अर्थ है कि भेदभाव हो रहा है।

इन चंद शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*[हिन्दी]*

***श्री वीरेन्द्र कुमार** (टीकमगढ़): महोदय, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण वास्तव में सरकार की भविष्य की कार्य योजनाओं का प्रतिबिंब होता है। पिछले पांच वर्षों से यही सरकार देश का शासन चला रही है किंतु इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी हमेशा देखने में आई है यही कारण है कि लगातार बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाने की दिशा में कोई कदम उठाने की बात सामने नजर नहीं आई। बाजार में पुन: कीमतें बढ़ने लगी हैं जहां तक आतंरिक सुरक्षा के क्षेत्र में सतर्कता बरतने की बात कही गई है आज आम आदमी का विश्वास आतंकवाद के कारण उठ गया है अपने ही देश में कोई व्यक्ति निर्भय होकर एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। घर से बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने दूसरे शहर जाते हैं। मां बाप बच्चों के वापिस लौटने तक चिंतित बने रहते हैं हम अपने देश के तीर्थ स्थानों पर निर्भय होकर नहीं जा सकते हैं। अमरनाथ की यात्रा और भी कठिन हो गई है। साम्प्रदायिक सद्भावना को हर कीमत पर बनाये रखने की बात अभिभाषण में कही गई किंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्रीनगर में अमरनाथ के यात्रियों को कुछ वर्गफुट जमीन प्रतीक्षा के समय ठहरने के लिए भी सरकार जगह नहीं दिला पाती है।

प्रत्येक नागरिक के लिए विशिष्ट पहचान पत्र स्कीम लागू करने की बात कही गई है। हमारे देश में बड़ी संख्या में बंगलादेश से अवैध घुसपैठ जारी है। कई राज्यों में इन घुसपैठियों के कारण जनसंख्या का असंतुलन बन गया है। इन्हें नागरिकता एवं राशन कार्ड भी मिल गये हैं उनकी पहचान कर उनके देश वापिस भेजने की भी कार्य योजना बनाने के संबंध में कोई उल्लेख अभिभाषण में नहीं है। इस बड़ी घुसपैठ से जहां सारी अर्थव्यवस्था पर जोर बढ़ रहा है वहीं हमारे देश के गरीब मजदूरों की रोजी रोटी छिन रही है वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में अपराधों में भी वृद्धि हो रही है।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है कृषि कार्यों में बढ़ावा हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

को सुदृढ़ करने की बात कही गई है। हमारे देश का किसान दुनिया के किसी भी देश के किसान से कम नहीं है अगर उसे सिंचाई के बेहतर साधन मिल जाएं, समय पर खाद मिल जाये तो वह इतना अनाज पैदा कर सकता है कि देश को खिलाने के साथ बाहर के देशों को निर्यात कर हमारे देश के विदेशी कर्जे को भी उतार सकता है।

मध्य प्रदेश का बुन्देलखंड जिसमें टीकमगढ़ जिले में चंदेलकालीन लगभग 950 तालाब हैं जिनसे सिंचाई के साथ ही पेयजल की भी पूर्ति होती है इसी तरह छतरपुर में भी अनेक तालाब हैं देश के कई राज्यों में ऐसे पुराने कई बड़े तालाब अलग-अलग स्थानों पर हैं किंतु सरकार ने इन तालाबों की सफाई एवं गहराईकरण कराने की किसी योजना का उल्लेख नहीं किया है। अभिभाषण में अत: इस तरफ प्राथमिकता से सोचना चाहिए। किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है कांग्रेस शासित महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक नहीं है, विचार करने की बात है।

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में बाल श्रम का दुरुपयोग हो रहा है। ठेकेदार द्वारा फर्जी मस्टर रोल बनाकर काफी अनियमिततायें की जा रही हैं जिससे योजना का लाभ ठीक ढंग से गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। इस बात का कोई उल्लेख अभिभाषण में नहीं किया गया। गांवों में रोजगार की कमी होने से शहरों की ओर पलायन हो रहा है इस पर गंभीरता से योजना बनाने की आवश्यकता है।

मशीनीकरण एवं आधुनिकीकरण ने विकास की दौड़ में आगे बढ़ने में सहयोग तो किया है किंतु हमारे देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है बढ़ती हुई युवा बेरोजगारों की संख्या को रोजगार देने की क्योंकि यह युवाओं में निराशा एवं कुंठा को बढ़ा रही है तथा अपराध की तरफ भी ढकेल रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बड़ी बातों का उल्लेख है किंतु वास्तविकता यह है कि गांव में चिकित्सा आज भी सपना है गांव के लोग आज भी झोला छाप डाक्टरों पर निर्भर हैं। इन अशिक्षित चिकित्सकों के कारण प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में ग्रामीण समय से पहले स्वर्ग सिधार जाते हैं। आज भी एमबीबीएस डाक्टर गांवों में नहीं जाना चाहते इस संबंध में कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

इंदिरा आवास योजना के माध्यम से गांवों के आवासहीन लोगों को मकान उपलब्ध कराने की बात वास्तव में सरपंच कृपा योजना बनकर रह गई है आज भी सही आवासहीन पात्र लोग इस योजना से वंचित हो रहे हैं उनके संबंध में गंभीरता से विचार करना चाहिए।

अभिभाषण वायदों का पुलिन्दा है यह तो आने वाला समय ही बतलायेगा कि सरकार इन्हें पूरा करने के लिए कितनी गंभीर है। भारत निर्माण की बात कही गई है लाखों लोग दो दिन में एक वक्त का भोजन करते हैं पहनने को कपड़े नहीं हैं रहने को मकान नहीं दवाई को पैसे नहीं हैं दिल्ली, मुम्बई, बंगलोर, चेन्नई इस देश के विकास का माडल नहीं होगी।

जब तक देश के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को रहने को मकान, पहनने को कपड़े, भूखे को भोजन एवं अस्वस्थ व्यक्ति को दवा नहीं मिल पाती है तब तक भारत निर्माण अधूरा है यही आम आदमी इस देश के विकास का माडल होगा। जिस दिन यह आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक रूप से समृद्ध हो जायेगा भारत का निर्माण अपने आप हो जायेगा।

**श्री श्रीपाद येसो नाईक** (उत्तर गोवा): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर धन्यवाद देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं इसका समर्थन करता हूं। सबसे पहले पिछले चार दिनों में माननीय अध्यक्ष महोदया और माननीय उपाध्यक्ष जी का सर्वसम्मति से जो चुनाव हुआ है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। सर्वसम्मति और सहमति की राजनीति देश का भला कर सकती है और देश के विकास को गति भी दे सकती है। लेकिन यह सहमति रखने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष की है और विकास के लिए विपक्ष भी सरकार का साथ देने में पीछे नहीं हटेगा। देश की जनता ने हमें जिताकर यहां भेजा है। इस लोकतंत्र के मंदिर में अच्छे कानून बनाने के लिए और जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए सबका सहयोग चाहिए।

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में अनेक समस्याओं का जिक्र किया है। देश आज भयंकर परिस्थितियों से गुजर रहा है। आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा जैसी समस्या हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। हजारों देशवासियों की जान आतंकवाद ने ले ली है। इसके कारण हजारों लोग और हजारों कुटुम्ब उजड़ गये हैं। इसे रोकने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे और इस विषय को प्राथमिकता देकर कठोर उपाय और सशक्त कानून बनाने के बाद आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा।

आज आम आदमी महंगाई से बहुत परेशान है। इस महंगाई को रोकने के लिए सरकार की तरफ से अच्छे उपाय सामने नहीं आ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा

है कि आने वाले दिनों में बी.पी.एल. लोगों के लिए 25 किलो गेहूं या चावल तीन रुपये प्रति किलो की दर से दिये जायेंगे। मैं आग्रह करता हूं कि इसका कार्यान्वयन जल्दी से जल्दी करें।

महोदय, भ्रष्टाचार जैसे कैंसर ने देश को खोखला बना दिया है। यदि इसे अभी नहीं रोका गया तो यहां बहुत जल्दी जंगलराज आ जायेगा और आम आदमी इसमें पिस जायेगा।

माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में स्विस बैंकों में पड़े हुए भ्रष्टाचार से कमाये हुए लाखों करोड़ों रुपये का उल्लेख किया है। यह पैसा वापस लाकर देश के विकास कार्य में खर्च किया जाये। इस अभिभाषण में महिला आरक्षण विधेयक की बात कही गई है। हम इसके बारे में वर्षों से चर्चा सुन रहे हैं। सत्ताधारी दल की सरकार के समय यह विधेयक लाया जा चुका है लेकिन आरक्षण विरोधी दलों ने इसे पास नहीं होने दिया। अगर यह विधेयक पारित हो गया होता तो आज हमारी बहनों की संख्या यहां पर काफी बढ़ गई होती। सरकार की मंशा है तो इस महिला आरक्षण विधेयक को तुरंत पारित करना चाहिये ताकि महिलाओं को उनका हक मिल सके।

सभापति महोदय, इसके अलावा देश के लाखों नवयुवकों का भविष्य अंधेरे में लटक रहा है। सरकार करोड़ों नवयुवकों को काम नहीं दे पायी है जिस कारण नवयुवक अपना अलग रास्ता ढूंढ रहे हैं। उन्हें जल्द से जल्द रोजगार मिले। रोजगार नहीं मिलने से देश का नुकसान हो रहा है। युवा शक्ति के आधार पर भारत निर्माण का सपना पूरा किया जाना है। इस सपने को हमें अतिशीघ्र पूरा करना है।

आस्ट्रेलिया में एक समस्या उभर रही है। आज हमारे देश के ढाई करोड़ नवयुवक विदेशों में या तो पढ़ रहे हैं या रोजगार में लगे हुये हैं। हमें उनकी सुरक्षा की चिन्ता है। केवल सरकार का संवेदनशील होने से काम नहीं चलेगा उनकी सुरक्षा के लिये सरकार को ठोस कार्यवाही करनी चाहिये।

**सायं 6.07 बजे**

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यदि पूरे विश्व के साथ हमारा मैनेजमेंट ठीक होगा, तभी हम पूरे विश्व को खिला पायेंगे। आज हमारे देश के किसान भाइयों की क्या हालत हो गई है? वह अपना पसीना बहाकर धान का उत्पादन करता है, लेकिन उसे समय पर मदद नहीं मिलने से वह आत्महत्या कर रहा है। देश को धान आयात करना पड़ रहा है। हमें उसे कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना होगा तभी उसे सपोर्ट मिल पायेगी। उसे अच्छा सपोर्ट प्राइस भी मिलना चाहिये ताकि वह आत्महत्या जैसे कदम न उठाये। उसके लिये इनफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। अगर उनकी समय पर मदद नहीं करेंगे तो न किसान बचेगा और न देश बचेगा।

सभापति महोदय, एनडीए शासनकाल में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दो महत्वपूर्ण परियोजनायें चालू की थीं। इंटर रिवर्स लिंकिंग और गोल्डन क्वाड्रीलेटरल रोड्स कॉरिडोर। इन पर काम चल रहा है लेकिन गति बढ़ाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, हम देखते हैं कि देश के एक भाग में बाढ़ है तो दूसरे हिस्से में सूखा पड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सूखे के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बिहार में बाढ़ के कारण लाखों घर तबाह हो रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा पर नियंत्रण पाने के लिये जल्द ही सरकार को कुछ करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में ऐसे अनेक विषय नहीं आये हैं। किस ने कौन सा प्रोजैक्ट लिया, कौन सा नहीं लिया, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं होना चाहिये। ऐसे कई प्रोजैक्ट्स हैं जो देश हित में लम्बित पड़े हुये हैं। एन.डी.ए. शासनकाल में हजारों किलोमीटर सड़क बनीं लेकिन अब उसका प्रोसैस थम गया है।

मेरा आग्रह है कि रोड बढ़ने से विकास की गति भी बढ़ती है। मेरा आग्रह है कि देश में विकास की गति बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए। मेरी यह भी मांग है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए।

*[अनुवाद]*

**श्री मनीष तिवारी** (लुधियाना): सभापति महोदय, मुझे इस सभा में पहली बार बोलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं डा. गिरिजा व्यास द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन आदर्शों की चर्चा है, जिनको आधार मानकर हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ है। कई मायने में 15वें आम चुनाव से उन आदर्शों की संपुष्टि तथा पुन: समर्थन हुआ है। पूर्ववर्ती संप्रग सरकार जिन नीतियों पर पिछले पांच वर्षों से चल रही है उनमें ये आदर्श सम्मिलित हैं अर्थात् जागरुक राष्ट्रीयहित की नीति का पालन करते हुए संप्रभुता, सम-विकास की नीति के साथ समेकित समाजवाद तथा वर्तमान समय के अनुकूल मिलीजुली आर्थिक सही नीति, देश भर में साम्प्रदायिक सामंजस्य के वातावरण का निर्माण करते हुए समेकित

[श्री मनीष तिवारी]

धर्मनिरपेक्षवाद जो धर्मनिरपेक्षवाद के गुजरात माडल के विपरीत था जिस नीति का पूर्ववर्ती राजग सरकार ने पालन किया था और जिसका महत्व कमतर नहीं है, प्रजातंत्र की नीति है जिसके लिए चुनाव आयोग को भी बधाई देनी होगी, जिसने इतने बड़े चुनाव कार्य, जो संभवत: विश्व में सबसे बड़ा है, उसको शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण से सम्पन्न किया। यदि मैं जनादेश जिसे भारत की जनता ने 15वें आम चुनाव में दिया, को संक्षेप में कहना चाहूं, तो कहूंगा कि यह संप्रग सरकार को मिली 'नवजीवन प्राप्त निरंतरता' के रूप में स्थिर हो जाएगी।

9 नवम्बर, 1989 की युगांतरकारी घटना में जब जनता ने बर्लिन की दीवार को गिरा दिया था, उससे शुरुआत करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में पिछले दो दशक वास्तव में बदलाव का समय रहे हैं। शीत युद्ध के दौरान दो-ध्रुवीय व्यवस्था से निकलकर 1990 के दशक में हमने एक-ध्रुवीय व्यवस्था में प्रवेश किया है। जिसे कुछ भौगोलिक चिंतकों ने बहुत बड़ी भूल करते हुए इतिहास के अंत तथा इक्कीसवीं सदी के शुरुआत में इसे विकसित हो रहे बहु-ध्रुवीय रूपरेखा का नाम दिया था। मैं सोचता हूं कि मूलभूत काम जो न केवल संप्रग सरकार बल्कि पूरे राष्ट्र के समक्ष है वह यह है कि इसे उभरते हुए बहु-ध्रुवीय क्षेत्र जिसका एक ध्रुव भारत भी है को कैसे समेकित किया जाए तथा यह देखना है कि हम राष्ट्रमंडल देशों के बीच कैसे एक सही स्थान पाते हैं।

चूंकि 21वीं सदी का पहला दशक समाप्त होने को है, वैश्विक क्षितिज पर बहुत सी चुनौतियां हैं। समयाभाव के कारण मैं उन सभी की चर्चा नहीं करूंगा लेकिन मैं उनमें से एक या दो के बारे में चर्चा करना चाहूंगा जिनका तत्काल महत्व है। वस्तुत:, सबसे बड़ा आर्थिक संकट, जिसका 1930 की भारी मंदी के बाद पहली बार विश्व को सामना करना पड़ा है, आपको निश्चित रूप से उस श्रेणी में गिना जा सकता है और इस पर न केवल इस सभा द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, बल्कि विश्व में सभी जगह प्रत्येक नीति-निर्माता को एकमत होकर इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

सभापति महोदय, 13 महीने पहले आई.एम.एफ. ने यह भविष्यवाणी की थी कि विश्व की अर्थव्यवस्था में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि होगी। पिछले माह उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में संशोधन कर दिया और कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था 1.3 प्रतिशत तक ही सिमटकर रह जाएगी। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम विश्व अर्थव्यवस्था में गिरावट देख रहे हैं। इस समस्या की गंभीरता का अंदाजा कुछ आंकड़ों से लगाया जा सकता है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

वर्ष 2008 के पिछले 180 दिनों में जापान के निर्यात में 43 प्रतिशत की कमी हुई है; चीन के निर्यात में 33 प्रतिशत तथा एशियन देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्था में 12 प्रतिशत कमी आई है और पूरे आर्थिक संकट के दौरान पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में तथा डा. मनमोहन सिंह के देख-रेख में देश की नैय्या को खेकर जिस तरह से पार लगाया है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। इन बुरे दिनों के दौरान भी अर्थव्यवस्था की वार्षिक विकास दर को 6.7 प्रतिशत बनाए रखना; बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को 0.48 प्रतिशत पर लाना; इसके साथ ही घरेलू मांग को बढ़ाना; ये सारी बाते यह दर्शाती हैं कि विगत दिसम्बर तथा जनवरी, 2008 के शुरू में प्रोत्साहन पैकेज के रूप में जो कदम उठाए गए उनका प्रभाव धरातल पर दिखना शुरू हो गया है।

मुझे पता है कि समय का अभाव है, और मैं अपनी बात यह कहते हुए समाप्त करता हूं कि हमने विपक्ष के नेता को यह कहते हुए सुना है कि हमें 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसकी सारी जिम्मेदारी केवल सरकार पर ही नहीं है। मैं समझता हूं कि यह जिम्मेदारी इस पूरी सभा की है। यदि हम अगले कुछ महीनों में केवल विरोध के लिए विरोध की नीति को हम छोड़ पाएं और हम इस सभा में वास्तव में केवल राष्ट्रहित में बहु-दलीय व्यवस्था का बना पाएं तो हम इस सदी को भारतीय सदी बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं।

**श्री एस. सेम्मलई** (सलेम): आदरणीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति दी, इसके लिए आपका आभारी हूं।

मैं अपनी महान नेता पुरात्ची थलाईवी डा. जे. जयललिता का बहुत-बहुत धन्यवादी हूं जिनकी न्यायशीलता और महानता के कारण मैं आज इस सम्माननीय सभा का सदस्य हूं। मैं अपने सलेम चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे चुनकर यहां भेजा है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा से पूर्व मुझे एक बात याद आ रही है जिसे सुविख्यात द्रविड़ नेता पेरारीगनार अन्ना ने एक बार कहा था। उन्होंने कहा था, ''संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने की अनुमति दी जानी चाहिए और सत्तापक्ष को हमेशा अपने कान खुले रखने चाहिएं।'' इसका मतलब यह है कि सत्ता पक्ष को विपक्ष के विचारों को सुनना चाहिए और उसके अनुसार समुचित कार्य करना चाहिए।

इस अवसर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सम्मानित नेता पुरात्ची थलाईवी डा. जे. जयललिता अपने ही तरह की एक बुद्धिजीवी हैं। वे एक सशक्त नेता हैं जिनके पास काफी अनुभव

और असाधारण दूरदृष्टि है। हमारी नेता काफी अध्ययन करती रहती हैं और उनको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय मुद्दों के बारे में व्यापक जानकारी है। विभिन्न समस्याओं पर समय-समय पर जारी किए गए उनके बयानों में समस्याओं की गंभीरता और उनके समाधान के तरीके देखने को मिलते हैं। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर उनके विचारों को सुनें और उपयुक्त कार्रवाई करें।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में गरीबी के स्तर को कम करने के लिए कुछ उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है लेकिन वे पर्याप्त नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग दो-तिहाई भारतीय 20 रुपये प्रतिदिन की आय पर अपना गुजर-बसर करते हैं। वर्ष 1973-1974 की तुलना में वर्ष 2005-2006 में शहरी गरीबों की संख्या 6 करोड़ 5 लाख से बढ़कर 8 करोड़ 7 लाख हो गई। मानव विकास सूचकांक संबंधी यू.एन. की अद्यतन रिपोर्ट में भारत को 132वें स्थान पर रखा गया है।

समावेशी विकास खत्म होता जा रहा है। ढांचागत विकास और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों पर भारी सरकारी निवेश से ही अर्थव्यवस्था को बल मिल सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते समय अपेक्षित उपायों की घोषणा करेंगे।

सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर बहुत ज्यादा निर्भर दिख रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाते समय डा. गिरिजा व्यास और श्री पी.सी. चाको, दोनों ही ने यह कहा कि इस कार्यक्रम में लगे हर व्यक्ति को प्रतिदिन 100 रुपये मिल रहे हैं लेकिन कहीं भी किसी को 100 रुपये प्रतिदिन नहीं मिल रहे हैं। कानून बनाते समय मजदूरी 100 रुपये निर्धारित की गई थी फिर इसे कम करके 80 रुपये कर दिया गया लेकिन तमिलनाडु में इतनी राशि भी नहीं दी जा रही है। केवल 60 रुपये या 65 रुपये दिए जा रहे हैं। कोई कार्य हुआ अथवा नहीं या अप्रभावी है, यह देखने के लिए मेरे राज्य में कोई निगरानी तंत्र ही नहीं है। कुछ ठोस परिसम्पत्तियों के निर्माण के बजाए न टिकने वाले काम किए जा रहे हैं और निधियों के दुरुपयोग तथा कार्य में विलम्ब होने की पूरी संभावना है। योजना अच्छी हो सकती है, लेकिन उसका कार्यान्वयन आशा के अनुरूप नहीं है। अत: सरकार को निगरानी तंत्र सुदृढ़ करना चाहिए।

पुन:, जैसा कि मेरी नेता पुरात्ची थलाईवी, डा. जे. जयललिता ने सुझाव दिया था, स्थायी जीविका के लिए काम के दिनों की संख्या को एक वर्ष में 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन किया जाए। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक मजदूर चाहे वह महिला हो या पुरुष, को 100 रुपये प्रतिदिन मिले।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में जरूरतमंद और पात्र छात्रों को शिक्षा-ऋण उपलब्ध कराने के बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि गरीबों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करना एक पूरा न हो सकने वाले स्वप्न के समान है। बैंक अधिकारियों द्वारा उन्हें बहुत परेशान किया जाता है। लाभार्थियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। सभी पात्र छात्रों को बिना किसी परेशानी के शिक्षा ऋण मिलना चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से सभी को ब्याज-रहित शिक्षा ऋण देने की अपील करता हूं। यद्यपि ऋण राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, परन्तु सरकार ऋण पर ब्याज को वहन कर सकती है। सरकार पर यह कोई बहुत भारी बोझ नहीं होगा। यदि यह सुझाव मान लिया जाता है, तो इससे उच्च शिक्षा में छात्रों की संख्या बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री जोस के. मणि** (कोट्टयम): माननीय सभापति महोदय, मैं डा. गिरिजा व्यास द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हमें बहुत खुशी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक प्रगतिशील सरकार की उन नीतियों और कार्यक्रमों के पैकेज का उल्लेख है, जिसमें समाज के सभी वर्ग विशेषकर कम आय वाले ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित हैं। बिना किसी संकोच के मैं कह सकता हूं कि यह एक दूरदर्शी दस्तावेज है।

सर्वप्रथम, मैं दूरदर्शी डा. मनमोहन सिंह को देश में बड़ा आर्थिक विकास लाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। इस वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में भी हम मुद्रास्फीति को यथासंभव कम रखते हुए 8.5 प्रतिशत की विकास दर को बनाए रखने में सफल रहे। वास्तव में हाल के चुनावों में संप्रग की जीत के पीछे यह बहुत बड़ा कारण रहा है। चुनाव परिणाम श्रीमती सोनिया गांधी और डा. मनमोहन सिंह के प्रगतिशील नेतृत्व में लोगों के आत्मविश्वास को दर्शाता है। चुनाव परिणाम यह दर्शाते हैं कि कांग्रेस तथा संप्रग का भी कोई विकल्प नहीं है।

महोदय, वर्तमान सरकार से लोगों को काफी उम्मीदे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह इसके अनुरूप अपने को खरा साबित करेगी और दोनों की आकांक्षाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिनियमित किया जाएगा और यह बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। यह वायदा कि गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक किसान परिवार को एक महीने में 25 किलो चावल या गेहूं 3 रुपये प्रति किलो के दर दिया जाएगा, प्रशंसनीय है। यह साहसिक वक्तव्य कि महिला आरक्षण विधेयक को अधिनियमित कराने के लिए हर कदम उठाया जाएगा, क्रांतिकारी और प्रशंसनीय है।

[श्री जोस के. मणि]

मेरे विचार में विकास और सामाजिक प्रगति एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों को एक साथ चलना चाहिए। हमें समावेशी विकास समता के साथ विकास की जरूरत है। जैसा कि हम जानते हैं हमारी आबादी का 70% से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और उनमें से अधिकांश कृषक हैं। तथापि, दुर्भाग्य से, कृषि विकास 2.4% से नीचे रुका हुआ है। हमारी पार्टी, केरल कांग्रेस (एम) का मानना है कि इस असंगठित क्षेत्र में बिना किसी पक्की आय और रोजगार के हम समावेशी विकास को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए, इस सरकार की विकास प्राथमिकता कृषि विकास पर ज्यादा होनी चाहिए। ग्रामीण आबादी के लिए अधिक आय और रोजगार पर ज्यादा होनी चाहिए।

इस समय देश में मध्यम श्रेणी के किसानों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और वित्तीय समेकन के स्वर्णिम सम्मिश्रण की जरूरत है। वैश्विक आर्थिक संकट के प्रभाव को कम करने हेतु सरकार द्वारा शुरू किए गए वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज को कुछ समय तक जारी रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही कुछ सीमित तरीके से वित्तीय समेकन प्रक्रिया द्वारा सतत आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

मैं अपने भाषण को छोटा करते हुए यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई उपायों की चर्चा है। इसलिए, मैं एक बार पुनः धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सभापति महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सबसे पहले तो मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो सूचना के अधिकार की मुख्य बात है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। पिछली लोक सभा में बहुत जोशो-खरोश के साथ यह बिल पेश हुआ था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी भी विभाग से अपनी सूचना प्राप्त कर सकता है। यह कानून पूरे देश के स्तर पर लागू हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में सूचना के अधिकार का यह जो विधेयक पास हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने एमेंडमेंट किया, जिसमें उन्होंने यह दर्शाया कि सचिवालय से संबंधित जो कार्य होंगे, उसकी सूचना नहीं दी जा सकती। दूसरा एमेंडमेंट किया है कि एडवोकेट जनरल से संबंधित कार्यों की सूचना नहीं दी जाएगी। तीसरा उन्होंने दिया कि राज्यपाल जी के कार्यों के बारे में सूचना नहीं दी जाएगी और उन्होंने जो चौथा एमेंडमेंट किया है कि मुकदमे से संबंधित चाहे मुकदमा तहसीलदार के यहां हो, एस.डी.एम. के यहां हो या छोटे से अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक अगर मुकदमा लम्बित है तो उसकी सूचना भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहूंगा कि सूचना के अधिकार का जो विधेयक, जो कानून लागू हुआ है, वह पूरे देश के स्तर पर लागू हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार या स्थानीय सरकारों को यह अधिकार नहीं है कि यहां से कोई भी कानून लागू हो तो उसमें कोई एमेंडमेंट करे।

दूसरा, सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बढ़-चढ़ कर वायदा किया और सौ दिन में पांच वर्षों का एजेण्डा पूरा करने के कार्यक्रम का लक्ष्य रखा है, वह बहुत अच्छी बात है कि हम लोग पांच साल के अपने कार्यकाल में कम से कम सौ दिन में सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन सरकार के सामने जो पांच बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना होगा।

जैसा अभी कुछ सम्मानित सदस्यों ने आंतरिक सुरक्षा की बात कही। विश्व में छठा स्थान है भारत देश का, जहां आतंकवाद की घटनाएं हुयीं। वर्ष 1970 से लेकर वर्ष 2009 में अब तक 4,100 आतंकवादी घटनायें घटी हैं। पूरे देश के 14 प्रदेशों में 602 जिले नक्सली घटनाओं से प्रभावित हैं, उनमें हमारे तमाम बेगुनाह लोग, सशस्त्र बल के नौजवान मारे गए। इस पर गंभीरता से विचार करना होगा।

दूसरी, सरकार के सामने जो बहुत बड़ी चुनौती है, वह है रोजगार और सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन ने वैश्वीकरण स्तर पर छायी मंदी की जो एक रिपोर्ट दी कि वर्ष 2009 के अंत तक कम से कम 21 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे, जिनको नौकरियों से नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे भारत कहीं अछूता नहीं रहेगा और भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। चाहे वह आईटी का क्षेत्र हो, चाहे बीपीओ सैक्टर में छायी मंदी से निपटने और नये रोजगारों का सृजन करने की बात हो, सरकार को इन तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

तीसरी, जो महत्वपूर्ण चुनौती सरकार के सामने आएगी, वह खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित है। 20 करोड़ लोगों को आज भी अपने देश में ढंग का खाना नहीं मिल पा रहा है, बड़ी मुश्किल से बेचारे खाना खा पा रहे हैं। हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। हमारे तमाम धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है कि अगर पड़ोसी भूखा है, अगर बगल वाला परिवार उसे भूखा देखता है तो वह जायज नहीं होगा। आज अगर सर्वे कराया जाए तो पचास प्रतिशत से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, इसी प्रकार से पांच लाख महिलाओं की प्रतिवर्ष प्रसव के दौरान मौत हो जाती है। उनमें हीमोग्लोबिन

की कमी है। बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक चीजें, जैसे मिड-डे-मील शुरू किया गया है, लेकिन कहीं-कहीं पर उसकी गुणवत्ता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह दिखायी पड़े हैं।

चौथी, जो सबसे बड़ी चुनौती होगी, वह शिक्षा को लेकर होगी। आज भी 3 लाख 5 हजार शिक्षकों की पूरे देश में कमी है। आज छात्रों की संख्या और तमाम शिक्षकों की संख्या का बैलेंस नहीं बन पाता है। कहीं छात्र ज्यादा हैं, तो अध्यापक कम हैं और कहीं अध्यापक ज्यादा हैं, तो छात्र कम हैं। इसी प्रकार से चाहे विश्वविद्यालय के स्तर पर, या डिग्री कालेज के स्तर पर, कम से कम 1 करोड़ छात्रों को पढ़ाने के लिए कम से कम 70 हजार प्राध्यापक चाहिए। आज इसकी हमारे देश में कमी है, इसको पूरा करने की चुनौती सरकार के सामने है।

पांचवीं, सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा और पर्यावरण की है। देश में कोयले का भंडार केवल 40 वर्ष तक का है, इसके बाद कोयले का भंडार खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से तेल का भंडार आपके पास 20 वर्ष के लिए हैं। आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती पानी की होगी। पानी भी खत्म हो जाएगा। ये तमाम चुनौतियां हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि सरकार को और शक्ति-बल मिले कि वह इन चुनौतियों का सामना करें।

महोदय, आपने बेल बजा दी है। कुछ बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हम लोगों को एमपीलैड्स से दो करोड़ रुपए मिलते हैं। पार्लियामेंट की एक सीट पांच-छः-सात-आठ विधानसभाओं की है, इसलिए वह पैसा पूरा नहीं हो पाता। या तो एमपीलैड्स को पूरा खत्म कर दिया जाए या विधानसभावार हमें इतना धन दिया जाए कि हम वहां विकास कार्य कर सकें। इसी प्रकार से सेंट्रल स्कूल में एडमीशन के संबंध में, हर एमपी को केवल दो बच्चों के एडमीशन का कोटा मिलता है। अगर हमारे यहां पांच-छः या सात विधान सभा क्षेत्र हैं, तो इसमें बड़ी दिक्कत होती है। इसको भी समाप्त किया जाए या हमें समुचित कोटा दिया जाए, जिससे हम अपने क्षेत्र के लोगों को ओब्लाइज्ड कर सकें।

अभिभाषण में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कोई मूलभूत बात नहीं कही गयी है। अपने देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या की है। जनसंख्या पर कैसे हम रोक लगायें, इस पर भी कोई बात नहीं कही गयी। हमारे यहां जबरदस्त लिंग-भेद है। कन्या भ्रूण हत्यायें हो रही हैं। तमाम सदस्यों ने इसके बारे में अपनी बात कही। पिछले वर्षों में जो कृषकों की आत्महत्यायें हुयीं, उसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया। केवल 70 हजार करोड़ रुपए आपने ऋणमाफी कर दिया। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनका बैंक वाले बिना घूस लिये ऋण माफ नहीं कर रहे हैं।

यह शिकायत है। माननीय फाइनैंस मिनिस्टर को पत्र जा रहे हैं। इसे भी हमें बड़ी गंभीरता से देखना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

**श्री विष्णु पद राय** (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, मैं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह से आता हूं। भारत सरकार उस यू.टी. पर अपना ध्यान दे, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जो संविधान अमैंडमैंट होता है, वह लोगों के हित के लिए होता है। लेकिन कुछ संविधान अमैंडमैंट ऐसे हुए जिनसे अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के साथ भेदभाव पैदा हुए। उदाहरणस्वरूप नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एक्ट, लोक सभा ने सन् 2007 में पारित किया जिसका परिणाम द्वीपसमूह के बच्चों पर हुआ। हमारे वहां एक ही बोर्ड है। सीबीएसई दिल्ली बोर्ड में था, और कोई बोर्ड नहीं था। बाकी राज्यों में तीन-चार बोर्ड होते हैं। मेरिट में वेरिएशन के कारण इस एक्ट को लाया गया था। इस एक्ट से हमारे बच्चों को यह तकलीफ शुरू हुई कि जो आदिवासी भाई लोग हैं, इस बार एआईईईई परीक्षा में अंडमान से कोई बच्चा अपियर नहीं हुआ और एक बच्चे को सीट भी नहीं मिली। निकोबार द्वीप का भी बनेगा। एनआईटी, जिन राज्यों में एनआईटी नहीं है, वहां एनआईटी बनेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक वहां एनआईटी इंस्टीट्यूट नहीं बने, उसके लिए यह क्राइटेरिया बनाया गया है कि तीन सौ एकड़ जमीन चाहिए। हमारे पास तीन सौ एकड़ जमीन नहीं है जबकि अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में हाइएस्ट फारैस्ट इन इंडिया है। केन्द्रीय सरकार से रिस्ट्रिक्शन जैसे सीआरजेड रिस्ट्रिक्शन और पार्लियामैंट के अनेक एक्ट लागू हैं। मैं आज शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके आया हूं। आपके पास समय कम है, हमारे पास भी समय कम है। मेरे दो-तीन अनुरोध हैं जिन पर विशेष ध्यान दिया जाए। एनआईटी बनाने के लिए जो तीन सौ एकड़ जमीन की मांग की गई है, उसे कम करके 125 एकड़ किया जाए। दूसरा, दिल्ली यूनीवर्सिटी का एफीलिएशन अंडमान इंजीनियरिंग कालेज में मिले। तीसरा, जब तक एनआईटी नहीं बने, प्रोफैशनल सीट्स जैसे एमबीबीएस, वह आंकड़ा दस साल से 18 में ही है। भारत के दूसरे राज्यों में एनआईटी सीट्स, इंजीनियरिंग सीट्स एमबीबीएस सीट्स बढ़ी हैं। 105 इंजीनियरिंग सीट्स एआईईईई में शुरू हुई हैं, उन्हें मेरिट में न लेकर सीबीएसई में इस साल ऐलाट करें, यह मेरा अनुरोध है।

दूसरा, फारेस्ट इनक्रोचमैंट एक्ट जो पार्लियामैंट में सन् 2006 में पास हुआ- दी शैडयूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फारैस्ट ड्वैलर्स एक्ट - द्वीपों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फारैस्ट इनक्रोचर्स के बारे में करार हुआ था, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उस एक्ट में कहा गया कि शैडयूल्ड ट्राइब्स को मिलेगा। जो

[श्री विष्णु पद राय]

इनक्रोचर्स हैं, वे सचमुच शैडयूल्ड ट्राइब्स हैं, जैसे मुंडा, ओरांव, खाइयां, वे आदिवासी भारत के विभिन्न प्रांतों में हैं। अदर डवैलर्स के बारे में जो कानून बनाया गया, श्री जनरेशन, दिसम्बर, 2006 से 75 वर्ष, जो व्यक्ति 1930 से बैठा है, उसे जमीन मिलेगी। 1930 में वह आजाद नहीं हुआ तो प्रमाण कहां से देगा। मेरा अनुरोध है कि वह जो एक्ट बनाया गया है, उसमें अमैंडमैंट किया जाए या भारत सरकार चिंतन करे कि पांच हजार परिवार, जो पोस्ट 1978 हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मार्ग पर खड़े हुए हैं, एनडीए सरकार द्वारा उनके लिए पैकेज बनाया गया था, यूपीए गवर्नमैंट उस पैकेज को तोड़कर उसे खाली करवाएगी और केवल तीन सौ स्कवायर मीटर जमीन देगी। एक्ट के प्रावधान के मुताबिक मध्य प्रदेश, झारखंड में जितनी जमीन इनक्रोच की गई है, उतनी मिलेगी। एक्ट के मुताबिक अमैंडमैंट करके उतनी ही जमीन हमारे द्वीप में उन्हें दी जाए और उससे पहले उनसे जमीन खाली न करवाई जाए, यह मेरा दूसरा चिंतन आपके सामने रखा गया है।

सबसे बड़े दुख की बात है कि क्या भारत सरकार की अंडमान-निकोबार के साथ कोई दुश्मनी है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अंडमान-निकोबार के साथ इंडियन एयरलाइन्स का क्या बर्ताव है। मैं 1999 में पहली बार एमपी बनकर आया। हमारा कोई व्यक्ति बीमार हो गया, उसके सिर में चोट लगी, उसे पोर्ट ब्लेयर टू चेन्नई या पोर्ट ब्लेयर टू कोलकाता स्ट्रेचर में जाना था। इंडियन एयरलाइन्स भारत सरकार की है। उसके लिए प्लेन की छः टिकटों का चार्ज लिया जाता है। जब श्री वाजपेयी की सरकार थी, तब उनसे अनुरोध किया गया था, मिनिस्ट्री आफ सिविल एविएशन ने छः टिकट से एक टिकट कर दिया था।

यूपीए सरकार फिर दोबारा सत्ता में आई। उनको चिन्ता द्वीप की नहीं है, इंडियन एयरलाइन्स की है। उन्होंने दोबारा फिर सिक्स टिकट कर दिया। आप सोचिए कि यदि किसी आदमी के सिर पर चोट लग जाये और उसे प्लेन टिकट सोने के लिए स्ट्रेचर पर 90 हजार रुपये देने पड़े, तो वह इलाज कहां से करायेगा। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इंडियन एयरलाइंस भारत सरकार का है, इसलिए एनडीए सरकार सिंगल टिकट स्ट्रेचर में लाया था, वह लाये। दूसरी बात यह है कि मैं कोलकाता से दिल्ली आता हूं, तो उसका फेयर चार या पांच और छः हजार रुपये है। अंडमान के लिए इंडियन एयरलाइंस को मालूम नहीं क्या दुश्मनी है? जब पोर्ट ब्लेयर टू दिल्ली, दिल्ली टू कोलकाता की जर्नी दो घंटे है। दिल्ली टू चेन्नई ढाई घंटे की जर्नी है। उसका फेयर पांच, सात और आठ हजार रुपये है। अंडमान निकोबार के लिए सात-आठ हजार रुपये न होकर फुल फेयर है जबकि समय दो घंटे ही लगता है। पोर्ट ब्लेयर-चेन्नई, दिल्ली से कोलकाता-चेन्नई की जर्नी दो घंटे है जबकि प्लेन फेयर सोलह से सत्रह हजार रुपये है। इंडियन एयरलाइंस प्लेन नहीं देगा, वह फुल फेयर पर चलेगा। क्या वह अंडमान निकोबार से कमायेगा? इसलिए मैं इस बारे में अनुरोध करूंगा। अब द्वीप के प्रधान भारत का प्रधानमंत्री है, आईडीए का चेयरमैन है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि द्वीप के साथ बाकी राज्यों ...*(व्यवधान)* मैं कुछ समय और लूंगा। बीपीएल को लेकर अंडमान-निकोबार में कांग्रेस सरकार ने भारत में इतिहास बनाया है। भारत के बाकी राज्यों में बीपीएल की सूची 30 या 40 परसेंट होगी, जबकि अंडमान जिले में एक परसेंट है। मैं वहां के जिलों के नाम लेकर कहना चाहता हूं कि दशरथपुरा जो सुनामी इफैक्टिड एरिया है, विलेज पंचायत दशरथपुर में आबादी एक हजार है जबकि वहां बीपीएल के नौ परिवार हैं। पांडासाला पंचायत आदिवासी सबको मिलाकर डेढ़ हजार परिवारों में बीपीएल 23 परिवार हैं। क्योंकि अंडमान-निकोबार जिले की टोटल पापुलेशन का थ्री-फोर्थ पापुलेशन अंडमान जिले में है। वहां बीपीएल एक परसेंट से पांच-छः परसेंट है जबकि निकोबार जिले में हन्ड्रेड परसेंट है। मेरा एक अनुरोध है कि 60 साल से निकोबार में बीपीएल हंड्रेड परसेंट क्यों चलेगा? अंडमान जिले में कट आफ स्कोर 18 स्कोर और निकोबार में 33 परसेंट कट आफ स्कोर क्यों है? मेरा अनुरोध है कि आप निकोबार को दें, इसमें मुझे आब्जेक्शन नहीं है। कांग्रेस एपीएल बनाने में 60 साल या 100 साल लगायें, सेंचुरी बनाये, मुझे आब्जेक्शन नहीं है। मेरा अनुरोध है कि निकोबार में 33 कट आफ स्कोर में बीपीएल बनाया गया, उसी स्कोर में अंडमान जिले में बीपीएल बनाया जाये। मैं एक दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। सुनामी में लैंड सबमर्ज पड़ी है। वहां मंत्रियों की होड़ लगी, प्रधानमंत्री की होड़ लगी, टीवी में पिक्चर आई। आज भी सुनामी में खेत डूबे पड़े हैं। करीब-करीब 2700 परिवारों के खेत डूबे पड़े हैं। उन परिवारों को सुनामी के नाम पर राजीव गांधी रिहैबिलिटेशन पैकेज के नाम पर केवल पम्पसेट, पावर टीलर, पातू, दाव, गोबर खाद आदि दिये गये, जबकि उनके खेत डूबे पड़े हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सुनामी में जो सबमर्जड लैंड है, उसके बदले सरकार तुरंत आल्टरनेटिव लैंड दें। सबसे बड़ी बात यह है कि आजादी के बाद से किसान की जमीन नदी, नालों, जावटी पोजुशन में से कट चुकी है, स्टैंडिंग कमेटी आईडीए ने वर्ष 2003 में इसे पास किया गया था जिसके चेयरमैन मोंटेक सिंह आहलूवालिया जी हैं, लेकिन आज तक उसको आल्टरनेटिव लैंड नहीं दी गयी है।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदयः** कृपया अब समाप्त कीजिए।

*[हिन्दी]*

**श्री विष्णु पद रायः** मैं एक-दो बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। खासकर प्रिमिटिव ट्राइब्स जारवा के बारे में कहना चाहूंगा। जारवा पर आदिम जाति की विकास समिति बनी।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** अगले सत्र में आपको इन बातों के बारे में बोलने के अनेक अवसर मिलेंगे। अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। अन्य सदस्य अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री विष्णु पद राय:** मैंने दो-तीन मिनट से ज्यादा समय नहीं लिया। मैं राइस के बारे में कहना चाहूंगा। यह सरकार बोल रही है कि राइस देंगे। अंडमान-निकोबार में राइस का एपीएल कोटा सात केजी है जबकि सरकार ने उसे पांच केजी कर दिया।

निकोबार जिले में राइस प्रोडक्शन होता ही नहीं है। पूरे देश में राइस देंगे बोल रहे हैं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि आपकी सरकार द्वारा इसे सात किलोग्राम से पांच किलोग्राम कर दिया गया है, उसे तुरंत चेंज करके मिनिमम 12 किलोग्राम राइस प्रति आदमी को दिया जाए। अण्डमान-निकोबार में सबसे बड़ी चिन्ता मिनिमम वेजेज को लेकर है। एनडीए सरकार के समय पर मिनिमम वेज 70 रुपए था, जिसे वाजपेयी सरकार ने बढ़ाकर 130 रुपए कर दिया। इस सरकार ने पे-कमीशन दिया, एमपीज की तनख्वाह बढ़ाई, एक्स-एमपी की पेंशन बढ़ाई, लेकिन मिनिमम वेज बढ़ा केवल 26 रुपए। यह कुछ भी नहीं है। मेरा अनुरोध है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 200 रुपए किया जाए। ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हैंडीकैप्ड पेंशन की कहानी सुनने पर आपको दर्द होगा। 500 रुपए पेंशन स्टेगनेंट हो गया, तो मेरा अनुरोध है कि इसे तुरंत बढ़ाया जाए।

सुनामी के बाद इनवायरनमेंट की चिंता सरकार को है। करीब 50 स्क्वायर किलोमीटर मैनग्रोव्स खत्म हो चुका है। सुनामी के बाद जमीन एक मीटर तक ऊंची हो गयी, कैम्बर में डाउन हो गया डेढ़ मीटर। वहां जो मैनग्रोव्स खत्म हो रहे हैं, मर रहे है, उसके लिए सरकार तुरंत कार्रवाई करे। गृहमंत्री जी यहां नहीं हैं, अंडमान में खतरा है। गृहमंत्री जी बोल रहे हैं कि टेररिस्ट आएंगे, द्वीप में घुसेंगे, मैं अपने असेसमेंट से कहूंगा कि जो बार्डर एरिया है, वहां पर लोग को बैठाए। कैम्बेल में पहले क्यों लोगों को बैठाया गया था? प्रोटेक्शन के लिए। कश्मीर में उस जमाने में लोगों को बैठाया नहीं था, इसलिए हमने भुगता था। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** कृपया समाप्त कीजिए।

*[हिन्दी]*

**श्री विष्णु पद राय:** मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूं कि अंडमान-निकोबार में टूरिज्म पर सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया गया है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार ने जो 100 दिन का प्रोग्राम बनाया है। उसमें देश के प्रधानमंत्री, आईडीए के चेयरमैन, 100 दिनों में द्वीप के विकास के प्रति हमारी चिन्ता के ऊपर ध्यान देकर कुछ काम करें, यही मेरी प्रार्थना है।

*[अनुवाद]*

**डॉ. के.एस. राव** (एलूरू): सभापति महोदय, मैं डा. गिरिजा व्यास द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं कांग्रेस से सम्बद्ध होने के कारण इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहा हूं। वास्तव में, कई अवसरों पर मैंने सरकार की कुछ नीतियों की आलोचना की है। परंतु मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि संप्रग सरकार एक निर्भीक सरकार है। हममें से हरेक को अनुभव के आधार पर यह मालूम है कि चाहे वह किसी कार्यक्रम या नीति का कार्यान्वयन हो अथवा किसी कार्यक्रम के लाभार्थियों की पहचान करना हो, यदि प्रत्येक कार्य में कोई गोपनीयता नहीं होगी और यदि पारदर्शिता होगी तो समाज की बेहतर प्रगति होगी। दुर्भाग्यवश, जो भी दल सत्ता में आता है, उसे उसके कार्यकलापों के उजागर होने और किसी द्वारा उसकी आलोचना किए जाने का भय होता है। परंतु यह सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम लाई है। प्रत्येक नागरिक को यह पता लगाने का अधिकार मिल गया है कि सरकार ने क्या किया है और क्या तस्वीर के पीछे वास्तव में कुछ है या नहीं।

इसी प्रकार, मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार ने पहले प्रत्येक कार्यकलाप हेतु समय-सीमा निर्धारित की है। इस बार, माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से दस वर्षों अथवा पांच वर्षों का नहीं बल्कि 100 दिनों का उल्लेख किया है। कुछ सदस्यों ने कुछ अवसरों पर यह जिक्र किया था कि किए गए सारे वादों को पूरा नहीं किया जा सकता, विशेषकर ऐसी स्थिति में जिसमें विपक्षी दलों के समर्थन की आवश्यकता हो। उनके सहयोग के बिना संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। अत:, ऐसे मामले में यदि सरकार वादा करती है तो यह झूठा वादा हो जाता है। ऐसा कई मामलों में होता है, चाहे यह सूचना का अधिकार हो अथवा गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों के बारे में विचार करना हो अथवा गरीबी रेखा के नीचे रह रहे सभी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लाना हो। पूरे देश में गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को 3 रुपये प्रति किलो के मूल्य पर चावल और गेहूं देने का भारत सरकार का दावा एक नई और उत्साहजनक घटना है। मेरे एक मित्र बता रहे थे कि उन्होंने इसे कुछ राज्यों में कार्यान्वित किया है। भारत सरकार की प्रमुख भूमिका लोगों विशेषकर दलित व्यक्तियों, किसान समुदाय, ऐसे समुदायों जिन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, के व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों के जीवन में बदलाव लाने हेतु लोगों को प्रेरित करने

[डॉ. के.एस. राव]

के लिए कानून बनाकर लागू करने की पहल करना है। अधिकांश राज्यों को आगे आना होगा, क्योंकि सभी योजनाएं केवल राज्य सरकारों के माध्यम से ही कार्यान्वित की जाती हैं। यदि कार्यान्वयन में कोई खामियां हों तो इसका आरोप राज्य सरकार को सहन करना होगा, विशेषकर तब जब इसे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया हो। इसलिए, इस संदर्भ में, मेरी यह राय है कि भारत सरकार से जुड़ी लगभग सभी योजनाओं में राज्य सरकारों को इसका भागी बनाना होगा।

यह योजना अथवा इसके आकार के आधार पर 80:20 अथवा 70:30 अथवा 50:50 हो सकता है। जब से मैंने वर्ष 1985 में संसद में प्रवेश किया तभी से पहले ही दिन से मैं इन सब पर जोर देता रहा हूं। गरीब व्यक्तियों की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो अथवा विकलांग व्यक्ति को सहायता अथवा आवास हेतु सहायता हो। मेरी राय यह है कि प्रत्येक परिवार को आवास दिया जाना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है। हम यह किसी और पर नहीं छोड़ सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि सदियों तक पति, पत्नी और बच्चे अपना पूरा समय और शक्ति लगाकर भी अपने लिए मकान का निर्माण नहीं करवा पाते हैं। अत: यदि सरकार आवास, सस्ती दरों पर खाद्य, स्वास्थ्य परिचर्या, अच्छी शिक्षा आदि की जिम्मेदारी लेती है, तो यदि वे कड़ी मेहनत करने और अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प नहीं लेते हैं तो आप उन्हें दोषी ठहरा सकते हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक के लिए भी 100 दिन निर्धारित किए हैं जिस पर तीन दशक पूर्व चर्चा की गई थी। यह कहने के लिए दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। यदि यह विधेयक पारित नहीं किया जाता है, तो आरोप इसका विरोध करने वालों पर लगेगा। कुछ छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं। वे यह कह सकते हैं कि हमें पिछड़े वर्गों अथवा अल्पसंख्यकों अथवा अन्यों को सम्मिलित करना चाहिए। हम विधेयक को पारित कर सकते हैं और वे किसी-न-किसी आधार पर इसे स्थगित करने के बजाए इन सभी विषयों के लिए बाद में संशोधन ला सकते हैं। आज मूलभूत आवश्यकता महिला सशक्तिकरण है, जिसका राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्पष्ट उल्लेख है।

मेरी राय है कि पेंशन, सस्ते खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य परिचर्या अथवा प्रीमियम का भुगतान सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पिछले बजट में मैंने पढ़ा था कि वे केवल दो या तीन करोड़ व्यक्तियों को लाभान्वित करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी वाले सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। उन्हें स्वास्थ्य परिचर्या के अंतर्गत लाया ही जाना चाहिए तथा उन्हें सरकारी खर्चे पर स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वे सिर्फ सरकारी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। उन्हें उपचार कराने हेतु किसी भी कारपोरेट अस्पताल में जाने की स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। कम-से-कम 50,000 रुपये की सीमा तक प्रत्येक परिवार के पास किसी भी कारपोरेट अस्पताल में उपचार कराने का हक होना चाहिए जहां पर धनी व्यक्ति उपचार कराते हैं।

इसी प्रकार आवास के मामले में, 'रिवर्स हाइपोथिकेशन' के अंतर्गत हम 1.5 लाख रुपये अथवा एक लाख रुपये की लागत वाले ऐसे मकानों का निर्माण कर सकते हैं, जो स्थायी मकान हो सकते हैं और जो आने वाले कम-से-कम साठ वर्षों तक चल सकते हैं। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में गुणवत्ता के साथ निर्मित मकान का भविष्य में बेहतर मूल्य हो सकता है। यदि वे बीस वर्षों की अवधि में शेष राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो इसे 'हाईपोथिकेट' किया जा सकता है और उन्हें बैंकों से राशि मिल सकती है। उन्हें बीस वर्षों की अवधि में ब्याजरहित भुगतान करना होगा।

मेरी राय है कि ऐसी ही स्थिति किसानों, सीमांत किसानों और गरीब किसानों की है। मेरे कुछ मित्रों ने भी कहा है कि किसान भीख नहीं मांग रहे हैं। यदि उन्हें उनकी उपज के लाभप्रद मूल्य मिलें तो उन्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होगी। उद्योगपतियों को यदि अग्निकांड में 100 करोड़ रुपये का घाटा होता है तो भी उन्हें बीमा सुरक्षा आदि प्राप्त होती है। तो यही बीमा कवर गरीब किसानों को क्यों नहीं मिलता? एक गरीब किसान जो एक एकड़ भूमि में संघर्ष करके 40 से 50 बोरे अनाज की उपज की आशा करता है और उसकी किसी गलती के बिना किसी चक्रवात अथवा बेसमय की वर्षा अथवा किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी फसल नष्ट हो जाए तो हमें उसको मुआवजा देना चाहिए। क्या उसको मुआवजा देना सरकार का कर्त्तव्य नहीं है?

राजीव गांधी के शासन काल में लागू की गई फसल बीमा योजना इकाई के रूप में मंडल पर आधारित थी, जिसे अब इकाई के रूप में अब गांव के आधार पर किया गया है, ताकि प्रत्येक किसान के साथ न्याय किया जा सके। *...(व्यवधान)*

मैं मेरे मित्रों द्वारा उल्लिखित मुद्दों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं महिला स्वयं सहायता समूहों पर ध्यान एकाग्रित करूंगा। प्रत्येक महिला द्वारा 1500 रुपये या 2000 रुपये या 3000 रुपये अर्जित करने के गर्व और प्रसन्नता की कल्पना नहीं की जा सकती।

मेरे जिले में 50000 सोसाइटियां हैं, जो देश में सम्भवत: पहला ऐसा जिला है। आप वहां की महिलाओं के चेहरे देखिए। यदि आप उन्हें इस प्रबंध हेतु तीन प्रतिशत की दर पर अथवा

ब्याज रहित ऋण और विपणन सुविधा प्रशिक्षण देते- यदि ये कार्य किए जाते, तो यह अपने आप में महिला सशक्तिकरण और लाखों लोगों को रोजगार देना होता।

इस क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भी चावल और गेहूं की आपूर्ति कर सकते हैं। यदि उन्हें पैसा कमाना है तो यह उनके लिए काफी है। इसलिए धन कमाने के लिए एक मध्यस्थ रखने के बजाए स्व-सहायता समूह इसे कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इन स्व-सहायता समूहों पर ध्यान केन्द्रित करे और उनको उदारता पूर्वक ऋण उपलब्ध कराए। देश में प्रत्येक महिला को कम-से-कम एक लाख रुपये दिए जा सकते हैं जिससे कि वे अपनी योग्यता और ऊर्जा का उपयोग कर सकें। उनका भुगतान दर अच्छा है और महिलाओं को जो धन उधार दिया जा रहा है उनका 97 प्रतिशत उनके द्वारा वापस किया जा रहा है। यहां तक की उद्योगपति और अन्य लोग भी 97 प्रतिशत वापस नहीं कर रहे हैं। इसलिए स्व-सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इसी प्रकार किसानों को भी स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। एक किसान जिसके पास 10 एकड़ जमीन है, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की स्थिति में नहीं है। वह अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करा सकता। इसलिए, मैं पुन: एक बार कहता हूं, यद्यपि मैं सत्तापक्ष से हूं, लेकिन सरकार को इस बात पर अवश्य विचार करना चाहिए कि यह उसकी जिम्मेदारी है और उसे सभी राज्यों को और अधिक सहायता देनी है। यदि राज्य इसके क्रियान्वयन में असफल होते हैं तो यह उनकी गलती है।

मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित सभी मुद्दों की सराहना करता हूं। जैसाकि मेरे सहयोगियों ने कहा है कि इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का ईमानदारी से प्रयास किया जाना चाहिए। केवल बातें करने या इन्हें सम्मिलित करने से कुछ नहीं होता। मेरा विचार है कि माननीय प्रधानमंत्री, श्रीमती सोनिया गांधी और यह सरकार इन बातों के क्रियान्वयन के समय इनका ध्यान रखेगी। मुझे विश्वास है कि सरकार इसमें हार या जीत की बात नहीं सोचेगी। यह सब करना हमारा कर्त्तव्य है।

**श्री ए. गणेशमूर्ति** (इरोड): सभापति महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं श्री वाइको की नेतृत्व वाली मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी की ओर से बोल रहा हूं।

मुझे खुशी है कि सरकार सुप्रबंधित आंतरिक सुरक्षा और साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। जैसा महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है। आर्थिक और सामाजिक विकास तथा रोजगार, शिक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, शहरी नवीकरण तथा खाद्य सुरक्षा और मानव दक्षता के विकास पर विशेष महत्व दिया जाना चाहिए।

मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में अन्य पेशे के लोगों जैसे भूमिहीन श्रमिकों, बुनकरों, मछुआरों, ताड़ी निकालने वालों, चर्मकारों, वृक्षारोपण वाले मजदूरों, निर्माण मजदूर, खदान मजदूरों और बीड़ी मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की घोषणा का स्वागत करता हूं।

एन.आर.ई.जी.ए. योजना के अंतर्गत अब दैनिक मजदूरी 80 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति दिन कर दी जाये।

महोदय, यद्यपि राष्ट्रपति के अभिभाषण में ताड़ी निकालने वालों को प्रोत्साहन की बात कही गई है लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि तमिलनाडु सरकार उन किसानों को गिरफ्तार कर रही है तथा उन्हें परेशान कर रही है जिनके आर्थिक विकास के लिए ताड़ी निकालने का काम बहुत ही जरूरी है। सरकार को उन्हें ताड़ी निकालने की अनुमति देनी चाहिए।

हम राष्ट्रीय गंगा घाटी प्राधिकरण के बारे में जानते हैं जिसका गठन हाल ही में नदी को स्वच्छ तथा सुन्दर बनाने के लिए एक नई कार्य-योजना बनाने हेतु किया गया है। इसी प्रकार दक्षिण में मेरे चुनाव क्षेत्र से कावेरी और भवानी दो प्रसिद्ध नदियां बहती हैं। रंग और रंगाई के अवशिष्ट जल तथा रंग और रंगाई फैक्टरियों के पानी से इनको जल प्रदूषण से बचाव के लिए समुचित संरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए, गंगा नदी विकास कार्यक्रम का विस्तार तमिलनाडु की कावेरी और भवानी नदियों के लिए भी किया जाना चाहिए तथा इसके लिए तत्काल निधि आबंटित की जानी चाहिए।

रंग और रंगाई फैक्ट्रियों के अवशिष्ट जल कावेरी तथा भवानी नदी की शुद्धता के लिए वास्तविक खतरे हैं तथा पेयजल और कृषि के लिए पानी की शुद्धता जरूरी है। मैं सरकार से ऐसे रंग और रंगाई से उत्पन्न अपशिष्ट जल को अन्यत्र सुरक्षित स्थल पर ले जाने के लिए विशेष योजना तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं ताकि कावेरी और भवानी के पानी को प्रदूषण से बचाया जा सके तथा रंग और रंगाई के उद्योग को भी बचाया जा सके।

**सायं 7.00 बजे**

जहां तक श्रीलंकाई तमिलों का संबंध है, सरकार के प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि सिंहली सरकार और तमिलों के बीच के संघर्ष को दूर करने के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान होना चाहिए। श्रीलंका के भीतर तमिलों की आबादी वाले क्षेत्र का एक सुस्पष्ट परिसीमित स्वायत्तता प्राप्त राज्य होना चाहिए जिसका रख-रखाव, नियंत्रण और शासन केवल तमिल लोगों के हाथ में हो।

[श्री ए. गणेशमूर्ति]

केवल तभी लम्बे समय से चली आ रही जातीय समस्या खत्म होगी। भारत सरकार श्रीलंका सरकार के साथ मिलकर काम करती रही है।*

हाल ही में निर्दोष तमिलों पर सिंहली सेना के हमले के कारण लगभग 20,000 लोग मारे गए हैं। वे भूखमरी, बीमारी और घावों तथा आश्रय विहीन होने के कारण मरे हैं।

जब संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद में निर्दोष तमिलों के विरुद्ध श्रीलंका द्वारा किए गए मानवाधिकारों के हनन तथा उनके विरुद्ध किए गए युद्ध संबंधी अपराधों के विरुद्ध पश्चिमी देशों द्वारा श्रीलंका के खिलाफ संकल्प पारित किया गया अत: यह दुर्भाग्यपूर्ण है और अक्षम्य कार्य है कि भारत ने तमिलों के हितों के विरुद्ध मतदान करने का निर्णय लिया। इसके बदले में भारत ने श्रीलंका का साथ दिया और संकल्प के विरुद्ध मतदान किया। इस प्रकार भारत सरकार ने पूरे विश्व में समूची तमिल जाति के साथ धोखा किया है। मैं अपनी पार्टी मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से भारत सरकार द्वारा अपनाए गए इस दृष्टिकोण की निंदा करता हूं। अपने ही देशवासियों के हितों के विरुद्ध मतदान की यह कार्रवाई मानवीय नहीं है और यह सदाचार के विरुद्ध है। इसलिए पूरे विश्व के तमिलों द्वारा इसकी निंदा की जा रही है।

मतदान के इलेक्ट्रानिक उपकरणों के प्रयोग का वर्तमान तरीका बदला जाए क्योंकि निश्चित रूप से इसके प्रति आशंकाएं और कुछ हलकों में गलत धारणा पैदा हुई हैं। लोग महसूस कर रहे हैं कि इस मशीन में डाले गए मतदान चुनाव पूर्व या चुनाव के बाद गलत ढंग से बदले जा सकते हैं।

मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से हम राष्ट्रपति के अभिभाषण का स्वागत करते हैं तथा हम मांग करते हैं कि भारत सरकार द्वारा हमारे तमिल लोगों को चाहे वे विश्व में जहां कहीं भी रह रहे हों, संरक्षण तथा सुरक्षा दी जानी चाहिए।

*[हिन्दी]*

****श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव** (शिवपुर): महोदय मैं माननीया राष्ट्रपति के भाषण पर अपनी असहमति उपस्थित कराना चाहता हूं। माननीया राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में यू.पी.ए. सरकार की सन् 2004 से चली हुई नीतियों, उद्देश्यों और कार्यक्रमों को उसी प्रकार से दोहराया है। इसमें कुछ भी नया विषय या मुद्दा नहीं जोड़ा गया है।

महोदय, भाषण में सरकार के द्वारा कई क्षेत्र जैसे रेलवे, शिक्षा और बेरोजगारी के संबंध में न तो कोई ब्यौरा दिया गया है और न ही इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को महत्व देने की कोशिश की है। शायद सरकार इन क्षेत्रों को विकास का हिस्सा मानती ही नहीं है। भाषण में भ्रष्टाचार के मुद्दे को कहीं भी स्थान नहीं मिला है जबकि यह मुद्दा भारतीय अर्थव्यवस्था को निगलता जा रहा है। शायद सरकार को डर लगा रहा था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को अभिभाषण का अंग बनाने से कहीं उनके अपने ही चपेट में न आ जाएं। मैं आग्रह करता हूं कि भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने हेतु आवश्यक कदम जल्दी से जल्दी उठाए जाएं। महोदया, सरकारी खजाने से पैसा निर्वहन होने और उसे राज्य सरकार तक पहुंचने या जरूरतमंद तक पहुंचने के बीच कई तरह की चोरियां हो जाती हैं। हकीकत यह है कि रुपये में से केवल 15 या 20 पैसे ही जरूरतमंद पर खर्च हो पाता है या उस तक पहुंच पाता है। सरकार इस समस्या से पूर्णरूप से अवगत भी है लेकिन फिर भी इस समस्या के निदान के लिए कोई कारगर रास्ता इस भाषण में देखने को नहीं मिला। इस समस्या से निबटने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

महोदय, आज के दौर में देशभर में हजारों लोग जिनकी उम्र 30-40 वर्ष है, मंदी के नाम पर बेरोजगार होते जा रहे हैं। सरकार के माध्यम से भाषण में कहा गया है कि मंदी का भारत पर कोई असर नहीं है लेकिन हकीकत कुछ और है। मंदी के नाम पर कई नामी कम्पनियों ने अपने आफिसों पर ताले लगा दिये हैं और हजारों की तादाद में लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। फलस्वरूप इन लोगों की गृहस्थी तबाह होती जा रही है। लेकिन सरकार बापू जी के बन्दरों की तरह आंखें मूंदे बैठी है और मुंह पर ताला लगा लिया है। उसे कोई लेना-देना नहीं है चाहे कितने ही लोग तबाह हो जाएं। अत: इस विषय पर गम्भीरता से सोचने की जरूरत है।

आगे एक और मुद्दा है। देशभर के लगभग 3.50 लाख अस्थाई पोस्टमैनों की सर्विसों को स्थाई करना। ये अस्थाई पोस्टमैन बमुश्किल 1000 से 1500 रुपए महीना कमाते हैं। क्या सरकार समझती है कि इतने कम वेतन में वे अपना घर कैसे चलाते होंगे परन्तु सरकार को इससे क्या वास्ता? महोदया, मुद्दों की कड़ी में अगला विषय है भुखमरी। सरकार के भाषण में कहा गया है कि 'फूड सिक्योरिटी एक्ट' लागू किया जायेगा। क्या सरकार पिछले 5 वर्षों में भुखमरी से मरने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी का इन्तजार कर रही थी? महोदया, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में भुखमरी के साथ लड़ाई करने वालों की संख्या लगभग 20 लाख का इजाफा हुआ है।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

राष्ट्रपति के भाषण में कहा गया है कि देश के हर नागरिक को विशिष्ट प्रकार के पहचान-पत्र दिये जायेंगे। मैं समझता हूं कि बजाय इन विशिष्ट पहचान-पत्रों के यदि हर नागरिक को बहुउपयोगी पहचान-पत्र दिये जाएं तो बेहतर होगा क्योंकि आज विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के पहचान-पत्र मांगे जाते हैं। कहीं ड्राइविंग लाइसेंस अलाऊ है तो कहीं राशन कार्ड तो कहीं पैन कार्ड आदि। इसलिए सरकार को बहु-उपयोगी कार्ड की महत्ता समझनी होगी और उसे अपनाने की कोशिश करनी होगी।

महोदया, मैं अब जो मुद्दा उठाने जा रहा हूं वह मेरे प्रदेश यानी महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। केन्द्र सरकार के कुछ मंत्रालय जैसे रेल आदि राज्य सरकारों या वहां के प्रतिनिधियों की मांगों/जरुरतों को अनदेखा कर देते हैं या उन्हें जानबूझकर पीछे धकेलते रहते हैं। महाराष्ट्र में पुणे-नासिक रेलवे लाइन 6-7 साल पहले सर्वे होने के बावजूद आज तक शुरू नहीं हुई है। ऐसे ही कल्याण मालशेज नगर की नई रेल लाइन का प्रस्ताव भी काफी समय से लटका हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इन दोनों रेल लाइनों को जल्दी से शुरू करवायेगी। महोदया, सरकार की विशेष आर्थिक जोन और रक्षा क्षेत्र में नए प्रोजेक्टों की नीति सराहनीय है, किन्तु इस नीति को सफल बनाने के लिए किसानों को भूमिहीन कर देना हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं। पुणे के इर्द-गिर्द विशेष आर्थिक जोन और रक्षा प्रोजेक्टों के लिए किसानों की जमीनें बिना उनकी सहमति के अधिग्रहण की जा रही हैं। किसान जीविका चलाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। अत: मैं चाहता हूं कि किसी भी किसान की जमीन अधिग्रहण करने से पहले उसके पुनर्वास तथा रोजगार की व्यवस्था की जाये। उम्मीद है सरकार इस तथ्य पर विचार करेगी।

महोदय, गरीबी रेखा से नीचे कौन-कौन परिवार हैं, इसे खोजना सरकार के लिए हमेशा से टेढ़ी खीर रही है, क्योंकि सरकार के पास कोई निश्चित पैमाना नहीं है। नतीजा, सरकार की स्कीमें जरूरतमंदों तक पहुंचती ही नहीं हैं। इसलिए सरकार को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची तैयार करने के लिए एक ठोस पैमाना बनाना होगा और नए सिरे से सर्वे कराना होगा।

महोदय, जहां तक ''भारत निर्माण स्कीम'' को लागू करने का सवाल है, मैं समझता हूं कि जब तक उस इलाके के जन-प्रतिनिधि को विश्वास में नहीं लिया जाता या उससे स्कीम के लागू करने में सलाह-मशविरा नहीं किया जाता, यह स्कीम पूर्ण रूप से और पारदर्शी रूप से लागू ही नहीं हो सकती। इसलिए ''भारत निर्माण स्कीम'' को लागू करते समय जन-प्रतिनिधि को महत्ता दी जानी चाहिए।

महोदय, इस समय एम.पी. लैड फण्ड के अंतर्गत विकास के कार्यों हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान है जबकि एक सांसद को अपने क्षेत्र या प्रदेश में कई महत्वपूर्ण विकास के कार्यों को करने का वादा करना पड़ता है और जनता चाहती है कि जन-प्रतिनिधि अपने कार्यकाल में उन कार्यों को पूरा करें जोकि इस सीमित फंड से करना असंभव है। अत: मेरा सुझाव है कि एम.पी. लैड फण्ड की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये की जाये।

महोदय, एक और मुद्दा है जिसे मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं वह है श्रमिकों को एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत दिया जाने वाला वेतन। महोदया, इस वेतन की रेंज 10 रु. से 15 रु. है जोकि श्रमिकों के साथ न्यायसंगत नहीं है। यह मुद्दा सोचने लायक है कि कैसे इसे श्रमिकों के हित में किया जाये और अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि ''वूमैन रिजर्वेशन बिल'' को शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाये।

**श्री दानवे रावसाहेब पाटील** (जालना): सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यूपीए सरकार अगले पांच वर्षों में क्या-क्या काम करेगी, इस बारे में उल्लेख किया है। इस अभिभाषण में महिला आरक्षण बिल 100 दिनों के अंदर लाया जाएगा, सम्प्रदायिक सद्भाव रखने के लिए कानून लाएंगे और भारत निर्माण जैसी योजनाओं को ज्यादा मजबूत करेंगे, ऐसी बातों का उल्लेख किया है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों में इस सरकार ने जो काम नहीं किए हैं, वह कैसे आने वाले 100 दिनों में सरकार कर पाएगी? मैं जालना क्षेत्र से प्रतिनिधि हूं। पांच साल से हमने जालना क्षेत्र के लिए पीने के पानी की योजना के बारे में प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव 123 करोड़ रुपए का था, लेकिन पांच साल में भी इस सरकार ने प्रस्ताव को मान्यता नहीं दी है। पांच साल बाद, जब इस प्रस्ताव को मान्यता नहीं मिली, तब स्वयंसेवी संस्था कोर्ट में गई और कोर्ट के निर्देश से हमें पचास लाख रुपए का प्रावधान इस योजना के लिए किया गया है। कोर्ट के फैसले के बाद केवल पचास लाख रुपए का प्रावधान किया है, लेकिन 123 करोड़ रुपए की योजना अब 260 करोड़ रुपए की हो गई है। इस कारण इस योजना के क्रियान्वयन में दिक्कत आ रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस योजना के क्रियान्वयन में ज्यादा धनराशि की जरूरत है, इसलिए ज्यादा पैसे का प्रावधान सरकार को करना चाहिए।

महोदय, हमारे क्षेत्र में बिजली की बहुत समस्या है। मैं सम्भाजी नगर और जालना क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। पहले चार घंटे बिजली की आपूर्ति इस क्षेत्र में नहीं होती थी, लेकिन आज की स्थिति यह है कि 18-18 घंटे बिजली नहीं रहने के

[श्री दानवे रावसाहेब पाटील]

कारण वहां के किसानों को फसल में पानी देने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

इस सरकार ने अगर पांच साल में बिजली किसानों को मुहैया कराई, तो मैं मानता हूं कि 5 साल में करने वाले जो वादे किये हैं उनमें बिजली बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों को बिजली मुहैया कराना बहुत जरूरी है। मेरे क्षेत्र सम्भाजी नगर की सड़कों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इतनी खराब सड़कें वहां पर हैं। हर बार हमने बजट में इसके लिए प्रावधान करने के लिए सरकार को कहा है लेकिन आज तक कोई राशि उसके लिए आबंटित नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इसके लिए भी पैसा आबंटित किया जाए। राजीव गांधी घर-निर्माण योजना मेरे क्षेत्र में है। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि यह योजना सरकार लाई है, लोगों से एप्लीकेशन ली हैं लेकिन आज तक एक भी घर इस योजना के तहत मराठवाड़ा क्षेत्र में नहीं दिया गया क्योंकि दस टके पैसे उस लाभार्थी से और 90 टके पैसे उसे बैंक से कर्जा लेना पड़ता है। इसके कारण कोई भी बैंक इस योजना के लिए लाभार्थी को पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। इस पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने जो पेयजल और बिजली के बारे में बातें रखी हैं, यह काम अगर सरकार अगली बार करती तो ज्यादा अच्छा होता।

**चौधरी लाल सिंह** (ऊधमपुर): सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आये धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मेरे इलाके में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है; उसके लिए मैं दुख प्रकट करना चाहूंगा। कल रात को एक हादसे में मेरे इलाके में दरिया में 20 लोग चले गये, सारे के सारे मर गये। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे 2-3 साल के पीरिएड में 332 लोग इस दरिया में चले गये। हर महीने, दो महीने के बाद इसी तरह से बहुत बड़ा हादसा होता है। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि आतंकवाद से इतने लोग नहीं मरते जितने कि दरिया में किश्तवाड़, डोडा और भदवा के लोग मरते हैं। मैं उनके प्रति अपना दुख प्रकट करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस बारे में जरूर कुछ करेगी। सवाल यह है कि जो रिवायत रही है कि राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण पढ़ा जाता है, उसके बाद हम उसको सपोर्ट करते हैं, उसके बाद वह पास होता है। मैं इस सिलसिले में कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने बहुत से काम किये हैं और उसी की वजह से हम लोग दोबारा सत्ता में आए, बहुत से नहीं भी आए। हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं, उन्होंने बताया कि कैसे कम आए और ज्यादा आए, इस बारे में उन्होंने यहां कई बातें कहीं। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। यह चुनाव है, अगर कोई काम करेगा तो वह आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम और काम करेंगे। जो सौ दिन का समय रखा गया है, सरकार ने जो कहा है, इसी तरह से अगर सरकार काम करती है तो मैं समझता हूं कि एक कमिटमेंट जो कहा है, वह तय होना चाहिए और साथ में आने वाला जो दिन है जो लोगों ने महसूस किया है कि हमें एक स्थिर सरकार मिलेगी, ऐसी लोगों की सोच सामने आई है, मैं कहना चाहता हूं कि उसके लिए हमें मजबूती से चलना पड़ेगा। सबकी सोच के साथ चलना पड़ेगा और जो जनता के काम हैं, उनको ईमानदारी से करना पड़ेगा। हर छोटा बड़ा नेता भी कह देता है कि पैसे आते हैं लेकिन जहां पहुंचने चाहिएं, वहां तक नहीं पहुंचते हैं। यह बात अच्छी नहीं है-जैसे किसी राज्य में कोई मुख्य मंत्री होता है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहां कहते हैं कि वहां यह नहीं हो रहा है, वहां ड्रग बिक रही है, वहां शराब बिक रही है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जिन राज्यों में जब उनका मुख्य मंत्री हो, जहां पर कि सरकारें उनके हाथ में हों, वहां अगर नौजवान बर्बाद हो रहा है, तो उसे ठीक करने कौन आएंगे? वहां क्या हम ठीक करने जाएंगे?

हमें दे दो हम ठीक कर देते हैं। सरकार में बैठे हो और यहां से मांग रहे हो। मांग किसके आगे कर रहे हो? लोगों को ड्रामे करके दिखाना जस्टिस नहीं है। सरकार मेरी हो और मैं ही मांग रख दूं कि यह हो रहा है, वह हो रहा है, पुलिस मेरी हो, एडमिनिस्ट्रेशन मेरी हो और मैं ही कह दूं, इसलिए जरा सोच कर कहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस समय एग्रीकल्चर का सीजन है। मुझे अफसोस है कि पनाह वाले हमारा पानी खा रहे हैं। फारूख साहब, हमारे नेता यहां बैठे हैं और वे गवाह हैं, हमारा पानी बह रहा है लेकिन उनसे बैराज नहीं बन पाया। शापुरकंडी बैराज बनना था लेकिन हमारा सारा पानी खा गए। हमारी छोटी सी केनाल, कश्मीर केनाल जो महाराज साहब के जमाने में बनी थी, इस समय पनीरी, धान का सीड कहते हैं वह सूख रहा है और हमारी नहर में एक बूंद पानी नहीं है। उधर से कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा खा रहे हैं। जो एग्रीमेंट हुए हैं, उनके साथ धोखा किया है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि मेरी सरकार है, मेहरबानी करो, जम्मू-कश्मीर सरकार के लिए बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ किया गया। अब जमीन के बारे में बात करना चाहता हूं। हमारे यहां पहाड़ी एरिया है। पिछले दिनों मैं और डाक्टर साहब इकट्ठे जा रहे थे, वहां लोग 30, 40 और 86 किलोमीटर से ज्यादा एक तरफ से पैदल चलते हैं। स्कीम्स आ रही हैं, योजनाएं बन रही हैं। आखिर योजना कौन बनाता है? ये हम ही लोग हैं। योजनाएं इम्पलीमेंट होने के समय कहां होती हैं? ये शहर के नजदीक गांवों में होती हैं जहां थोड़ा चलना पड़ता है। जहां 40 या 50 किलोमीटर चलना पड़ता है वहां के लिए कोई स्कीम नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात की जाती है, मैंने पिछली बार भी लड़कर 250 पापुलेशन पर बात मनवाई क्योंकि हमारे इलाके में 1000 या 500 लोगों का गांव ही नहीं होता है। कहां से होगा? स्कीम बनाते हैं तो बिहार, पंजाब,

हरियाणा, तमिलनाडु जैसे थिक्कली पापुलेटिड एरिया को देखते हैं। हम पहाड़ी लोग हैं, हमारे यहां जितनी सुंदर वादियां, जितनी सुंदर हवा है उतना ही यहां की डेवलपमेंट का बुरा हाल है। वहां न चलने के लिए रास्ता है यहां तक कि पीने के लिए पानी तक नहीं है। स्कीम्स हैं, भारत निर्माण की योजना है, लेकिन किसे करना है? कहां से करना है? कब करना है? मुझे तो दिखा नहीं, मैं पांच साल से देख रहा हूं। मेरे साथ जितने पार्लिमेंटेरियन्स रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि ज्यादा चलने के कारण मैं हमेशा स्पोर्ट्स शूज पहनता हूं जबकि और सदस्य नहीं पहनते हैं। हम तो आज तक दूसरा जूता ही नहीं पहन पाए हैं। हम चल-चल कर मर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* हम लास्ट में इंतजार करते रहेंगे और घंटी बजा देंगे। हमसे यह बर्दाश्त नहीं होगा। हम बात करेंगे क्योंकि हमारी बहुत जरूरतें हैं। हमारे यहां इंडस्ट्री नहीं है और जो इंडस्ट्री थी, उसमें इन्सेन्टिव बंद कर दिए। वहां चार लोग एम्पलाई थे, नौकरी कर रहे थे, रोजगार कर रहे थे, आपने इन्सेन्टिव बंद करके इंडस्ट्री बंद कर दी। वहां नई क्या लगेगी, पुरानी भी चली गई। हम इसके साथ टूरिज्म की बात करते हैं। वहां टूरिज्म डिस्टर्बेंस से बर्बाद हुआ, तबाह हुआ और बुरी हालत हुई। हम एक साजिश का शिकार हो रहे हैं। जब भी गर्मियों का सीजन आता है कश्मीर में एजिटेशन शुरू करवा दी जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि एंटी नेशनल फोसिर्स का जवाब लोगों ने दिया लेकिन सरकार को भी सख्ती करनी पड़ेगी। पूर्व मिलिटेन्ट्स ने पिछली बार कश्मीर में आग लगाई और फिर जम्मू में आग लगाई, हमारी स्टेट को दोनों तरफ से तबाह कर दिया। स्टेट बर्बाद होने के कारण कितनी मुश्किल हुई, उन्हें ही पता है जिन लोगों ने वहां इलैक्शन लड़े हैं। कितनी मुश्किल से हमारे जम्मू-कश्मीर का एक एम.पी. यहां पहुंचा है, समझो वह सौ एम.पीज. के बराबर है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे खिलाफ कितना फंडामैंटलिज्म, हमारे खिलाफ कितना सैबोटिज्म, हमारे खिलाफ कितनी मिलिटैन्सी, हमारे खिलाफ फंडामैंटलिस्ट्स का, दूसरों का बेड़ा गर्क हो रहा है। इससे वहां तबाही होगी। मेरी जनाब से विनती है कि वहां एक रेलवे लाइन चल रही थी। 1100 करोड़ रुपये खर्च हो गये, परंतु बहुत अफसोस की बात है, 1100 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद कटरा से लेकर काजीगुंड तक हमारे चार स्टेशंस हैं। वहां कटरा है, वहां बनिहाल एरिया में काम बंद हो गया। 1100 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर में, एक आफिसर में इतना दम है कि उसने कह दिया कि यहां थ्रस्ट आ गई। मैंने स्टैंड लिया और बात कही कि इससे पहले आपने जियोलोजी, माइनिंग का सर्वे कराया। मैं कहना चाहता हूं कि आज तक मुझे रोज कहा जाता है, काम कल शुरू होगा, परसों शुरू होगा। मेरी जनाब से विनती है कि आप इतनी दूर के हो, इतने बड़े आदमी हो, आप वहां चीफ मिनिस्टर रहे हो, आप लोगों के दुख को समझते हो, अब आप एक एम.पी. बन गये हो, आपको लोगों के दुख और तकलीफ के बारे में पता होगा। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि हमारी वह लाइन तुरंत शुरू होनी चाहिए नहीं तो मैं यहां पर प्रोटैस्ट करूंगा और बाहर भी करूंगा। यह मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए जो हमारी रेल वहां चल रही थी, जब हमने इलैक्शन लड़ना शुरू किया तो इन्होंने क्या किया। इलैक्शन के दौरान इन्होंने हमारी ट्रेन बंद कर दी। ये लोग सोचते थे कि हम लोग हार जायेंगे। इन्होंने ऊधमपुर की ट्रेन रोक दी, जम्मू की ट्रेन रोक दी। मैंने आकर यहां इनसे पूछा। मेरी आपसे विनती है, इतनी लूट नहीं मची।

मैं दो मिनट इलैक्शन कमीशन की बात करना चाहता हूं। जिस आदमी को खुद वोट नहीं डालना, जिसकी घरवाली ने वोट नहीं डालना, वह हमारे वोटर को जलील करता है। इस बार जो वहां दो परसैन्टेज की कमी हुई है, इसके पीछे वोटर लिस्ट में अंदर नाम कुछ और हैं और बाहर कुछ और नाम हैं।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदयः** कृपया अब समाप्त कीजिए। मैंने आपको काफी समय दिया है।

**चौधरी लाल सिंहः** महोदय, अब मैं समाप्त करने वाला हूं।

*[हिन्दी]*

आप टाइम बढ़ा दीजिए, इसमें क्या तकलीफ होगी। रात हमारे पास है, तकलीफ किसको है, यदि हमारी बात नहीं सुनी जायेगी तो क्या फायदा है। हमारे वहां लोगों के जो फोटो बनाये हैं, वे किसने बनाये हैं-इलैक्शन कमीशन ने बनाये हैं। वे क्या हमने बनाये हैं। किसी का नाम वोटर लिस्ट में इनक्लूड करना हो तो वह किसने करना है, इलैक्शन कमीशन ने करना है। वहां इलैक्शन काड्र्स कब बनते हैं, जब इलैक्शन आता है। मेरी आपसे विनती है कि इस चीज को आपको पूरा करना पड़ेगा।

इसके अलावा जो इंदिरा आवास योजना, जो स्लम एरिया के लिए आप कर रहे हो, हमारा सारा एरिया कच्चा है। इंदिरा आवास योजना के तहत वहां कोई मकान नहीं बन पाये। आप पहाड़ों में चलिये। आप वहां कच्चे मकान देखोगे, बुरी हालत में देखोगे। इंदिरा आवास योजना स्लम एरिया में भी जायेगी। पहाड़ी एरियाज में भी जायेगी और जम्मू-कश्मीर में भी जायेगी और जो बी.पी.एल. की लिस्ट है, वह अपडेट नहीं की जा रही है। हमारे वहां राशन नहीं आ रहा है। वहां लोगों में भुखमरी फैली है। आप पूछो, इनके सामने लोगों ने कहा कि राशन नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां राशन नहीं है। वे वहां के नेता थे। मुझे बताओ पहाड़ों में राशन नहीं, रोजी तक नहीं, रास्ता नहीं, बिजली नहीं दे पाये, पानी नहीं

[चौधरी लाल सिंह]

दे पाये, आप यहां कौन सी चीज देने की बात कर रहे हैं। मेरी विनती है कि शहर का सीमेन्ट देखकर खुश मत हो, शहर की चार सड़कें देखकर खुश मत हो।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** आप समाप्त कीजिए; आपने अपनी बात कह दी है।

**चौधरी लाल सिंह:** मैं समाप्त कर रहा हूं।

*[हिन्दी]*

मैं कहना चाहता हूं कि हम यहां मजाक करने नहीं आये हैं। मैं एक गंभीर व्यक्ति हूं और जानता हूं कि यहां प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि मेरे इलाके में डोडा, किश्तवाड़, इंदरबल, भद्रवाह, चेनानी, गुलाबगढ़, आदि में हम लोगों का क्या कसूर है कि हम पैदल चलकर जाएं। वहां खाने को रोटी नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं हैं। नेशनल रूरल हैल्थ मिशन बनाया गया। अभी भी वहां हमारे सब-सैन्टर्स में एन.ओ.बी. नहीं है। ये कब होंगे, कब स्कूल में टीचर्स होंगे? यह मेरा सबमिशन है कि मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, नहीं तो मैं लड़ने आया हूं, कुछ करने आया हूं, करके जाऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** श्री पी. करुणाकरण, कृपया अपनी समय-सीमा का पालन कीजिए।

**श्री पी. करुणाकरन** (कासरगोड): सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। समयाभाव के कारण, मैं दूसरी ओर से केरल के मेरे मित्र द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों पर राजनीतिक बहस में नहीं जाऊंगा। मैं उन्हें केवल एक ही उत्तर देना चाहता हूं कि शून्य की तुलना में चार अधिक होते हैं। 14वीं लोक सभा में, कांग्रेस पार्टी को केरल से कोई स्थान नहीं मिला था। इस बार हमारे पास चार स्थान हैं; और मैं समझता हूं कि यह चार शून्य से अधिक हैं।

कुछ दिन पूर्व हुआ चुनाव अंतिम चुनाव नहीं है। नि:संदेह, वाम दलों के लिए यह एक झटका है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए और अपनी गलतियां समझनी चाहिएं और आगे बढ़ना चाहिए।

महोदय, सरकार द्वारा महिला आरक्षण विधेयक और स्थानीय निकायों में आरक्षण कोटा बढ़ाने वाला विधेयक सचमुच स्वागत योग्य कदम है। मैं इस सकारात्मक कदम का स्वागत और पूर्ण समर्थन करता हूं।

मैं खाद्य सुरक्षा विधेयक का स्वागत करते हुए जो इस सभा में शुरू में ही आने वाला है, यही कहूंगा कि संप्रग सरकार को वही खाद्य कोटा बरकरार रखना चाहिए जो उन्होंने वास्तव में 2007 में आबंटित किया था। संप्रग सरकार ने बिना किसी कारण के ही न केवल केरल राज्य बल्कि अन्य अनेक राज्यों के कोटे में भी अत्यधिक कमी कर दी है। सरकार ने दावा किया है कि उसके पास ज्यादा सुरक्षित भंडार है। मैं मानता हूं। लेकिन यह ज्यादा सुरक्षित भंडार अनेक राज्यों के कोटे में की गयी कटौती के कारण है। उदाहरण के लिए केरल को ले लीजिए। 2007 में हमें 1,30,658 मीट्रिक टन मिला था जिसमें 21 मीट्रिक टन की कटौती की गई है। यह बयासी प्रतिशत होता है। मैं इसकी बारीकियों में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं। यह केवल मेरा अनुरोध नहीं है, यह केरल के सभी संसद सदस्यों का अनुरोध है कि पहले दिए गए खाद्य कोटे को बरकरार रखा जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, विशेषत: केरल में बेहतर ढंग से कार्य कर रही है।

महोदय, हम स्वतंत्रता की 61वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। नि:संदेह हमें अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली पर गर्व है। हमें बहुत लाभ हुआ है। लेकिन, इशके साथ ही, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे हम 14वीं लोक सभा से उठाते आ रहे हैं कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को भूल रहे हैं। भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में स्वतंत्रता सेनानियों की पहचान की है। उसी के आधार पर विभिन्न राज्य सरकारों ने जांच समितियां गठित की हैं। इन जांच समितियों ने पात्र व्यक्तियों की पहचान की है और उन्हें 'स्वतंत्रता सेनानी पेंशन' देनी आरंभ की है। यद्यपि राज्य सरकारें इन सभी व्यक्तियों को पेंशन दे रही हैं, तथापि केन्द्र सरकार ऐसी किसी पेंशन का भुगतान नहीं कर रही है। मैं केन्द्र सरकार पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि प्रभारी अधिकारी, वास्तव में किसी न किसी कारण से इन स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन प्राप्त करने के लिए भेजे गये अनेक आवेदनों को रद्द कर रहे हैं।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी संख्या में अत्यंत कम हैं। उनमें से अनेक रोगी-शैय्या पर हैं। इसलिए, इस 15वीं लोक सभा में, मैं केन्द्र सरकार से पुन: अनुरोध करता हूं कि इस तथ्य की बारीकी से जांच करे और उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी पेंशन देना आरंभ करे, जो राज्य सरकार से भी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। मुझे इन स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन खारिज करने का कोई कारण नजर नहीं आता है।

महोदय, ऋण राहत योजना के संबंध में, जो संप्रग सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान ही लागू की गई थी, मैं कहना

चाहता हूं कि काफी हद तक यह एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मैं यह भी कह रहा हूं कि ऐसे अनेक गरीब और सीमांत किसान हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता है। उन्होंने अपना ऋण समय पर अदा किया है। विशेषत:, केरल के गरीब और सीमांत किसानों ने अपना ऋण समय पर अदा किया है, लेकिन उन्हें यह लाभ नहीं मिला है क्योंकि इसके लिए एक निर्धारित अंतिम तिथि रखी गयी थी। इस अंतिम तिथि और उल्लेखित मानदंडों के परिणामस्वरूप, वास्तव में गरीब लोग, विशेषत: किसान यह लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

यह मुद्दा भी सभी संसद सदस्यों ने उठाया है। मैं सरकार से इसमें कुछ संशोधन करने और पात्र व्यक्तियों को, जो कुछ दिया जाना आवश्यक है, वह देने का अनुरोध करता हूं। केवल तभी इस योजना का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है।

महोदय, यह केन्द्र-राज्य संबंधों पर पुनर्विचार का समय है। सरकारिया आयोग गठित किया गया था। उसकी नियत अवधि गुजर चुकी है। हमारे पास नवीन उदार नीतियों का अनुभव है। अधिकांश मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ज्यादा वित्तीय सहायता की मांग कर रहे हैं। यह सत्य है कि विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं और अन्य अनेक योजनाओं के दैनिक प्रबंधन में राज्यों को सचमुच कठिनाई हो रही है। मैं समझता हूं कि सभी राजनीतिक दलों के वित्त मंत्री ज्यादा सहायता मांग चुके हैं। मैं समझता हूं कि यह समय केन्द्र-राज्य संबंधों को परिभाषित करने के लिए नए विचारार्थ विषयों के साथ एक नए आयोग के गठन का है।

साधन जुटाने की जिम्मेदारी, मुख्यत: केन्द्र सरकार की है। अब राज्य सरकारों को उधार लेना पड़ता है। मजबूत राज्यों से ही एक मजबूत केन्द्र की स्थापना हो सकती है। यह केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य है कि वह राज्य सरकारों में सत्तारुढ़ राजनैतिक दलों को ध्यान में न रखते हुए, उसे ज्यादा वित्तीय सहायता प्रदान करे। इस मुद्दे पर समुचित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि समय अत्यंत सीमित है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिलाओं और कमजोर वर्गों पर समुचित ध्यान दिया गया है। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि छोटे बच्चों पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। आप जानते हैं कि ये बच्चे ही भविष्य की पूंजी हैं। उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता में वृद्धि और उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। 'आईसीडीएस' केन्द्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सरकार ने उनकी संख्या में वृद्धि की है। लेकिन साथ ही, इन केन्द्रों में कार्यरत अध्यापक और सहायक स्थायी नहीं हैं। उनका मानदेय अत्यंत कम है। उनके लिए कोई कल्याण योजना नहीं है। इस मुद्दे पर यहां चर्चा और वाद-विवाद हो चुका है। जब हम महिलाओं और अन्य वर्गों पर समुचित ध्यान देने की बात करते हैं तो यह भी वही मुद्दा है जिस पर हमें ध्यान देना है। अत: मैं सरकार से उनको स्थाई करने अथवा उनके मानदेय में वृद्धि करने और उनके लिए कम से कम कुछ कल्याणकारी योजनाएं बनाने का अनुरोध करता हूं।

अंतिम बात जो मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि केंद्र सरकार को अंतर-राज्यीय मुद्दों पर विचार करते समय सतर्कता बरतनी चाहिए। नि:संदेह, प्रत्येक राज्य के अपने-अपने दावे और विचार हो सकते हैं। मैं उन पर आरोप नहीं लगाता। मैं किसी राज्य के किसी मुद्दे का दावा नहीं करता हूं। परंतु इसके साथ ही जब किन्हीं राज्यों में मुद्दे उठ रहे हैं, तो हम उनका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। इससे प्रत्येक राज्य के लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मेरे राज्य केरल में विशेषकर ऐसा ही हो रहा है। हम तमिलनाडु को पानी दिए जाने के विरुद्ध नहीं हैं। हम चाहेंगे कि तमिलनाडु को और पानी दिया जाए। परंतु एकमात्र प्रश्न बांध की सुरक्षा का है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि हमें बांध को और अधिक मजबूत करने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है। यदि बांध और अधिक मजबूत होगा तो उन्हें और पानी मिल सकेगा। केरल सरकार इस मुलैपेरियार बांध के बारे में अन्य मतों को न तो किसी प्रकार से अस्वीकार कर रही है और न ही स्वीकार कर रही है। परंतु सभी राजनीतिक दलों और साथ ही यूडीएफ सरकार तथा एलडीएफ सरकार की भी यही मांग है। एक मात्र मुद्दा यह है कि यह बांध विशेषकर इस मानसून ऋतु में बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। केन्द्र सरकार को इस संबंध में केवल मध्यस्थ के रूप में कार्य करना चाहिए बल्कि विवेकसम्मत निर्णय भी लेना चाहिए क्योंकि इससे लाखों लोगों का जीवन प्रभावित होता है।

*महिला आरक्षण विधेयक को पुर:स्थापित करने और स्थानीय निकायों में आरक्षण बढ़ाने का सरकार का निर्णय स्वागत योग्य कदम है। हम इस सकारात्मक कदम का स्वागत और समर्थन करते हैं।

1. यद्यपि मैं सभा में पुर:स्थापित किए जाने वाले खाद्य सुरक्षा विधेयक का स्वागत करता हूं, फिर भी सरकार को पूर्व में आवंटित उस खाद्य कोटे पर विचार करना चाहिए। जिसमें कई राज्यों में कटौती अत्यधिक की गई है। केरल में, खाद्य कोटा 1,13,658 मीट्रिक टन था और यह वर्ष 2008 में इसे घटाकर 21 मीट्रिक टन कर दिया गया है। इसमें 82% की कटौती की गई है।

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री पी. करुणाकरन]

2. सरकार यह दावा करती है कि पर्याप्त बफर स्टाक है परंतु यह स्टाक विभिन्न राज्यों के एपीएल खाद्य कोटे में अत्यधिक कमी करके किया गया है। अत: सर्वप्रथम सरकार को केरल सहित अन्य राज्यों का खाद्य आवंटन पहले जितना रखना चाहिए।

3. हम स्वतंत्रता की 61वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और हमें अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गर्व है परंतु वास्तव में हम स्वतंत्रता के 61 वर्षों के पश्चात् स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भूल गए हैं।

4. केन्द्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पहचान की है तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने चयन समितियां गठित की हैं तथा पात्र व्यक्तियों की पहचान की है। सरकार ने पहले ही पेंशन योजनाएं कार्यान्वित की हुई है परंतु इनमें से अधिकांश स्वतंत्रता सेनानियों को केंद्रीय पेंशन नहीं मिल रही है। उन्हें पेंशन न दिए जाने का कोई औचित्य नहीं है। इनमें से अधिकांश बीमार पड़े हैं, अत: जिन स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य सरकार से पेंशन मिलती है उन्हें केन्द्रीय पेंशन भी मिलनी चाहिए। यह निर्णय लेने में पहले ही काफी विलंब हो चुका है।

5. संप्रग सरकार ने ऋण माफी योजना लागू की है परंतु काफी संख्या में ऋणों का शीघ्र भुगतान करने वाले गरीब और सीमांत किसान इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं। अत:, सरकार को इस योजना के कार्यान्वयन के मानदंडों में कुछ संशोधन करने चाहिएं। इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं।

6. विशेषकर नई उदार नीतियों के अनुभवों के मद्देनजर केंद्र और राज्यों के संबंध को पुन: परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। अधिकांश राज्य वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों ने पहले ही और अधिक वित्तीय सहायता की मांग की है। आजकल संसाधन जुटाना मुख्यत: केंद्र सरकार पर निर्भर है। कल्याण संबंधी अनेक कार्यकलाप, विकास कार्य तथा दैनिक प्रशासनिक व्यय सभी को राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाना है। अत: लोगों की बढ़ती मांगों को पूरा करना राज्य सरकारों के लिए बहुत कठिन है। अत: एक नई समिति गठित की जानी चाहिए। केंद्र और राज्यों के संबंध का ब्यौरा जानने के लिए मजबूत केंद्र की पूर्वापेक्षा सशक्त राज्य के अच्छे कार्यकरण से ही संभव है।

7. केंद्र सरकार को सीबीआई जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसी और गवर्नरों जैसे संबद्ध संवैधानिक प्राधिकारियों के भी कार्यकरण के संबंध में अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है। सी.बी.आई. के कार्यकरण की आलोचना की गई है तथा उसके बारे में भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने स्वयं तीखी टिप्पणियां की हैं। कुछ मामलों में सी.बी.आई. की इसलिए आलोचना की गई है कि वह केन्द्र सरकार के निदेशों और उद्देश्यों के अनुसार कार्य कर रही है। इससे वास्तव में सी.बी.आई. जैसी जांच एजेंसियों पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा।

8. राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिलाओं और कुछ अन्य वर्गों को पर्याप्त महत्व दिया गया है। परंतु छोटे बच्चों के कल्याण का उल्लेख करते हुए खेद है और इस बात का समुचित ध्यान नहीं रखा गया था। आई.सी.डी.एस. अत्यधिक महत्वपूर्ण केन्द्र है। इन केन्द्रों के अध्यापक और सहायक अतिमहत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। परंतु वे स्थायी नहीं हैं, कोई पेंशन योजना लागू नहीं की गई है, उन्हें बहुत कम वेतन मिल रहा है। अत: सरकार को उन्हें स्थायी करना चाहिए और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित करनी चाहिएं।

9. सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यकरण में कुछ परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। यह बताया गया है कि 51% हिस्सा सरकार को सौंपा जाना चहिए। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इन सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने के लिए हमारे 49% हिस्से को बेचने का आपको क्या अधिकार है। ये सभी सार्वजनिक परिसंपत्तियां हैं जो लाभ अर्जित कर रही हैं। ये आयकर, बिक्रीकर आदि जैसे करों का तत्काल भुगतान करते हैं परंतु जब हम निजी कंपनियों पर ध्यान देते हैं, तो पाते हैं कि उनमें से अनेक के नाम कर का भुगतान न करने वाली कंपनियों की सूची में है। अत: सार्वजनिक परिसंपत्तियों के 49% हिस्से को निजी कंपनियों को बेचने के इस निर्णय से हमारी अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।*

***श्री ए.के.एस. विजयन** (नागापट्टिनम): मुझे संसद की दोनों सभाओं को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने का अवसर देने के लिए मैं अध्यक्षपीठ का धन्यवाद करता हूं। मैं राष्ट्रपति द्वारा उल्लिखित सरकार की नीतियों का स्वागत करता हूं। हमारे दल 'डीएमके' और हमारे नेता

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

डा. कलैगनार करुणानिधि की ओर से हम इसका समर्थन और स्वागत करते हैं। संप्रग सरकार ऐसा प्रथम संगठन है जो 1984 के बाद लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटा है। गठबंधन का युग आ गया है और देश के लोगों ने इसे दोहराया है। यही कारण है कि ऐसे दल जो एक तरफ तो गठबंधन कर रहे थे और दूसरी तरफ एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार बनाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं।

इस धन्यवाद प्रस्ताव पर कुछ कहने से पूर्व मैं अपने नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. कलैगनार करुणानिधि को तहेदिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस सरकार की सफलता और इस गठबंधन सरकार और इस सरकार के मेरे जैसे अनेक प्रतिनिधियों की शानदार वापसी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र नागापट्टिनम के लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे अग्रणी युवा नेता और तमिलनाडु के उप-मुख्यमंत्री माननीय स्टालिन, जो हमारी जीत के मुख्य प्रेरक थे, उनके चुनाव अभियान भाषणों पर ध्यान दिया।

पन्द्रहवीं लोक सभा के लिए हुए चुनावों के पश्चात् गठित इस संप्रग सरकार के प्रथम सौ दिनों की कार्य-योजना का खुलासा कर दिया गया है। हमारे अग्रणी कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना को कारगर और मजबूत बनाया जा रहा है। यद्यपि यह एक चुनौती भरा कार्य है, फिर भी हम इसे एक कानूनी सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं। कानूनी गारंटीशुदा योजना के तौर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोग इस योजना के अंतर्गत काम प्राप्त करेंगे। यहां पर मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि शहरी विकास के दायरे में आने वाले उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 'नरेगा' का विस्तार किया जाए। कम से कम नगर पंचायतों और पंचायत यूनियन मुख्यालय नगरों में रहने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को इसमें शामिल किया जाना चाहिए और काम के अवसर प्रदान किए जाने चाहिएं। इन अर्ध-शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को भी रोजगार गारन्टी योजना में शामिल किया जाना चाहिए। हर जगह से गरीबी को पूरी तरह समाप्त किया ही जाना चाहिए।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को कानूनी रूप से 25 किलोग्राम चावल अथवा गेहूं तीन रुपए प्रति किलोग्राम की दर से देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अधिनियमन एक स्वागत योग्य कदम है। यह एक कठिन कार्य है लेकिन हम चुनौती पर काबू पा सकते हैं। मैं यह इस आशा के साथ कह रहा हूं क्योंकि तमिलनाडु में 'डीएमके' सरकार वहां पर एक रुपया प्रति किलोग्राम चावल कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रही है। अगले पांच वर्षों में सरकार मोटे तौर पर दस प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समुचित ध्यान देगी। अल्पसंख्यकों का कल्याण उनमें से एक है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं।

हम एक हद तक अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी की मार से बचाने में सफल रहे हैं। हम वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प हैं। यह सामाजिक और क्षेत्रीय रूप से अधिक समावेशी और समान होनी चाहिए। विकास के समावेशी 'माडल' के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर जोर देते समय क्षेत्रीय अपेक्षाओं और देश के अनेक भागों तथा राज्यों के विभिन्न स्थानों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इससे क्षेत्रीय असमानताएं अवश्य ही दूर की जानी चाहिए। यही कारण है कि हमारे नेता ने हाल ही में राज्य स्वायत्तता पर कार्य करने पर जोर दिया था।

उदाहरण के लिए मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र नागापट्टिनम और तमिलनाडु के कुछ तटीय क्षेत्रों के सुनामी प्रभावित मछुआरों की दयनीय दशा का जिक्र करना चाहता हूं। पुनर्वास कार्यक्रम के अंग के रूप में उनको ऋण दिए गए थे। भारी वर्षा और बाढ़ जैसी मौसम की अनिश्चितता से उनकी समस्याएं बढ़ गई हैं और उनकी जीविका प्रभावित हुई है। अत: जिस प्रकार 60,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ किए गए उसी प्रकार सुनामी प्रभावित इलाकों में मछुआरों के ऋण माफ किए जाने चाहिएं। मछुआरों की यह आवश्यकता इतना बड़ी भी नहीं है।

मैं अपनी अवसंरचना मजबूत करने के लिए प्रयासों में वृद्धि और आवासीय गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने की नीतिगत उद्घोषणा का स्वागत करता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कावेरी के मुहाने पर सुनामी प्रभावित क्षेत्र में लगातार सुनामी, चक्रवाती तूफान, भारी वर्षा और बाढ़ के विनाश के कारण हजारों लोग बेघर हो गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री डा. कलैगनार करुणानिधि ने घोषणा की है कि बेघर हो चुके लोगों के लिए पैंसठ हजार घरों का निर्माण किया जाएगा। मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि योजनाएं बनाते और आबंटन करते समय मेरे निर्वाचन क्षेत्र की व्यापक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। मैं केन्द्र से हमारी राज्य सरकार को सहायता देने का अनुरोध करता हूं जो पहले से ही चल रही अनेक योजनाओं के माध्यम से आम आदमी की कठिनाईयों और समस्याओं को हल करने में लगी हुई है।

'डीएमके' की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव पर हमारा समर्थन व्यक्त करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री भक्त चरण दास** (कालाहांडी): महोदय, आज श्रीमती गिरिजा व्यास जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव आहूत किया है, उस पर हम अपनी बात रखना चाहते हैं। यहां पर बीजेपी के सदस्य श्री

[श्री भक्त चरण दास]

भोला सिंह जी अपनी बात रख रहे थे कि कांग्रेस विचारधारा का हिमालय है, कांग्रेस विचारधारा की मां है और यह केवल एक पार्टी नहीं है। मैं इस बात को गर्व से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी होते हुए भी आज विचारधारा में हिमालय जैसी खड़ी हुई है।

आदरणीय मीरा कुमार जी, जो लोक सभा की स्पीकर चुनी गई हैं, दलित संप्रदाय से आती हैं। मैं दलित संप्रदाय से आता हूं। कामयाब और सक्षम दलितों को रिकाग्निशन देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज आदिवासी नेता मुंडा जी को यहां उपाध्यक्ष पद पर बैठाया गया है। देश में महिलाओं का एक समीकरण बना है और राष्ट्रपति महोदया से लेकर यूपीए चेयरपरसन श्रीमती सोनिया गांधी जी और लोक सभा की अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार जी तक महिलाएं हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में महिलाओं के संबंध में जो बातें आई हैं, ये बातें आज समय के अनुरूप आई हैं और 33 प्रतिशत रिजर्वेशन संसद के रिप्रजैंटेशन के लिए और विधान सभाओं में रिप्रजैंटेशन के लिए पास होने का समय आज आया है। सदियों से महिलाएं शोषण का शिकार हुई हैं। हमारे देश के राजनीतिक दलों की महिलाओं ने कई बार क्रांति की बात की है, कई बार आवाज उठाई है कि – 'समानता पर आधारित ही समाज हमें चाहिए, जितना पुरुष मुक्त है, उतनी ही स्त्री भी चाहिए।' लेकिन बिना रक्तपात के, बिना आंदोलन के, बिना क्रांति के, बिना भारत बंद के जब कांग्रेस पार्टी ने आज इस बात को स्वीकार किया और कानूनन लागू करने जा रही है तो मुझे यह सोचना पड़ रहा है कि क्यों हमारे मित्र इसका विरोध करना चाह रहे हैं – केवल एक मुद्दा हासिल करने के लिए। चाहे 50 प्रतिशत रिजर्वेशन हो या 33 प्रतिशत महिलाओं के रिजर्वेशन की बात हो या नरेगा के तहत काम के अधिकार की बात हो, सूचना अधिकार के नियम की बात हो या आदिवासियों को जंगल का अधिकार देने के कानून की बात हो, सारी बातें कई पार्टियों ने उठाईं, लेकिन सरकार में रहते हुए किसी ने कुछ करके नहीं दिखाया। केवल कांग्रेस इन बातों के पीछे अपने विचार के साथ हिमालय की तरह खड़ी हुई है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी हिमालय जैसा बर्ताव करती है – चाहे विदेशी ताकतों के साथ हो या देश का कोई भी मुद्दा हो। विचारधारा में कांग्रेस मां है। जब-जब दलितों की बात आई है, हमारी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने तब-तब उनका साथ दिया है। सभापति महोदय, जब मेरे टिकट की बात आई तो कई लोगों ने कहा कि भक्त चरण दास तीन बार से चुनाव हार रहा है क्योंकि वह दलित है और जनरल सीट से नहीं लड़ सकता है, जबकि मैं जनरल सीट से दो बार इस सदन में इससे पहले आ चुका हूं और आज भी आया हूं। जब हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी को मैंने कहा कि मेरा संघर्षशील जीवन है, पिछले दस साल से मैं लोगों के बीच रहकर संग्राम करता आया हूं तो उन्होंने कहा कि भक्त चरण दास ही लड़ेंगे। आज उनके विश्वास से मैं उड़ीसा से सर्वाधिक वोटों से – 1,54,000 वोट से जीतकर आया हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी विचारधारा की मां है और उसकी अध्यक्षा भी विचारधारा की मां है।

युवाओं के संदर्भ में अभिभाषण में जो बात आई है कि अगले 2022 तक देश के 50 करोड़ नौजवानों को कारगर बनाया जाएगा, स्किल्ड किया जाएगा ताकि देश की समृद्धि में, देश के 50 फीसदी नौजवान अपनी भागीदारी कर सकें। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी के जो 206 सदस्य लोक सभा में जीतकर आए हैं, इसमें 86 सदस्य युवा हैं, फ्रैश हैं और यह केवल संभव हुआ है राहुल जी के कदम से। जिस तरह से वे आम आदमी की कल्पना को लेकर गांवों में गए हैं, नौजवानों के बीच गए हैं, आदिवासियों के बीच गए हैं, उससे आज हमारी लोक सभा में यह संख्या आई है। हम इस पर गर्व करते हैं।

कई बार हमारे नेताओं के संदर्भ में विपक्ष ने आलोचना और समालोचना की है लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमारी पार्टी और हमारे नेताओं ने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में, राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र को मजबूत करने में हमेशा लगे रहे।

यहां पर बीजेडी के कई सदस्यों ने उड़ीसा के लिए स्पेशल कैटेगरी की मांग की है। मैं कहना चाहता हूं कि जब बीजेडी एनडीए के साथ थी, उस समय उड़ीसा को स्पेशल कैटेगरी देने की बात आई थी तो एनडीए सरकार ने मना कर दिया था। इस बात को 2008 तक बीजेडी पार्टी भूल गई थी। आज फिर से इस मुद्दे को एक राजनीतिक स्लोगन के रूप में वे उठा रहे हैं।

सभापति महोदय, बीजेडी के साथियों ने यहां बात उठायी थी कि भारत सरकार उड़ीसा सरकार को ग्रान्ट नहीं देती है अथवा ग्रान्ट देकर वापस मांग लेती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एनडीए के समय में उड़ीसा को केवल सात सौ करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने दिए थे, लेकिन यूपीए ने 2567 करोड़ रुपये दिए हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना में एनडीए की सरकार ने 14 हजार करोड़ रुपये उड़ीसा को दिए थे, लेकिन ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में यूपीए की सरकार ने 32 हजार करोड़ रुपये दिए हैं।

महोदय, उड़ीसा सरकार माइन्स रायल्टी में सेस को बढ़ाने की बात कर रही है। एनडीए के समय में उनको यह बात याद नहीं आई। उड़ीसा के आयरन ओर की बिक्री जहां आज 3300 से 5500 रुपये प्रति टन होनी चाहिए, वहां उसे 11 से 27 रुपये प्रति टन पर प्राइवेट माइन आनर्स को दिया जा रहा है। इससे

तीस हजार करोड़ रुपये का मुनाफा प्राइवेट माइन्स ओनर्स ने पिछले दस वर्षों में कमाया है। उड़ीसा के विकास की बात की जा रही है, लेकिन वहां विकास नहीं हो पाया है। आज उड़ीसा हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। उड़ीसा में गरीबी और अशिक्षा बहुत ज्यादा है। वहां मलेरिया से मृत्यु भी सबसे ज्यादा होती है। मैं अपनी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह उड़ीसा पर ध्यान दे। केन्द्र सरकार को उड़ीसा पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि वह बार-बार नैचूरल कैलामिटी से अफैक्टिड होता है। वहां रीजनल इम्बैलन्स और बैकवर्डनेस काफी है। वहां ह्यूमन डेवलपमेंट भी कम है। इसलिए मैं भारत सरकार से चाहता हूं कि वह उड़ीसा पर ज्यादा ध्यान दे।

महोदय, अंत में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि नियमगिरि जंगल में लाखों-करोड़ों रुपये की प्राकृतिक सम्पदा को वेदांत कम्पनी को दे दिया गया है, जिससे लाखों आदिवासी बेघर हो जाएंगे और उनका ट्रैडिशनल सोर्स आफ इनकम खत्म हो जाएगा। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और उसकी जगह कोई दूसरी माइन दी जाए।

**श्री बदरूद्दीन अजमल** (धुबरी): सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं असम से एयूटीएफ पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। इसमें सरकार का मसौदा बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें असम के लिए और खास तौर से धुबरी, जो कि असम का सबसे उपेक्षित एरिया है, मैं जब वहां का एमएलए बना, मैंने पहला प्रश्न पूछा कि मेरे एरिया में कितनी सरकारी गाड़ियां चलती हैं? मुझे यह कहते हुए लज्जा आती है, मुझे यह जवाब मिला कि उस एरिया में गाड़ी चलाने लायक कोई रास्ता ही नहीं है। साठ साल की आजादी के बाद हम कहते हैं कि हम चांद पर पहुंच रहे हैं, भारत को विकसित करना चाहते हैं, लेकिन जहां ऐसे इलाके मौजूद हों, जहां आजादी के साठ साल बाद भी सड़क न हों, लोगों को पीने का पानी, बिजली न हो तो उसे हम कैसे तरक्की कह सकते हैं? प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन उनको इम्पलीमेंट करने की आवश्यकता है। अभी हमारे कश्मीर के साथी कह रहे थे, मैं उनसे सौ फीसदी सहमत हूं। यह एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि हर राज्य की कहानी है। कुछ बड़े शहरों के लोग जरूर इन प्रोग्रामों से फायदा उठा रहे हैं, जिससे वे और बड़े पूंजीपति बन रहे हैं, लेकिन गरीबों का क्या हाल है? जब तक गरीब आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश की तरक्की कैसे होगी?

महोदय, असम का सबसे बड़ा मसला बाढ़ और इरोजन है। ब्रह्मपुत्र नदी असम के लिए देव बन चुकी है। महोदय, ब्रह्मपुत्र नदी असम के लिए भूत की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। इसलिए मेरी डिमांड है कि अगर चायना अपनी वांग नदी को चैनेलाइज और कंट्रोल कर के उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकता है, तो हम ब्रह्मपुत्र का बेहतर इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, क्यों उसे कंट्रोल और चैनेलाइज नहीं कर सकते? इसके लिए पं. जवाहर लाल नेहरू ने 1960 में एक प्रोग्राम बनाया था। मेरी डिमांड है कि उसे लागू किया जाए। माननीय राजीव गांधी ने जो प्रोग्राम दिया था, उसे लागू किया जाए और इस भूत से हमें निजात दिलाई जाए। इससे बड़े-बड़े प्रोजैक्ट बनाकर लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, बल्कि ब्रह्मपुत्र के कारण हजारों और लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज असम में जो बंगलादेशियों का मसला है, उसकी 90 परसैंट वजह ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी को कंट्रोल कर लिया जाए, फ्लड और इरोजन को कंट्रोल कर लिया जाए, डिसप्लेस्ड परसन्स को उनके सर्टीफिकेट दे दिए जाएं, तो ये मसाइल बहुत हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया इन चीजों पर सीरियसली चिन्ता करे।

चेयरमैन साहब, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही है, लेकिन हमारे असम में, लास्ट असैम्बली में मैं था, तब मैंने पूछा, तो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब ने कहा कि 19 हजार से ज्यादा इंडस्ट्रीज असम में बन्द हो चुकी हैं। अगर ऐसा होता रहा है, तो हम अनएम्पलायमेंट का मसला कैसे हल करेंगे, कैसे वहां की बेरोजगारी दूर होगी? मायनारिटीज की बात आती है, तो असम में टी-गार्डन के लोगों में, मुस्लिम लोग सबसे बड़ी मायनारिटीज में आते हैं। कुछ राजवंशी हैं, बिमाशा हैं, कार्बी हैं और हमारे बंगाली भाई हैं। उनकी समस्याओं को कौन देखेगा? आज असम गवर्नमेंट कहती है कि हम तरक्की कर रहे हैं। असम गवर्नमेंट कहती है कि हम हर रोज आगे बढ़ रहे हैं। वहां सिक्योरिटी का यह हाल है कि हम लोग या चीफ मिनिस्टर बिना सिक्योरिटी के घर से बाहर नहीं निकल सकते। जहां चीफ मिनिस्टर साहब रहते हैं, वहां से आधा किलोमीटर की दूरी पर बम फट गया। मुम्बई में 26/11 की घटना हो गई।

महोदय, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक्शन लिया और होम मिनिस्टर साहब को उन्होंने तुरन्त हटाया, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को हटाया, वहां के एक और मिनिस्टर को हटाया, लेकिन हमारे असम के चीफ मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर की भी गद्दी लिए हुए हैं और हर रोज बम फट रहे हैं। क्यों हम इन मसाइल को हल नहीं कर सकते? मैं आपके जरिये कहना चाहूंगा कि अगर आप असम में शांति चाहते हैं, तो इन मसाइल को तुरन्त हर करें। इस मुल्क के सबसे पिछड़े इलाकों में नंबर वन पर अगर किसी स्टेट का नाम आता है, तो वह असम

[श्री बदरुद्दीन अजमल]

है। यदि करप्शन में देखा जाए, तो नंबर वन पर असम का नाम आता है। इंडस्ट्रियल डैवलपमेंट में यदि बुराई का नाम आता है, तो उसमें भी असम का नाम आता है। वहां तरक्की होती है नीचे से और पूरी दुनिया की तरक्की होती है ऊपर से। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे इन मसाइलों को देखें, सोचें और इन्हें हल करें।

चेयरमैन साहब, दूसरी बात मैं वक्फ प्रापर्टी के बारे में कहना चाहता हूं। वक्फ प्रापर्टी हमारी सबसे बड़ी प्रापर्टी है। इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जो प्रोग्राम दिए हैं, वे अच्छे हैं। उनके पिता श्री राजीव गांधी जी ने कुछ साल पहले कहा था कि जब हम केन्द्र से 10 रुपए भेजते हैं, तो ग्रास रूट तक केवल 17 पैसे पहुंचते हैं और राहुल गांधी साहब ने, कुछ दिनों पहले कहा कि अब वे 17 पैसे भी नहीं बल्कि सिर्फ 10 पैसे ही पहुंचते हैं। अगर इन प्रोग्रामों की इम्पलीमेंटेशन ग्रास रूट तक नहीं होगी, पैसा ग्रास रूट तक नहीं आएगा, तो इसका फायदा गरीबों को नहीं मिलेगा। जब तक इनका फायदा गरीबों को नहीं होगा, तब तक अमीर और अमीर बनेंगे और गरीब नीचे ही होते चले जाएंगे। बड़े-बड़े आफीसर पैसे वाले बन रहे हैं। मिनिस्टरों के यहां पैसे की कोई कमी नहीं है। करप्शन ही करप्शन हो रहा है। आप मुझे केवल दो मिनट का मौका दीजिए।

चेयरमैन साहब, सच्चर कमेटी का हमारे असम में जीरो इम्पलीमेंटेशन है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बेहतरीन 15 सूत्री प्रोग्राम बनाया, लेकिन उसका भी असम में इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ। रंगनाथन कमेटी का जो प्रोग्राम है, वह जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। इसी प्रकार से फारनर्स इश्यू के मामले में बार्डर की फैंसिंग की जा रही है। उस पर लाखों और करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन उसका फायदा 10 परसेंट लोगों को भी नहीं हुआ। मेरी पार्टी की और मेरी डिमांड है कि इसे जल्दी से जल्द सील करने का बन्दोबस्त किया जाए। इसके साथ-साथ सिक्योरिटी का मामला है, इंसर्जेसी का मामला है, बाहर से घुसपैठ का मसला है। बहुत बड़े-बड़े मसाइल हैं। अगर यह सील हो जाता है, तो ये सब मसाइल हल हो जाएंगे। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए, आपने मुझे बोलने के लिए इतना वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** श्री बंसल जी, आप जो वक्तव्य देना चाहते थे, वह अब आप दे सकते हैं।

**संसदीय कार्य मंत्री ( श्री पवन कुमार बंसल ):** मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में केवल यह लाना चाहता था कि रात्रि भोज का प्रबंध कर दिया गया है। अत: रात्रि आठ बजे के बाद कोई भी कक्ष संख्या 70, प्रथम तल में जा सकता है। हम कुछ और समय तक वाद-विवाद जारी रखेंगे। मैं यह अनुरोध आपसे 15 मिनट बाद करूंगा अथवा यदि आप इसे अभी करना चाहें तो समय को अभी बढ़ा सकते हैं।

परंतु, मैं माननीय सदस्यों से पुन: अनुरोध करता हूं, माननीय सदस्यों को आंमत्रित करता हूं। *...(व्यवधान)*

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ( डॉ. फारूख अब्दुल्ला ):** एक मंत्री को रुकना होगा।

**श्री पवन कुमार बंसल:** हां, मंत्री महोदय रुकेंगे। मैं माननीय सदस्यों का उल्लेख कर रहा हूं।

**सभापति महोदय:** यदि माननीय सदस्य सहमत हों तो आज सभा की बैठक के समय को रात्रि 9 बजे तक बढ़ाया जा सकता है।

**कुछ माननीय सदस्य:** हम सहमत हैं।

**सभापति महोदय:** सभा की आज की बैठक का समय रात्रि 9 बजे तक बढ़ायी जाती है। जो सदस्य अपने भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं।

**श्री के. बापीराजू** (नरसापुरम): सभापति महोदय, वाद-विवाद में भाग लेने का यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर डा. गिरिजा व्यास द्वारा प्रस्तुत और श्री पी.सी. चाको द्वारा समर्थित प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं लोक सभा चुनाव लड़ने का अवसर दिए जाने हेतु अपनी नेता श्रीमती सोनिया गांधी और आंध्र प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्री राजशेखर रेड्डी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने मुझे चुनकर इस सम्माननीय सभा में भेजा। मैं यह महसूस करता हूं कि जनता को धन्यवाद देना मेरा सर्वप्रथम कर्त्तव्य है।

देश की जनता को हमारे द्वारा संसद में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बजाए सांसदों द्वारा किए गए व्यवहार की अधिक चिंता है। वह हमारे व्यवहार को लेकर बहुत चिंतित हैं। किसी प्रकार हमारा आदर धीरे-धीरे कम हो गया है। परंतु पहले जितना आदर फिर से पाना हमारे अपने ऊपर निर्भर है। मैंने यही बात दस वर्षों पूर्व कही थी कि हमारे मन में स्वयं एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है। माननीय सदस्यों के रूप में हमें यह महसूस करना होगा कि हमारा सम्मान धीरे-धीरे घट रहा है। अत: आइए हम सब यह महसूस करने का प्रयास करें कि लोगों के मन में क्या है और हम उसी के अनुसार व्यवहार करें।

श्री लालकृष्ण आडवाणी ने आज कहा कि देश में राजनीतिक रूप से केवल दो ध्रुव हैं। संभवत: उनके कथन का अभिप्राय कांग्रेस और भाजपा अथवा संप्रग और राजग से होगा। तीसरे मोर्चे और चौथे मोर्चे तथा न जाने किस-किस की बड़ी चर्चा थी। तथापि, हमें जनता की अग्रणी भूमिका के महत्व को पहचानना होगा जिसे न तो मीडिया - न ही इस देश में और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और न ही कोई भविष्यवक्ता पहचान सका। देखिए किस प्रकार से भारत की जनता ने कार्य किया है। हम साक्षरता और इन सबके बारे में बहुत बातें करते हैं। तथापि, देशभक्त जनता ने अपनी सहज सूझ-बूझ से देश का नेतृत्व कराने के लिए सही व्यक्तियों को चुना है।

आज हमें अपनी महान नेता सोनिया जी के मानवीय दृष्टिकोण और उनकी स्वच्छ छवि पर गर्व है। उन्होंने देश के अनेक जनजातीय और सुदूर क्षेत्रों का दौरा किया। आज वहां पर लोग सोनिया जी को अम्मा कहते हैं जैसे कभी वे इंदिरा जी को कहते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री असैनिक परमाणु करार के लिए अपने पद को त्यागने के लिए तैयार हो गए थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने राष्ट्रहित, भविष्य में देश की भलाई के लिए यह निर्णय लिया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, देश के वित्त मंत्री, देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश के लिए उनकी दूरदृष्टि है और ऐसा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए था कि वह इस बात को स्पष्ट रूप से कहते हुए अपने पद को छोड़ना चाहते थे कि वह असैनिक परमाणु करार से पीछे नहीं हटेंगे। श्रीमती सोनिया गांधी ने उन्हें तथा सरकार को पूर्ण नैतिक समर्थन दिया।

इस पूरे प्रकरण को देश की जनता द्वारा सावधानीपूर्वक देखा गया। देश का आम आदमी इस सब बातों को समझ सकता था। मुझे सीपीआई(एम) के लोगों पर दया आती है कि वे इसे नहीं देख पाए। वे देशभक्त और परिश्रमी लोग हैं। निरंतर कई दशकों से उन्होंने पश्चिम बंगाल में शासन की बागडोर सम्भाल रखी है। तथापि वे सरकार का समर्थन नहीं कर सके और मुझे उन पर दया आती है।

आज पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? संसद में उनकी सदस्य संख्या कम है। क्यों? इसी कारण कि वे समर्थन नहीं पा सके। श्री आचार्य सत्ता के बारे में बात कर रहे थे। मैं महसूस कर सकता हूं- 62 करोड़ लोगों को समुचित प्रदूषण रहित ऊर्जा नहीं मिली थी। मैं आपको बता रहा हूं, ग्रामीण क्षेत्रों को मुश्किल से 44 प्रतिशत ऊर्जा की आपूर्ति की जा रही है; 85 प्रतिशत प्रदूषण रहित विद्युत की आपूर्ति शहरी क्षेत्रों को की जा रही है। हम ये सब जानते हैं। आज 1,30,000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होता है। यहां हमारे पास जरूरतमंद लोगों के लिए 38,000 मेगावाट ऊर्जा की कमी है। मैं आपको आकलन के बारे में बता सकता हूं। योजना आयोग का आकलन है कि वर्ष 2030 तक विद्युत की आवश्यकता आज के मौजूदा उत्पादन का पांच गुना होना चाहिए।

परमाणु ऊर्जा प्राप्त करके हम स्थिति में सुधार कर सकते हैं। फ्रांस जैसा देश 75 प्रतिशत ऊर्जा का उत्पादन परमाणु स्रोतों से करता है। वह विद्युत का निर्यात करने में भी सक्षम है। जापान जैसा देश परमाणु स्रोतों से 40 प्रतिशत ऊर्जा का उत्पादन करता है। परंतु हम अपने देश में मुश्किल से 4000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। हमें यह सब महसूस करना चाहिए। आज की आवश्यकता के आधार पर ऊर्जा आवश्यक वस्तु बन चुकी है। जब हम आवश्यक वस्तु की बात करते हैं तो हम केवल चावल, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल आदि के बारे में सोचते हैं। परंतु अब ऐसा नहीं है। ऊर्जा अब एक आवश्यक वस्तु बन चुकी है। जब तक वह हमारे पास नहीं होगी तब तक हम किसी विदेशी निवेश की आशा नहीं कर सकते और मुझे अति प्रसन्नता है कि भारत सरकार द्वारा इसमें एक लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और 91,000 करोड़ रुपये लाभ है। यह महान जवाहरलाल नेहरू का स्वप्न है।

**सायं 7.52 बजे**

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि आप वहां मौजूद हैं; चन्द मिनट पहले मैंने आपका जिक्र किया था। आप एक अनुभवी और वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, मैं आपको सिंचाई और विद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। यदि आप थोड़ा समय देंगे तो अच्छी बात है। यदि आप मेरे समय में कटौती भी करेंगे तो भी मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। मैं कुछ उतावला प्रतीत होता हूं, लेकिन मैं एक अनुशासित आदमी हूं। यदि आप मात्र एक शब्द कहें तो मैं वाक्य अधूरा छोड़कर भी बैठ जाऊंगा। मैं 30 वर्ष से राजनीति में हूं; मैंने नौ बार चुनाव लड़ा और सात बार चुना गया। मैंने विरोधी उम्मीदवारों को सदैव शुभकामनाएं दीं। जब मेरे विरोधी चुनाव के लिए आते हैं तो चुनाव से पूर्व मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुझमें खेल-भावना है; मैं एक खिलाड़ी हूं।

मैंने सर्वोच्च न्यायालय में बहस की है। मेरे प्रथम चुनाव के समय 1978 में एक चुनाव याचिका थी। जब श्री लाल नारायण सिन्हा महान्यायवादी थे और वे मेरे वकील थे तब मैंने सर्वोच्च न्यायालय में बहस की थी। श्री नरीमन 'सालिसीटर जनरल' थे; और श्री गोविंद अय्यर तमिलनाडु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। मुकदमें में बहस करने वाले इतने प्रतिष्ठित लोग थे। मैं केवल एक उम्मीदवार था। मैं मात्र स्नातक था। मुझमें खेल-भावना है; मैं एक खिलाड़ी हूं; मैं एक 'एथलीट' हूं; मैं एक तैराक हूं; मैं एक घुड़सवार हूं। इन सभी चीजों से मुझमें खेल-भावना आई। मैं

[श्री के. बापीराजू]

राजनीति में भी इसी प्रकार का हूं। मैंने विधान सभा में भी कहा था कि राजनीतिज्ञों को खेल खेलना चाहिए। जब तक आपमें खेल-भावना नहीं होगी, आप ऐसा नहीं कर सकते; मुद्दों पर हम लड़ सकते हैं, लेकिन हम सब एक हैं।

श्री आडवाणी कह रहे थे कि हमें 15वीं लोक सभा की शुरुआत एक नए युग के रूप में करनी चाहिए। विकास के मुद्दों पर हम सब एक हैं- उन्होंने कहा है; और मुझे खुशी है। इस सम्माननीय सभा में हम सब एक हैं। आपकी अनुपस्थिति में मैंने यही कहा था। 'सीपीआईएम' एक राष्ट्रीय दल है; धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ यह एक देशभक्त दल है; हम सबकी समान विचारधारा है। आज भी, आदरणीया श्रीमती सोनिया गांधी और डॉ. मनमोहन आपके प्रति सहानुभूति रखते हैं; वे दूर नहीं भागते; कृपया हमारा साथ दें; यह राष्ट्र के हित में है। आप सदैव गरीब-हितैषी रहे हैं; आपका नारा गरीबों के लिए है; हम गरीब-समर्थक हैं; हम गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं। अत:, हम सब एक हैं। अत:, मैं 'सीपीआईएम' के सदस्यों से पुनर्विचार और हमारे साथ रहने का अनुरोध करता हूं ताकि हम देश के बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें।

जहां तक आंध्र प्रदेश में सिंचाई की बात है, हमने 80 परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 1,75,000 एकड़ भूमि पर सिंचाई की शुरुआत की है। यह एक राज्य के लिए है। जब राष्ट्र ने पूरे देश में एक करोड़ एकड़ की शुरुआत की है, हमने एक राज्य के लिए एक करोड़ एकड़ की शुरुआत की है। यह हमारे मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि है। पोलावरम परियोजना स्वतंत्रता-पूर्व से ही लंबित है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संकल्पित 'प्राणहित' परियोजना भी शीघ्र ही आरंभ की जाएगी। हम चाहते हैं कि इन परियोजनाओं में केन्द्र सरकार हमारी सहायता करे। इन परियोजनाओं को आरंभ करने में हमें कुछ समस्या है। प्रविष्टि 70 और सूची 2 के अनुसार 'जल प्रबंधन' केवल राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा लेकिन भारत सरकार परामर्शदाता की भूमिका निभा सकती है और उन्होंने एक रूपरेखा तैयार की है। वे नदियों को आपस में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमें संशोधन करना चाहिए अथवा ऐसा न हो सके तो हमें संसद में सहमति बनानी होगी।

महोदय, आपने मुझे बोलने का असर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री हंसराज गं. अहीर** (चन्द्रपुर): सभापति महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सरकार द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमें इस अभिभाषण के माध्यम से सरकार के इरादों का पता चलता है। इसमें विकास के लिए कई योजनाएं और महिला आरक्षण जैसी बातें की गई हैं। हम इन सब बातों का समर्थन करते हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, अधिकांश सांसद ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होते हैं। देश में सबसे अधिक जिन मतदाताओं की संख्या है, वे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं। सरकार ने उनके बारे में जो अनदेखी की है, पूरे देश में पिछले कई वर्षों से किसान आत्महत्या कर रहे हैं जिनमें मेरे महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के चन्द्रपुर, यवतमाल जिलों के किसानों ने अधिक आत्महत्याएं की हैं। इसे देखते हुए सरकार को आत्महत्या ग्रस्त किसानों के लिए कोई योजना बनानी चाहिए थी। किसान आर्थिक रूप से दुर्बल होते जा रहे हैं। सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई की परियोजनाओं के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया था। किसान वर्षों से सिंचाई के लिए पानी मांगते रहे लेकिन सरकार द्वारा पानी उपलब्ध न करवाने की वजह से गरीबी बढ़ती गई जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा गई। राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में सरकार का जो चित्र स्पष्ट किया गया है, उसमें किसानों की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। कृषि प्रधान देश में किसानों द्वारा जो आत्महत्याएं हो रही हैं, मुझे सरकार उसके लिए गंभीर दिखाई नहीं देती। मैं कहना चाहता हूं कि जहां सिंचित भूमि के क्षेत्र कम हैं, वहां सरकार नई परियोजनाओं के लिए धनराशि का आबंटन करे। मेरे विदर्भ में कुल मिलाकर चार से नौ प्रतिशत भूमि ही सिंचित है। वहां पर ही किसान ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि वह कानून की वजह से भी सिंचाई परियोजनाएं लंबित हैं। लंबित परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए केन्द्र सरकार को उन्हें राष्ट्रीय परियोजना के नाम से स्वीकार करना चाहिए और आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाकर सिंचाई हेतु विजयवाड़ा पैटर्न, नान्देड पैटर्न से बांध बनाने के बारे में मैं सरकार को सुझाव देता हूं।

हमने 14वीं लोक सभा के समय कहा था कि देश में अगर सबसे बड़ी कोई जाति है तो वह किसानों की है, खेती पर जीवन जीने वालों की संख्या सबसे अधिक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सभागृह के मुख्य द्वार पर किसान की प्रतिमा लगाई जाए ताकि यहां आने वाला हर सांसद यह सोचे कि उन्हें किसानों के लिए कुछ करना है क्योंकि यह किसानों का देश है। अनेक वर्षों से सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए कोई बड़ा कार्य नहीं किया जिसकी वजह से देश के गांवों में गरीबी ज्यादा बढ़ती गई और गांवों के लोग शहरी क्षेत्रों से ज्यादा गरीब बनते गए।

**रात्रि 8.00 बजे**

अभी यहां पर आय के बारे में सोचा गया, तो अर्जुन सेनगुप्ता समिति की एक रिपोर्ट सरकार के सामने है, जिन्होंने कहा है कि

ग्रामीण क्षेत्रों में 78 परसेंट लोगों की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये है। यह बहुत गंभीर बात है कि इस देश में गांवों में बसे हुए लोगों के साथ अन्याय होता आ रहा है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। गांव में रहने वाले नागरिकों, किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है, इस बारे में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि हम आर्थिक उन्नति की दर निश्चित ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन वैश्वीकरण की इस अंधी दौड़ में हम भारत की जो जरूरतें हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जरूरतें हैं, उसे हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे हिसाब से प्रौद्योगिकी निर्माण करना होगा, तभी ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है।

सभापति महोदय, एनआरईजीए के माध्यम से सरकार ने सौ दिन का रोजगार देने का कानून बनाया है, लेकिन इस कानून के माध्यम से लोगों को केवल 60-70 रुपये का ही रोजगार मिलता है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों और काम करने वाले मजदूरों की समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। मैं इसे बढ़ाने के साथ *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदयः** आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

**श्री हंसराज गं. अहीरः** उन्हें 200 दिन का रोजगार दिया जाना चाहिए और वह आसानी से मिलना चाहिए। सरकार ने कानून अवश्य बनाया है। आपने अपनी पीठ थपथपायी है, लेकिन इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिल रहा है। जहां पर किसानों की बात आती है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात आती है, मैं उसी के बारे में कहने जा रहा हूं कि किसानों को बीज और उर्वरकों की जरूरत है। पूरे देश में हर जगह उर्वरकों की ब्लैक हो रही है, जिससे किसानों को वक्त पर उर्वरक और अच्छे बीज नहीं मिल रहे हैं। सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। ग्रामीण क्षेत्र के छोटे-छोटे कस्बों में जहां पर रेलवे जाती हैं, वहां उर्वरकों को उतारने के लिए वैगन लगाने और रैक प्वाइंट बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में हमारे क्षेत्र में *...(व्यवधान)* मैं एक मांग करता हूं जिससे किसानों को कुछ लाभ मिल पाये। मैं सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने अपना अगला कार्यक्रम बनाया है। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदयः** आप अपना बाकी का भाषण सभा पटल पर रख दीजिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री हंसराज गं. अहीरः** मैं एक प्वाइंट कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं कि बिजली किसानों के लिए बहुत जरूरत की चीज बन गयी है क्योंकि बिना बिजली के किसान अपने कुएं या नदी से पानी नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें बिजली के कनैक्शन नहीं मिल रहे हैं। मेरे महाराष्ट्र में करीब-करीब छः, साढ़े छः हजार मेगावाट बिजली की कमी है। इसके चलते हमारे यहां कई किसानों को बिजली मांगने के बाद भी दो-तीन साल तक बिजली के कनैक्शन नहीं मिलते। इसलिए किसानों का वहां पर विकास होने में बहुत दिक्कत है। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदयः** अब आप अपना भाषण समाप्त करिए। समय नहीं है और अभी बहुत सारे स्पीकर्स बोलने वाले हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री हंसराज गं. अहीरः** मैं चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र को सरकार कुछ बिजली उपलब्ध करा दे ताकि वहां के किसान कुछ बिजली के कनैक्शन लेकर अपनी खेती का विकास कर पायें। मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरा जो भाषण बच गया है, उसे मैं यहां पर ले कर रहा हूं।

*महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सरकार की ओर से लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण के माध्यम से सरकार के इरादों का पता चलता है। विकास के लिए कई योजना और महिला आरक्षण जैसी बातें कही गई। हम सब इसका समर्थन करते हैं। लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां के किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य सरकार की उपेक्षा और केन्द्र सरकार द्वारा पैकेज देने के बाद भी आत्महत्या नहीं रुक रही। ऋणमुक्ति का भी हमारे यहां कोई खास फायदा किसानों को नहीं हो पाया। विदर्भ के किसानों को आत्महत्या से बचाना है तो वहां पर सबसे पहले सिंचाई की सुविधा अग्रक्रम से उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। वर्षों से वर्षाजल पर आश्रित रहने से उनका कृषि आर्थिक तंत्र लड़खड़ा गया है। यहां वन क्षेत्र के किसान तो अधिक पीड़ित हैं। वन संरक्षण कानून के कारण यहां पर बारहमासी नदियों के होते हुए भी सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई। वन क्षेत्र की वर्षों से लंबित परियोजना और एन.पी.वी. करने की शर्त के कारण राज्य सरकार भी यहां की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में उपेक्षा दिखा रही है। विदर्भ के किसानों की बदहाली के चलते हो रही आत्महत्या को रोकने तथा उन्हें समृद्ध जीवन के प्रति आश्वस्त करने के लिए सिंचाई के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां की नदियों पर छोटे-छोटे नांदेड़ विजयवाड़ा पैटर्न के बांध बैरेजेस तथा लिफ्ट इरीगेशन करने के लिए केन्द्र सरकार विशेष धनराशि का आवंटन करे।

---

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री हंसराज गं. अहीर]

मैंने 14वीं लोक सभा में किसान और कृषि को प्राथमिकता देने की मांग करते हुए इसकी प्रतिबद्धता का विस्मरण न हो इसलिए संसद के प्रवेशद्वार पर किसान प्रतिमा लगाने का आग्रहपूर्वक प्रस्ताव रखा था। आज देश में अमीरों की संख्या के साथ गरीबी भी बढ़ रही है। अर्जुन सेन गुप्ता समिति के अनुसार देश में 20 रुपये या इससे कम आमदनी वालों की संख्या 78 प्रतिशत है और आज भी अपना देश गांवों से बसता है। गांवों की उपेक्षा से शहर बढ़ रहे हैं। उनके सीमित संसाधनों पर भी बोझ बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से पलायन का कारण गांवों में कृषि की बदहाली और रोजगार की कमी है। इंडिया विरुद्ध भारत ऐसी विषम स्थिति बनी हुई है। आर्थिक उन्नति दर बढ़ रहा लेकिन वैश्वीकरण की इस अंधी दौड़ में हमें भारत की जरूरतों के हिसाब से प्रौद्योगिकी का निर्माण करना होगा। भारतीय परिवेश, जरूरतों के आधार पर विकास होगा तो ही हम सही मानों में विकास की गंगा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा सकते हैं।

एनआरईजीएस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 100 दिन के रोजगार का कानून बनाया गया। परिवार को 100 दिन का रोजगार, बाकी दिन यह परिवार क्या करेगा। सिफ 60 रुपये मजदूरी में क्या परिवार का पोषण हो सकता है। हमारे महाराष्ट्र में तो 60 रुपये भी नहीं मिलते फिर मजदूरों को इस रोजगार कानून से क्या लाभ मिला। मेरी मांग है कि ग्रामीण क्षेत्र की तरह इसे शहरों में भी लागू करने के साथ रोजगार का अधिकार सर्वाधिक करना होगा तथा मजदूरी को परिवार के जीवनयापन के लायक देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। इस मजदूरी के कारण हमारे यहां मजदूर काम पर नहीं आते हैं। सरकार इसके ऊपर विचार करे। किसानों के बारे में बहुत बोला जाता है, लेकिन प्रतिवर्ष उसे मौसम पर बीज, उर्वरक उपलब्ध कराने में सरकार असफल साबित होती है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के चंद्रपूर और यवतमाल जिले में उर्वरकों की कमी है। यहां पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए वणी व राजूरा रेल स्टेशन पर रैक पाईंट बनाने की मांग की जा रही है लेकिन सरकार और रेल मंत्रालय इसका समुचित संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई नहीं कर रहा, इससे किसानों को समय पर उर्वरक और बीज उपलब्ध नहीं हो रहे, इसकी कालाबाजारी हो रही है। किसान उर्वरक, बीज के लिए तड़प रहा है। मैं सरकार से इस स्थिति में हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने की मांग करता हूं तथा सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में बंद पड़े उर्वरक संयंत्रों को चालू करने तथा उसकी क्षमतावर्धन कराने का आग्रह करता हूं।

14वीं लोक सभा में अणु करार के बाद देश में बिजली उपलब्ध होने का सपना दिखाया गया लेकिन आज भी बिजली की कमी है। हमारे किसान सिंचाई के लिए बिजली को तरस रहे हैं। महाराष्ट्र में कृषि कार्य हेतु प्राथमिकता से कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रयास होना चाहिए। लघु उद्योग भी बिजली की कमी से प्रताड़ित हैं। उन्हें तथा ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों को बिजली उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक तंत्र को कायम रखने में सहायता की आवश्यकता है। सरकार ने अल्ट्रा मेगा परियोजना की घोषणा की थी। आज तक एक भी परियोजना पूरी नहीं हो पाई। बिजली के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं लेकिन कोयला, गैस आपूर्ति और भ्रष्टाचार के कारण हम लक्ष्य पूर्ति में लगातार पिछड़ रहे हैं। इसका ध्यान रखकर इसमें सुधार लाना पड़ेगा।

ग्लोबल वार्मिंग तथा भूगर्भ जलस्तर में कमी, इस संकट का भारत में भी असर दिखाई दे रहा है। हमारे देश की कृषि मानसून पर निर्भर है। इसके कारण हमें ज्यादा जागरूक रहकर इससे निपटना होगा। एन.डी.ए. सरकार के जमाने में नदिया जोड़ो अभियान चलाया गया था, यू.पी.ए. ने समाप्त कर दिया। नदी जोड़ के माध्यम से हम बाढ़ और सूखे से निपटने में सफल हो सकते हैं। इसी तरह भूतल और पुनर्भरण भी हो सकता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार राष्ट्रीय हित की खातिर नदी जोड़ परियोजना पर अमल करे। देश में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

देश के पंजीकृत बेरोजगार कार्यालयों के अनुसार करीब 4 करोड़ से अधिक सुशिक्षित बेरोजगार हैं। शिक्षा के बाद नौकरी तथा व्यवसाय के अभाव के कारण बेरोजगार लोग असामाजिक कार्यों में संलग्न हो रहे हैं। नक्सलवाद इसका उदाहरण है। इसलिए बेरोजगारों को पदवी शिक्षा के पश्चात् जीवनयापन हेतु बेरोजगार भत्ता देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। नौकरी तथा व्यवसाय के अधिक से अधिक अवसरों का सरकार द्वारा सृजन किया जाना चाहिए। मैं सरकार से इस महत्व के विषय का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई प्राथमिकता से करने का अग्रह करता हूं।

मैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आता हूं। पिछले महीने हमारे यहां 16 पुलिसकर्मियों की नक्सलियों द्वारा क्रूर हत्या की गयी। उसमें से अधिकतर पुलिसकर्मी आदिवासी समुदाय के थे। आदिवासी बहुल क्षेत्र में नक्सली वारदातें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस और नक्सली दोनों ओर से वह प्रताड़ित हो रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा नक्सली निर्मूलन हेतु दिया गया पैसा वहां ढंग से खर्च नहीं किया जा रहा है। पुलिस को अच्छे शस्त्र अस्त्र मिलने चाहिएं। केन्द्र सरकार नक्सलियों से निपटने के लिए सभी नक्सल प्रभावित राज्यों की साझा रणनीति बनाकर उन्हें सहायता दे। नक्सली हिंसा में मारे गये पुलिसकर्मियों को मुंबई हमले में शहीदों की तरह आर्थिक सहायता व उनके परिवारों को सुविधा उपलब्ध कराये।*

**श्री रामकिशुन** (चन्दौली): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया है। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री रामकिशुन:** महोदय, मैं नया सदस्य हूं। हम पिछली विधान सभाओं में रहे हैं। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी का कोई समय नहीं बचा है। पार्टी का सारा समय समाप्त हो गया है लेकिन आप नये सदस्य हैं इसलिए मैं आपको पांच मिनट दे रहा हूं। आपको बोलने का बहुत समय मिलेगा क्योंकि अभी पूरे पांच साल पड़े हैं।

**श्री रामकिशुन:** सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस सरकार की एक साल का रूपरेखा आपने रखी है, उसके संदर्भ में कहना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी के लोग सत्ता में आये हैं, लेकिन उनको पूरा बहुमत प्राप्त नहीं है। आप बहुत इठला रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर इनकी बड़ी निगाहें हैं। उत्तर प्रदेश में थोड़ी इनकी ताकत बढ़ी है। उसके कारण हैं-अगर एक साल पहले समाजवादी पार्टी ने पिछली सरकार का समर्थन न किया होता, तो यहां बैठते और जो लोग यहां बैठे हैं शायद वे वहां बैठते। यह समाजवादी पार्टी की देन है, जो साम्प्रदायिक शक्तियों को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस की गठबंधन सरकार को समर्थन देकर ताकत दे रहे हैं।

आज हम उस पर कायम हैं। जब एक तरफ साम्प्रदायिक शक्तियों को चुनना पड़ेगा तो हम उनको न चुनकर धर्मनिरपेक्ष पार्टी के गठबंधन को चुनेंगे। उसका असर आप पर हुआ है, इसलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ताकत बढ़ी है। उत्तर प्रदेश का एक इलाका पूर्वांचल है, जो बहुत पिछड़ा इलाका है, जहां पूरी तरह से आज भी विकास नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा उस क्षेत्र के विकास के लिए काम नहीं किया गया है। इस सदन में आकर मैंने देखा और सुना है कि लोग अपने क्षेत्रों के विषय में ज्यादा चिन्तित हैं, पूरे देश के विषय में कम। पूरे देश में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन को कैसे कम किया जाए, इसका जिक्र राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों के विकास के लिए बड़ी योजना लाने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां रेल का एक कारखाना बनाने के लिए चंदौली जिले में कई वर्षों पहले किसानों से सैकड़ों एकड़ जमीन ली गयी थी। वह कारखाना अब तक नहीं बना। वह कारखाना अन्यत्र कर दिया गया। एशिया का सबसे बड़ा यार्ड मुगलसराय में है। मुगलसराय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जन्मस्थली भी है। उस क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ है। इसी तरह पहले वहां पर एक बड़ी फैक्टरी थी, रसायन खाद बनाती थी। वह फैक्टरी आज पूरी तरह से बंद हो गयी है। मैं अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो फैक्टरियां इन क्षेत्रों में बंद हो गयी हैं, उनको पुन: चालू कराने का प्रयास होना चाहिए।

पूर्व सरकार के रेलमंत्री जी द्वारा घोषित फ्रेट कारीडोर योजना के अंतर्गत एक नई रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। बनारस-गया-पटना लाइन और मुगलसराय-गया लाइन जनपद में ऐसी दो लाइनें हैं जो चंदौली जनपद को तीन-चार भागों में बांट देती हैं। इनके अलावा अब एक तीसरी रेलवे लाइन और बन रही है फ्रेट कारीडोर योजना के तहत, जिसमें किसानों की कृषि योग्य उपजाऊ जमीन ली जा रही है। हमारी आपके माध्यम से मांग है कि कृषि की उपजाऊ जमीन न लेकर पहले से जो रेलवे लाइन्स मौजूद हैं, जहां पर जमीन उपलब्ध है, रेलवे की अपनी जमीन भी वहां है, उसके सामानन्तर नई रेलवे लाइन बिछाई जाए। इस पर किसी को एतराज नहीं होगा। अलग से किसानों की जमीन ली जाए, यह हमारी मांग है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। हमारे देश में बालकों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण बढ़ा है। उनमें पौष्टिक आहार की कमी है। देश में आज एक जल नीति और लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। आजादी के इतने दिनों बाद भी, आज तक जल नीति नहीं बनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, शहरों में लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। इससे भी लोगों में कुपोषण बढ़ा है। हम पौष्टिक आहार की बात बाद में करेंगे, आज जरूरत है पूरे देश के स्तर पर एक ऐसी नीति बने जिसके तहत हम देश के नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा सकें। आज भी हम लोग जब ट्रेनों से आते हैं तो स्टेशनों पर लोग वह पानी पीते हुए दिखते हैं जो केवल हाथ मुंह धोने के लिए होता है। आज भी गरीब उस पानी को पीता है।

यहां पर बीपीएल कार्ड की चर्चा हुई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश में यह जो बीपीएल कार्ड बने हैं, जो लोग वास्तव में गरीब हैं, वे इससे वंचित हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि नए सिरे से बीपीएल कार्डों के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का सर्वे कराया जाए, जो लोग छूट गए हैं, उनको इसमें शामिल किया जाए। हम लोग जब जिला कलेक्टर से कहते हैं कि यह आदमी गरीब है, तो वे कहते हैं कि इसका कोटा निर्धारित है, जब एक गरीब मरेगा, एक परिवार समाप्त हो जाएगा, तब किसी अन्य गरीब के परिवार को बीपीएल कार्ड मिलेगा। यह एक गंभीर समस्या है। उन गरीबों के लिए इसका

[श्री रामकिशुन]

इंतजाम करने के लिए नए सिरे से सर्वे करना और उनकी संख्या बढ़ाना जरूरी है।

मैं एक बात और कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। हमारे देश में जब बच्चा पैदा होता है और बड़ा होता है तो सब बच्चों को समान शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। पूरे देश में एक शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए-चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे कलेक्टर का बेटा हो, चाहे विधायक, सांसद या मंत्री का बेटा हो। यह जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक हम गरीबी हटाओ का नारा जो आजादी के बाद से आज तक देश में लगा रहे हैं, पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए अगर उसे सार्थक करना है तो हमें इस प्रकार की नीति बनानी पड़ेगी।

सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री एस.एस. रामासुब्बू** (तिरूनेलवेली): सभापति महोदय, मैं डॉ. गिरिजा व्यास द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सर्वप्रथम, मुझे लोक सभा में सेवा करने का अवसर देने के लिए मैं संप्रग अध्यक्ष महोदया सोनिया जी, माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, तमिलनाडु के हमारे लोकप्रिय नेता, श्री जी.के. वासन जी, माननीय पी. चिदम्बरम जी, 'टीएनसीसी' अध्यक्ष और तमिलनाडु के अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं और संप्रग मुख्यमंत्री अय्या कलैगनार का धन्यवाद करता हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र, तिरूनेलवेली के लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस सभा के लिए मेरा चुनाव किया।

माननीय सभापति महोदय, अपना प्रथम भाषण शुरू करने से पूर्व मैं एक बार पुनः महोदया सोनिया जी का धन्यवाद करता हूं। 1989 में मुझे हमारे प्रिय नेता श्री राजीव गांधी ने मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 'अलानगुलाम' से उम्मीदवार बनाया। वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आए और मुझे उम्मीदवार घोषित किया। यह मुझे अब भी याद है। मैंने द्रविड़ दलों की सहायता के बिना चुनाव जीता। अब मुझे हमारी आदरणीय नेता, संप्रग अध्यक्ष द्वारा घोषित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने मुझे तिरूनेलवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया और मैं चुनाव जीत गया। इस सम्माननीय सभा में आने पर मुझे सचमुच गर्व है।

मैं तिरूनेलवेली जो कन्याकुमारी के निकट है का जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता हूं। पवित्र तामरबरानी हमारे लोगों के लिए वरदान है। राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपने बहुमूल्य जीवन को न्यौछावर करने वाले अधिकांश स्वतंत्रता सेनानी यथा कवि सुब्रमणिय भरतियार, वीरा वनचिनतन, वीरा चिदम्बरनार, पेरूनतलेवर कामराज, श्री के.टी. कौशलराम तिरूनेलवेली के ही हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस क्षेत्र से आया हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत के लिए एक नई सोच है। लोगों ने स्पष्ट जनादेश दिया है। इस देश में अनेक दल हैं। भारत में 1,700 से ज्यादा दल हैं। ये सभी दल लोगों में भ्रम और अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे हैं। लोगों का जनादेश देखिए। उन्होंने स्पष्ट जनादेश दिया है। उन्होंने निर्णय किया है कि इस देश पर संप्रग को शासन करना है। यही जनादेश है। यह जनादेश संप्रग द्वारा इस देश पर शासन करने के लिए है। लोग समझते हैं कि केवल संप्रग सरकार के शासन से यह देश स्थिर और मजबूत बन सकता है।

यह जनता का निर्णय है। हमारे देश में बहुत सारे दल हैं। बहुत सारे झंडे हैं। हम झंडों को नहीं पहचान सकते कि कौन सा झंडा कौन से दल का है। परंतु उसके बाद भी जनादेश बिल्कुल स्पष्ट है। संप्रग और कांग्रेस को इस देश पर शासन करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदयः** कृपया समाप्त कीजिए।

**श्री एस.एस. रामासुब्बूः** महोदय, यह मेरा पहला भाषण है। मैंने केवल दो मिनट लिए हैं।

**सभापति महोदयः** आप पहले ही पांच मिनट ले चुके हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री एस.एस. रामासुब्बूः** महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं। अतः, मुझे कृपया थोड़ा समय और दीजिए। *...(व्यवधान)*

महोदय, जब मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गया तो वहां एक महिला आई और उसने मुझे बताया कि हमें हमारी सरकार, श्रीमती सोनिया गांधी और डा. मनमोहन सिंह की कृपा से नरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिनों के लिए 80 रुपये प्रतिदिन मिल रहे हैं। हमें रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और हम अपने बच्चों को खाना खिला पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं। उस महिला ने मुझे बताया कि वे शांतिपूर्वक रह रहे हैं। कृपया हमारी प्रिय नेता श्रीमती सोनिया गांधी को हमारा धन्यवाद दे देना। आप देख सकते हैं कि गरीब लोग किस प्रकार से नरेगा योजना की सराहना कर रहे हैं। वह इसकी सराहना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको रोजगार मिलना पक्का हो गया है। उन्हें अधिक अवसर मिल रहे हैं और इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण हो रहा है। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदयः** श्री रामासुब्बू, यदि आपके पास लिखित भाषण है तो आप उसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

**श्री एस.एस. रामासुब्बूः** महोदय, मुझे केवल दो मुद्दों पर बोलना है।

**सभापति महोदयः** आप अपना भाषण एक मिनट में समाप्त कीजिए।

**श्री एस.एस. रामासुब्बूः** महोदय, मैं विद्युत उत्पादन के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। विद्युत का बहुत महत्व है। महोदय, हमारे क्षेत्र में कुडांगुलम परियोजना विद्युत उत्पादन कर रही है। सरकार को इस परियोजना के लिए कुछ सहायता देनी चाहिए। उद्योगपतियों और क्षेत्र में गरीब लोगों को वितरण हेतु विद्युत उत्पादन में तेजी लानी होगी।

महोदय, सब्जी और कृषि उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहे हैं। अतः, पर्याप्त मूल्य देकर उनकी सहायता की जानी चाहिए। सब्जियों के परिरक्षण हेतु उनके लिए शीतागार सुविधाएं स्थापित की जानी चाहिए।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि बीड़ी कामगारों को अपने मकान बनाने के लिए 45000/- रुपये मिल रहे हैं। उन्हें यह धनराशि केन्द्र सरकार की सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। परंतु इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदयः** श्री रामासुब्बू, मैंने श्री गोरखनाथ को बोलने के लिए कहा है।

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदयः** श्री रामासुब्बू, आप अपने भाषण का शेष भाग सभा पटल पर रख सकते हैं। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। मैं अगले माननीय सदस्य का नाम पहले ही बोल चुका हूं।

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदयः** केवल श्री गोरखनाथ द्वारा कही गई बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा इसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

***श्री एस.एस. रामासुब्बूः** पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने के लिए संसदीय संविधान संशोधन और केंद्र सरकार की नौकरियों में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों के पश्चात् महिला आरक्षण से महिलाओं को कानूनी संरक्षण तथा समानता मिलेगी।

यह एक स्वागतयोग्य संकेत है कि संप्रग के सभी संबद्ध दलों और विपक्षी दलों ने श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा महोदया माननीय मीरा कुमार को इस सम्माननीय लोक सभा का अध्यक्ष चुने जाने के निर्णय को सर्वसम्मति से स्वीकार किया है।

नरेगा गरीब ग्रामीण व्यक्तियों को रोजगार सुरक्षा देती है। मजदूरी को 80 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करना गरीब ग्रामीण व्यक्तियों के लिए वरदान है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है।

मेरे तिरूनेलवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नांगुनेरी में विशेष आर्थिक क्षेत्र कनकईकुंडम में औद्योगिक केन्द्र को औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास में सुधार करने हेतु प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार को इन दो परियोजनाओं में सुधार करने हेतु अवसंरचना सुविधाओं का सृजन करना चाहिए।*

*[हिन्दी]*

**श्री गोरखनाथ** (भदोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी का भी आभारी हूं जिन्होंने मुझे टिकट देकर यहां आने का अवसर दिया। साथ ही मैं अपने क्षेत्र की जनता का भी आभारी हूं जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद देकर यहां भेजा है।

महोदय, पूर्व में मैं विधान सभा का सदस्य रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जब कोई बड़ी समस्या मेरे द्वारा उठायी जाती थी, तो यह कहकर टाल दिया जाता था कि यह तो बड़ी योजना है और केन्द्र सरकार द्वारा ही पूरी की जा सकती है।

महोदय, मैं दो दिनों से महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने अग्रजों को सुन रहा हूं और मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं दो-तीन बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों से हम

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री गोरखनाथ]

आते हैं। गांवों में ऐसी बहुत-सी समस्याएं हैं, जिनका जिक्र इस अभिभाषण में किया गया है, लेकिन समस्याओं से संबंधित कुछ बिंदु ऐसे हैं, जो कहीं-न-कहीं छूटे हुए हैं। मैं सरकार का आभारी हूं, जो इस देश की पवित्र गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। इस पवित्र नदी के बारे में पुराणों में कहा गया-गंगे, तव दर्शनार्थ मुक्तिः तुलसीदास जी ने रामायण में कहा-दर्शन किए अनेक फल, मज्जन से अघ जाहिं। इस नदी की पवित्रता पर आज प्रश्नचिह्न लग गया है। लोग इस नदी के दर्शन और स्पर्श करके अपना भाग्य माना करते थे, लेकिन आज गंगा नदी के जल की हालत यह है कि लोगों को नदी में स्नान करके वेदना की अनुभूति होती है। जहां इस नदी की पवित्रता की बात है, उस तरफ तो ध्यान देने की जरूरत है ही, लेकिन दूसरी तरफ जहां से नदी निकलती है, वहां हजारों-हजार किसान परिवार कटाव से प्रभावित हैं। गंगा नदी के कटाव से जनपद भदोही, जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, जहां से मैं चुनकर आया हूं, वहां गंगा नदी के कटाव से ऐसे हजारों परिवार प्रभावित हैं। हजारों परिवार इस कारण रोजी-रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। जो गांव गंगा नदी के कटाव के कारण विलीन हो गए हैं, उनकी संरक्षा और सुरक्षा की आवश्यकता है।

महोदय, पूर्वांचल की एक दूसरी बड़ी समस्या के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। कालीन उद्योग द्वारा कभी हजारों करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती थी। इसी सदन के माध्यम से इस उद्योग को सब्सीडी मिला करती थी, लेकिन वहां चाइल्ड लेबर के नाम पर कुछ ऐसा प्रचार-प्रसार किया गया, जिस कारण यह उद्योग प्रभावित हुआ है। ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग की तरह यह उद्योग चलता था। जहां बेरोजगारी, बेकारी की बात कही जा रही है, वहां दूसरी तरफ गांव में चल रहे उद्योगों के प्रभावित होने से ये समस्याएं और बढ़ी हैं। कच्चे माल पर वैट लगाया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस उद्योग को लघु उद्योग में सम्मिलित करके खादी ग्राम आयोग में सम्मिलित किया जाए। इससे हजारों झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को रोजी मिलेगी, वहीं गरीबी दूर करने में भी सहायता मिलेगी।

महोदय, मैं गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं, इस कारण मुझे इन लोगों के दर्द का पता है। हम सब किसान के बेटे हैं, हमें पता है, जहां हम गरीबी समाप्त करने की बात कहते हैं और खाद्यान्न पदार्थ पैदा करने की बात कहते हैं, वहीं जब गांव में खेती का समय आता है, बुआई का समय आता है, तब गांव में खाद, बीज, बिजली तथा अन्य जरूरत की चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि अगर गरीबी मिटानी है, अगर देश में खाद्यान्न की पूर्ण आपूर्ति करनी है, अगर लोगों को भूखे सोने नहीं देना है, तब गांव के गरीब किसानों को जब खेती के समय संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, उन्हें सभी संसाधन उपलब्ध कराने के पर्याप्त प्रबंध करने चाहिए।

मैं उन गरीबों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जहां सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात मुख्यमंत्री बहन मायावती कहा करती हैं। गांव में ऐसे परिवार के लोग हैं, जिनके बेटों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। उच्च शिक्षा की बात छोड़ दी जाए, वे साक्षर भी नहीं हो पाते हैं। गांव में तकनीकी शिक्षा देने की भी अत्यंत जरूरत है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि केंद्र द्वारा ब्लाक स्तर पर तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए और कम फीस में अच्छी शिक्षा दी जाए, ताकि गांव का वह व्यक्ति जो गरीब परिवार का है, वह आत्मनिर्भर बन सके। गांव में ऐसे परिवार जिनके पास दो जून की रोटी नहीं है, जो अपने बेटों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसके पास व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ब्लाक स्तर पर तकनीकी शिक्षा, रोजगारप्रद शिक्षा दी जाए, ताकि गांव का किसान, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाला किसान आत्मनिर्भर हो सकें और सरकार की मंशा पूरी हो सके।

मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आभारी हूं, अपने राज्य की मुख्यमंत्री का, जिनकी अनुकंपा से मुझे सदन में अपनी बात कहने का अवसर मिला।

**श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी** (बनासकांठा): सभापति महोदय, मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आभार प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मौका दिया गया है, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। मैं गुजरात से आता हूं। मैं आज सुबह श्रीमती सुषमा स्वराज की बात सुन रहा था, वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात कह रही थी। उन्होंने गुजरात का जिक्र नहीं किया क्योंकि उनको मालूम था कि पीएम इन वेटिंग के नाम से एडवर्टाइजमेंट्स और होर्डिंग्स हो रही थी, उनमें काफी ओट आई है। वे कह रही थीं कि 206 काफी नहीं है, उनको यह मालूम नहीं है कि गुजरात में जिसे कह रहे थे, नंबर वन चीफ मिनिस्टर, वह पहले 29 में थे और अब 117 पर आ कर खड़े हैं। मैं ज्यादा पालिटिकल आब्जर्वेशन नहीं करना चाहता हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि इन्हें अपने आप में झांकना चाहिए कि कैसे क्या करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आता है, उसमें सबसे ज्यादा पैसा, जो एनडीए सरकार ने भी नहीं दिया था, पांच गुना ज्यादा पैसे यूपीए सरकार ने गुजरात के लिए दिया है। इसी कारण से आज गुजरात के मतदाताओं ने केन्द्र सरकार में ज्यादातर सदस्यों को चुनकर भेजा है। मैं आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, माननीय मनमोहन सिंह, श्री प्रणव दा, एंटोनी जी और अहमद पटेल जी का बहुत

आभारी हूं कि मेरे मत क्षेत्र में हमारे समाज के सिर्फ 1400 मत होते हुए भी मुझे तीन बार लोक सभा की टिकट दी। वहां के लोगों ने चुनकर विधान सभा में भेजा। इसके बाद मुझे चौथी बार में लोक सभा की टिकट दी और बनासकांठा के मतदाताओं ने मुझे चुनकर लोक सभा में भेजा। मैं बहुत छोटी जाति से हूं। मैंने वर्कबेस पोलिटिक्स को एडाप्ट किया है। कास्ट बेस पालिटिक्स करने वाले धीरे-धीरे शांत होते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कास्ट बेस पालिटिक्स हिंदुस्तान में चलने वाला नहीं है। जो काम करेगा वह कुछ पाएगा, अब यह बात धीरे-धीरे लोगों के दिल में बैठ रही है। जो लोग कह रहे थे कि नीतियों से नहीं परिस्थितियों से आए हैं, इन्होंने मतदाताओं को चैलेंज किया है। किसी ने मार पिटाई करके सत्ता हासिल नहीं की है। मतदाताओं के दिल के अंदर कांग्रेस और यूपीए सरकार की आइडियोलाजी, कार्यक्रम, टाइम बाउंड कार्यक्रम है। आपने देखा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह बताया है कि हम सौ दिन के अंदर काम करके बताएंगे। मुझे इनसे पूछना है आज ये क्रिटिसाइज कर रहे थे, तब उनका शासन था, स्विस बैंक की बात कह रहे थे, जब ओपिनियन पोल लेने के लिए निकले, उनको यह मालूम नहीं है कि आप पार्लियामेंट में चौदहवीं लोक सभा में विरोध पक्ष के नेता थे। आगे एनडीए शासन था, क्या तब स्विस बैंक खत्म हो गया था? क्या अब नया स्विस बैंक खड़ा हो गया है? उस समय स्विस बैंक में लोगों के पैसे नहीं थे? उस समय उन्होंने क्या किया? इनको भड़काने की बात कहने के अलावा कुछ और आता नहीं है। ये टाइम बाउंड कार्यक्रम को चैलेंज कर रहे हैं। हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन हैं।

उन्होंने यह कहा है कि हम जो कार्यक्रम लेकर आये हैं, हम उनकी सौ दिन के अंदर समीक्षा करेंगे और उन पर कितना अमल हुआ है, उसका ध्यान रखेंगे। अगर किसी मंत्री जी ने मान लो यदि कोई गड़बड़ी की तो उन्हें निकाल देंगे। क्या यह कोई कम बात है।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे लोगों को आपके जरिये कुछ समझाना चाहिए, उन्हें कुछ कहना चाहिए और जो टाइम बाउंड प्रोग्राम केन्द्र सरकार ने दिये हैं, उनका इम्पलीमैन्टेशन राज्य सरकारों को करना है। यदि राज्य सरकारें इनका इम्पलीमैन्टेशन नहीं करती हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखकर, उसकी समीक्षा करके उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा जो ग्रांट दी जाती है, वह पूरी की पूरी रोक देनी चाहिए। इस तरह से इसके ऊपर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए।

महोदय, नरेगा प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। केन्द्र सरकार ने यहां से स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है, अगर कई स्कीमें ऐसी हैं, जिनकी सैंक्शन स्टेट गवर्नमैंट नहीं दे रही है तो उसके लिए भी कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए। बार्डर एरिया डैवलपमैंट प्रोजैक्ट के जरिये जो हमारा इलाका है, वह पाकिस्तान बार्डर पर है, वहां बार्डर एरिया डैवलपमैंट प्रोजैक्ट का एक कार्यक्रम डिफैन्स मिनिस्ट्री ने किया हुआ है। उसमें भी कई जगहों पर स्टेट गवर्नमेंट का इनवोल्वमैंट होता है। हमारा कहना है कि सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट या तो इसे इन्डिपैन्डैंटली इम्पलीमैन्ट करे या स्टेट गवर्नमैन्ट को वह ताकीद करे, ताकि उसका काम जल्दी से जल्दी हो सके और लोगों के लिए वह बैनिफिशियल हो सके।

**श्री शरीफुद्दीन शारिक** (बारामुला): जनाब सद्रनशील आपका शुक्रिया, बहुत देर से ही सही, लेकिन अंधेर नहीं हुआ। जहां तक राष्ट्रपति के एड्रैस का ताल्लुक है, इसमें नुक्ता निकालने की कहीं गुंजाइश नहीं है, यह मैं मानता हूं और मुल्क की हमगीर तरक्की का यह एक नक्शा बन चुका है। अगर सरकार संजीदगी से और टाइम बाउंड तरीके से इस नक्शे पर अमल करे तो पांच साल के बाद हमारे मुल्क की हालत कहीं से कहीं बेहतर हो जाए। इसके लिए मैं राष्ट्रपति का शुक्रगुजार भी हूं और इस रिजोल्यूशन की पुरजोर ताईद करता हूं। कुछ मसले हैं, जिनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। प्राइम मिनिस्टर रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के तहत जम्मू-कश्मीर को 24 हजार करोड़ रुपये दिये गये थे, जिसमें से 17 हजार करोड़ रुपये सैंट्रल गवर्नमैन्ट के महकमों के जरिये खर्च करना था, उसमें अभी तक सिर्फ छः परसैन्ट खर्च हुआ है, बाकी खर्च नहीं हुआ। सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट को इसका जवाब देना पड़ेगा कि उसमें खर्च क्यों नहीं हुआ है? सिर्फ सिक्स परसैन्ट खर्च हुआ है और इसके साथ ही मैं गुजारिश करूंगा, जो कि एड्रैस में होना चाहिए था, उसकी शायद कमी लग रही है कि जो प्राइवेटाइजेशन आफ एजूकेशन के नाम पर इंस्टीट्यूशंस खोले जा रहे हैं, उनमें लोगों को लूटा जा रहा है और कोई तमीज नहीं है कि बच्चे का वजन डेढ़ किलो है और 20 हजार रुपये उस बेचारे को स्कूल जाने के लिए फीस देनी पड़ती है। कहीं पर 25-25 हजार रुपये फीस देनी पड़ती है। इसकी तरफ शायद सरकार की तवज्जह अभी तक नहीं गई है। मैं सरकार की तवज्जह चाहूंगा, ताकि कहीं देख लें, कोई सिस्टम बनायें, कोई तरीका बनायें, कोई रोक बनायें। यहां होर्डिंग एंड प्रोफिटियेरिंग एक्ट में अगर कोई एक किलो आलू आठ आने ज्यादा में बेच दे तो वह जेल चला जाता है, लेकिन जो पचास हजार रुपये छोटे बच्चे से, गरीब आदमी से लेता है तो उसे पूछने वाला कोई नहीं है।

इसी तरह मेरी गुजारिश होगी कि जम्मू-कश्मीर पिछले बीस सालों से मिलिटैन्सी से जूझ रहा है। इसमें हजारों लोग मारे गये। हमारी पार्टी के तीस के गरीब मंत्री और एम.एल.एज. मारे गये, लीडर्स मारे गये हैं, पांच हजार कारकुन मारे गये है। इसी तरह दूसरों का भी हाल है। मैं गवर्नमैन्ट आफ इंडिया से गुजारिश करूंगा कि जम्मू-कश्मीर रियासत की तरक्की के लिए एक स्पेशल

[श्री शरीफुद्दीन शारिक]

पैकेज दिया जाए। हमारे यहां फ्रूट इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वहां मेवों और सेब की इंडस्ट्रीज भी हैं, इन्हें मजबूत करने के लिए वहां एक माहिरीन की कमी को दूर किया जाए, ताकि वह देखें कि फ्रूट इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए।

इसी तरह हमारे यहां रेल लाइन का काम कुछ साल से चल रहा है लेकिन जम्मू को श्रीनगर से नहीं मिलाया जा सका है। मैं गुजारिश करूंगा कि और ज्यादा कदम उठाये जायें ताकि पहलगाम-बांदीपुर-कुपवाड़ा का रेल लाइन के लिये सर्वे कराया जा सके। इसके साथ ही वहां स्पेशल आर्म्ड एक्ट लगा था जब हालात खराब थे। अब खुदा के फजल से हालात काबू में हैं। मैं चाहूंगा कि इसमें नरमी की जाये। गवर्नमेंट आफ इंडिया सोचे कि इस एक्ट में तरमीम करके नरमी लाकर हम लोगों के दिल जीत सके ताकि मिलिटैंट्स को खरा जवाब मिल सके।

हमारे यहां बिजली की किल्लत है लेकिन 20 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने के लिये हमारे पास पानी काफी है। जब तक गवर्नमेंट आफ इंडिया हमारी मदद नहीं करेगी, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरी प्रार्थना है कि फाइनैंस मिनिस्टर इस मसले पर खास ख्याल रखें।

आस्ट्रेलिया में हमारे बच्चों के साथ जो हुआ, वह बेहद अफसोसनाक है। हमें ही नहीं, अपोजीशन पार्टी को भी अफसोस हुआ है। मैं सियासी तकरीर करने वाला था लेकिन माहौल नहीं होने से इतना कहूंगा कि जब मुम्बई में यू.पी. और बिहार के लोगों की पिटाई की गई और सड़कों पर उन्हें बेइज्जत किया गया, तब वे लोग कहां थे? तब उनकी चिन्ता नहीं की लेकिन आस्ट्रेलिया या दूसरे मुल्कों में हमारे लोगों के साथ जो हो रहा है, उसके लिये दुख हो रहा है। सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिये। इसी तरह लद्दाख के हालात बिगड़े हुये हैं। मेरी गुजारिश है कि कश्मीर से मिलाने के लिये जोजीला पास में टनल बनाने की जरूरत है। इसी तरह करना में भी कश्मीर के साथ एक टनल बनाये जाने की जरूरत है। इन बातों पर तवज्जह दी जाये।

हमारे कश्मीर के पहाड़ी और दूर-दराज इलाकों में एम्स की तरह का हास्पीटल दिया जाये ताकि वहां के गरीब लोगों को दिल्ली आने की जरूरत न पड़े।

रूरल एम्पलायमेंट गारंटी स्कीम चल रही है। हमारे मुल्क में काम करने के मौसम अलग-अलग होते हैं। कश्मीर में 5-6 महीने का मौसम रहता है जब काम करना होता है। गवर्नमेंट आफ इंडिया इस पर गौर करे और मजदूरों के लिये उनकी उजरत को बढ़ाया जाये। यह 100 रुपये या 70 रुपये किया जाये।

*[अनुवाद]*

**श्री आर. ध्रुवनारायण** (चामराजनगर): सभापति महोदय, मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं डा. गिरिजा व्यास द्वारा प्रस्तुत और श्री पी.सी. चाको द्वारा समर्थित धन्यवाद-प्रस्ताव का सहृदय से समर्थन करता हूं।

माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में सामाजिक क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया है। मैं संप्रग सरकार द्वारा की गई इस पहल का स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत के इतिहास में भारत-निर्माण अवसंरचना विकास के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने एन.आर.ई.जी.ए., राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ग्रामीण पेयजल योजना, सड़क-संपर्क, सर्व शिक्षा अभियान, 14 करोड़ बच्चों के लिए मीड-डे मील योजना आदि शुरू की है। हमारे देश के लोगों की जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये सभी बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं। इसलिए, मैं इन सभी कार्यक्रमों का स्वागत करता हूं।

मैं कर्नाटक से हूं। कर्नाटक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 84 रुपये प्रतिदिन दी जाती है। मैं आपसे दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन करने के लिए अनुरोध करता हूं। उदाहरण के लिए केरल को ही लीजिए। केरल राज्य में दैनिक मजदूरी 100 रुपये प्रतिदिन दी जा रही है। मेरे राज्य में दैनिक मजदूरी 84 रुपये प्रतिदिन दी जा रही है। इसलिए, कृपया मजदूरी को 84 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये किया जाए।

केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को करोड़ों रुपये दिए गए हैं। मेरे राज्य में वे इस राशि का समुचित उपयोग नहीं कर रहे हैं। वे दी गई राशि का केवल 30 प्रतिशत का ही उपयोग कर रहे हैं, वे शेष 70 प्रतिशत राशि का उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे इस योजना की समीक्षा का अनुरोध करता हूं।

महोदय, शिक्षा की चर्चा करे तो सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के क्रांतिकारी कार्यक्रमों में से एक है। इसे बढ़ाकर 12वीं कक्षा तक, उच्च विद्यालय से विश्वविद्यालय पूर्व तक भी किया जाना चाहिए। यह बहुत ही अच्छी योजना है।

महोदय, जहां तक सामाजिक क्षेत्र का संबंध है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक योजना है। लेकिन राज्यों को धनराशि का आवंटन समुचित रूप में नहीं किया गया है; यह उनकी संख्या के अनुपात में नहीं है। इसलिए, मैं सरकार से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक योजना के कड़ाई से कार्यान्वयन हेतु एक सतर्कता आयोग के गठन का अनुरोध करता हूं।

महोदय, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के भर्ती के बैकलाग की पूर्ति के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के शासनकाल के दौरान वर्ष 1989 में प्रयास किए गए थे। श्री राजीव गांधी ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का निर्णय लिया था और हजारों पद भरे गए थे।

**रात्रि 8.41 बजे**

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

इस समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं। मैं सरकार से इस बैकलाग को पूरा करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*आज का दिन सचमुच में ऐतिहासिक है क्योंकि आज हमारे बीच तीन विख्यात महिलाएं देश के तीन महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। इस अवसर पर मैं श्रीमती सोनिया गांधी, अध्यक्ष संप्रग; डा. प्रतिभा देवी सिंह पाटील, महामहिम राष्ट्रपति; तथा अध्यक्ष लोक सभा पद पर आसीन श्रीमती मीरा कुमार को बधाई देना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन महिलाओं के शासन से बेहतर कल की शुरुआत होगी। एक स्थायी सरकार के लिए यह एक स्पष्ट जनादेश है। इस जनादेश ने यह साबित कर दिया है कि हमारी संप्रग सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों का लाभ जन-जन तक पहुंचा है। इस देश के लोगों ने डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी में अपना विश्वास व्यक्त किया है, यही कारण है कि संप्रग सरकार को लगातार दूसरी बार लोगों ने सत्ता के लिए चुना है। श्री राहुल गांधी जी के युवा और सक्षम मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी ने 2009 का चुनाव लड़ा। उनके प्रेरक व्यक्तित्व और करिश्मा ने भारत के हजारों युवा लोगों को प्रेरित करने में मदद की।

महोदय, जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का संबंध है कांग्रेस के नेतृत्व वाली हमारी संप्रग सरकार ने उनके लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बावजूद हमें अपने लोगों के बीच अभी समानता लानी है।

महोदय, कर्नाटक विशेषकर मेरे चुनाव क्षेत्र चामराजनगर में कई खानाबदोश तथा अर्ध-खानाबदोश जातियां रहती हैं; उदाहरण के लिए सोलिगा, हेलविया, डोमबिडासा आदि इन लोगों के पास आज भी रहने के लिए स्थायी घर नहीं है। उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। हमारे युवा और प्रगतिशील नेता श्री राहुल गांधी जी ने मेरा चुनाव क्षेत्र में बी.आर. पहाड़ियों में जनजातीय बसावटों का दौरा किया था। उन्होंने जनजातियों की जीवन शैली, उनकी आर्थिक और सामाजिक दशा का अध्ययन किया और इसलिए, मेरा मत है कि हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम इन गरीब लोगों के पक्ष में आवाज उठाएं।

हमें इन जनजातीय लोगों के साथ अपने भाई-बहनों जैसा व्यवहार करना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के 62 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम इन लोगों का कल्याण सुनिश्चित नहीं कर पाये हैं। समानता, सामाजिक न्याय और भाईचारा अभी भी केवल कागजों में है। डा. अम्बेडकर ने इन दलित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी लेकिन हमारे महान नेता का स्वप्न अभी भी पूरा नहीं किया गया है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन लोगों के लिए आवास, शिक्षा, रोजगार आदि उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय लोगों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बिना किसी भेद-भाव के सभी कामगारों की मजदूरी एक समान होनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा है कि पुरुष तथा महिला कामगारों की मजदूरी में भारी अंतर हैं। उदाहरण के लिए पुरुषों को 120 रुपये प्रतिदिन दिए जाते है। महिलाओं के लिए यह मात्र 50 रुपये या 60 रुपये प्रतिदिन है। इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए।

जहां तक पूर्ण स्वच्छता का संबंध है। सामान्य रूप से पूरे देश में तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता के बारे में सभी को जागरूक बनाए जाने की परमावश्यकता है। गांव तथा जिला स्तर पर जागरूकता जागरण कार्यक्रमों को चलाने पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही शौचालयों के निर्माण की गति भी तेज की जाए।

विद्यालयों में स्वच्छता की व्यवस्था एक और ऐसा क्षेत्र है जिस पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी विद्यालयों में पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए। छात्राओं के लिए अलग से शौचालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

संसद में राष्ट्रपति के उद्घाटन अभिभाषण का मैं पूरे दिल से स्वागत करता हूं। इस भाषण में ग्रामीण रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे सामाजिक क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया गया है।

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री आर. ध्रुवनारायण]

पूर्ववर्ती संप्रग सरकार द्वारा क्रियान्वित ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की अवधारणा चमत्कारिक और आश्चर्यजनक है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाता है। इसे और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी एक ऐसा ही विकास कार्यक्रम है जिसका समाज के सभी वर्गों द्वारा स्वागत किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को 3 रुपये प्रति किलो की दर से 25 किलो चावल या गेहूं की आपूर्ति का समाज के सभी वर्गों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। इसी प्रकार संप्रग सरकार द्वारा क्रियान्वित 14 करोड़ स्कूली बच्चों के लिए मीड-डे-मील उपलब्ध कराने के केन्द्र सरकार के कार्यक्रम की सभी लोगों ने सराहना की है।

महिला आरक्षण, 14 नए विश्वविद्यालयों को खोला जाना तथा उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन भी स्वागत योग्य है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में 'सामाजिक क्षेत्र' पर अधिक जोर दिया गया है। सामाजिक क्षेत्र के कुछ कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए मैं इस सभा का ध्यान अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित कार्यक्रमों और इनके सख्त कार्यान्वयन की ओर दिलाना चाहूंगा।

विशेष घटक योजना (एस.सी.पी.) का कड़ाई के साथ क्रियान्वयन अभी किया जाना है। इसी प्रकार जनजातीय उप-योजना (टी.एस.पी.) को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाना है। कई राज्यों में इन कार्यक्रमों के संदर्भ में या तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में बजट आवंटन समुचित रूप में नहीं किया गया या उनका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं किया गया। निर्धारित किए गए अनुदान का समय व्यतीत हो रहा है। इसलिए, मेरे विचार में एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के सख्ती से क्रियान्वयन के लिए एक सतर्कता आयोग का गठन संसद के अधिनियम के द्वारा किया जाए जिससे कि विभिन्न राज्य प्रशासनों को सावधान किया जा सके या एस.सी.पी. और टी.एस.पी. योजनाओं के सख्ती से क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार बनाया जा सके। केवल तभी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का सपना पूरी तरह पूर्ण हो पाएगा। वह इस विशेष घटक योजना को पूर्व में 1979-80 में लायी थी। एस.सी.पी. और टीएस.पी. कार्यक्रमों के सख्ती से क्रियान्वयन के लिए सतर्कता आयोग के गठन के लिए मैं पुन: अनुरोध करता हूं।

भारत के राष्ट्रपति को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए तथा उनके अभिभाषण तथा संप्रग सरकार के कार्यक्रमों का स्वागत करते हुए मैं सरकार का ध्यान अ.जा. तथा अ.ज.जा. के लिए केन्द्रीय सेवाओं तथा विभिन्न राज्य सेवाओं में बैकलाग भर्ती की ओर आकर्षित करता हूं। बैकलाग भर्ती के लिए कुछ मूलभूत कदम तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने उठाए थे। बैकलाग पदों की भर्ती के लिए किए गए प्रयास समयबद्ध कार्यक्रमों के रूप में होने चाहिए तथा भर्ती अभियान चलाया जाना चाहिए।

हमें केन्द्र सरकार की सेवाओं में अजा/अजजा द्वारा प्राप्त प्रतिनिधित्व पर गौर करना चाहिए। 1 जनवरी, 2002 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार समूह 'क' वर्ग की सेवाओं में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व 11.09 प्रतिशत है। लेकिन संविधान में स्वीकृत प्रतिनिधित्व 16.66 प्रतिशत है। इस कमी को पूरा करने के लिए समूह 'क' की सेवाओं में और 5,524 भर्तियां अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा करनी होगी। समूह 'क' में अ.ज.जा. की संख्या में 4260 की कमी है। इस प्रकार केन्द्र सरकार की सेवाओं में समूह 'क' सेवा में लगभग 9784 पदों की कमी है।

समूह 'ख' में कुल बैकलाग रिक्तियां लगभग 11,039 हैं। इसी प्रकार समूह 'ग' में कुल बैकलाग रिक्तियां 45,045 है। लेकिन अ.जा./अ.ज.जा. के समूह 'घ' की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। केन्द्र सरकार की समूह 'क', समूह 'ख', समूह 'ग' के तीनों संवर्ग की सेवाओं में कुल बैकलाग रिक्तियां 65,868 हैं। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा विभिन्न राज्य सेवाओं में बैकलाग रिक्तियों की संख्या काफी है।

केन्द्रीय सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व पाने के लिए हमें सेवाओं में अ.जा./अ.ज.जा. के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की अवधारणा को सुनिश्चित करना होगा। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 16(4क) में पहले ही गारंटीकृत है।

> ''अनुच्छेद 16(4क): इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।''

इसलिए, मेरे विचार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की अवधारणा के सख्ती से क्रियान्वयन की तरह बैकलाग भर्ती अभियान के सख्ती से क्रियान्वयन के लिए एक विधेयक या आरक्षण अधिनियम लाया जाए।

संप्रग मजबूती से भारतीय समाज का निर्माण कर रहा है। एक बार पुन: मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार तथा उनकी मंत्री परिषद तथा संप्रग की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की एक बार पुन: सराहना करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**अनुबंध एक**

*1 जनवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार की सेवाओं में अ.जा./अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व*

| समूह | कुल | अ.जा. | | बैकलॉग | अ.ज.जा. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16.16% के अनुसार | वर्तमान प्रतिनिधित्व | | 7.5% के अनुसार | वर्तमान प्रतिनिधित्व | बैकलॉग | अ.जा./अ.ज.जा. की कुल बैकलॉग |
| क | 99,099 | 16,509 | 10,985 | 5,524 | 7,432 | 3,172 | 4,260 | 9,784 |
| ख | 1,87,033 | 31,159 | 26,336 | 4,843 | 14,027 | 7,811 | 6,216 | 11,039 |
| ग | 21,41,879 | 3,56,837 | 3,45,358 | 11,479 | 1,60,640 | 1,27,074 | 33,566 | 45,045 |
| | | | | | | | कुल योग | 65,868 |

*[हिन्दी]*

**श्री नवीन जिन्दल** (कुरूक्षेत्र): माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय सदस्य श्रीमती गिरिजा व्यास जी द्वारा पेश किये गये राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं लोक सभा की नवनिर्वाचित अध्यक्षा माननीया मीरा कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं। संसद के इतिहास में वह पहली महिला है जो अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रही हैं। मैं भारत के मतदाताओं को नमन करता हूं जिन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी व डा. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में पुन: कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास प्रकट किया है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र कुरूक्षेत्र की बहादुर जनता का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने एक बार फिर से मुझे देश की सेवा करने का मौका दिया है। भारतीय जनता ने बता दिया है कि उसे खोखले नारों और आश्वासनों से भरमाया नहीं जा सकता है। जनता ठोस कदम चाहती है, पारदर्शी प्रशासन प्रणाली और निरन्तर विकास चाहती है। जनता ने यह प्रमाणित कर दिया है कि कौन नेता मजबूत है और कौन कमजोर है? महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में आंतरिक सुरक्षा को देश की सबसे बड़ी समस्या बताया है और कहा है कि आतंकवाद के कारण आज हमारी आंतरिक सुरक्षा खतरे में है। हमारी सरकार ने और विशेष रूप से गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम जी ने इसके लिए बहुत से ठोस कदम उठाए हैं, जिनका मैं स्वागत करता हूं। एक और कदम जिसके बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि विशिष्ट पहचान पत्र देने का काम सरकार अगले तीन साल में करेगी। मैं यह समझता हूं कि यह एक बहुत ही अच्छा कदम हमारी सरकार उठाने जा रही है। जब हर व्यक्ति के पास अपना एक पहचान पत्र होगा तो इससे जो बहुत से विदेशी लोग हमारे देश में रह रहे हैं, हम उनके बारे में बता पाएंगे कि कौन हमारे देश के हैं और कौन विदेशी लोग गलत तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं और उन्हें उनके देशों में वापस भेजा जा सकता है। इस तरह की एक बहुप्रयोजनीय राष्ट्रीय पहचान पत्र योजना वर्ष 2002 में भी केंद्र सरकार ने चालू की थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको बंद कर दिया, उसको पूरा कंप्लीट नहीं किया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इसे बहुत गंभीरता से लेगी और इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेगी।

हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने नेशनल काउंटर टैररिस्ट सेंटर बनाये जाने की बात कही है, यह बहुत अच्छी बात है और मैं इसका स्वागत करता हूं। इसके साथ-साथ मैं एक नेशनल टैक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का सुझाव देना चाहता हूं। हमारी पुलिस फोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देने की बहुत आवश्यकता है। उन्हें अच्छे से अच्छे हथियार उपलब्ध कराये जाएं ताकि वे आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दे सकें। हमारे देश में चाहे नक्सलवाद हो, चाहे जिहादी आतंकवाद हो, वे उन सभी का मुंहतोड़ जवाब दे सकें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर हमारे देश में चुनाव करवाए हैं जो आसान काम नहीं था। मैं आपके माध्यम से सरकार को और चुनाव आयोग को एक सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने मतदान के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। जो हमारे प्रवासी श्रामिक हैं, जो उत्तर प्रदेश या बिहार से आकर पंजाब या हरियाणा के खेतों में काम करते हैं, या हमारे जो करोड़ों प्रवासी भारतीय हैं जिन्हें हम एनआरआईज कहते हैं, जो विदेशों में रहते हैं या लाखों की मात्रा में हमारे विद्यार्थी हैं जो बाहर के देशों में पढ़ रहे हैं, वे अपने मतदान के अधिकार से वंचित रह जाते हैं जबकि बाकी देशों में ऐसे प्रावधान हैं कि वह पोस्टल बैलट के जरिये या अन्य प्रावधानों के जरिये अपना मतदान कर देते हैं। इसलिए

[श्री नवीन जिन्दल]

हमें भी कुछ एबसैन्टी वोटिंग तरह के प्रावधान लाने चाहिएं ताकि हर व्यक्ति जहां उसका वोट बना हुआ है, अगर उसको उस दिन काम के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है तो भी वह अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सके।

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारा देश युवाओं का देश है जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा संख्या 25 वर्ष से कम युवाओं की है। ऐसे में लाजमी है कि हम अपने देश के अंदर खेलों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दें। इसके लिए हम अपने देश के अंदर जो कामनवैल्थ गेम्स 2010 में करवा रहे हैं, उस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके लिए बहुत पहले ही हमारे सब स्टेडियम और सभी सुविधाएं चालू हो जानी चाहिएं। इसके लिए मैं खेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे आकर अपना एक वक्तव्य संसद में दें ताकि हमें पता लगे कि हमारी तैयारियां कैसी चल रही हैं। इस पर हमें खास ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आस्ट्रेलिया में लगभग 80 हजार भारतीय विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और हाल में उनके साथ जो हुआ, उससे हम सभी बहुत चिन्तित हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र कुरूक्षेत्र के भी बहुत से विद्यार्थी आस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। मैं जानता हूं कि उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार पूरी चेष्टा कर रही है लेकिन इस बात की आवश्यकता है कि उन पर जो अटैक्स हो रहे हैं, उनको रोका जाए और उनकी सुरक्षा आस्ट्रेलिया सरकार सुनिश्चित करे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक लाने वाली है जिसमें सभी को खाद्य सुरक्षा का आश्वासन मिलेगा। मैंने पिछली लोक सभा में इस पर एक संकल्प पेश किया था और कहा था कि सरकार का यह कर्त्तव्य है कि देश में कोई भी भूखा न रहे। सभी पार्टियों ने इसका पूरा समर्थन किया था। अपने उत्तर में सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस विषय पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। हमारी पार्टी ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को तीन रुपये किलो मूल्य पर चावल और गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा और इस साल का अनुमान है कि हमारी सब्सिडी लगभग 50 हजार रुपये की होगी। हम यह भी जानते हैं कि जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है, उसमें बहुत सी खामियां भी हैं, उसमें बहुत सा भ्रष्टाचार भी है और बहुत सी लीकेजेज भी हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य अब अपनी बात समाप्त करें, अभी और बोलने वाले बाकी हैं। काफी रात हो गई है, अब सोने का समय हो रहा है।

**श्री नवीन जिन्दल:** मैं एक मिनट और लूंगा। इसमें बहुत सुधार करने की आवश्यकता है ताकि इसमें जो भ्रष्टाचार है वह रुके और सही मायने में जो गरीब लोग हैं, उन तक इसका लाभ पहुंच सके। इस पर हमें चिन्तन करना होगा कि सब्सिडी अच्छा तरीका है या डायरैक्ट कैश ट्रांसफर, ताकि उनको सीधा-सीधा पैसा मिल जाए क्योंकि जब हम उनको सस्ती चीजें उपलब्ध कराते हैं तो बिचौलिये इसका फायदा उठाते हैं। अगर सीधा-सीधा उनको पैसा उनके हाथों में मिलेगा तो फिर उनकी मर्जी होगी कि उससे वे क्या चीज खरीदना चाहते हैं। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जिस तरह से अमेरिका में फूड स्टैम्प्स का बहुत प्रचलन हैं, वहां बहुत से फूड स्टैम्प्स दिये जाते हैं, उस तरह का सुझाव हम यहां पर लागू कर सकें तो अच्छा होगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में युवा पीढ़ी का विशेष उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं के लिए हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है जिसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। अंत में मैं एक ही पाइंट कहना चाहूंगा कि सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों में और ज्यादा वृद्धि करने की आवश्यकता है। गांवों में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार इन बिन्दुओं पर और ज्यादा ध्यान दे ताकि हम अपने देश को अपने सपनों का भारत बना सकें।

**डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा** (करनाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन द्वारा मीरा कुमार जी को अध्यक्ष और आपको उपाध्यक्ष मनोनीत करने पर बधाई देता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं, तपस्वी और त्यागमूर्ति हमारी देवी श्रीमती सोनिया गांधी को जिनके मार्गदर्शन में यूपीए सरकार बनी। मैं डॉ. मनमोहन सिंह जी और भाई राहुल गांधी को बधाई देना चाहता हूं, जिनके प्रयासों से आज यूपीए की सरकार है। इसी के साथ-साथ मैं भारत के मतदाताओं, बुजुर्गों, महिलाओं, नौजवानों, किसान, गरीब, खेतिहर मजदूर, कर्मचारियों और व्यापारियों को तहेदिल से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आज के हालात को समझते हुए कांग्रेस को 206 सीटें देकर यूपीए सरकार को बनाया।

महोदय, आज देश के हालात ऐसे हैं, जिसमें कुछ ताकतें देश को अंदर से तोड़ना चाहती हैं और कुछ ताकतें बाहर से तोड़ना चाहती हैं। प्रणब मुखर्जी जी यहां बैठे हुए हैं, जब यह विदेश मंत्री थे तो इन्होंने विदेशी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया। देश के मतदाताओं ने भी इस बात को समझा कि देश को आगे बढ़ाने का काम, गरीबों और किसानों का भला, केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिलाओं के आरक्षण की बात कही गयी है, जिसका हम समर्थन करते हैं। पवन बंसल जी बैठे हुए हैं और मैं समझता हूं कि जो भी बात हम यहां रखेंगे, वह सरकार तक पहुंचाई जाएगी। कन्या भ्रूण हत्या को बंद करने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें एकजुट हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए बने कानून में कुछ कमियां हैं। उनको यदि दूर कर दें तो इसे रोकने में सहायता मिलेगी। मैं डाक्टर होने के नाते यह कहना चाहता हूं कि अल्ट्रासाउंड की पोर्टेबल मशीन के उपयोग को रोकने की आवश्यकता है क्योंकि डाक्टर इस मशीन का क्लीनिक में उपयोग न करके, सीधे कहीं भी और घरों में ले जाते हैं और भ्रूण का अनैतिक रूप से टेस्ट करते हैं। इस मशीन के उपयोग को बैन किया जाना चाहिए।

महोदय, दिल्ली हरियाणा से तीन तरफ से घिरी हुई है। इंदिरा जी और राजीव जी ने हरियाणा की ओर विशेष ध्यान दिया था। नेशनल कैपिटल रीजन राजधानी को विकसित करने की बात कही जाती रही है, लेकिन इस ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वर्ष 2010 में राजधानी में कामनवैल्थ गेम्स होने वाले हैं, उन्हें देखते हुए यदि हम इस रीजन के विकास के लिए अलग से बजट और अलग मंत्रालय बनाकर ध्यान देंगे तो दिल्ली पर बढ़ते हुए जनसंख्या के बोझ को नियंत्रित किया जा सकेगा और इससे एनसीआर का विकास हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम एन.सी.आर. रीजन को थोड़ा विकसित करें, तो दिल्ली के ऊपर जो बोझ है, उसमें थोड़ी कमी आएगी। एन.सी.आर. में जितने भी शहर हैं, जैसे बहादुरगढ़ है, रोहतक है, सोनीपत है और पानीपत है, इन्हें हम विकसित करें। अगर हम इन शहरों की तरफ ध्यान देकर, इन्हें फेसिलिटिजी दें, हम इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, इनमें स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाएं, इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाएं। ये सारी सुविधाएं बढ़ाएं और इस रीजन को हम विकसित करें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जरूर राहत मिलेगी और दिल्ली के ऊपर जनसंख्या का जो भार दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है, वह अवश्य कम होगा।

महोदय, पानीपत शहर, मेरे चुनाव क्षेत्र का शहर है। मैंने बार-बार आवाज उठाई कि यह ऐतिहासिक शहर है। इसमें इंडस्ट्रियल एरिया है, बुनकर आते हैं, वहां टैक्सटाइल हब है, रिफाइनरी का क्षेत्र है। कुल मिलाकर बहुत बड़ा क्षेत्र है। बहुत ज्यादा पापुलेटेड है, लेकिन सुविधाएं उतनी नहीं हैं। इसके लिए मैंने पिछली बार भी अनेक बार आवाज उठाई, लेकिन कोई तरक्की नहीं हुई। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे भाई श्री पवन कुमार बंसल जी, इस ओर पूरा ध्यान देंगे और मेरी आवाज को पूरे जोरदार तरीके से आगे रखेंगे और पानीपत शहर को श्री जवाहर लाल नेहरू सौंदर्यीकरण योजना से जल्दी से जल्दी जोड़ा जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस दिन पानीपत शहर को इस योजना से जोड़ा जाएगा, उस दिन आप देखेंगे कि इस इलाके का विकास कितनी शीघ्र गति से होगा।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करते हुए, एक दो बातें और कहना चाहता हूं। इस बार की लोक सभा में यू.पी.ए. सरकार बनाने में हमारे हरियाणा राज्य का भी बहुत हाथ रहा है। वहां से लोक सभा के सांसदों की 10 सीटों में से कांग्रेस के 9 सांसद जीत कर आए हैं। इसमें हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री, चौ. भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का एवं हरियाणा सरकार का पूरा योगदान रहा है। जिस प्रकार से केन्द्र सरकार की नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं रहा, उसी प्रकार से हरियाणा में भी चौ. भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं रहा और उन्होंने केन्द्र सरकार की नीतियों को पूरे जोर से हरियाणा में लागू किया। उसी से यह सम्भव हुआ कि 10 में से 9 सीटें हरियाणा से कांग्रेस सरकार को मिली। इसमें चौ. भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की मेहनत रंग लाई। उन्होंने किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए बहुत काम किया। केन्द्र सरकार की जितनी भी नीतियां बनीं, उन्हें हरियाणा में बहुत अच्छे तरीके से लागू किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, एक-दो बातें और भी हैं। नरेगा योजना बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें छोटी-छोटी कुछ ऐसी चूक हुई हैं, जिन्हें सुधारा जाना आवश्यक है। अगर इसे हम रिव्यू करें, तो अच्छा रहेगा। हरियाणा और पंजाब में इस योजना के अंतर्गत जो पैसा आया, वह ज्यादा यूटिलाइज नहीं हुआ। मेरा आग्रह है कि इसकी इन्क्वायरी कराई जाए और देखा जाए कि क्यों पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ। इसमें 60 परसेंट धन लेबर के लिए और 40 परसेंट धन मटीरियल कास्ट के लिए आता है। मैंने माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी को भी लिखा है कि हरियाणा में इसे रिव्यू कर के मटीरियल कास्ट को बढ़ाया जाए और इसके कार्यों के क्षेत्र को भी बढ़ाया जाए। जैसे कहीं पीने के पानी की समस्या है, तो उसे दूर करने हेतु जो काम कराया जाए, उसे भी नरेगा के माध्यम से ही कराया जाए। गरीबों को चौपाल बनानी है, तो उसे भी नरेगा के माध्यम से बनाया जाए। आम रास्ते और श्मशान के रास्ते हैं, उन्हें भी नरेगा में डालकर बनाया जा सकता है। इस प्रकार से गांवों की छोटी-छोटी चीजें हैं, जिन्हें नरेगा में डालकर बनाया जा सकता है। गांवों के गरीब लोग इन कामों के होने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि गांवों में इतना पैसा नहीं होता है। हमारे यहां से नरेगा का पैसा वापस जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे जिले का नरेगा योजना का 20 से 30 करोड़ रुपया हमें वापस करना पड़ा। इसलिए यदि इसके कार्यों की लिस्ट को हम रिव्यू करें और कार्यों में कुछ छोटे-छोटे कार्यों को और जोड़ें, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ और स्कीमों को इसमें डाल दें, तो इससे गांवों के लोगों को बहुत फायदा होगा।

महोदय, नौजवान साथियों, ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** डॉ. अरविन्द शर्मा जी, 9.00 बज चुके हैं। सदन का समय समाप्त हो चुका है। सदन का समय बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए अब आप समाप्त कीजिए।

**डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:** उपाध्यक्ष जी, हरियाणा के रोजगार कार्यालयों में 10 लाख बेरोजगार नौजवानों के नाम पंजीकृत हैं। मेरा निवेदन है कि इस ओर भी सरकार विशेष ध्यान दे और जब नैशनल कैपीटल रीजन को डैवलप किया जाए, तो नौजवानों को भी काम के रास्ते मिलें, जिससे बेरोजगार नौजवान साथियों को काम मिले। आज का बेरोजगार नौजवान, भाई राहुल गांधी जी की तरफ देखता है और उसे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में उस बेरोजगार नौजवान को ज्यादा से ज्यादा काम मिलेगा। श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व वाली सरकार में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में नौजवानों को ज्यादा काम मिलेगा।

**उपाध्यक्ष महोदय:** 9.00 बजे तक सदन का समय था। वह समाप्त हो गया है। अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

**डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत खुश हूं कि आप जैसा योग्य व्यक्ति उपाध्यक्ष की पीठ को सुशोभित कर रहा है। मैं सिर्फ दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। हमारे जितने भी कांग्रेस के साथियों ने जो और बातें रखी हैं, मैं उनका पुरजोर समर्थन करता हूं। पिछली यू.पी.ए. सरकार ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी और डॉ. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 65 से 70 हजार करोड़ रुपए के किसानों के लोन माफ किए, उसके लिए हम उनका धन्यवाद और सराहना करते हैं।

**रात्रि 9.00 बजे**

श्रीमती सोनिया गांधी जी ने गरीब किसानों के दुख-दर्द को पहचाना कि जिस तरह से किसान आत्महत्या करते रहे हैं ...*(व्यवधान)* और भूमिहीन मजदूरों, हथकारीगरों, कर्मचारियों, व्यापारियों एवं दुकानदारों के भी ऋण माफ करने की योजना बनानी चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया समाप्त करें।

**डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:** उसके बाद पूरी आत्महत्याएं रुकीं और जो श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच थी, हरियाणा सरकार ने भी इसका अनुसरण किया, गरीबों के लिए मकान, 100-100 गज के प्लाट, 1600 करोड़ रुपए का किसानों का ऋण माफ किया, कोआपरेटिव बैंक का ब्याज माफ किया, ऐसी बहुत सी बातें हरियाणा सरकार ने की। मैं आपसे कहूंगा कि एक विशेष पैकेज हरियाणा सरकार को दिया जाये, क्योंकि एन.सी.आर. रीजन इसमें आता है। हरियाणा सरकार को एक विशेष पैकेज के तौर पर दिया जाये, क्योंकि किसानों के लिए, नौजवानों के लिए इसने इतनी ईमानदारी से काम किया है, तभी यह सम्भव हुआ है कि 10 में से 9 सीटें हरियाणा में कांग्रेस को मिली हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष जी, फिर से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने थोड़ा सा, दो मिनट मुझे ज्यादा समय दिया।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यगण, इस विषय पर चर्चा कल मध्याह्न 12 बजे तक जारी रहेगी। तत्पश्चात् इसका उत्तर दिया जाएगा।

**श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी** (विजयनगरम): महोदय, 'शून्य-काल' का क्या होगा?

**उपाध्यक्ष महोदय:** अब कोई 'शून्य-काल' नहीं होगा।

**श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:** सुबह यह घोषणा की गई थी कि यह दिन के अंत में होगा। कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

**उपाध्यक्ष महोदय:** जिन सदस्यों ने सूचनाएं दी हैं उनमें से अधिकांश उपस्थित नहीं हैं।

*[हिन्दी]*

कल कर लेना। हमारे मंत्री जी से मिल लीजिएगा।

*[अनुवाद]*

अब सभा कल 9 जून, 2009 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**रात्रि 9.01 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 9 जून, 2009/19 ज्येष्ठ 1931 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*